लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

Preservation
1-9-92
Fumigated
30-7-85
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं
Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 45, सोमवार, 5 मई, 1975/15 वैशाख, 1897 (शक)

No. 45, Monday, May 5, 1975/Vaisakha 15, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
निधन सबंधी उल्लेख	Obituary Reference	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :—	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 874 से 876, 878, 880 से 882 और 884	Starred Questions Nos. 874 to 876, 878, 880 to 882 and 884 . . .	2-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :—	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 877, 879, 883 और 885 से 893	Starred Questions Nos. 877, 879, 883 and 885 to 893	23-31
अतारांकित प्रश्न संख्या 8478 से 8484, 8486 से 8586 और 8588 से 8677	Unstarred Questions Nos. 8478 to 8484, 8486 to 8586 and 8588 to 8677 . . .	31-161
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment . . .	162
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	162-167
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
142 वां, 165वां, 172वां, 173 वां और 176 वां प्रतिवेदन	Hundred and Forty second, Hundred and Sixty Fifth, Hundred and Seventy Second, Hundred and Seventy Third and Hundred and seventy sixth Reports . . .	167
दिल्ली के आस पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत विकास के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 95 के 24 फरवरी, 1975 को दिये गये उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 95 dated 24-2-75 Re. Development under National Capital Region Plan around Delhi. .	168
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के हरिजनों के मकानों के जलाये जाने और उनकी हत्या के बारे में वक्तव्य— श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Statement Re. Burning of Houses and Killing of Harijans in Ghazipur U.P.— Shri K. Brahmananda Reddy . .	168-169

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न कि सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
कार्य मंत्रणा समिति––	Business Advisory Committee—	
55वां प्रतिवेदन	Fifty Fifth Report . . .	170
कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन विधेयक :	Companies (Temporary Restrictions on Dividends Amendment Bill—	
पुर:स्थापित किया गया	*Introduced*	170-71
वित्त विधेयक, 1975––	Finance Bill 1975—	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
डा० कैलास	Dr. Kailas .	171-72
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandevate . .	172-73
श्री पी आंकिनीडू प्रसाद राव	Shri P. Ankineedh Prasada Rao .	174-75
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. S.L. Saksena . . .	175-76
श्री परिपूर्णानंद पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	176-77
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai . .	177
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	177-78
श्री पी० वेंकटासुब्बेया	Shri P. Venkatasubbaiah . .	178-79
श्री विजय पाल सिंह	Shri Vijay Pal Singh	179
श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal . . .	179-80
श्री विश्नाथ राय	Shri Bishwanath Rai .	180
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	180-81
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad . .	181-82
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	182-83
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Brnerjee. . . .	183
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	183—88
खण्ड 2 से 38 और 1 और अनुसूची	Clauses 2 to 38 and 1 and Schedule . .	188—206
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में––	Motion to Pass, as amended—	
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . .	206-207
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	207
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . . .	207-208
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	208
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	208
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	208

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	208
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam . .	209
तम्बाकू उपकर विधेयक—	Tobacco Cess Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya .	209-10, 211
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . .	210
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya . .	210-11
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	211
खण्ड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	212
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	212

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 5 मई 1975/15 वैशाख, 1897 (शक)
Monday, May 5, 1975/Vaisakha 15, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को कुमारी पद्मजा नायडू के आकस्मिक निधन की सूचना देनी है जिनका 75 वर्ष की आयु में 2 मई, 1975 को नई दिल्ली में स्वर्गवास हो गया।

लब्ध प्रतिष्ठ माता सरोजिनी नायडू की पुत्री कुमारी पद्मजा नायडू ने केवल 21 वर्ष की आयु में सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया और राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की। उन्होंने बड़े जीवट, उत्साह के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जेल यात्रा की। वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 से 1951 तक अस्थायी संसद् की सदस्या रहीं। 1956 में उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया और वह इस पद पर 1956 से 1967 तक बनी रहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद के दौरान उन्होंने इस पद को गरिमा और गौरव प्रदान किया। मानवता की सेवा के फलस्वरूप उन्हे पद्म-विभूषण से सुशोभित किया गया और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अनेक सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संगठनों में रहते हुए समाज सेवा म बिताया। वह अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक समाज सेवा करती रहीं। वह नेहरु स्मारक निधि की चेयरमन थी। उनका अखिल भारतीय हथकरघा बोड, भारत सेवक समाज, उस्मानिया विश्वविद्यालय की सीनेट, भूतपूर्व हैदराबाद सरकार की आयोजना समिति और हैदराबाद राज्य युवा कल्याण बोर्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध था। वह भारतीय रैड क्रास सोसायटी तथा बंगलादेश शरणार्थी सहायता समिति की भी चेयरमेन थीं। 1971 में बंगलादेश से आये शरणार्थियों के प्रति उनकी निष्ठापूर्ण सेवा सदैव स्मरणीय रहेगी। उनकी मृत्यु से देश को एक अन्य राष्ट्रीय प्राणी से हाथ धोना पड़ा है।

हमें इस महान वीरांगना की मृत्यु पर गम्भीर संवेदना है। मुझे विश्वास है कि सभा उनके दु:खद निधन पर यह शोक सवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ होगी।

सभा उनकी स्मृति के सम्मान में थोड़ी देर के लिये मौन खड़ी होगी।

(इसके बाद सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे)

(The Members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चालू रबी और खरीफ उत्पादन पर रासायनिक उर्वरकों की कमी का प्रभाव

\+

874. **श्री राम प्रकाश :**

श्री डी० बी चन्द्रगौडा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में रासायनिक उर्वरको की कमी का खरीफ/रबी उत्पादन पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ख) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) कृषि उत्पादन पर कई बातों का असर पड़ता है, जिनमें वर्षा की मात्रा, कृषि सुविधाओं की उपलब्धि के अलावा उर्वरक आदि कृषि आदान भी शामिल हैं। जहां तक उवरकों का सम्बन्ध है, आशा है कि 1975–76 की खरीफ और रबी फसलों के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में उवरक उपलब्ध होंगे। इसलिए उवरकों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में किसी कमी की सम्भावना नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Ram Prakash: Will the honourable Minister be pleased to state the names of the States which have written to the Central Government in regard to their demand for fertilizers?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, सभी राज्य सरकारें समय-समय पर हमसे उर्वरक सप्लाई के लिये कहती हैं। किन्तु ऐसा हो रहा है कि दो सामयिक सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं जिनमें राज्य सरकारें भाग लेती हैं और हम उस आधार पर आवश्यकता निर्धारित करते हैं और उसके बाद इसकी सल्पाई की जाती है।

Shri Ram Prakash: Will the Minister state the policy of the Central Government regarding allotment of fertilizers to various States? How much fertilizers have been demanded by Haryana State from the Centre and how much reduction has been made by you therein and the reasons for such reduction?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक हरियाणा सरकार का सम्बन्ध है, हमने जो उर्वरक उन्हें अलाट किया है, उसे वह नहीं उठा सका है। अनुदेश देने के बावजूद हरियाणा सरकार ने इसे उठाने की कार्यवाही नहीं की है। इसकी सप्लाई में कोई कमी नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह सही है कि गत 2 या 3 वर्षों के दौरान उर्वरक, जो कृषि विकास का एक साधन है, की खपत में उत्तरोत्तर कमी हुई है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, उर्वरक की खपत में भारी कमी नहीं हुई है। केवल थोड़ी सी कमी हुई है। एन० के० पी० की 28 लाख मीटरी टन की खपत के मुकाबले में लगभग 27.7 लाख मीटरी टन की खपत हुई है। यद्यपि हमारी संभावना के मुताबिक उर्वरक की खपत में वृद्धि नहीं हुई है, तथापि इसमें कमी भी नहीं हुई है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में अभी कहा कि देश में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं यह क्यों स्वीकार किया है कि गत दो-तीन वर्षों के दौरान खपत में भी गिरावट आई है और कीमतें बढ़ी हैं। वह दोनों वक्तव्यों का कैसे तालमेल बिठा सकते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने यह नहीं कहा कि खपत में गिरावट आई है। मामूली गिरावट आई है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : चाहे यह मामूली हो या न हो, परन्तु खपत में कमी आई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गत वष एन०के०पी० की खपत 27 से 28 लाख मीटरी टन तक रही है और यही हो रही है। मेरा निवेदन यह था कि हमने जो संभावना की थी वह पूरी नहीं हुई। गत वर्ष देश के अनेक हिस्सों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा और इसलिये फसल के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में उर्वरक की खपत पर प्रभाव पड़ा। तमिलनाडु में भी सूखा पड़ा। मूल्यों पर प्रभाव का एक कारण यह था।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उवरक की कीमतों में असाधारण वृद्धि होने के कारण छोट किसान राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं के अनुसार उर्वरक नहीं रख सके ? यदि हां, तो क्या सरकार उर्वरक की कीमतें कम करने की बात सोच रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि छोटे किसानों पर कीमतों का क्या प्रभाव पड़ा है, किन्तु यह सर्वविदित है कि इस देश के छोटे किसानों की क्रय-शक्ति कम है और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो हो सकता है कि कुछ कठिनाइयां हो गई हों। हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाये, जिससे वे अर्वरक खरीदने में समर्थ हो सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब मूल्यों में हाल में वृद्धि हुई है तो कितना उवरक आने वाला है? क्या यह भी सही है कि जहां मूल्य वृद्धि के कारण फुटकर विक्रेता लाभ कमायेंगे वहां सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप कुल खरीद कम हुई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, जहां तक कुल खरीद की बात है मैंने पहले ही बताया है कि यह कमी नहीं हुई है। यह लगभग वही है। जहां तक उनके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, कि कितना उर्वरक आने वाला है या आयात किया जाने वाला है माननीय सदस्य सम्बंधित मंत्रालय के नाम प्रश्न दे सकते हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey: The Honourable Minister has stated that 27-28 lakh tonnes of fertilizers have been utilised. I would like to know whether he has collected data regarding the requirement of the States and how much fertilizers have been given to them as against their requirement?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, कुल मांग अत्यधिक रही हैं, किन्तु गत वर्ष खरीफ की फसल का कफी उर्वरक पड़ा हुआ था, क्योंकि अनेक राज्य पानी और बिजली की कमी के कारण इसे इस्तेमाल नहीं कर सके। अनेक राज्यों के पास काफी स्टाक है। रबी की फसल के दौरान इससे पहले की फसलों के अपेक्षा कोई कमी नहीं रही। आने वाले वर्ष में भी स्थिति संतोषजनक होने की आशा है।

Shri Sarjoo Pandey: The Honourable Minister has just stated that due to rise in its prices, small farmers are not in a position to utilise the fertilizers and he himself has admitted that in many States and particularly in Uttar Pradesh there has been shortage of fertilizers. I would like to know as to what action is being taken by the Government to further bring down the prices of fertilizers in near future and to make it available to those States?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अगली खरीफ की फसल के दौरान राज्यों को इसकी सप्लाई करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने छोटे किसानों के बारे में कोई निश्चित वक्तव्य नहीं दिया है। मैंने कहा है कि हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं।

श्री धामनकर : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे राज्य कौन से हैं जिनके पास किसानों द्वारा उर्वरक न उठाने के कारण उर्वरक जमा है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों के पास यह काफी मात्रा में जमा पड़ा है।

† **कपास की खेती का मशीनीकरण**

*875. **श्री डो० डो० देसाई :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारत में कपास की खेती अब तक मशीनीकरण की दृष्टि से उपेक्षित रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कपास की खेती में मशीनीकरण लागू करने के लिये कोई योजनाएं चालू की गई हैं;

(ग) क्या यह योजना कपास की बुवाई, निराई और कटाई के लिये विभिन्न उपकरणों का विकास एवं आविष्कार करने के बारे में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क), (ख), (ग) और (घ) इन प्रश्नों के उत्तर से संबंधित एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ऐसा नहीं लगता कि देश के अधिकांश भागों में यंत्रीकरण के अभाव में कपास की खेती को कोई नुकसान पहुंचा है। पर यदि पर्याप्त मात्रा में खेतों में काम करने वाले मजदूर उपलब्ध न हों तो भारी मिट्टी में समय पर कपास की बुआई कठिन हो जाती है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अगस्त, 1972 में हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालय में कपास की खेती के यंत्रीकरण के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गयी थी । यह परियोजना तीन वर्षों के लिए थी तथा इस पर 2.01 लाख रु० खर्च करना था । इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) कपास की खेती के लिए वर्तमान सस्य क्रियाओं का सर्वेक्षण और अध्ययन ।

(2) कपास की खेती के लिए उपलब्ध औजारों और मशीनों की उपयुक्तता की जांच और मूल्यांकन तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक कारगर बनाने के लिए उनमें सुधार करना ।

(3) कपास की खेती के लिए सरल मशीनों की डिजाइन तैयार करना और उनका विकास ।

प्रस्तुत परियोजना के तहत किये गये प्रयासों के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए है :—

(1) एक डिलिन्टर (चरखी) की डिजाइन तैयार की गयी है तथा उसकी जांच की गयी है ।

(2) उपलब्ध बीज और बीज एवं उर्वरक डालने वाले यंत्र (ड्रील) की जांच करने के बाद, एक तीन कतारों वाले तथा बैलों द्वारा खीचें जाने वाले प्लान्टर की डिजाइन तैयार करके उसे विकसित किया गया है तथा उसकी जांच की गयी है।

(3) एक शक्ति-चालित निराई हैरो (वीडर) की डिजाइन तैयार की गयी है ।

(4) 'नैपसैक काटन पिकिंग डिवाइस' (कपास चुनने वाले यंत्र) के विकास की सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन शुरु कर दिया गया है ।

श्री डी० डी० देसाई : महोदय, भारत कपास के पौधों का घर है । हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 160 किलोग्राम है, जबकि पाकिस्तान में इससे दुगुना है । कुछ विकासशील देशों में यह 900 किलोग्राम है । मेक्सिको और मिस्त्र में भी यह लगभग 750 किलोग्राम है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह हमारे देश और अन्य देशों के बीच उत्पादन-अन्तर को कैसे पाटने जा रहे हैं और वह यह कैसे आशा कर रहे हैं कि हमारा वस्त्र उद्योग आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा जो इस कम

उत्पादकता से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा कर सकेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या देश ने मशीनीकरण के लिये औजार बना लिये हैं और कपास की उत्पादन में सुधार करने के लिये इन औजारों के उपयोग के लिये कौन सी व्यवस्था की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : महोदय, जहां तक सस्य अनुसंधान का सम्बन्ध है, हमने बड़ी अच्छी प्रगति की है और मेरे माननीय मित्र, जो एक कृषक हैं और स्वयं कपास के उत्पादक हैं, जानते हैं कि कुछ संकर कपास ने बहुत अच्छा कार्य किया है और वह विश्व के किसी अन्य देश के साथ अच्छी तरह स्पर्धा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि जहां तक औजारों के यंत्रीकरण का सम्बन्ध है, हमने अधिक प्रगति नहीं की है। हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय, हिसार कुछ औजारों का परीक्षण कर रहा है और इसने इन औजारों पर कुछ अनुसंधान पहले ही किया है। उदाहरण के तौर पर कपास के बिनौलों पर से छोटे रेशे अलग करने के बारे में इसने अच्छा कार्य किया है बीज एवं उर्वरक डालने वाले यंत्र में सुधार किया गया है और यह बड़ा उपयोगी पाया गया है। बैंकों द्वारा खींचे जाने वाले कपास प्लान्टर का सकल परीक्षण किया गया है। विद्युत चालित मिराई हैरो (वीडर) का नमूना तैयार किया गया है और कपास चुनने पर नियंत्रण के प्रभाव का भी सकल परीक्षण किया गया है। यदि माननीय सदस्य की वास्तव में दिलचस्पी है तो मैं सुझाव देता हूं कि उचित यह होगा कि वह हिसार जायें।

श्री डी० डी० देसाई : महोदय, माननीय मंत्री ने उन औजारों के बारे में जानकारी दी है जिनका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने परिष्कार किया है और लुधियाना केन्द्र ने उनकी जांच की है। अब मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि इसका परीक्षण करके क्या वह इस बात पर विचार करके यह सुनिश्चित करेंगे कि औजारों का मानकीकरण किया जाये और वर्कशाप का खाका तैयार किया जाये और उसका व्यापक वितरण किया जाये ? इससे किसानों में विश्वास जाग्रत होगा, क्योंकि पहले किसानों को नये औजारों के घटिया होने के कारण विश्वास नहीं होता है। क्या वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मानकीकरण किया जाये और कर्मशाला के खाके का इस दृष्टि से अत्यधिक वितरण किया जाये कि जिससे किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले ?

श्री शाहनवाज खां : महोदय, माननीय सदस्य ने यह बड़ा अच्छा सुझाव दिया है और हम इस खाके (ब्लू प्रिंट) को विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में भेजेंगे जिससे वे इसको लोकप्रिय बना सकें।

श्री पी० गंगादेव : महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिश्र ने पूरी तरह अपने कपास की खेती के कामों का यंत्रीकरण कर दिया है जिससे ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारत में कपास की खेती में यंत्रीकरण व्यवस्था को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है और क्या यह ऐसे संगठन की कमी के कारण है जो जिला स्तर पर उद्यमकर्त्ताओं की योग्यता का पता लगा सके और यदि हां, तो इस यंत्रीकृत खेती प्रणाली को शुरु करने के लिये देश भर में क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे विशेष रुप से प्रति वर्ष कपास के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचायी जा सके ?

श्री शाहनवाज खां : महोदय, भारत और मिश्र की स्थिति भिन्न भिन्न है। मिश्र में खेतिहर मजदूरों और जनशक्ति की कमी है, जब कि भारत में खेतिहर मजदूर बहुत अधिक संख्या में हैं। अपने देश में रोजगार समस्या के अनुकूल हम कपास की खेती का यंत्रीकरण करने के लिये हर संभव कार्यवाही कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह सत्य है कि देश के विभिन्न भागों में कपास की खेती के यंत्रीकरण की जहां भी योजनायें शुरु की गई, वहां हाल में कपास की खेती करने वालों की प्रवृत्ति किसी भी स्थिति में मशीनीकरण अपनाने की नहीं रही है, क्योंकि इसमें लागत काफी लगती है और इसके अलावा कपास निगम काफी धनराशि नकद देकर के कपास उत्पादकों से पर्याप्त मात्रा में कपास नहीं खरीद सकता ? यदि ऐसी बात है तो आप इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कौन से उपचारात्मक कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खांः हमारे अधिकांश कपास उत्पादक छोटे किसान हैं। उनके परिवार के अनेक सदस्य स्वयं खेतों में काम करते हैं और वे किसी तरह के यंत्रीकरण की आवश्यकता अनुभव नहीं करते।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नही दिया है। मैंने उन लोगों की कठिनाइयां बतायी हैं जो मशीनीकरण प्रणाली अपना रहे हैं। उनमें भी मशीनीकरण न अपनाने की प्रवृत्ति है। उन्होंने इस प्रश्न को छुआ तक नहीं है। मैं प्रश्न कुछ पूछ रहा हूं और वह जवाब कुछ और दे रहे हैं।

श्री शाहनवाज खां : यह मामला तो अर्थशास्त्र का है और चाहने न चाहने पर निर्भर करता है जो भी इसका प्रयोग करने की कोशिश करें, यदि यह उनके अनुकूल हो तो वे इसे अपनायें और यदि यह उनके अनुकूल न हों तो वे इसे छोड़ दें।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : सरकार कई कृषि-सेवा केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है ; कृषि-उद्योग निगम प्रत्येक राज्य में स्थापित किये जा चुके हैं। क्या इन विश्वविद्यालयों द्वारा अर्जित ज्ञान इन केन्द्रों को दिया जायेगा ताकि वे किसानों के साथ सम्पर्क रख सकें और उनकी सेवा कर सकें और औजार आदि खरीदने पर अधिक व्यय न करना पड़े ? क्या सरकार इस योजना को कार्यान्वित करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, जहां कही भी कृषि उद्योग स्थापित किये गये है उनको जब हमसे किसी सहायता की जरुरत पड़ती है तो हम उन्हें मदद देते हैं।

श्री वसन्त साठे : भारत में बहुत अधिक भूमि पर कपास उगाई जाती है, पर विश्व के मुकाबले हमारी प्रति एकड़ उपज सबसे कम है। क्या सरकार छोटे और मध्यम किसानों को सहकारी समितियों या ऋण देने वाली समिति के माध्यम से उपकरण खरीदने हेतु मदद देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि वे उन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकें जो अधिक कीमती नहीं हैं और हमारे ही विश्वविद्यालयों में विकसित हुए हैं जिससे कि अधिक कपास उगाने में उन्हें मदद मिले सके ?

श्री शाहनवाज खां : प्रत्येक खण्ड में विस्तार एजेंसिया हैं। जिन उपकरणों का विकास किया जाता है उनकी कृषि उद्योग या विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में या खण्ड स्तर पर ही किसानों के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है जिससे कि किसान उन्हें देख सकें और जो उपकरण उन्हें चाहिए उसे खरीद सकें।

श्री वसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ किया गया है उसका क्या नतीजा रहा। हम उनकी एक घर में प्रदर्शनी लगा दें तो उससे क्या फायदा, जब तक कि वे किसानों को उपलब्ध नहीं होते ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस ज्ञान को इन केन्द्रों को देने के लिये विस्तार सेवा संगठन के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य ने हमारे देश में कपास के कम उत्पादन के बारे में प्रश्न किया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ मामलों में उत्पादन कम हुआ है, पर कुछ मामलों में किसानों ने इतना अधिक उत्पादन कर दिखाया है कि हम उसकी विश्व के किसी भी श्रेष्ठ उत्पादन के साथ तुलना कर सकते हैं ; जैसे कि वरालक्ष्मी कपास। कपास की अनेक संकट किस्में विकसित की गई हैं। लौंगस्टेपल किस्म बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। हम इस जानकारी को तथा तकनीकी ज्ञान को विस्तार ऐजेंसियों के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं।

Shri Ram Singh Bhai: Today the country is not in a position to introduce mechanisation in cotton crops because of unemployment conditions prevailing in rural areas. People get adequate work in cotton cultivation. Some big landlords are showing greater interest in cotton cultivation and are trying to introduce mechanisation there. Will the Government see that no mechanisation is brought about there?

Mr. Speaker: He has already replied this point. Why do you want him to repeat the same.

Shri Shahnawaz Khan: I have already said that mechanisation will be introduced only in those places where it is considered necessary.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अध्यक्ष का पद

*876. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद इस समय रिक्त पड़ा है और यदि हा, तो कब से,

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के बाद से उसके अध्यक्षों के नाम, अर्हताएं तथा अनुभव क्या रहे हैं, और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तनाम सदस्यों की संख्या और उन के नाम क्या है तथा उनके बारे में उपरोक्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : जी हा 28 सितम्बर 1974 से।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भुतपूर्व अध्यक्ष तथा वर्तनाम कार्मिक के, उनकी नियुक्ति के समय, नाम, अर्हता और अनुभव इस प्रकार थे :–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष

नाम	अर्हता तथा अनुभव
1. डा० सी० डी० देशमुख	बी० ए० (आनर्स), इंडियन सिविल सर्विस बार-एट-ला के सदस्य भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर केन्द्रीय वित्त मंत्री
2. डा० सी० एस० कृष्ण	बी० ए० (आनर्स), पी० एच० डी० लैकचरर रीडर, रजिस्टरार तथा अर्थशास्त्र प्रोफ़ेसर; आन्ध्र विश्वविद्यालय कुलपति, आन्ध्र विश्वविद्यालय
3. डा० डी० एस० कोठारी	एम० एस० सी०, पी० एच० डी०, प्रोफ़ैसर तथा भौतिकी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ।
4. डा० जार्ज जैकब	एम० ए० एम० एस० सी०, पी० एच० डी०, अंग्रेजी के प्रोफ़ैसर, हिसलप कालेज, नागपुर तथा पटना कालेज, पटना । भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय तथा केरल विश्वविद्यालय अध्यक्ष, केरल राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड ।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान कार्मिक

कुलपति

प्रो० सतीश चन्द्र	एम० ए०, पी० एच० डी० इतिहास में लैक्चरर, इलाहबाद विश्वविद्यालय इतिहास में रीडर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली

विश्वविद्यालय; इतिहास के प्रोफ़ेसर, राजस्थान विश्व-विद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय अनुसंधान एसोशियेट, स्कूल आफ़ आरियन्टल एण्ड अफ्रीका स्टडीज, लन्दन; स्यूट्स बिजिटिंग फ़ेलों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय डीन, स्कूल आफ़ सोशल साईंसिज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ।

सदस्य

1. श्री के० एन० चन्ना	सचिव, भारत सरकार शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ।
2. डा० अजीत मजूमदार	सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ।
3. प्रो० आर० एस० शर्मा	एम० ए० पी० एच० डी० लैक्चरर, प्रोफ़ेसर तथा इतिहास के विभागाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय विजिटिंग प्रोफ़ेसर, टेंरिटो विश्वविद्यालय फ़ैलों जवाहर लाल नेहरु विश्व-विद्यालय ।
4. प्रो० रईस अहमद	एम० ए० एम० एस०ई० डी० फ़िल भौतिकी में लैक्चरर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय; भौतिकी के प्रोफ़ेसर, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर; भौतिकी के विभागाध्यक्ष तथा प्रोफ़ैसर तथा डीन आफ० फैकल्टी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ।
5. प्रो० एस० गोपाल	एम० ए० डी० फिल, डी० लिट० सहायक निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, निदेशक ऐतिहासिक प्रभाग; विदेश कार्य मंत्रालय; रीडर, आक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय, प्रोफ़ेसर समकालीन इतिहास, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ।
6. प्रो० एम० सन्तप्पा	एम० एस० सी०, पी० एच० डी० फ़िजिकल केमिस्ट्री विभाग के रीडर तथा अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय, केमिस्ट्री प्रोफ़ेसर, मदुरे विश्वविद्यालय, फ़िजिकल कैमिस्ट्री के प्रोफेसर मद्रास विश्वविद्यालय ।
7. प्रो० जे० बी० वाई० चितम्बर	बी० एस० सी० (कृषि), एम० एस० पी० एच० डी० सहायक फ़ार्म्स मैनेजर, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सहायक प्रोफ़ेसर असोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर उप-प्रिंसिपल तथा प्रिंसिपिल, कृषि संस्थान, इलाहबाद ।

8. प्रो० वी० एम० उदगानेकर	एम० एस० सी० वैज्ञानिक, टाटा इन्स्टीट्यूट ग्राफ़ फ़न्डामेण्टल रिसर्च, बम्बई तथा ग्राटोमिक इनर्जी इस्टैब्लिशमेण्ट, बम्बई, प्रोफ़ेसर तथा प्रधान थ्योरिटिकल फ़िजिक्स ग्रुप, तथा अध्यक्ष, शिक्षा समिति, टाटा इंस्टीट्यूट ग्राफ़ फ़ंडामेण्टल रिसर्च बम्बई ।
9. डा० ग्रमर जीत सिंह	एम० एस० सी० एम० इंजी० विज्ञान, पी० एच० डी०, लेक्चरर, रेडियो फ़िजिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय वैज्ञानिक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, प्रधान वैक्यूयम ट्यूब्स प्रोजैक्ट प्रभाग, सहायक निदेशक, उप निदेशक, तथा निदेशक केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी ग्रनुसंधान संस्थान, पिलानी ।
10. श्री के० टी० चण्डी	एम० ए० एल० एल० एम०, बार० एट-ला, निदेशक हिन्दुस्तान लीवर्स, निदेशक, प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता अध्यक्ष भारतीय खाद्य निगम, हिन्दुस्तान स्टील लि०, तथा केरल राज्य ग्रौद्योगिक विकास निगम उपाध्यक्ष केरल योजना बोर्ड ।/

महोदय, उत्तर के विवरण में टाइप की कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां हैं जिनके लिये मुझे खेद है। मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूं। विवरण के प्रथम पृष्ठ पर, प्रथम वाक्य की पहली पंक्ति में 'भूतपूर्व' के पश्चात् 'पूर्ण कालिक' शब्द ग्रन्तःस्थापित करने पड़ेंगे ग्रौर इस प्रकार इसे ऐसे पढ़ा जाये "....भूतपूर्व पूर्णकालिक अध्यक्ष.... इस प्रकार थे ;"। विवरण के पृष्ठ 2 पर, प्रो० ग्रार० एस० शर्मा के सामने 'ग्रहता ग्रौर ग्रनुभव' के ग्रन्तर्गत ग्रंतिम पंक्ति में "फैलो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय" के स्थान पर "जवाहरलाल नेहरू फैलो" पढ़ा जाये, उसी पृष्ठ की ग्रंतिम पंक्ति में प्रो० रईस ग्रहमद के सामने 'ग्रर्हता ग्रौर ग्रनुभव' के ग्रन्तर्गत 'भौतिकी के विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर तथा डीन ग्राफ फैकल्टी, ग्रलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय' के स्थान पर "भौतिकी के प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष ग्रौर डीन ग्राफ दि फैकल्टी ग्राफ साइन्स, ग्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय" पढ़ा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ग्राशा है कि ग्रापके ग्रनुपूरक प्रश्न इन ग्रर्हताग्रों से नहीं गुजरेंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : विवरण से पता चलता है कि विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग का सोभाग्य है कि चार बहुत ही प्रख्यात तथा जानेमाने शिक्षाविद—डा० देशमुख, डा० कृष्ण, डा० डी० एस० कोठारी ग्रौर डा० जार्ज जैकब–इसके ग्रध्यक्ष रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण पद लगभग सात मास तक खाली क्यों रखा गया है ? क्या सरकार यह समझती है कि विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग बिना ग्रध्यक्ष के काम कर सकता है ? ग्रध्यक्ष कब नियुक्त किये जायगे तथा इसका ग्राधार ग्रौर मानदंड क्या होंगे ? क्या सरकार ग्राश्वासन देगी कि जो ग्रध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा वह पहले चार ग्रध्यक्षों की तरह प्रख्यात होगा तथा नियुक्ति केवल शिक्षा ग्रौर शैक्षणिक ग्राधार पर की जायेगी, इस उच्च पद को गैर-शैक्षणिक दबाव से मुक्त रखा जायेगा ग्रौर किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं डाला जायेगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं खुशी से यह आश्वासन देने को तैयार हूं कि नियुक्ति पूर्णत : व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता और ख्याति के आधार पर की जायेगी, क्योंकि सरकार इस पद को एक महत्वपूर्ण पद मानती है और इसीलिये नियुक्ति करने से पहले इस पर पूरी तरह विचार किया जा रहा है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैंने आपसे विशिष्ट प्रश्न पूछा है । कितनी जल्दी ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जितनी जल्दी सम्भव होगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं तर्क नहीं करना चाहता, पर मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । क्या भारत सरकार समझती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इतनी देर तक बिना अध्यक्ष के रह सकता है ? इसका क्या जबाब है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर, आपने समय-सीमा नहीं पूछी है, आपने पूछा कि कितनी जल्दी जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि 'जितनी जल्दी सम्भव होगा' । अत : आपके प्रश्न का जवाब दिया गया है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में यथाशीघ्र अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं पूर्णतः सहमत हूं ।

अध्यक्ष महोदय : 'जितनी जल्दी सम्भव होगा' और 'यथाशीघ्र' शब्द दिये गये हैं । अब प्रश्न इनकी व्याख्या का है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : महोदय, विवरण में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 10 अन्य सदस्य हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार सभी पद भरे हुए हैं, क्योंकि सूची से पता चलता है कि वहां कोई उपकुलपति नहीं है ? मुझे याद है कि पिछले दिनों आयोग में कुछ उपकुलपति भी होते थे । क्या यह सत्य है कि अब विभिन्न विश्वविद्यालयों से इसमें कुछ प्रोफेसर लिये जायेंगे ? क्या सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष से परामर्श करके की जाती है या नहीं ? 10 सदस्यों की सूची को देखने से पता चलता है कि उपलब्ध व्यापक क्षेत्र से, विशेषकर शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले सार्वजनिक जीवन विख्यात कोई भी स्त्री और पुरुष नहीं लिया गया है और इसमें एक भी महिला सदस्य नहीं है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक उपकुलपतियों का सम्बन्ध है, सभा को याद होगा कि एक संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि आयोग की सदस्यता से उपकुलपतियों का वर्ग समाप्त कर दिया जाये । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम 1972 में उपकुलपतियों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । वास्तव में 1968 में एक संशोधी विधेयक पुरः स्थापित किया गया था जिसमें उपकुलपतियों पर रोक लगाने की व्यवस्था थी । अब रोक वाला शब्द हटा दिया गया है साथ ही उपकुलपतियों सम्बन्धी उपबन्ध भी मूल अधिनियम से हटा दिया गया है ।

महिलाओं के बारे में, हमारा आशय यह है कि हम स्त्री और पुरुषों को योग्यता के आधार पर नियुक्त करते हैं और लिंग के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जाती ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या इसका अभिप्राय यह है कि देश में कोई विख्यात महिला शिक्षाविद नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह शर्त इस वर्ष ढीली करदी जायेगी ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : इस वर्ष कोई नियुक्ति नहीं की गई है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले सात महीनों से कौन व्यक्ति स्थानापन्न रूप में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है और क्या स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति के पास अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताएं है । यदि हां तो उन्हीं को अध्यक्ष नियुक्त क्यों नहीं किया गया है ? या उनको इस पद पर नियुक्त करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही नाजुक प्रश्न पूछ रहे हैं ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : नियमों के अनुसार, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, वर्तमान उपाध्यक्ष बहुत ही विख्यात और योग्य व्यक्ति हैं । जब मैंने कह दिया है कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सत्य है कि वि० अ० आ० के सदस्यों में यह भावना है कि आयोग तथा शिक्षा संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं की जाती है । परिणामस्वरूप वि० अ० आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं की जा सकती । इन परिस्थितियों में उनके लिए जिम्मेदारी लेना कठिन हो जाता है । इसलिए हमारे लिए नया अध्यक्ष ढूंढना संभव नहीं हो पा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात एक शिक्षाविद नहीं कह रहा है बल्कि एक राजनीतिज्ञ कह रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नाम लेना नहीं चाहता पर वि० अ० आयोग के सदस्यों ने हमें अनौपचारिक तौर पर बताया है कि यही उनकी कठिनाई है । यह शुद्ध रूप से एक शैक्षिक प्रश्न है । मैं राजनीति की कोई बात नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी शैक्षिक योग्यताओं का सम्मान करते हुए मुझे खेद है कि यह संगत नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी शैक्षिक योग्यताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यह एक अनोखा तरीका है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री जी के पास अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए किन्हीं सुविख्यात शिक्षाविदों के नाम हैं, और यदि हां, तो वे कौन हैं तथा चयन कब तक करने का विचार है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न नाम सुझाये गये हैं । पर मैं इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं कर सकता । यह एक बहुत ही उच्च नियुक्ति है । यदि 'अ' नियुक्त

होता है तथा 'ब' नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि 'ब' का अपमान किया गया है। इस पर सार्वजनिक चर्चा उचित नहीं होगी ।

श्री त्रिदिब चौधरी : पता नहीं सरकार कब अध्यक्ष नियुक्त करेगी । मंत्री जी मानते हैं कि यह एक उच्च पद है । वह यह भी मानते हैं कि इस नियुक्ति के अभाव में विश्वविद्यालय शिक्षा बिगड़ रही है। जो इसको देखने वाली सबसे बड़ी संस्था है वह बिना अध्यक्ष के है । क्या आप इस मामले को शीघ्र निपटाने का प्रयास करेंगे ।

प्रो० एस० नुरूल हसन : जी हां ।

श्री नारायण चन्द पाराशर : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु शायद एक समिति नियुक्त कर दी गई है । अध्यक्ष की नियुक्ति इस लिए रोकी जा रही है कि उनकी नियुक्ति के समय समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जा सके। क्या यह सही है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : जी, नहीं ।

कैम्ब्रिज स्कूल द्वारा दिल्ली स्कल शिक्षा अधिनियम, 1973 का उल्लंघन

878. **श्री दलीप सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता देने के बारे में शिक्षा निदेशक, दिल्ली द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के बहाने कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्कूल की शाखाओं सहित स्कूल के सामूहिक स्वरूप को खतरे में डाल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए जिसमें शिक्षकों तथा अभिभावकों के मस्तिष्क में भय तथा अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है, सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत शिक्षकों की सेवा/वरिष्ठता/सुरक्षा के बारे में अभिभावक शिक्षक संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने तथा बेरोजगारी और अन्य परेशानियों संबंधी उनके भय को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) (ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

रिंग रोड (श्रीनिवासपुरी), नई दिल्ली स्थित कैम्ब्रिज स्कूल, जो कि मुख्य स्कूल है, दिल्ली प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त है । शहर में विभिन्न स्थानों पर इसकी चार शाखाएं हैं और जो नर्सरी/प्राथमिक कक्षाओं का संचालन कर रही है और उन्हें न तो नगर निगम द्वारा और न ही दिल्ली प्रशासन द्वारा मान्यता दी गयी है । इन गैर-मान्यता प्राप्त शाखा स्कूलों में काम कर रहे कुछ अध्यापकों ने यह

आशंका प्रकट की है कि सम्भवतः दिल्ली शिक्षा अधिनियम 1973 के उपबंधों के अन्तर्गत उनकी सेवा–शर्तें सुरक्षित न रहे जो कि मान्यता–प्राप्त स्कूलों पर लागू होती हैं और इस कारण उनका कैम्ब्रिज स्कूल के प्रबंधकों से झगड़ा हुआ। कैम्ब्रिज स्कूल अध्यापक संघ ने लोक सभा की याचिका समिति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 के कुछ उपबंधों और उसमें बनाये गये नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कम्ब्रिज स्कूल की रोहतक रोड शाखा के अभिभावक संघ ने भी दिल्ली प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गए प्रयासों से कैम्ब्रिज स्कूल के प्रबंध और गैर-मान्यता प्राप्त शाखा स्कूलों के अध्यापकों के बीच झगड़े का निपटारा हो गया है।

Shri Dalip Singh: Mr. Speaker, Sir, in his statement the Hon'ble Minister has stated that the main Cambridge School is in Srinivaspuri and it has its four different branches and those branches have not been given recognition. It would therefore, like to know from the Hon'ble Minister whether the management have made efforts for them?

Secondly, I want to know that when the teachers had a quarrel with the management, whether these teachers were appointed for the main school or for other four branches.

Shri D. P. Yadav: Mr. Speaker, Sir, if you go through the original question of the Hon'ble Member, you will see that in reply to that it has been written:

दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये प्रयासों से केम्ब्रिज स्कूल के प्रबंध और गैर-मान्यता प्राप्त शाखा स्कूलों के अध्यापकों के बीच झगड़े का निपटारा हो गया है।

In this way the main question has been settled. Now the question is of recognition: Talks are going on between the Director of Education of Delhi Administration and School management. Negotiations are going on about the transfer of some teachers from the main school in Srinivaspuri to unrecognised schools.

Shri Dalip Singh: Whether the Teachers' Association there have sent a representation to the Committee on Petitions of Lok Sabha and whether it has been disposed of? I would also like to know whether the memorandum sent to the Committee on Petitions has had some effect. Secondly, the settlement arrived at by the Delhi Administration between the Teachers and Management is permanent or temporary and whether this decision will apply to other schools also where such quarrels are going on, Thirdly, I would like to know whether you will try to bring an amendment the Delhi School Education Act in regard to absence of any avenue of promotion for these teachers?

Shri D. P. Yadav: Their petition is before the Petition Committee of Lok Sabha and Delhi Administration are sending their Comments thereon. On receipt thereof Hon'ble Member will be intimated about it. This question relates to teachers and Administration. We only want that they may have good relations among themselves and we will always try for it.

श्री एच० के० एल० भगत : शिक्षा अधिनियम बहुत अच्छा है। उन्होंने अच्छा विधेयक दिया है जिसे इस संसद ने एक अधिनियम के रूप में पास किया हैं। इस पर एक मेरे जसे अच्छे सभापति के अधीन संयुक्त समिति ने बारीकी से विचार किया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि केम्ब्रिज

स्कूल में क्या हो रहा है अथवा क्या हुआ है। क्या यह सत्य है कि कोई भी संतोषजनक समझौता नहीं हुआ है और केम्ब्रिज स्कूल के प्राधिकारी शिक्षा निदेशक को प्रभावित करते आ रहे हैं अथवा शिक्षा निदेशालय अपनी शक्ति दिखा रहा है ? क्या स्कूल को लेने से पूर्व कोई सूचना दी गई ? क्या यह भी सत्य है कि यद्यपि इस अधिनियम के उपबंधों का उद्देश्य अध्यापकों का हित करना है किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ है और परिणाम स्वरूप अध्यापकों में असंतोष बना हुआ है। क्या मंत्री महोदय इस मामले पर संसद् सदस्यों और सम्बन्ध शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों को इस अधिनियम के पूरे-पूरे लाभ दिये जाते हैं और प्रबंधक और निहित स्वार्थों को इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाने न दे और केम्ब्रिज स्कूल के विवाद का संतोषजनक हल होता है ?

अध्यक्ष महोदय: यद्यपि यह पहले ही लोक सभा की याचिका समिति के पास है फिर भी संयुक्त समिति के सभापति यह प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : यह क्रियान्वित नहीं किया जाता है यही कारण है कि मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रक्रिया की दृष्टि से सही है ? मैं यह उन पर छोड़ता हूं।

Shri D. P. Yadav: In so far as the Delhi Education Act is concerned we always try that not a single section thereof is violated, whenever any such thing came to our knowledge we took action thereon. Individual schools have their own problems. Sometimes, the differences are so deep that there is confrontation. I think we should not discuss here the activities of individual teachers. So far as vested interests are concerned there are sufficient provision in the Act no vested interest will be allowed to come up.

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह कहूंगा कि आपका उत्तर काफी टालमटोल वाला है।

विश्वविद्यालयों का बन्द होना

880. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या क्या हैं जो शैक्षिक वर्ष 1972-73, 1973-74 1974-75 में (एक) विद्यार्थियों (दो) शिक्षकों, और (तीन) अन्य कर्मचारियों को हड़ताल के कारण आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बंद हुई थी और वे प्रति वर्ष कितनी कितनी बार बंद हुए थे और प्रत्येक मामले में कितने कितने समय के लिये बंद हुए थे।

(ख) क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके बंद होने, विशेषकर प्राय : बंद रहने वाले विश्वविद्यालयों के बारे में कोई विश्लेषण किया है :

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त चिन्ताजनक प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई हल निकाला गया है ; और

(घ) यदि हां, तो हल का स्वरूप क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री नारायण चन्द पराशर : यह विवरण बड़ी व्याकुलता पैदा करने वाला है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालययों में सारा दृश्य असंतोष का है, तो क्या आप बतायेंगे कि कितने विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर विद्यालय इस समय बंद हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसमें व्यापक सांख्यिकीय जानकारी आवश्यक है अत : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वे सूचना इकट्ठी कर रहे हैं।

श्री नारायण चन्द पराशर : यही कारण है कि मैं केवल इस समय के बारे में पूछ रहा हूं। उनके पास यह सूचना हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न भी सम्भवतः वर्तमान स्थिति के बारे में है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : प्रश्न में उन विश्वविद्यालयों के नाम पूछे गये हैं जो आंशिक या पूरी तरह से शैक्षणिक वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दोरान, विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की हड़तालों के कारण बंद हो गये थे, तथा और विवरण मांगे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

पश्चिम बंगाल और पंजाब में कृषि सेवा केन्द्रों में इंजीनियरी और कृषि-स्नातक

881. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 216 कृषि सेवा केन्द्रों और पंजाब में 81 कृषि सेवा केन्द्रों से इस समय कितने इंजीनियरिंग स्नातक एवं कृषि स्नातक संबद्ध हैं ;

(ख) चालू वर्ष में कितने इंजीनियर और कृषि स्नातकों को इन केन्द्रों में रोजगार दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या ये केन्द्र पूर्णरूप से विकसित नहीं हैं ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र इस समय विकास के किस चरण पर है, और

(ड़) प्रत्येक केन्द्र कब तक 'पूर्ण विकास' की अवस्था प्राप्त कर लेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : से (ड़) भाग (क) से (ड़) तक के विषय में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी। तथापि प्रत्येक कृषि सेवा केन्द्र इंजीनियरिंग के स्नातक।इंजीनियरिंग के डिप्लोमाधारक अथवा कृषि स्नातकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल और पंजाब में कृषि सेवा केन्द्रों ने क्रमश : कम से कम 216 और 81 व्यवसायिकों को रोजगार प्रदान किया है। कृषि सेवा केन्द्र की विकास की अवधि 5 से 7 वर्ष तक है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मेरा निवेदन है कि पर्याप्त समय के बावजूद मैंने जो जानकारी मांगी थी आज नहीं दी गई है। सम्भवतः पश्चिम बंगाल के सभी सदस्य जो अब उपस्थित हैं इस बात से सहमत होंगे कि हमने पश्चिम बंगाल में अपनी आंखों से ऐसा

कोई केन्द्र नहीं देखा है । मैंने पश्चिम बंगाल के अधिकांश सभी सदस्यों से पूछा है और जो सूचना मुझे मिली है वह यह है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कोई कृषि सेवा केन्द्र नहीं देखा है । अपने प्रश्न में मैंने पश्चिम बंगाल में 216 कृषि सेवा केन्द्रों का उल्लेख किया है । क्या यह बतायेंगे कि उन्हें पश्चिम बंगाल में ऐसे केन्द्रों की जानकारी है और क्या वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे क्षमा करें । हमने तार द्वारा जानकारी मांगी है और स्वभावतः हमें माननीय सदस्यों को जो कुछ भी हमारे पास जानकारी है उपलब्ध की है । किन्तु माननीय सदस्य की बात ठीक है कि ये आंकड़े देने से पूर्व इसकी जांच की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : संकलन होने पर इसे बाद में भी दिया जा सकता है ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : जहां तक 216 व्यक्तियों को नियुक्त करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि वे कैसे नियुक्त किये जाते हैं जब कि इन कृषि सेवा केन्द्रों की विद्यमानता ही नहीं है । किन्तु मैं मंत्री महोदय को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं कि क्योंकि सूचना राज्य सरकार द्वारा सप्लाई की जाती है । साथ ही मेरा उनसे पुनः निवेदन है कि इस मामले में बारीकी से जांच करवायें ताकि संसद सदस्यों को गुमराह नहीं किया जाता रहे ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम जांच करेंगे ।

कोसी नहर के लिए प्राप्त की गई भूमि के लिए भारत द्वारा नेपाल सरकार को भुगतान की गई मुआवजे की राशि

*882. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नहर के लिए प्राप्त की गई भूमि के लिए भारत द्वारा नेपाल सरकार को भुगतान की गई मुआवजे की राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : नेपाल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि के मुआवजे के रूप में नेपाल सरकार को 36,25,256 रुपये की राशि दी गई है ।

श्री एन० ई० होरो : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल सरकार को भविष्य में कोसी नहर के पूरा हो जाने पर कोई लाभ होगा और अगर होगा, क्या यह तथ्य नहीं है कि मूल समझौते के अन्तर्गत नेपाल सरकार इस परियोजना के लिये भूमि मुफ्त देगी ?

श्री केदारनाथ सिंह : यह नहर 35 किलो मीटर नेपाली क्षेत्र में है और उन्हें इससे लाभ होगा ही । मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि इस नहर के निर्माण के लिये मुफ्त भूमि देने का कोई समझौता है ।

श्री एन० ई० होरो : सरकार ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें यह कहा गया था कि कोसी नहर पर कार्य इसलिये रुका पड़ा है क्योंकि नेपाल में लोगों से अधिग्रहण की गई भूमि के लिये मुआवजा नहीं दिया गया और इससे कार्य रुका पड़ा है। यह वक्तव्य सरकार ने ही दिया है। इस बात को दृष्टि में रखते हुये मैं यह बात पुनः पूछ रहा हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि नेपाल सरकार मुफ्त भूमि देगी क्योंकि भविष्य में उन्हें इस नहर से लाभ होगा। इस उत्तर में भिन्नता क्यों है ?

श्री केदार नाथ सिंह : यह सही नहीं है कि भूमि मुफ्त देने के लिये समझौता हुआ है। यह समझौता हुआ था कि कुछ न्यूनतम धनराशि दी जाये। किन्तु इसे अन्य कारणों से रोकना पड़ा। किन्तु फ़िर भी 31 किलोमीटर नहर निर्माणाधीन है। शेष नहीं है।

Shri Narsingh Narain Pandey: Whether it was one of the conditions specified into the agreement entered into with Nepal Government on the West Kosi canal that worker will be supplied free of cost to them in lieu of the land acquired within the Nepali territory? Whether the Government of Nepal have expressed any opinion about the minimum compensation to be paid and whether they have also reported that many complaints were received by them due to which the work on the canal has been held up?

Shri Kedar Nath Singh: As far as compensation is concerned, minimum compensation will be paid and it has been agreed to and the work is now going on the canal but there is no question for supplying of water free of cost.

National Conference on Tall Buildings

*884. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the main decisions taken at National Conference on Tall Buildings held from 22nd to 24th January, 1973 and the decisions accepted as well as implemented by Government so far?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

दिल्ली में 22 से 24 जनवरी, 1973 तक हुए ऊंची इमारतों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य टीकाएं की और सिफ़ारिशें दीं :—

(1) प्रति व्यक्ति निम्न आय के सन्दर्भ में, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए नगर आयोजना में ऊंची इमारतों के बनाने की विचार धारा को स्थान देने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

(2) ऊंची इमारतों के लागत अपवर्तक निर्धारण करने में यह अनिवार्य है कि सामाजिक उपरि-खर्चा तथा दीर्घावधि लागतों सहित कुल लागत को ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि संरचना की अथवा जिस भूमि पर यह खड़ी है उस की एक मात्र लागत;

(3) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, जिसमें विभिन्न सेवाओं का पर्याप्त रूप से समावेश है, को सभी निर्माण-प्राधिकरणों, नगर निकायों, आयोजना प्राधिकरणों आदि द्वारा शीघ्र अपनाया जाना चाहिए।

(4) भारतीय मानक संस्था को एक विस्तृत संहिता बनानी चाहिए जिसमें विशेषकर ऊंची इमारतों से संबंधित सभी पहलू शामिल हों;

(5) अग्नि से बचाव के लिए विस्तृत उप नियम तैयार किए जाने चाहिए।

(6) बहुमंजिली फ्रेम इमारतों पर अचल भार को कम करने तथा संरचना की लागत में किफ़ायत करने के लिए कम वजन वाले मिलावा तथा कंक्रीट के प्रयोग को अपनाना चाहिए।

2. सम्मेलन की रिपोर्ट की एक-एक प्रति केन्द्रीय तथा राज्य लोक निर्माण विभागों, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस, रेलवे, राज्य, आवास बोर्डों, नगर निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसन्धान संस्थानों, आदि तथा सम्मेलन में भाग लेने वालों को भी विचारार्थ तथा उनसे सम्बन्धित सम्मेलन की सिफ़ारिशों पर उनके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को परामर्श देने के लिए भेजी गई।

3. अब तक की गई कार्रवाई निम्नलिखित है :—

(i) निर्माण और आवास मंत्रालय ने 16–4–1973 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया था कि राज्य लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सरकारी विभाग, राज्य आवास बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिकाएं, तथा अन्य स्थानीय निकाय और निर्माण अभिकरण राष्ट्रीय भवन निर्माण संहता को अपनाने का प्रयत्न करे।

(ii) भारतीय मानक संस्था ने एक विस्तृत संहिता निकालने का कार्य हाथ में लिया है जिस के अन्तर्गत सभी पहलु विशेषकर भवनों के पहलु आ जायेंगे।

(iii) केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्थान का अग्निशमन अनुसन्धान प्रभाग ऊंचे भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर विचार कर रहा है तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा इस विषय पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है।

(iv) बहु मंजिली इमारतों की योजना बनाते समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विभिन्न सेवाओं के एकीकरण को ध्यान में रख रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय भवन संहिता से सहायता ले रहा है।

(v) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा कुछ अन्य निर्माण विभाग बहु मंजिले भवनों में हल्की भार वाली विभाजक दीवारों के प्रयोग पर विचार कर

रहा है। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन भी प्रयोगात्मक निर्माण योजनाओं द्वारा हल्के भार वाली भवन निर्माण सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है।

SHRI M. C. DAGA: This conference was held two years ago on the 24th January, 1973. This was held to discuss about sky-scrapers. The honourable Minister has given a vague reply. The rich people want to construct tall buildings. I want to know the decisions taken by Government in this regard and how they want to implement it and the steps taken by them in this regard?

SHRI DALBIR SINGH: There is nothing vague in it. I have given the main points of the decisions taken and the observations made in the statement presented to the House. The honourable member can go through it. It is not a process which can be decided upon in a day. The question of building is of continuing nature and the need to discuss this question will be felt from time to time in future also. May be that today there is no need of it but in future we may need to construct tall buildings. It is not such type of question on which recommendations can be given in such a short time and it may be disposed of. We have forwarded copies of all these decisions to the State Governments and to their agencies through them which take-up these programmes, and instructed them to adopt them and go ahead with them.

SHRI M. C. DAGA: What is their reply?

My question is that what were the decisions taken in the conference held in 1973? What are those recommendations which have been implemented by you during the last two years and the way in which those were implemented? There is no mention about the decisions in the statement. My question has not been answered.

आपने अब क्या निर्णय लिया है ? दो वर्ष बाद भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : यह सिफ़ारिशें विभिन्न प्रकार की हैं, बहु उद्देश्यी हैं। यह स्वाभाविक ही है कि उन्हें इस प्रकार का होना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि "आप निम्न वर्ग के लोगों के मामले में अत्यधिक ऊंची इमारतों के बनाने का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।" किन्तु उन्होंने यह भी कहा हैं कि 'आप भूगोलीय स्थिति, सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा संरचना सम्बन्धी सुविधाओं तथा भूमि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखें।" अतः जैसा मेरे सहयोगी ने भी बताया है वह आवासीय उद्देश्यों के लिये भी ऊंची इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन नहीं देते। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूमि की कमी, भूमि मूल्य तथा अन्य और तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। अतः कोई एक दम से यह नहीं कह सकता, "हां ऊंची इमारतें बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दो।" यह इस प्रकार नहीं हो सकता। इसके लिये ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हम तथा राज्य सरकार ऐसा कर रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्री महोदय केवल बड़ चड़ कर बात कर रहे हैं । मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे ।

Mr. Speaker Sir, I want your protection. The honourable Minister does not want to reply to my question but wants to avoid it what its reason?

अध्यक्ष महोदय : आपके सामने विवरण है और मंत्री महोदय ने उसको स्पष्ट कर दिया है ।

Shri M. C. Daga: The conference was held in 1973. The Indian Standard Institution, Fire Research Division, C.P.W.D., Municipality and Municipal Corporation participated in it and the decisions were taken by them. After that Government wrote to them about it. What opinion has been expressed by them.

Shri Dalbir Singh: Every information has been included in the statement given by me. In case the honourable Member goes through it, he will come to know of it.

श्री मूलचन्द डागा : मैंने, अच्छी प्रकार से इस विवरण को पढ़ा है । मुझे जो उत्तर मिला है वह क्या है ।

श्री के० रघु रामैया : माननीय सदस्य ने विभिन्न एजेंसियां, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, फ़ायर रिसर्च डिवीजन और सैंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि के बारे में तथा हम इस मामले में क्या कर रहे हैं के बारे में पूछा है अगर वह विवरण को पढ़ें तो वह इन सब संगठनों के बारे में जान जायेंगे । उदाहरण के लिए अगर वह विवरण का पैराग्राफ़ 3 पढ़ें तो उसमें लिखा है :--

"भारतीय मानक संस्था ने एक विस्तृत संहिता निकालने का कार्य हाथ में लिया है जिसके अन्तर्गत सभी पहलु विशेषकर उंचे भवनों के पहलुओं पर विचार किया जाएगा ।"

यह विवरण में दिया गया है । उसी प्रकार अगर वह विवरण को और पढ़ें तो उन्हें सब बातों का उत्तर मिल जाएगा ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इन एजेंसियों के सभी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित थे । मुझे इसका उचित उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : डागा जी, लिखित उत्तर में जो सूचना दी गई है आप उसे इस प्रकार से बदल नहीं सकते । मंत्री महोदय ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ।

Shri T. Sohan Lal: After reading the statement it appears that a committee has been set up. Nothing more than this is said in the statement that it should be found out that how it should be protected from fire and from strong winds so that it may not be blown of. But it has not been stated anywhere how to determine its height?

According to the bye-laws, there is a rule about the buildings that where there is air-conditioning the height should not be less than nine feet but where there is no air-conditioning, the height should not be less than 10 feet

The question of height has not been decided in it. It has only been said that the building should be not more than 10-storeys. It means if the height of a room is 10 feet the height of 10-storeyed building will come to 200 feet and if the height of a room is 9 feet, the building is constructed of more than 20 storeys say 21, 22 storeyed.

I am of the opinion that the money spent on this committee is useless. In the statement, it has been said that there is no need to have tall building for the people of low income group and on other hand, it is said.

Mr. Speaker: I want to ask you whether you have an eye on the watch also.

Shri T. Sohan Lal: I want that this question be replied.

Shri Dalbir Singh: It was also considered in this conference. The honourable Member is correct to say that some decision should be taken about the height of the building but it depends on many factors. If the soil under it is not good, it should be tested to find out with what type of foundation it can standwith. There are various kinds of soil in Delhi and in Calcutta also. The question of height can be decided according to the soil. The entire technology is involved in it. Decisions have been taken after taking into account all these points.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Central Aid to Madhya Pradesh for Agriculture

*877. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) total assistance for agriculture given to Madhya Pradesh during the last three years, year-wise and also during the current financial year; and

(b) the schemes for which the above assistance was given as also the nature of works to be undertaken under the schemes?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि सेवा केन्द्र

*879. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में कृषि सेवा केन्द्रों को खोलने संम्बधी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है लेकिन इस बारे में पूर्वोत्तर राज्यों से कोई उत्साहजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों से राज्यवार, उत्साहजनक उत्तर न मिलने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन राज्यों को क्या परामर्श दिया गया है ; और

(घ) इस बारे में राज्यों ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) राज्यों को प्रैस शिक्षा संस्थाओं और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से योजना की मुख्य बातों की रूप रेखा का व्यापक प्रचार करने की सलाह दी जा रही है ।

Central Loan to Madhya Pradesh for Irrigation facilities in Adivasi Areas

*883. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the amount given to Madhya Pradesh Government as loan by Central Government during the last two years for making available more irrigation facilities in Adivasi areas; and

(b) the schemes under consideration at present?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Central assistance for the State Plan schemes is given to the State Governments in the form of block loans and grants for the Annual Plan as a whole and is not tied up with any individual schemes or programmes for any specific areas. However, under a special programme for Tribal Development under the Central Sector, with a view to fostering economic development of the tribal population, two Tribal Development Agency projects for minor irrigation in Tehsils of Dantewada and Konta in district Dastar have been taken up in Madhya Pradesh. These projects include minor irrigation development. Under these projects, Central assistance of Rs. 100 lakhs in the form of grants was provided during the last two years for economic development programme including minor irrigation.

Under the Integrated Tribal Development Projects initiated during the Fifth Plan, a special assistance of Rs. 57 lakhs was made available to Madhya Pradesh during 1974-75 for economic development works including minor irrigation.

(b) The State is in the process of preparing sub plans for tribal development during the Fifth Plan, in consultation with the Planning Commission.

काजू के उत्पादन के लिए कदम

*885. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में बड़े पैमाने पर पैदा होने वाले काजू की खेती अब देश के उन अन्य भागों में भी सफ़लता पूर्वक हो सकती है जहाँ कि मिट्टी तथा जलवायु इसके लिए अनुकूल हैं ; और

(ख) यदि हां, तो काजू जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक प्रमुख स्रोत है, के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने पांचवीं योजना में 300 लाख रुपए के कुल परिव्यय से काजू का पैकेज कार्यक्रम प्रारम्भ किया है । इस कार्यक्रम में वर्तमान बागानों के सुधार के लिए सघन उपाय करने का विचार है और इसमें (1) उत्पादकों के खेतों में काजू की खेती की उन्नत प्रणालियों के संबंध में प्रदर्शन, प्लाटों की व्यवस्था करना (2) वानस्पतिक वर्धन द्वारा काजू का सुधार करना और (3) काजू के लिए उत्पादक उद्यानों की स्थापना करने की योजनाएं शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त, योजना के राज्य क्षेत्र में काजू के क्षेत्र विस्तार संबंधी योजनाएं भी चालू हैं ।

फालतू भूमि का वितरण

*886. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पास किये गये भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नए कानूनों के अन्तर्गत कुल कितनी फ़ालतू भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार ने यह भूमि कृषि श्रमिकों में वितरित करने की कोई योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) अप्रैल, 1975 तक प्रत्येक राज्य सरकार के कब्जे में वास्तव में कुल कितनी फ़ालतू भूमि थी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०-9612/75]।

(ख) तथा (ग). राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह सुझाव दिया गया है कि फ़ालतू भूमि का वितरण करते समय उन भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं । अधिकांश राज्यों ने या तो कानून में अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं । फ़ालतू भूमि का वितरण तदनुसार किया जा रहा है ।

(घ) एक विवरणपत्र संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—9612/75] ।

केरल में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

*887. **श्री वरके जार्ज :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं तथा उन पर कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) उक्त प्रत्येक अपूर्ण परियोजनाओं के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था तथा प्रत्येक पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इस समय केरल में सात वृहत् सिंचाई परियोजनाओं नामशः पेरियार घाटी कल्लाडा, पम्बा, कुटियाडी, चित्तुरपुझा, कान्हीरपुझा और पझासी का निर्माण किया जा रहा है । इन परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देने की तिथि, उनकी वर्तमान अनुमानित लागत और 1974–75 के अन्त तक प्रत्याशित व्यय लिम्नलिखित है :—

(लाख रुपये)

परियोजना का नाम	योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देने की तिथि	आयतन अनुमानित लागत	1974–75 के अन्त तक प्रत्याशित व्यय
1. पेरियार घाटी . .	1–4–1957	1650.00	798.07
2. कल्लाडा . . .	4–2–1966	4500.00	593.98
3. पम्बा . . .	24–3–1964	1999.80	799.95
4. कुट्टियाडी . .	8–4–1964	1520.00	1273.69
5. चितुरपुझा .	1–12–1964	624.14	305.81
6. कन्हीरपुझा . .	24–3–1964	1052.00	359.46
7. पझासी . . .	8–4–1964	1481.85	543.16

कल्लाडा परियोजना को छोड़कर इन सभी परियोजनाओं का काफी हद तक पांचवीं योजना के अन्त तक पूरा होना संभावित है ।

सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने के लिए 'लेवी'

***888. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों को सिचाई के लिए जल का उपयोग करने के लिए कितनी लेवी अदा करनी पड़ती है ; और

(ख) इन राज्यों में भूमि की सिंचाई करने के लिए कितने पम्प सेटों का उपयोग किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : इन राज्यों में सिंचाई नहर प्रणाली के अन्तर्गत मुख्य फ़सलों के लिए जल-दरों तथा पम्प सेटों की संख्या के ब्यौरे विवरण एक और दो में दिए गये हैं [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9613/75] और इन्हें सभा पटल पर रखा जाता है ।

खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव

***889. श्री नरेन्द्र सिंह**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि?

(क) क्या सरकार का विचार खेल कूद को प्रोत्साहन देने लिए देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम):

(क) और (ख). चौथी योजना अवधि के दौरान स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों को, जिन्होंने खेलों में प्रत्याश तथा श्रेष्ठता दिखाई थी, खेल-कूद छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई थी ।

स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां उन को प्रदान की जाती हैं जो स्कूली छात्रों तथा जूनियर खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलों में श्रेष्ठ आते हैं । चौथी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर पचास-पचास रु० प्रति मास की राशि की 200 छात्रवृत्तियां तथा राज्य स्तर पर. पच्चीस-पच्चीस रु० प्रति मास की 400 छात्रवृत्तियों की प्रति वर्ष व्यवस्था की गई थी । अखिल भारतीय आधार पर प्रदान की गई ये छात्रवृत्तियां. जब तक प्राप्तकर्ता स्कूल में रहता है, देय हैं बशर्ते कि वे स्कूल परीक्षाएं पास करते रहे तथा खेलों में श्रेष्ठ बने रहें ।

यह योजना पांचवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी रखी जा रही है । तथापि, प्रत्येक वर्ष प्रदाम की जाने वाली नई छात्रवृत्तियों की संख्या को गुना कर दिया गया है।

इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय स्तर पर 400 छात्रवृत्तियों तथा राज्य स्तर पर 800 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है । छात्रवृत्ति की धनराशि तथा पात्रता की शर्तें वहीं हैं । ये छात्रवृत्तियां 'साधन परीक्षा' की शर्त पर नहीं हैं तथा किसी भी अन्य शैक्षिक छात्रवृत्तियों के साथ-साथ भी प्राप्त की जा सकती हैं ।

उत्कृष्ट विश्वविद्यालय/कालेज खिलाड़ियों के लिए, चौथी योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 100 रु० प्रति मास की धनराशि की 50 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई थी जो कि वर्ष में 10 मास के लिए देय थीं । पांचवीं योजना के दौरान इन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा कर 100 प्रति वर्ष कर दी गई है । ये छात्रवृत्तियां प्राप्त-कर्ताओं को उनकी शिक्षा पूरी किए जाने तक देय हैं, बशर्ते कि वे सामान्य परीक्षाएं पास करते रहे तथा खेलों में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखें ।

ग्रामीण तथा कबीली क्षेत्रों में युवकों को शामिल करने के लिए खेलों को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं में मिले, 16 वर्ष की आयु से कम के उत्कृष्ट ग्रामीण तथा जन-जातीय खिलाड़ियों को, तदर्थ आधार पर, विशेष वजीफे भी स्वीकृत किए गए हैं ।

Report of the Central Team on Famine Areas of Madhya Pradesh

***890. Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether a Central Team visited the famine hit areas of Madhya Pradesh;

(b) whether the Central team has submitted its report to the Central Government; and

(c) if so, the decision taken thereon and if not, the time by which it is likely to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) In order to make an assessment of the drought situation in Madhya Pradesh, a team of officials of the Government of India visited the State in October, 1974.

(b) Yes, Sir.

(c) An amount of Rs. 6.50 crores has been released as advance Plan assistance to Madhya Pradesh during the financial year 1974-75.

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध और दुग्ध उत्पादों के मूल्यों में कमी

*891. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना अपनी क्षमता से अधिक दूध का उत्पादन कर रहा है और यदि हां, तो दूध के अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा क्या है और यह अतिरिक्त उत्पादन कब से हो रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने दुग्ध उत्पादों जैसे घी और मक्खन के मूल्य कम कर दिये हैं ; और

(ग) उपरोक्त को देखते हुए क्या दूध के मूल्य में कमी किये जाने पर भी विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हाल ही तक दिल्ली दुग्ध योजना की प्रति दिन 3 लाख लिटर दूध परिसंस्करण करने की क्षमता थी। इसकी दूध सम्भालने की क्षमता बढ़ाकर 3.75 लाख लिटर कर देने का कार्य उत्तरोत्तर पूरा हो गया है जिससे दिल्ली दुग्ध योजना ने अक्तूबर, 1974 से उत्तरोत्तर दूध के परिसंस्करण और वितरण की मात्रा बढ़ा दी है । इस समय दिल्ली दुग्ध योजना प्रति दिन लगभग 3.18 लाख लिटर दूध वितरित कर रही है ।

(ख) जी हां, दिल्ली दुग्ध योजना ने 2 अप्रैल, 1975 से घी और मक्खन का विक्रय मूल्य कम कर दिया है ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना पहले ही उत्पादन की लागत से कम मूल्य पर विशेष टोंड दूध बेच रही है । अतः दूध के विक्रय मूल्य में कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि

*892. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दुग्ध उत्पादन में, विशेषतया महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जहां की डेरियां फालतू दूध बेचने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं; यकायक तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या दुग्ध उत्पादन में यह यकायक वृद्धि किसी योजना का परिणाम है ; और

(ग) क्या दुग्ध उत्पादन में यह वृद्धि देशपर्यन्त हुई है अथवा केवल कुछ ही राज्यों में ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) से (ग). डेरी विकास, उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य सम्बन्धी प्रोत्साहन और बिचोलियों को धीरे-धीरे समाप्त करने के नियोजित कार्यक्रम के प्रभाव के फलस्वरूप, महाराष्ट्र और गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की डेरियों को जाड़ों के महीनों के दौरान तरल दूध की अधिक मात्रा प्राप्त हो सकी । महाराष्ट्र से तरल दूध के विक्रय के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कठिनाई होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। वितरण के क्षेत्र में विस्तार करके और दूध को दुग्ध उत्पादों में बदलकर इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया था ।

गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में सामान्यतः अधिक उत्पादन की ओर रूख रहा है ।

किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाएं

*893. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से ऐसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाएं जो किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करेंगी गठित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि आयोग ने छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण सेवाओं से सम्बन्धित अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में, अन्य के साथ-साथ, समन्वित सेवायें, जिनमें ऋण भी शामिल है, सुलभ करने के लिए विशेष सहकारी सोसाइटियां गठित करने की सिफारिश भी की थी । आयोग की रिपोर्ट पर योजना आयोग, बैंकिंग विभाग, सहकारिता विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया गया था ।

2. यह निर्णय किया गया है कि उन क्षेत्रों में जहां सहकारी ढांचा, दुर्बल, निष्क्रिय अथवा अस्तित्वहीन है, वहां ऐसे सघन क्षेत्र जिनके अन्तर्गत कम से कम 10,000 जनसंख्या और पूरा सामुदायिक विकास खण्ड तक हो, चुने जाएं । इस क्षेत्र के लिए नई किसान सेवा सोसाइटी गठित की जाए, जो समन्वित ऋण, सप्लाई और सेवाएं सुलभ करेगी । इस नई सोसाइटी से सभी प्रकार के अपेक्षित ऋणों का वितरण करने, उर्वरकों सहित निवेशों की आपूर्ति करने, जहां सम्भव हो, विधायन और विपणन का प्रबन्ध करने और सभी सम्बन्धित गति-विधियों को सीधे अथवा दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू करने की आशा की जाती है। इस नई सोसाइटी को वाणिज्यिक बैंक अथवा सहकारी बैंक द्वारा वित्त-पोषित किया जा सकता है । इसके क्षेत्र के सभी किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर इस सोसाईटी के सदस्य बन सकेंगे, लेकिन कमजोर वर्गों के हितों को पूरा करने के लिए प्रबन्ध मण्डल में उनके लिए दो तिहाई सदस्यता आरक्षित करके उस पर कमजोर वर्गों का नियंत्रण होना चाहिए । इस प्रकार की सोसाइटी के गठन के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

3. विभिन्न राज्यों / केन्द्रशासित क्षेत्रों में 70 किसान सेवा सोसाइटियां पंजीकृत हो चुकी हैं । नई सोसाइटियों को सम्बन्धित राज्य सरकारों / केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ।

4. हाल ही में, तत्कालीन भारी उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पाई की अध्यक्षता में एक दल ने किसानों, विशेष रुप से छोटे और सीमान्त किसानों, और दूसरे ग्रामीण उत्पादकों की ऋण और दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक

उपयुक्त संस्थागत ढांचे की सिफारिश करने के प्रश्न के सुसंगत पक्षों की जांच की है। इस दल ने सक्षम, सुव्यवस्थित, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाओं की सिफारिश की है, जो कि किसानों को केवल ऋण ही प्रदान नहीं करेंगी, अपितु अपेक्षित निवेशों, आवश्यक तकनीकी सेवाओं आदि की आपूर्ति के लिए प्रबन्ध भी करेंगी, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सिफारिश की गई किसानों की सेवा सोसाइटियों के आधार पर गठित की जायेंगी। इस सिफारिश को स्वीकार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि इससे सोपानवार तरीके से कार्यान्वित किया जाए।

5. कृषि और सिचाई मंत्रालय में सचिव (ग्रा० वि०) की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति गठित की गई है, जो किसानों की सेवा सोसाइटी योजना के कार्यान्वयन का समन्वय, पुनरीक्षण और मार्गदर्शन करेगी। इस योजना में राज्य स्तर पर कार्यान्वयन और समन्वय समितियों की परिकल्पना भी की गई है।

निरक्षरता उन्मूलन सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम

8478. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरक्षरता उन्मूलन सम्बन्धी कोई द्रुत कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समाज सेवा करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है तथा उड़ीसा में ये संगठन कौन से हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) निरक्षरता उन्मूलन के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में निम्नलिखित कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई थी :—

(1) 6–11 आयु-वर्ग के लगभग 97 प्रतिशत बच्चों और 11—14 आयु-वर्ग के लगभग 60 प्रतिशत बच्चों को शामिल करने के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार।

(2) लगभग 13 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने के लिए कार्यात्मक साक्षरता योजना।

(3) लगभग 60 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा योजना।

किन्तु, ये उद्देश्य वर्षानुवर्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरु युवक केन्द्र तथा विभिन्न स्वैच्छिक एजेन्सियां भी गैर-औपचारिक शिक्षा और निरक्षरता के उन्मूलन के क्षेत्र में अपने-अपने प्रयासों को बढ़ा रही हैं।

आशा है कि राज्य सरकारो के प्रयासों के साथ-साथ, ये उपाय भी निरक्षरता को पर्याप्त सीमा तक कम करेंगे ।

(ख) केन्द्र तथा राज्यो द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से, निरक्षरता के उन्मूलन की परियोजनाएं शुरु करने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है । उड़ीसा अभिभावाक शिक्षक संघ तथा उत्कल महिला समिति, कटक द्वारा शुरू की गई एसी दो परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्रों की जनता के सामजिक स्तर का सुधार

8479. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के वेश्यालय में मारे गये छापों के दौरान बचाई गई अधिकांश लड़कियां पर्वतीय क्षेत्रों की थीं ;

(ख) क्या हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की सहायक निदेशक मिस मालती चपरास ने इस सम्बन्ध में एक अध्ययन किया था तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि दिल्ली के वेश्यालयों में अधिकांश महिलायें पर्वतीय क्षेत्रों की हैं ;

(ग) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता के कारण अपनी अल्पवयस्क लड़कियों को बेच देते हैं ; और

(घ) इन क्षेत्रों के तथा विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, जो अपनी अल्पवयस्क लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिये बेच देते हैं, सामाजिक स्तर सुधारने के लिए सरकार का क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी नहीं ।

(ख) कुमारी मालती चपरास द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) यह तथ्य कि उत्तर प्रदेश के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों से हरिजन कोटला लड़कियों को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से प्राप्त किया जा रहा है, हाल ही में सूचना में आया है ।

(घ) ऐसा सुझाव है कि इस समस्या को हल करने के लिये एक तो अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व्यवसायिक पहलू के विरुद्ध सीधी कार्यवाही की जाए । तथा दूसरे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से सामाजिक आर्थिक योजनायें, पारिवारिक जीवन शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जसे कार्य अभिमुख कार्यक्रम आरम्भ किये जायें ताकि इस के शिकार होने वाले व्यक्तियों को अपनी जीविका अर्जित करने योग्य बनाया जा सके ।

पंजाब में खाद्यान्नों की वसूली का तरीका

8480. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पंजाब राज्य में खाद्यान्नों की वसूली के कौन-कौन से तरीके प्रचलन में हैं ;

(ख) वसूली करने वाली सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत वर्ष प्रत्येक एजेंसी द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्न वसूल किया गया तथा पंजाब में चालू वर्ष के दौरान इसका लक्ष्य कितना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय पंजाब में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का जो तरीका प्रचलित है वह इस प्रकार है :

1. चावल—मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी ।

2. गेहूं—भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मल्य पर लाइसेंसशुदा सरकारी एजेन्सियों द्वारा खुले बाजार में खरीदारी करना ।

3. मोटे अनाज—खुले बाजार में खरीदारी ।

(ख) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में लगाई गई सरकारी एजेन्सियां ये हैं :—

1. भारतीय खाद्य निगम, (2) मार्कफ़ैड और (3) पंजाब राज्य सिविल सप्लाइज निगम ।

(ग) पिछले वर्ष प्रत्येक एजन्सी द्वारा अधिप्राप्त की गई मात्रा :—

(हजार मी० टन में)

एजेन्सी	चावल	मक्का	गेहूं
	(1973-74 खरीफ़ मौसम)		(1974-75 रबी मौसम)
राज्य सरकार	749	10	701
भारतीय खाद्य निगम	186	51	375
मार्कफ़ैड	8	नग०	—

चालू खरीफ़ 1974-75 और रबी विपणन मौसम 1975-76 के लिए पंजाब राज्य के लिए चावल और गेहूं के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं व क्रमशः 9.50 लाख मीटरी टन और 30 लाख मीटरी टन है । मोटे अनाजों के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

गोग्रा को सप्लाई किया गया घटिया किस्म का उर्वरक

8481. **श्री पुरुषोत्तम कांकोडकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोग्रा के कृषकों से उनको बेचे जा रहे घटिया किस्म के उर्वरक के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये उपयुक्त उर्वरक की सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार को गोग्रा के किसानों से उनको घटिया किस्म के उर्वरक बेचे जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना में असिस्टेंट मिल्क डिस्ट्रिब्यूशन आफिसर

8482. **श्री सुरेन्द्र महन्तो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में दो वर्ष से अधिक समय से स्थायी/अस्थायी पदों और तदर्थ आधार पर काम कर रहे असिस्टेंट मिल्क डिस्ट्रिब्यूशन आफिसरों के नाम क्या हैं;

(ख) स्थानापन्न असिस्टेंट मिल्क डिस्ट्रिब्यूशन आफिसर की इन सब तीनों श्रेणियों के लिये कितनी परिवीक्षा अवधि निर्धारित है; और

(ग) दो वर्ष से अधिक सेवा वाले असिस्टेंट मिल्क डिस्ट्रिब्यूशन आफिसरों को स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :

(क) अपेक्षित जानकारी संलग्न सूची में दी गई है ।

(ख) परिवीक्षा की सामान्य अवधि दो वर्ष होती है और यह केवल स्थानापन्न/नियमित पदों के लिए ही लागू होती है ।

(ग) परिवीक्षा अवधि पूरा होने के बाद सरकारी कर्मचारी स्वतः स्थाई नहीं हो जाते । उनको स्थायी करना केडर में स्थायी पदों की उपलब्धि तथा सम्बद्ध व्यक्ति विशेष की परीवीक्षा की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने व सेवा रिकार्डों तथा गोपनीय रिपोर्ट का निरीक्षण होने पर निर्भर करता है ।

विवरण

दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले दुग्ध वितरण अधिकारियों की सूची जो दो वर्ष (जैसा 30-4-75) से अधिक समय से स्थायी/अस्थायी तथा तदर्थ रूप में कार्य कर रहे हैं।

क्रम सं०	नाम	स्थायी/अस्थायी/ तदर्थ रूप में	टिप्पणियां
1	2	3	4
(1)	श्री पी० एन० गोगिया	स्थायी	दुग्ध वितरण अधिकारी के रूप में पदोन्नत. किन्तु अभी स्थायी नहीं किया गया।
(2)	श्री मुला सिंह	,,	,,
(3)	श्री आर० के० मल्होत्रा	,,	,,
(4)	श्री डी० डी० बंसल	,,	,,
(5)	श्री एस० एस० दत्ता	,,	
(6)	श्री जे० सी० कोहली	,,	
(7)	श्री जी० सी० सिंह	,,	
(8)	श्री वी० के० दवार	,,	4-4-75 से बाह्य सेवा के लिए मुक्त किया गया किन्तु दिल्ली दुग्ध योजना में लियन रखा गया है।
(9)	कुमारी क्रिशना गोडवानी	,,	
(10)	श्री तेज लाल	,,	
(11)	श्रीमती कमला धींगड़ा	,,	
(12)	श्री एन० एल० सहगल	,,	
(13)	श्री बी० आर० नागपाल	,,	
(14)	श्री एस० डी० खुराना	,,	
(15)	श्री आर० के० नन्दा	,,	
(16)	श्री एस० पी० शर्मा	,,	
(17)	श्री त्रिलोचन सिंह	,,	
(18)	श्री पी० एन० संरीन	अस्थायी	स्थायीकरण रोक दिया गया है और पद को परिरक्षित कर दिया है।

2	3	4
(19) श्री एस० सी० भसीन . .	स्थायी	4-4-75 से बाह्य सेवा के लिए मुक्त किया गया किन्तु दिल्ली दुग्ध योजना में लियन रखा गया है ।
(20) श्री वी० डी० मेहता . .	स्थायी	
(21) श्री राम रजोरा . .	स्थायी	
(22) श्री राजेश्वर दयाल . .	अर्ध-स्थायी	
(23) श्रीमती पी० एल० चौधरी . .	,,	
(24) श्री विजय कुमार चावला . .	,,	
(25) श्रीमती मोहनी अरोड़ा . .	अस्थायी	
(26) श्रीमती रणजीत कपूर . .	,,	
(27) श्री एम० एल० चौधरी . .	,,	
(28) श्री के० एल० सिढ़ाना . .	,,	
(29) श्रीमती शान्ता मरवाह . .	तदर्थ	

Ban on Taking Bovine Wealth out of M.P.

8483. Shri B. S. Chowhan: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government had sent any scheme to the Central Government for imposing ban on taking bovine wealth out of that State;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the reaction of the Central Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, in due course.

राजस्थान में खाद्य पदार्थों के उत्पादन की योजना

8484. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1974 में नई दिल्ली में वार्षिक योजना (1975-76) के विषय में विचार-विमर्श करते समय 1975-76 के लिये राजस्थान के सम्बन्ध में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 75 लाख मीटरी टन निर्धारित

किया गया था। इस लक्ष्य को निम्नलिखित फसलों के क्षेत्र में वृद्धि करके प्राप्त करने का प्रस्ताव है। (1) 1974–75 में 10.95 लाख हैक्टार संभावित स्तर की तुलना में 1975–76 में 13.92 लाख हैक्टार क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती करना (2) 1974–75 में 17.93 लाख हैक्टार क्षेत्र के सम्भावित स्तर की तुलना में 1975–76 में 18.18 लाख हैक्टार क्षेत्र को लघु सिंचाई के अंतर्गत लाना (3) 1974–75 में 74,000 मीटरी टन के सम्भावित स्तर की तुलना में 1975–76 में उर्वरकों (एन० पी० के०) की खपत को बढ़ा कर 1,17,000 मीटरी टन तक करना।

अन्तर्राष्ट्रीय तेलुगु सम्मेलन

8486. **श्री वनमाली बाबू : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हाल ही में हैदराबाद में हुए अन्तर्राष्ट्रीय तेलुगु सम्मेलन में एकमत से तेलुगु अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का संकल्प पारित किया था और केन्द्रीय सरकार से प्रस्तावित केन्द्र के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन से वित्तीय सहायता देने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही आरंभ की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की पटरी पर बैठने वाले व्यक्तियों, खोखों को हटाने संबंधी योजना

8487. **श्री एम० दीवीकन : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नई दिल्ली स्थित नंगल राया और तिलक नगर में जेल रोड पर पटरी पर बैठने वाले व्यक्तियों, खोखों और अनधिकृत निर्माण को हटाने सम्बन्धी कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या गत दो वर्षों में ऐसे अनधिकृत निर्माण की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और इनके अनधिकृत निर्माण पर कोई रोक नहीं है;

(ग) क्या ऐसे अनधिकृत निर्माण की मौजूदगी से यातायात तथा स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो गया है; और

(घ) इस राजमार्ग पर इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अनधिवासियों, खोखों को हटाने के बारे में, कार्यवाही निगम द्वारा की जानी अपेक्षित है। निगम के अनुसार, तिलक

नगर–जेल रोड तथा नांगलराया चौराहे के इर्द गिर्द कई तहबाजारी होल्डर हैं । इस के अलावा, इन स्थानों पर, कुछ अनधिकृत अनधिवासी, खोखे वाले भी हैं । निगम द्वारा तिलक नगर के इर्द गिर्द के इलाके से अनधिवासियों को हटाने के लिए एक योजना तैयार की गई थी लेकिन इन अनधिवासियों ने निगम द्वारा की गई वैकल्पिक स्थान की पेशकश को नहीं माना । निगम द्वारा उन अनधिवासियों के लिये जो निगम की मौजूदा नीतियों के अन्तर्गत वैकल्पिक स्थल के आवंटन के पात्र हैं, एक उचित वैकल्पिक स्थल ढूंढा जा रहा है ।

(ख) अनधिकृत अनधिवासियों की संख्या बढ़ गई है । तथापि, निगम इन अनधिकृत उल्लंघनों को रोकने के लिये लगातार प्रयास करता रहा है ।

(ग) ये खोखे/अनधिवासी यातायात के लिये खतरा है तथा यातायात के आसानी से चलने में बाधक हैं । तथापि, स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है क्योंकि निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्र की उचित सफाई रखी जा रही है ।

(घ) सड़क को चौड़ा करने तथा नांगल राया चौराहे पर ऊपरी पुल के निर्माण का एक प्रस्ताव निगम के विचाराधीन है । पात्र अनधिवासियों के लिये वैकल्पिक स्थल ढूंढने के प्रयास किये जा रहे हैं । इर्द-गिर्द के इलाके को चौड़ा करते समय अनधिकृत दखलकारों को हटा दिया जाएगा ।

Hostel for Sanskrit Vidyapeeth, Vasant Vihar Colony, New Delhi

8488. **Shri Hiralal Doda:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether a Board of Sanskrit Vidyapeeth is being run in 'E' and 'F' Block, Vasant Vihar Colony, New Delhi;

(b) if so, whether the residents of the locality have submitted several memoranda to the Lt. Governor of Delhi urging to shift the hostel from that area;

(c) if so, the action taken so far in this regard; and

(d) the reasons for not shifting the hostel from the area so far particularly when it is not permissible to run a hostel in the area?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). Orders were passed by the former Lt. Governor on 11th September, 1974 for shifting the hostel of Sanskrit Vidyapeeth and in pursuance of these orders, Show Cause Notice was issued to the sub-lessee on 17th September, 1974. Subsequently on the representation of the Ministry of Education and Social Welfare to the Lt. Governor, the later reviewed the orders dated 11th September, 1974 and allowed on 20th November, 1974 the Sanskrit Vidyapeeth to continue in Vasant Vihar upto 31st December, 1975 by which time the Sanskrit Vidyapeeth authorities were asked to shift to the new site allotted to it by the DDA for the purpose in the Hauz Khas area.

नये चीनी कारखाने

8489. **श्री पी० सूर्यनारायण : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों में 31 दिसम्बर, 1974 तक कितने नये चीनी कारखाने खोले गए और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक एकक के पूरा होने पर कुल कितनी लागत आयी; और

(ग) नये लाइसेंस प्राप्त करने वाले उन चीनी कारखानों की संख्या कितनी है जिनका निर्माण अब तक नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) (क): विभिन्न राज्यों में अब तक पिछले तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) अर्थात् 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान 21 नयी चीनी फैक्ट्रियां को चालू किया गया है। एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9614/75] जिसमें इन फैक्ट्रियों के नाम और स्थान दिए गए हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी;

(ग) जिन 102 नयी चीनी फैक्ट्रियों को आशय पत्र/लाइसेंस दिए गए हैं, उन्हें अभी उत्पादन कार्य शुरू करना है। ये नयी लाइसेंस शुदा फैक्ट्रियां, जोकि अधिकाशतः सरकारी क्षेत्र में हैं, को संयंत्र और मशीनरी की तथा उनको लगाने की बढी हुई लागत होने के कारण, सामान्यतया वित्तीय कठिनाइयों का सामना है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कियोस्क के आवटन का मापदन्ड

8490. **श्री पी० वेंकटासुब्बय्या : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कितने कियोस्कों का निर्माण किया गया है; वे कहां-कहां स्थित हैं, अलाटियों के नाम क्या हैं और आवंटन का क्या मापदण्ड है;

(ख) क्या अलाटी उनमें कारोबार चला रहे हैं जिसके लिए कियोस्क आवंटित किए गए हैं तथा उन्होंने कियोस्कों को आगे किराये पर दे दिया है, यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि वे वही कारोबार चलाएं जिसके लिए उन्हें कियोस्क आवंटित किये गये हैं और कियोस्क आगे किराये पर न दिए जाएं; और

(ग) क्या कियोस्कों के आवंटन के मामले में उन व्यक्तियों के दावों की उपेक्षा की गई है जो उन दोनों में काफी समय से पटरियों पर कारोबार चला रहे हैं यदि हां तो उसके क्या कारण हैं तथा उन्हें कियोस्क देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि वे कियोस्क के सम्बन्ध में नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत सामान्य शर्तों पर अपना कारोबार चला सकें।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 82 मण्डपों (कियोस्कों) का निर्माण किया गया है। इन मण्डपों (कियोस्कों) का स्थान तथा आवंटियों के नामों की एक सूची संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०-9615/75] । इन मण्डपों (कियोस्कों) का आवंटन समिति के निर्णय अनुसार किया गया था। मण्डपों (कियोस्कों) को आवंटन न केवल प्रमाणित अनधिवासियों को बल्कि अन्य अनधिवासियों को भी किया जाता है। शिक्षित बेरोज़गारों, पिछले युद्ध में घायल हुए व्यक्तियों तथा पंजीकृत कल्याणकारी संस्थाओं, को भी, गुणावगुण के आधार पर आवंटित किया जाता है।

(ख) आवंटी वही व्यवसाय चला रहे हैं जिन के लिये मण्डपों (कियोस्कों) का आवंटन किया गया है जिन के बारे में, नई दिल्ली नगरपालिका को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दो मामलों में उप-किरायेदारी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसके लिये आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। अनुपालन न करने के मामलों में, नई दिल्ली नगर पालिका मामले को नियमों के अनुसार निपटायेगी ।

(ग) जी, नहीं । लेकिन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि मण्डपों (कियोस्कों) के होने वाले लाभ का अन्य वर्गों के योग्य उम्मीदवारों को भी युक्तिमूलक तरीके से वितरण हो, जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, इन मण्डपों (कियोस्कों) का आवंटन केवल इन प्रमाणित अनधिवासियों तक ही सीमित नहीं रखा गया हो जो इन क्षेत्रों में पटरियों पर व्यवसाय चला रहे हैं। वास्तव में, इन सत्यापित अनधिवासियों को अपना व्यापार चलाने के लिये स्थल पहले ही दिये जा चुके हैं।

Housing Facility to Honorary Central Government Employees

8491. **Shri G. P. Yadav:** Will the **Minister of Works and Housing** be pleased to state:

(a) Government's policy in regard to housing facility to honorary Central Government Employees; and

(b) number of the honorary Central Government Employees in Delhi who have been provided housing facility by the Government so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) There is no provision in the Allotment Rules regarding allotment of Government residential accommodation to honorary Central Government employees.

(b) No honorary Central Government employee in Delhi has been provided residential accommodation from the general pool.

मंत्रालय में हिन्दी कार्य

8492. **श्री सुधाकर पाण्डे** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारी अपने अधीन कार्यालयों का इस बारे में निरीक्षण करने जाते हैं कि इन कार्यालयों में हिन्दी का सारा काम तत्सम्बन्धी सरकार की नीति के अनुरूप किया जाता है;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत वर्ष ऐसे निरीक्षण किये और कुल कितने कार्यालयों का निरीक्षण किया गया;

(ग) निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी सामान्य स्थिति क्या है; और

(घ) जिन कार्यालयों में अभी भी हिन्दी का प्रयोग नहीं हो सका है वहां स्थिति सुधारने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ) संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का पुनरीक्षण, संगठन तथा पद्धति निरीक्षणों का एक भाग है, जो इन कार्यालयों के अधिकारियों अथवा विभागाध्यक्षों द्वारा आयोजित किया जाता है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर इस विषय पर जारी किए गए तथा इस मंत्रालय द्वारा इन कार्यालयों को भेजे गये अनुदेशों के अनुसार इन कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन कार्यालयों से सामयिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। जिसकी इस मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय दोनों में जांच की जाती है तथा जहां कहीं भी आवश्यक होता है इसमें सुधार सम्बन्धी कारंवाई करने का सुझाव दिया जाता है। इन रिपोर्टों से आमतौर पर यह पता लगता है कि हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय के उप सचिव (कार्यान्वयन), विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों का दौरा करते हैं तथा अन्य बातों के साथ साथ सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की भी जांच करते हैं। राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों अथवा इस सम्बन्ध में उस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करते समय पैदा हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी उक्त अधिकारी की सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं।

बीमार / गरीब लेखकों, विद्वानों और कलाकरों को सहायता

8493. श्री वीरभद्र सिंह: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमार/गरीब लेखकों, विद्वानों और कलाकारों को सहायता देने के लिये सरकार ने कोई धनराशि निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य लेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की प्रति संलग्न है।

विवरण

विषय : अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे—लेखकों, कलाकारों और इसी प्रकार के जीवन के अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता की वर्ष 1961 की योजना को पुनः सक्रिय बनाना ताकि नए मामलों पर विचार किया जा सके ।

---

1. इस योजना को अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे लेखकों, कलाकारों और जीवन में इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता की वर्ष 1961 की योजना को पुनः सक्रिय रूप देने की योजना के नाम से पुकारा जाएगा ताकि नए मामलों पर विचार किया जा सके ।

2. इस योजना में निम्नलिखित दो प्रकार की प्रार्थनाएं सम्मिलित होंगी :—

(i) लेखकों, कलाकारों आदि के नए मामले जो वर्ष 1961 की योजना के अन्तर्गत अनुदान के पात्र हैं ।

(ii) वर्तमान लाभ प्राप्तकर्ताओं के मासिक भत्ते की दर में अधिकतम 150 रू० तक वृद्धि करने के लिए अनुरोध ।

3. **पात्रता :** (i) उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र बनने के लिये, कला तथा साहित्य आदि के क्षेत्र में सम्बन्धित व्यक्ति का योगदान विशिष्ट कोटि का रहा है । तथा वे परम्परागत अध्येता भी जिन्होंने अपन अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान किया हो, पात्र होंगे चाहे उनकी कोई कृति प्रकाशित न हुई हो ।

(ii) आवेदन कर्ता के निजी साधनों से मासिक आय 250/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(iii) आवेदन कर्ता की आयु 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (यह बात आश्रितों के मामले में लागू नहीं होती) ।

4. **आवेदन करने का तरीका :** आवेदनकर्ता अपने आवेदन पत्र राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार (संस्कृति विभाग) को अथवा दोनों को भेजने के लिए स्वतंत्र होगा । सभी आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में भेजे जाएंगे । केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर अगली कार्रवाही करने के लिए उन्हें पहले राज्य सरकारों को भेजा जाएगा । विशिष्ट मामलों में, अनुरोधों पर सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी चयन समिति के माध्यम से विचार किया जाएगा तथा धनराशि केन्द्रीय कोटे में से मंजूर की जाएगी ।

5. **सहायता का स्वरूप :** सरकार से सहायता या तो मासिक भत्ते अथवा एक मुश्त अनुदान अथवा दोनों रूपों में हो सकती । तथापि, किसी भी मामले में मासिक भत्ता 150 रु० से अधिक नहीं होगा ।

6. **आवेदन पत्रों का चयन** : (i) वित्तीय संसाधनों और आवेदनकर्ता की प्रख्याति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अब से पहले किया जा रहा था, आवेदनकर्ता को प्रदान की जानी वाली वित्तीय सहायता की सीमा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा उसकी एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा ।

(ii) "केन्द्रीय कोटे" से वहन की जाने वाली सहायता की मात्रा का निर्णय चयन समिति की सिफारिशों पर और आवेदन कर्ता की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा । इस प्रकार के मामलों को निश्चित रूप से संस्कृति मंत्री के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

(iii) तत्पश्चात् राज्य सरकार के प्रस्तावों को संस्कृति विभाग के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. **वितरण** : राज्य सरकार/चयन समिति के प्रस्ताव की स्वीकृति पर, केन्द्रीय सरकार खर्चे के अपने भाग के सम्बन्ध में संस्वीकृति पत्र जारी करेगी । तथापि, धन का वास्तविक संवितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार के भाग की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी ।

योजना के अधीन संस्वीकृत सभी अनुदानों का संवितरण राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

8. **नवीकरण** : उक्त नियम 7 के उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए, उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवर्ती मासिक भत्ता सरकार द्वारा यथा निर्धारित अवधि के लिए होगा । और इस प्रकार का भत्ता जीवन भर के लिए भी मंजूर किया जा सकता है ।

9. **भत्ते की समाप्ति** : (i) यदि भत्ते के प्राप्तकर्ता के वित्तीय संसाधनों में मासिक सुधार 250 रु० तक अथवा उससे अधिक हो जाए तो उक्त योजना के अन्तर्गत भत्ता समाप्त हो जाएगा ।

(ii) सरकार अपने विवेक पर प्राप्तकर्ता को तीन महीने का नोटिस देकर भी भत्ते को समाप्त कर सकती है ।

(iii) सरकार को लिखित नोटिस देकर कोई भी प्राप्तकर्ता भत्ते को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को त्याग सकता है । इस प्रकार के मामलों में भत्ता उसके पत्र की तारीख से समाप्त हो जाएगा ।

10. **मृत्यु पर भत्ते का रोका जाना** : प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, उसके आश्रित संस्वीकृति अवधि को बकाया अवधि के लिए भत्ता ले सकते हैं बशर्ते कि यह अवधि तीन मास से कम न हो ।

अन्धे व्यक्तियों की देखरेख सम्बन्धी कार्यक्रम

8494. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्धे व्यक्तियों की देखरेख के लिये कोई 'पेकेज' कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1975–76 के लिये इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) नेत्रहीन व्यक्तियों की देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। समाज कल्याण विभाग में अलबत्ता नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किये हैं :—

(1) देहरादून में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये एक राष्ट्रीय केन्द्र ।

(2) नेत्रहीन व्यक्तियों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में चार केन्द्र ।

(3) नेत्रहीन छात्रों को 8 वीं कक्षा से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। स्वीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिये वजीफे भी दिये जाते हैं।

(4) विकलांग व्यक्तियों के लिये 13 विशेष रोज़गार कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं तथा 5 और स्थापित किये जा रहे हैं। ये केवल नेत्रहीन तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार दिलवाते हैं।

(5) यह विभाग विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, के स्वैच्छिक संगठनों की स्वीकृति परियोजनाओं पर अनुमानित खर्च का 90% देता है। विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिये समेकित वकशाप स्थापित करने के लिये भी अनेक संगठनों को सहायता दी गई है।

(6) सरकार ने नेत्रहीन व्यक्तियों को अनेक रियायतें भी दे रखी हैं, जैसे कि :

(1) नेत्रहीन व्यक्ति तथा उसका दृष्टिवान मार्ग रक्षक एक व्यक्ति को किराया देकर भारतीय रेलवे में सफर कर सकते हैं अथवा एक नेत्र हीन व्यक्ति सामान्य किराये का चौथायी भाग देकर अकेला सफर कर सकता है।

(2) इंडियन एयरलाइंस नेत्रहीन व्यक्तियों से 50% किराया लेती है।

(3) ब्रैल साहित्य भारतीय डाक द्वारा मुफ्त भेजा जाता है।

इस विभाग ने सभी वर्गों के विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, की शिक्षा और पुनर्वास हेतु 1975–76 के लिये बजट में 178.78 लाख रुपये की व्यवस्था की

केन्द्रीय उर्वरक पूल का कार्यकरण

8495. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले उर्वरक पूल को भारी हानि हुई है ;

(ख) कितनी धनराशि की हानि हुई है;

(ग) यह बात सुनिश्चित करने के लिये पूल न हानि, न लाभ स्तर पर चले सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1974–75 में केन्द्रीय उर्वरक पूल की वित्तीय स्थिति के बारे में इस मंत्रालय द्वारा किए गए पुनरीक्षण से पता चलता है कि पूल को लगभग 120 करोड़ रु० की हानि होगी ।

(ग) केन्द्रीय उर्वरक पूल को न हानि, न लाभ के आधार पर चलाया जाना चाहिए । देशीय उत्पादन सस्ता पड़ता है अतः देशीय उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । उर्वरकों को कम से कम मूल्य पर आयात करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

Construction of memorials of Bhai Mati Das, Bhai Dayal Das and Prayag Das

8496. **Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the **Minister of Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether he has received a letter from Bhai Mati Dass Memorial Committee, B-145, Amar Colony, New Delhi in which a demand has been made for the construction of Memorials of Bhai Mati Das, Bhai Dayal Dass and Bhai Prayag Dass at the premises of Kotwali Chandni Chowk after it is vacated;

(b) whether half portion of premises of the Kotwali has already been handed over for the Guru Teg Bahadur Memorial;

(c) whether all the four persons were put to death by the then Government on that spot; and

(d) if so, the reaction of Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a) A request has been received from Bhai Mati Dass Memorial Smarak Samiti for handing over to the Samiti the remaining portion of Kotwali Chandni Chowk for the construction of Memorials of Bhai Mati Dass and Bhai Dayal Dass.

(b) A portion of Kotwali Chandni Chowk was handed over by the Delhi Administration to Gurdwara Prabandhak Committee for a Memorial of Guru Teg Bahadur.

(c) Bhai Mati Dass was put to death at the site of the existing Fountain. Bhai Dayal Dass and Guru Teg Bahadur were put to death in Kotwali premises.

(d) The request has been referred to the Delhi Administration, who are concerned, for consideration and report.

वर्ष 1975-76 के लिए सूखाग्रस्त गुजरात को केन्द्रीय सहायता

8497. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात ने राज्य में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1975-76 के लिए कुछ विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक योजना में आवंटित राशि के अतिरिक्त राज्य को कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) छटे वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संकटों का मुकाबला करने के लिए व्यय होने वाली रकम के लिए राज्यों को गैर-योजना केन्द्रीय सहायता देने की पिछली नीति को पहली अप्रैल, 1974 से समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 1974-75 से इस कार्य के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत योजना सहायता या सहायता की अग्रिम राशि के रूप में दी जाएगी। ऐसी अग्रिम योजना सहायता को पांचवीं योजनावधि में राज्य को मिलने वाली सामान्य योजना सहायता के प्रति समायोजित किया जाएगा। हाल ही में एक केन्द्रीय दल ने सूखा की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए गुजरात का दौरा किया है। केन्द्रीय सहायता के लिये राज्य सरकार के अनुरोध पर दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

जिन जातियों के पशु समाप्त होते जा रहे हैं उनका शिकार करने की विदेशियों को अनुमति

8498. **श्री भान सिंह भोरा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य-पशु निधि के भारतीय सदस्य, जिन जातियों के पशु समाप्त होते जा रहे हैं उनका शिकार करने की अनुमति जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस देश में आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दे दी जाती है, परेशान है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार देश में आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ऐसे जानवरों का शिकार करने की अनुमति नहीं देती जिनकी नस्ल समाप्त होती जा रही है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी उद्योग को चीनी के निर्यात से होने वाले लाभ में हिस्से की मांग

8499. **श्री एम० कतामुतु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग ने चीनी के निर्यात से लाभ में हिस्से की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) चीनी उद्योग ने यह सुझाव दिया था कि आन्तरिक आवश्यकताओं से फालतू होने वाली मुक्त बिक्री की चीनी के निर्यात से रुपये में होने वाले लाभ को उद्योग के साथ उपयुक्त रूप से बांटना चाहिए ताकि इस उद्योग के सभी यूनिटों के बीच 1974–75 मौसम के दौरान हुए उनके उत्पादन के संदर्भ में यथानुपात समान रूप से वितरित किया जा सके। इस सुझाव को स्वीकार करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बिहार के पालामाऊ जिले के गांवों में चौड़े कुओं की व्यवस्था के लिये योजना

8500. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के पालामाऊ जिले के कम से कम 100 गांवों में 30 फुट चौड़े कुओं की व्यवस्था करने के लिये एक योजना आरम्भ करेगी ;

(ख) क्या राज्य सरकार से सिंचाई की इस योजना का समन्वय करने के लिये कहा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पालामाऊ जिला केन्द्रीय सहायता के सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकार से लघु सिंचाई के लिए 317.74 लाख रु0 के परिव्यय की एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 1200 बड़े व्यास के कुओं का निर्माण करने के लिए 240 लाख रु० शामिल हैं। वर्ष 1974–75 के लिए केन्द्रीय सरकार ने बड़े व्यास के कुओं के निर्माण सहित सभी लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 26 लाख रु0 की धनराशि की स्वीकृति दी थी।

(ख) इस योजना का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(ग) उपर्युक्त 'ख' को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न हो नहीं उठता।

आदर्श नहर और सिंचाई अपवाह विधेयक

8501. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "आदर्श नहर और सिंचाई अपवाह विधेयक" पुरस्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं और इस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) सिंचाई आयोग (1972) की सिफारिशों की अनुपालना में भारतीय विधि संस्थान ने "माडल नहर सिंचाई और जल निकास बिल" का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे में राज्यों द्वारा

जल-उपयोगी कार्यों के लिए सभी नदियों सरिताओं आदि के जल के उपयोग और नियंत्रण तथा उसी सीमा तक सिंचाई और जल निकास और जल दरों तथा खुशहाली अंशदान के मूल्यांकन तथा उद्ग्रहण करने के सम्बन्ध में राज्यों में लागू कानूनों का संशोधन तथा समेकन करने की व्यवस्था है।

माडल बिल के इस मसौदे को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भेजने से पूर्व इसके सभी पहलुओं को जांच करने तथा उसमें समुचित संशोधनों सम्बन्धी सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, भारतीय विधि संस्थान और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में खेती के अन्तर्गत भूमि तथा कृषि उत्पादन

8502. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितनी भूमि पर काश्त होती है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971–72, 1973–74 तथा 1974–75 (अप्रेल) के दौरान कुल कितना कृषि उत्पादन हुआ ; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक कृषि उत्पादन से कितनी लेवी वसूल हुई ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग आंकड़ों के सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार 1972–73 में कुल 1810 लाख हैक्टेयर भूमि में खेती की गई थी।

(ख) संलग्न विवरण 1 में [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–9616/75] 1971–72 तथा 1973–74 के दौरान मुख्य खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के अनुमान दिये गए हैं। वर्ष 1974–75 के उत्पादन के ऐसे अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1971–72, 1973–74 तथा 1974–75 में विभिन्न कृषि उत्पादों की लेवी के बारे में विवरण दो में जानकारी दे दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०–9616/75]

बेकरियों को केन्द्रीय पूल से सप्लाई किया गया गेहूं

8503. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री लेवी योजना के अन्तर्गत वसूल की गई चीनी तथा खाद्यान्नों का कारखानों, बेकरियां तथा शीतल पेयों के निर्माताओं को वितरण 7 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केन्द्रीय पूल से (एक) ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्टरी द्वारा संचालित फैक्टरियों, (दो) प्रत्येक अन्य बड़ी कम्पनी, और (तीन) छोटे पैमाने की बेकरियों को वर्ष 1972–73 से 1974-75 तक वर्ष-वार, कुल कितनी मात्रा में गेहूं की सप्लाई की गई ;

(ख) क्या केन्द्रीय पूल से आटा मिलों को गेहूं की सप्लाई करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है ;

(ग) यदि हां, तो वह मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है ; और

(घ) क्या उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) : सभी संगत बातों और उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों की मांग को रखकर सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा प्राइवेट बेकरियों को मैदे का आवंटन किया जाता है। रोलर आटा मिलों द्वारा गेहूं की खरीदारी के तरीके, स्टाक रखने की सीमा, गेहूं के पदार्थों आदि के मूल्य निर्धारित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करती है। रोलर आटा मिलों पर राज्य सरकारों का प्रशासनिक नियंत्रण है और है उन पर उपयुक्त नियंत्रण रखती हैं ताकि विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों और अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

नई क्षमता उत्पन्न करने के लिए वनस्पति उद्योग से अनुरोध

8504. श्री डी० के० पंडा :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग से लगी किसी फर्म ने नई क्षमता उत्पन्न करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या उक्त उद्योग की वर्तमान लाइसेंस क्षमता का पूरी तौर पर उपयोग नहीं किया जा रहा है,

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो भाग (क) के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भाग (ख) के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नये वनस्पति यूनिटों को स्थापित करने/वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए समय-समय पर आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) : साधारणतया किसी नयी क्षमता को प्राधिकृत नहीं किया जा रहा है क्योंकि दोनों लाइसेंसशुदा और स्थापित क्षमता इस पदार्थ की मांग से बहुत अधिक है ।

वर्ष 1975–76 के लिए खरीफ के मौसम में चावल के वसूली लक्ष्य कम करना

8505. **श्री हरी सिंह :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975–76 के लिए खरीफ के मौसम में चावल के वसूली लक्ष्य घटाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : खरीफ विपणन मौसम 1975–76, 1 नवम्बर, 1975 से शुरू होगा और इस समय अधिप्राप्ति के कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

चालू खरीफ मौसम 1974–75 के लिए 41 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है क्योंकि कुछेक प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्रों में सूखे के कारण उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जबकि पिछले मौसम के लिए 50 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

राज्यों में सूखा एवं अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कसौटी

8506. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी राज्य में क्रमशः अभाव, सूखा और अकाल घोषित करने की कसौटी क्या है;

(ख) क्या उक्त कसौटी के आधार पर गुजरात राज्य में अकाल की स्थिति विद्यमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो दृश्य-श्रव्य विज्ञापन निदेशालय द्वारा दिये गये विज्ञापन को 10 अप्रैल, 1975 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'ह्वाइल हंगर एण्ड फेमिन स्टाक दी लैंड इन गुजरात' शीर्षक से प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) अभाव, सूखे तथा अकाल को घोषित करने को कसौटी प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है जिसका विभिन्न राज्यों की अभाव नियमावली/संहिताओं में उल्लेख किया गया है । मोटे तौर पर इन कारणों को ध्यान में रखा जाता है :— प्राकृतिक कारणों को बजह से कम उत्पादन होना, ऐसी कमी के कारण संकट उत्पन्न होना, खाद्य तथा चारे की सप्लाई की उपलब्धि तथा मूल्य स्तर, रोजगार की तलाश में श्रमिकों का इधर-उधर बेकार भटकना और स्थानीय जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति ।

(ख) गुजरात की अभाव सम्बन्धी नियमावली में अकाल की स्थिति का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी जिलों के कलक्टरों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर अभाव तथा अर्द्ध-अभाव की स्थिति घोषित की जा सकती है। गुजरात सरकार ने राज्य के 9526 गांवों में अभाव की स्थिति और 16 जिलों के 3220 गांवों में अर्द्ध-अभाव की स्थिति घोषित कर दी है;

(ग) विज्ञापन में "अकाल" के शब्द को एक सामान्य अर्थ में इस्तेमाल किया गया था और वह राज्य के बड़े भागों में अभाव तथा अर्द्ध-अभाव की परिस्थितियों की मौजूदगी को सूचित करता है। इस विज्ञापन में राज्य की स्थिति के सम्बन्ध में और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों के सम्बन्ध में कुछ वास्तविक तिथियों का जिक्र है।

बाढ़ों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

8507. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री सतपाल कपूर :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

श्री वसन्त साठे :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें तथा सिद्धान्त क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (ग): पिछले बीस वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण उपायों के आयोजन, कार्यान्वियन तथा कार्य निष्पादन में प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नीति तथा देश के विभिन्न भागों में किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण उपायों का पुनरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव के ब्यौरों को राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करते हुए जांच की जा रही है?

Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi

†8508. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Birla Institute of Technology has been functioning at Mesra in Ranchi district for a number of years;

(b) if so, whether a huge amount is given to this Institute by University Grants Commission for meeting its expenditure;

(c) if so, whether Bihar Government have declared it as an autonomous body with a view to keep it free from the control of Ranchi University;

(d) if so, the justification therefor;

(e) whether representations have been sent to him in regard to the corruption and nepotism prevalent there; and

(f) if so, the facts thereof and Government's reaction thereon?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan):

(a) Yes, Sir.

(b) The University Grants Commission has not paid any grant for the development of the Institute. The Commission has, however, given to a total sum of Rs. 25,811 towards students aid fund and as assistane to teachers.

The Ministry of Education and Social Welfare has given following grants for the development of under-graduate and post-graduate courses to the Institute:

(1) Non-recurring . . . . Rs. 15·72 lakhs.
(2) Recurring (From 1962—74) . . . . Rs. 29·32 lakhs.

(c) and (d). The Vice-Chancellor, Ranchi University, by a notification dated 16th March, 1974 in accordance with the provisions of Bihar State University Ordinance of 1972 declared the Birla Institute of Technology, Mesra, as an autonomous College within the Ranchi University.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा

8509. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा देने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है, यदि हां, तो कब;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के इस कार्यक्रम के लिये अनेक टेलीविजन सेट खरीदे हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब और क्या दिल्ली नगर निगम ने जब टेलीविजन सेट खरीदे थे तो सरकार ने टेलीविजन पर प्राथमिक शिक्षा देने के कार्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) : प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली द्वारा पहला कार्यक्रम 3 मार्च, 1975 को प्रसारित किया गया था । इस कार्यक्रम का अभिप्राय ज्ञान संवर्धन है न कि पाठ्यक्रम-पुस्तकों से सम्बन्धित पाठ ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने इस कार्यक्रम के लिये कुल 184 टेलीविजन सेट खरीदे हैं—1970–71 तथा 1971–72 में 115 सेट तथा मार्च, 1975 में 69 सेट।

इस मन्त्रालय की सहमति आवश्यक नहीं थी क्योंकि दिल्ली नगर निगम एक स्वतन्त्र निकाय है।

दिल्ली में प्राप्त भूमि

8510. **श्री एच० के एल० भगत : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972 और 1974 के बीच दिल्ली में कुल कितने एकड़ भूमि प्राप्त की गई;

(ख) प्राप्त की गई भूमि के लिए कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) मुआवजे की औसत दर क्या है; और

(घ) कुल कितने एकड़ भूमि का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और बेदखल भूमि मालिकों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हावड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में भूख से मौतें

8511. **श्री एम० एम जोजफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भूख से मौत हो रही हैं ;

(ख) क्या ये मौतें खाद्य की अपर्याप्त सप्लाई से अथवा निर्धन लोगों में क्रय शक्ति के अभाव के कारण होती हैं; और

(ग) भविष्य में उक्त मौतों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"मिल्क फ्लड प्लैन वैल अन्डर वे" (दुग्ध बाढ़ योजना में सन्तोषजनक प्रगति) शीर्षक समाचार

8512. **श्री भाऊसाहेब धामनकर : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स ऑफ इंडिया", दिनांक 6 अप्रैल, 1975 में "मिल्क फ्लड प्लैन वैल अन्डर वे" (दुग्ध बाढ़ योजना में सन्तोषजनक प्रगति) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1970 में दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास की एक परियोजना को शुरू किया गया था। इस परियोजना के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के चारों महानगरों में एक पंचवर्षीय परियोजनावधि के अन्त तक सरकारी क्षेत्र की डेरियों में दुग्ध परिसस्करण की सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस समय इनमें 10.00 लाख लीटर दूध का परिसंस्करण हो रहा है। इस मात्रा को बढ़ाकर 27.5 लाख लीटर करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 10 राज्यों में तथा दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में स्थित इन चार डेरियों के दुग्ध क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन तथा अधिप्राप्ति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मार्च, 1975 में चारों महानगरों की डेरियों में दुग्ध उत्पादन 12.80 लाख लीटर तक बढ़ गया है।

Wages of Agricultural Labour

8513. **Shri Janeshwar Misra:** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Agricultural Prices Commission, while determining the prices of agricultural commodities, fixes the wages of the agricultural labour; and

(b) if so, the details of the wages fixed during the last three years, year-wise?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) and (b) The Agricultural Prices Commission does not fix wages of agricultural labour as this does not fall under purview of terms of reference of the Commission.

दिल्ली दुग्ध योजना से आगामी गर्मी के मौसम के दौरान दूध की सप्लाई

8514. **श्री के० मालन्ना :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने यह निर्णय किया है कि आने वाले गर्मी के मौसम में टोकनों में उल्लिखित मात्रा में कटौती नहीं की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने उपभोक्ताओं को क्या सुविधाएं उपलब्ध की हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना आशा करती है कि वह गर्मी के सारे मौसम के दौरान दूध के वितरण के सामान्य स्तर को बनाये रख सकेगी। उसका दूध की सप्लाई को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना राजधानी में दूध के वितरण के अधिकतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिये अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 100 प्रतिशत उपयोग कर रही है और वह उसे

जारी रखना चाहती है। दिल्ली दुग्ध योजना अपनी वर्तमान सुविधाओं के उपयोग से राजधानी की दूध की लगभग 42 प्रतिशत मांग को ही पूरा कर सकती है। अधिष्ठापित क्षमता को पूर्ण रूप से विकास होने पर वह लगभग 50 प्रतिशत मांग को पूरा कर सकती है। दिल्ली को दूध की शेष 50 प्रतिशत मांग को पूरा करने के लिये एक दूसरी डेरी स्थापित की गई है और फिलहाल इसका प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे संयंत्र द्वारा प्रति दिन लगभग 4 लाख लीटर की अधिकतम क्षमता के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् दोनों डेरियां मिल कर राजधानी की लगभग 7 लाख लीटर की दैनिक मांग को पूरा कर सकेंगी।

पश्चिम बंगाल में आरम्भ की जाने वाली नई सिंचाई परियोजनाएं

8515. श्री रानेन सेन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये पश्चिम बंगाल में कौन-कौन सी नई सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ; और

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में उन पुरानी परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति क्या है जो अभी तक अधूरी पड़ी हैं परन्तु जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई थीं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनकी पांचवीं योजना में प्रस्तावित नयी बृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई मयुराक्षी परियोजना तथा दामोदर घाटी निगम की सिंचाई प्रणाली पर कार्य कुछ विस्तार तथा सुधार कार्यों को छोड़कर लगभग पूर्ण हो चुके हैं।

विवरण

बृहत्

1. तीस्ता बराज
2. मयुराक्षी नहर को पक्का करना
3. अपर कंगसाबती
4. द्वारकेश्वर
5. गजोल लिफ्ट सिंचाई
6. देलांग

मध्यम्

1. तारागोना
2. परगा
3. बाराधूम

4. मऊचोरे
5. सालदा
6. बेको
7. पतल
8. टोतका
9. बोन्धु सिंचाई का विस्तार
10. रामचन्द्रपुर
11. साली जलाशय
12. गोलमा राजोरे
13. हनुमती
14. नारायण पुर सोना
15. लिपनियाजोरे
16. साली व्यपवर्तन

तमिलनाडु के लिये समाज कल्याण योजना

8516. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1975-76 के दौरान कौन-कौन सी केन्द्रीय समाज कल्याण योजनायें आरम्भ को जायेंगी ;

(ख) क्या विगत वर्षों में इस राज्य को इस सम्बन्ध में उपेक्षित रखा गया था ;

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण योजनाओं पर सम्भवतः कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की जाने वाली समाज कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1975-76 के दौरान केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों में निम्नलिखित समाज कल्याण योजना स्कीमें आरम्भ की जायेंगी :--

(1) परिवार और बाल कल्याण परियोजनायें ;

(2) निराश्रित बालकों का कल्याण ;

(3) प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम ;

(4) सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम ;

(5) कार्यशील महिलाओं के लिये होस्टल ;

(6) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये छात्रवृत्तियां, अनुसंधान प्रशिक्षण, शैल्टर्ड रोजगार तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान ;

(7) सामाजिक कार्य शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान ;

(8) विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा ;

(9) विशेष रोजगार केन्द्रों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाना; तथा

(10) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान । तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1975-76 के दौरान केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों में निम्नलिखित समाज कल्याण योजनायें आरम्भ करने की आशा है :—

(1) वृत्ति मूलक साक्षरता ; तथा

(क) समेकित बाल विकास सेवायें ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों में समाज कल्याण योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली समाज कल्याण योजनाएं परिवार कल्याण; बाल कल्याण; महिला कल्याण; विकलांग व्यक्तियों का कल्याण; शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान; तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान से संबंधित हैं।

सिंचाई परियोजनाओं की सिफारिश की शर्तें

8517. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री विश्व बैंक द्वारा गोदावरी बांध परियोजना के लिये ऋण की शर्तों के बारे में 24 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक को सहायता के लिये सिंचाई परियोजनाओं की सिफारिश किये जाने की शर्तें क्या हैं ;

(ख) विश्व बैंक को महाराष्ट्र में किस परियोजना के लिये सिफारिश की गई है ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के प्रति विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) विश्व बैंक सहायता के लिये सिंचाई परियोजनाओं को सिफारिश करने में मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदण्डों को अपनाया जाता है :—

(1) परियोजना की राज्य को विकासात्मक योजना में सम्मिलित कर लिया गया हो और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई हो ।

(2) राज्य निश्चित समय की अवधि में योजना को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था कर सकता हो ।

(3) परियोजना में ऐसा कोई अन्तर्राज्यीय पहलू निहित नहीं हो जिसे हल किया जाना हो ।

(4) स्कीम आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य होनी चाहिये ।

(ख) भारत सरकार महाराष्ट्र में वार्ना, कृष्णा और भीमा परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Transfer of Forts at Delhi, Agra and Allahabad to the Department of Archaeology

8518. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the Defence Ministry had a proposal to entrust the Red Forts of Delhi and Agra and the Fort of Allahabad to the Department of Archaeology; and

(b) if so, the reasons for delay in implementing this proposal?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b). It has been decided that the Ministry of Defence will hand over in a phased manner major portions of the Red Forts of Delhi and Agra and the Fort of Allahabad, which are under military occupation, to the Archaeological Survey of India, retaining only a token military presence in the forts, if found necessary. The first phase of the programme in respect of the forts at Agra and Delhi is under implementation. The Ministry of Defence have already handed over to the Survey the fortwalls, moat, Delhi Gate (excepting two rooms), and its contiguous complex of building at Agra Fort.

The implementation of the subsequent phases will depend upon the acquisition of alternative land by the Defence Department, construction of new accommodation, provision of facilities for the Defence Units and personnel to move out. In view of huge financial outlay involved, implementation of the phased take-over is likely to be spread over a number of years.

राजधानी में आवासन समस्या

8519. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में आवासन की विकट समस्या हल करने की दृष्टि से उनके मंत्रालय ने दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर यमुना के पार लोनी क्षेत्र में लक्ष्मी एन्क्लेव, इन्दिरा एन्क्लेव और बलराम

नगर जैसे दिल्ली के साथ लगने वाले क्षेत्रों में रिहायशी कालोनियों के विकास का प्रश्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य सरकारों के साथ उठाया था ;

(ख) क्या दिल्ली सीमा के साथ लगने वाले लोनी तथा उस जैसे अन्य खाली विस्तृत इलाकों में रिहायशी प्रयोजनों के लिये और इस उद्देश्य के लिये आवश्यक आधार ढांचा उपलब्ध करनेहेतु विकास गति देने के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस उद्देश्य के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है अथवा दी गई है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का किस प्रकार और कब इन क्षेत्रों का रिहायशी उद्देश्यों से विकास करने का विचार है

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ): लक्ष्मी एन्क्लेव, इन्दिरा एन्क्लेव तथा बलराम नगर जैसी सभी रिहायशी कालोनियां दिल्ली, यू० पी० बार्डर के परे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिये रिहायशी प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता या विकास की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वेतन समिति के प्रतिवेदन के बारे में निदेशक बोर्ड की सिफारिशों के विरुद्ध 'फूड कारपोरेशन इम्पलाईज यूनियन' का विरोध

8520. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फूड कारपोरेश एम्पलाईज यूनियन' ने वेतन समिति के प्रतिवेदन के बारे में निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिशों का विरोध किया है और बातचीत से तय किए जाने वाले समझौते के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अपनी सिफारिशें करने से पहले, वेतन समिति ने कर्मचारियों की यूनियन को अपना विचार प्रकट करने के लिए पूरा अवसर दिया था । समिति की रिपोर्ट भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है और इसलिए इस समय इसके बातचीत से तय किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में आनन्दपुर बांध परियोजना

8521. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आनन्दपुर बांध परियोजना के लिए प्रावधिक धनराशि को राज्य सरकार ने बांध के लिये स्थान का निश्चय होने तक के लिए, अन्य परियोजनाओं में लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें उक्त धनराशि लगा दी गई है ; और

(ग) क्या उक्त परियोजना का तकनीकी आधार पर परित्याग करने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) बराज स्थल के संबंध में अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व राज्य सरकार प्रारम्भिक कार्यों, बराज स्थल के अन्वेषणों तथा नहर के संरेखन कार्य पर यथा आवश्यक खर्च कर रही है ।

(ग) राज्य सरकार से इस परियोजना का परित्याग करने के संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

गुजरात में सूखा राहत उपाय

8522. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूखे की स्थिति के बारे में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और क्या सरकार ने राहत सम्बन्धी उपाय किये हैं ;

(ख) राहत कार्यों के लिये कितने व्यक्ति लगाये गये हैं और क्या राहत कार्यों को ऐसे स्थानों पर चलाया गया है जो उनके स्थायी निवास स्थानों से बहुत दूर हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में ही लोगों के घर के निकट उन्हें काम न दिये जा सकने के कारण वे बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान या भारतीय संघ के पड़ौसी राज्यों में काम की खोज में वहां जाकर बस गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन प्रवासियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अगामी खरीफ मौसम के लिये पानी संरिक्षत रखने सहित अकाल का मुकाबला करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से क्या-क्या उपाय किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ङ) राज्य सर कार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक के लिये पृथक पुरातत्वीय सर्किल

8523. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में प्राचीन स्मारकों के परिक्षण और अनुरक्षण में लिए एक पृथक पुरातत्वीय सर्किल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) 1975-76 में बंगलौर में मुख्यालय के साथ एक मध्य दक्षिणी सर्किल बनाना है, जिसमें उत्तर-पूर्वी जिलों अर्थात् रायचूर, गुलबर्ग और बीदर को छोड़कर सम्पूर्ण कर्नाटक शामिल होगा ।

पश्चिम दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों के निवासियों की कष्टकर स्थिति

8524. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों के लगभग 30,000 निवासियों को अत्यधिक कष्ट हो रहा है ;

(ख) क्या उन्होंने इन कालोनियों में सुविधाओं के लिये नागरिक अधिकारियों से बार-बार सहायता की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) प्रायः सभी ऐसे झुग्गी समूह/कालोनियों से शहरी सुविधावों में सुधार की मांग करने के अभ्यावेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, झुग्गी झौंपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत मूल शहरी सुविधाएं पश्चिम दिल्ली में नजफगढ़ रोड तथा हस्तसाल (जिस में पंखा रोड शामिल है) झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में प्रदान की गई हैं । पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत भी सुधार कार्य किया जा रहा हैं । योजना के अधीन 1972 से आगे तक स्वीकृत की गई राशि, किया गया गया व्यय आदि निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :—

कालोनी का नाम		स्वीकृत राशि 1972–73	अद्यतन किया गया व्यय (1972–जनवरी, 75)	चालू वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला व्यय (1975–76)
		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
नजफगढ़ रोड	.	12.87	10.21	4.15
पंखा रोड	.	8.55	6.62	3.06

पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी पश्चिम दिल्ली में 10 जे० जे० समूहों में सुधार कार्य किया जा रहा है। उन पर किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाख रुपये
1974–75 में स्वीकृत की गई कुल राशि	47.65
मार्च, 1975 तक पुरे किये गये कार्यों का मूल्य	11.10
1975–76 में चल रहे कार्य का मूल्य . . .	5.65

Alleged Mismanagement in Jawaharlal Nehru University

†8525. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether mismanagement and muddling have been prevailing in the Jawaharlal Nehru University, Delhi for some time past;

(b) if so, the reasons therefor and steps taken by Government to remove them; and

(c) the present number of lecturers, research-scholars and students in the University and the number among them of foreign research scholars and students together with the names of the countries to which they belong?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A statement giving the requisite information as furnished by the Jawaharlal Nehru University is attached.

Statement

(c) The information is given below:

(i) No. of full-time teachers	240
(ii) No. of full-time Research Scholars (including 19 foreigners.)	585
(iii) No. of full-time Post-graduate Students (including 29 foreigners)	1043
(iv) No of full-time under-graduate students	12

Countrywise break-up of full-time foreign research scholars and students.

S. No.	Name of the country	No. of Students	No. of Research Scholars.
1.	Hungary	1	
2.	Iran	1	..
3.	U. S. A.	1	2
4.	Canada	2	
5.	Malaysia	1	..
6.	Egypt.	4	1
7.	Thailand	1	2
8.	Poland	1	
9.	N. Vietnam	2	..
10.	Afghanistan	2	2
11.	Brazil	1	..
12.	Ethoepia	1	..
13.	Iraq	1	..
14.	Japan	2	..
15.	Mauritius	2	..

S. No.	Name of the country	No. of Students	No. of Research Scholars.
16.	Nepal	I	6
17.	Saudi Arabia	I	
18.	Sri Lanka	2	..
19.	Australia		I
20.	Belgium		I
21.	Bangladesh		I
22.	Jordan		I
23.	England	..	I
24.	Philippines	I	
25.	Tanzania	I	..
26.	Nigeria	..	I

Sale of Children in Chhatisgarh, M.P.

8526. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the 25th March, 1975 issue of 'Swadesh' published from Indore to the effect that a starving person because of non-availability of food-grains sold his children in Chhatisgarh region of Madhya Pradesh;

(b) whether there is such a terrible femine in this area that people are leaving their villages and going somewhere else; and

(c) whether any financial assistance or additional foodgrains assistance has been given by Central Government to overcome this scarcity?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhu-Das Patel): (a) to (c):

The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, as soon as it is received.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

8527. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री आर० वी० बड़े :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन में क. गई इन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि "विशेषतया स्नातकोत्तर पूर्व स्तर तक शैक्षिक तथा व्यवसायिक दोनों पाठ्यक्रमों के अधीन उच्च शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा मनोवृत्तियाँ और भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है", और कि "अधिक शिक्षा का सामान्यतः अधिक बुरी शिक्षा" अभिप्राय बन गया है ;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन में "उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम" उपलब्ध कराने में अधिकांश सम्बद्ध कालेजों की असफलता तथा "ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में अपेक्षित मध्यम स्तर के व्यावसायिक कार्मिकों की अनुपलब्धता" की कटु आलोचना की गई है ;

(ग) स्वाधीनता के गत 27 वर्षों के दौरान उक्त कमियों के व्याप्त रहने के वस्तुतः क्या कारण रहे और इस अवधि में इन कमियों को दूर करने के लिए वस्तुतः क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) निकट भविष्य तथा दूरस्थ भविष्य में इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ). सरकार को उच्च शिक्षा के विस्तार से उत्पन्न होने वाले दबावों और कठिनाइयों की जानकारी है। वास्तविक संसाधनों के प्रति व्यक्ति कम करने से उच्च शिक्षा के स्तरों पर प्रभाव पड़ा है। पाठ्यचर्या के सुधार की, विशेषकर इसे छात्रों की आवश्यकताओं, योग्यताओं तथा अभिछात्रवृत्तियों के और अधिक अनुरूप बनाने तथा साथ ही उसे हमारे देश के विकास की चुनौतियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता का विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सरकार द्वारा अनुभव किया जा रहा है। सरकार तथा आयोग, उच्च शिक्षा को, विशेष रूप से व्यावसायिकों को उच्च शिक्षा को, ग्राम्य अभिमुख बनाने की आवश्यकता का भी अनुभव कर रहे हैं।

स्वतन्त्रता के बाद से ही सरकार ने उच्च शिक्षा को राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास किये हैं। राधाकृष्णन् आयोग (1948–49), शिक्षा आयोग (1964–66) तथा विभिन्न अन्य समितियों और सम्मेलनों ने इस मामले पर ध्यान दिया था। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी बैठकों में इस मामले पर पर्याप्त ध्यान दिया है। नवम्बर, 1974 में हुए बोर्ड के 37वें सत्र में यह सिफारिश की गई थी कि यह नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की थ. "वर्तमान संस्थाओं और गैर-औपचारिक माध्यमों से ही विस्तार करने पर बल दिया जाना चाहिए। इस बात की भी सावधानी बरती जानी चाहिए कि उच्च शिक्षा का लाभ स्त्रियों और समाज के कमजोर वर्गों को अधिकाधिक पहुंचे।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा की प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं, जिनमें से निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(1) स्वायत्त कालेजों की योजना शुरू की गई है। ये कालेज अध्ययन पाठ्यक्रम, मूल्याकन की पद्धतियां आदि को अपनाने में स्वतन्त्र होंगे। इससे परीक्षण को प्रोत्साहन

मिलेगा तथा इससे स्थानीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में पाठ्यक्रमों को अधिक उपयोगी तथा अनुकूल बनाने की एक प्रक्रिया भ. शुरू होगी।

(2) आयोग ने, देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को परीक्षा सुधार की एक कार्रवाई योजना कार्यान्वयन हेतु भेजी है तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए 12 विश्वविद्यालयों को चुना है।

(3) आयोग, उत्तर-स्नातक शिक्षा के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

(4) आयोग, चुने हुए कालेजों में विज्ञान-शिक्षा के सुधार के लिए, एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मानविकी विषयों तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए भी ऐसे ही कार्यक्रम लागू करने का निर्णय किया गया है।

(5) विभिन्न विभागों को मिलाकर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान के सहयोगात्मक तथा अन्तर-विषयक कार्यक्रमों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(6) अध्ययन पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों सहित, स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके और कालेज शिक्षा के एक भाग के रूप में कार्य-अनुभव भी शुरू किया जा सके।

(7) औपचारिक शिक्षा में दाखिले में वृद्धि को रोकने और छात्रों को पर्याप्त अनुपात में पत्राचार पाठ्यक्रमों, संध्याकालीन कक्षाओं तथा अंशकालिक पाठ्यक्रमों से होने वाले लाभ की ओर आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।

नेपाल से चावल का आयात

8528. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से चावल का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में कितनी मात्रा में चावल का आयात किया गया तथा वर्ष 1975-76 में कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के खाते में नेपाल से कोई भी चावल आयात नहीं किया जा रहा है लेकिन नियमित व्यापार माध्यमों से भारत-नेपाल व्यापार और पारगमन संधि के अधीन चावल की कुछ मात्राएं आयात की जा रही हैं।

महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

8529. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति द्वारा हाल ही में प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) भारत में स्त्रियों के दर्जे सम्बन्धी समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं, जो अनेक विभागों/मंत्रालयों तथा अन्य एजेंसियों की गतिविधियों से सम्बन्धित हैं। अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श से समाज कल्याण विभाग में इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

संसदीय प्रजातंत्र की सफलता

8530. श्री जाम्बुवंत धोते : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आम आदमी की रुचि प्रजातंत्र में दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है और आमतौर पर संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के प्रति निराशा की भावना पाई जाती है; और

(ख) देश में संसदीय संस्थाओं की उन्नति के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा उत्साह पैदा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण कार्यक्रम को आघात

8531. श्री शरद यादव : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन आरम्भ किये गये समाज कल्याण कार्यक्रमों को मुद्रास्फीति के कारण आघात पहुंचा है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रमों में कटौती की गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में लगे व्यक्तियों की कोई छंटनी की गई है, क्या केन्द्र अथवा राज्य के अधीन कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा राज्य सहायता दी गई; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त (ख) तथा (ग) भाग में पूछी गई बातों का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किये गये समाज कल्याण कार्यक्रमों को मुद्रास्फीति के कारण आघात पहुंचा है। साधनों की स्थिति पर दबाव के कारण अलबत्ता 1974-75 में समाज कल्याण के लिये व्यवस्थित परिव्ययों में कुछ कमी हई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुरातत्व विभाग, देहरादून के कार्यालय का पुनर्गठन

8532. **श्री आर० आर० शर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित पुरातत्व विभाग के कार्यालय के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुड़गांव जिला के अतिरिक्त हरियाणा के क्षेत्रों वाले उत्तर पश्चिमी सर्किल के मुख्यालय को श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर राज्य) में ले जाया जा रहा है;

(ख) श्रीनगर कार्यालय के अधीन कितने स्मारक होंगे और इस संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त कार्यालय को श्रीनगर ले जाये जाने के कारण और बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) वर्तमान उत्तर-पश्चिमी सर्किल का मुख्यालय देहरादून में है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, चुरु, अलवर, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले और उत्तर प्रदेश के देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशहर के जिले सम्मिलित हैं। इनमें से दिल्ली और हरियाणा का गुड़गांव जिला नये प्रस्तावित दिल्ली सर्किल में आ जायगा उत्तर प्रदेश के पांच जिले उत्तरी सर्किल आगरा में और हरियाणा के बाकी जिले और पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश सीमांत सर्किल में आ जायेंगे जिनका मुख्यालय जून 1958 से श्रीनगर में रहा है।

(ख) (i)	सर्किल में स्मारकों की संख्या . . .	179
(ii)	सर्किल में स्मारकों का राज्यवार विवरण——	
	जम्मू और काश्मीर .	58
	पंजाब	35
	गुडगांव को छोड़कर हरियाणा . . .	64
	हिमाचल प्रदेश	32
	संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ .	. .

(ग) जून, 1958 से ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर में और शीत् ऋतु में जम्मू में पहले से ही कार्य कर रहा सीमांत सर्किल, पुनर्गठित सर्किल में भी स्मारकों की देखरेख करना जारी रखेगा।

धान उत्पादकों तथा गेहूं उत्पादकों को बोनस

8533. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान खरीफ मौसम और रबी मौसम में धान उत्पादकों और गेहूं उत्पादकों को धान और गेहूं के वसूली मूल्य के अतिरिक्त कितना बोनस दिया गया;

(ख) क्या वर्ष 1975-76 के लिए बोडो और खरीफ मौसम के लिए धान के लिए धान का वसूली मूल्य निर्धारित कर दिया गया है; और क्या धान उत्पादकों को अतिरिक्त बोनस भी दिया जायेगा;

(ग) वर्ष 1974-75 के लिए धान के वसूली मूल्यों में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 1975-76 के लिए बोडो और खरीफ दोनों मौसमों के लिए बोनस सहित धान के वसूली मूल्यों पर पुनर्विचार किया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो धान उत्पादकों को ऐसे लाभ न देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) रबी विपणन मौसम 1974-75 के दौरान गेहूं के उत्पादकों को कोई बोनस नहीं दिया गया था। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, 1974-75 की फसल से केन्द्रीय पूल को चावल की निर्धारित मात्रा सप्लाई करने वाली राज्य सरकारों को बोनस का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना को जारी रखने का निर्णय किया गया था। राज्य सरकारें इस बोनस का कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजन हेतु योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इस्तेमाल करेंगी। विपणन मौसम 1974-75 के लिए धान के उत्पादकों को बोनस देने हेतु राज्य सरकार को बोनस का भुगतान करने की एक योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) 1975-76 मौसम के लिए खरीफ के अनाजों की मूल्य नीति आगामी खरीफ मौसम के शुरू में तैयार की जाएगी।

(ग) धान के अधिप्राप्ति मूल्य को 1973-74 में मानक किस्म की धान के 70 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1974-75 में मोटी किस्म की धान के लिए 74 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(घ) से (च) भाग (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते।

तेरह बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना

8534. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेरह बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को 0.1 मिलियन हैक्टेयर से अधिक सिंचाई योग्य 'कमांड' सहित तेजी से पूरा करने के बारे में डा० के० एल० राव के सुझाव की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बजट बहस के दौरान 7 अप्रैल, 1975 को माननीय संसद सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को सरकार ने नोट कर लिया है।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। बहरहाल, पांचवीं योजना में धन का आवंटन करते समय ऐसी जारी स्कीमों को प्राथमिकता दी जाती है जिन पर काफी निर्माण कार्य हो चुका हो तथा जिनसे शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये सामाजिक सुधार

8535. श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के रहन-सहन और काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिये निश्चित सामाजिक सुधारों और उपायों के लिये सरकार ने कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक मद पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिए एक भाग के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलाओं के हित के लिये विशिष्ट रूप से कोई विशेष कार्यक्रम तैयार नहीं किये गये हैं । मातृत्व हस्पताल स्थापित करने, फैक्ट्रीज नियमों आदि के अन्तर्गत महिला कल्याण के साधारण कार्यक्रम अवश्य हैं । इनके अतिरिक्त महिलाओं, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की महिलायें भी शामिल हैं, के हित के लिये कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं यद्यपि ये अंन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के लिये कार्यक्रमों का भाग नहीं है । इनमें अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये होस्टल, महिलाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये प्रेरक योजनाएं, प्रौढ़ महिलाओं के लिये रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम, महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, कार्यशील महिलाओं के लिये होस्टलों की सुविधा का विस्तार, महिला मंडलों को सुदृढ़ बनाना, सहायक महिला कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आदि शामिल है ।

भूमि सुधारों का प्रभाव

8536. श्री एम० एस० पुरती : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेषकर बिहार राज्य में, कृषि संबन्धी ढांचे के बारे में भूमि सुधार कानूनों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार के "टास्क फोर्स आन एग्रेरियन रिलेशन्स" ने हाल ही में एक अध्ययन किया था । यह फोर्स की योजना आयोग ने कृषि सुधार की प्रगति और समस्याओं का मूल्यांकन करने और पांचवीं योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए नियुक्त किया था । इस टास्क फोर्स ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि बिचोलियाकाश्त के उन्मूलन के कानून आमतौर से कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं जब कि काश्तकारी सुधार और जोतों पर अधिकतम सीमा के क्षेत्रों में कानून निर्धारित नीति के अनुसार नहीं रहा है और बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन शिथिल और अक्षय रहा है । बिचोलियों के हितों का उन्मूलन करने से भूमि का स्वामित्व अधिक विस्तृत हो गया है । यह नहीं कहा जा सकता है कि काश्तकारी सुधार, अधिकतम जोत सीमा तथा भूमिहीन और कम जोतों वाले व्यक्तियों में भूमि का वितरण सफल रहा है ।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, टास्क फोर्स ने सुझाव दिया था कि वर्तमान कानूनों के विशिष्ट अंतर को दूर किया जाये, इनके क्रियान्वयन को और अधिक कारगर बनाया जाये, भूमि के पृथक्करण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही की जाये, विशेषरूप से सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में जोतों की चकबंदी को प्राथमिकता दी जाये और अल्पावधि में बटाई करने सहित समस्त काश्तकारों के अधिकारों को दर्ज करने के प्रयोजन से एक विशेष अभियान चलाया जाये ।

बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं आरंभ करने के लिए राज्यों को अनुदेश

8537. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी लोग पचास प्रतिशत से अधिक हैं, बड़ी या मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें आरंभ करने के बारे में कोई अनुदेश दिए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): पांचवीं योजना के मसौदे में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों में से एक में यह उल्लिखित है कि नई स्कीमों को हाथ मे लेते समय उन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे चिरकाल से सूखा प्रभावित, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होते हों । इसलिए कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अलग से कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

'इम्पोर्टेड सीड्स ब्रिंग डेंजरस डिजीज शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

8538. **श्रीबसंत वाठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1975 के 'सन्डे स्टेण्डर्ड' में "इम्पोर्टेड सीड्स ब्रिंग डेंजरस डिजीज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ,

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सरकार को विदेशी कीटों तथा कृमियों एवं रोगों के शुरू होने से उत्पन्न हुई समस्याओं का पता है । केन्द्रीय सरकार ने देश में आने वाली पौध सामग्री की जांच करने के लिये बन्दरगाहों, हवाई अड्डों एवं सीमाओं पर संगरोध केन्द्र स्थापित किए हुए हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 'पौध प्रचलन प्रभाग' भी देश में आने वाली पौध सामग्री की जांच करता है । आवश्यकतानुसार संगरोध सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । पौध सामग्री के आयात को बिनाशकारी कीट तथा कृषि अधिनियम के अंतर्गत नियमित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त अधिनियम के संशोधन पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि विदेशी कृमियों तथा रोगों को रोकने के लिये इसे एक कारगर साधन के रूप में अपनाया जा सके ।

चीनी उद्योग में संकट

8539. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अप्रैल, 1975 के 'फाइनेन्सियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने देश के चीनी उद्योग के समक्ष आये संकट के बारे में विचार व्यक्त किये हैं;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस उद्योग को सहायता देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो अब बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चालू चीनी मौसम अभी भी चल रहा है और 29 अप्रैल, 1975 को लगभग सभी क्षेत्रों में फैली 114 फैक्ट्रियां कार्य करती हुई बतायी जाती है। वसूली और अवधि से पता चला है कि मौसम के शुरू होने से पहले जितनी प्रत्याशा थी उसके मुकाबले में कई क्षेत्रों में वसूली और अवधि में सुधार हुआ है। अतः इस समय किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि फैक्ट्रियों को यदि कोई हानि हुई है तो कितनी हुई है और यदि हां, तो किन क्षेत्रों में हुई है, क्योंकि विशेषकर पूरे वर्ष के दौरान लेवी मुक्त चीनी के स्टाक को बेचने से उद्योग को प्राप्त हुई कुल राशि फैक्ट्रियों के कार्यचालन संबंधी परिणामों पर काफी प्रभाव डालेगी। सरकार स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है और यह विश्वास करना चाहिए कि वह समयानुसार उचत कार्यवाही करेगी।

नई दिल्ली नगर पालिका में अध्यापको को संशोधित वेतनमान दिया जाना

8540. श्री पन्नालाल वारूपाल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के शिक्षा विभाग में अध्यापक 80—110 रुपये और 110—180 रुपये के वेतनमान पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के संकल्प संख्या 37, दिनांक 9 अगस्त, 1963 और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय पत्र संख्या एन० ए० 11014/3/73यू०टी०वाई०, दिनांक 13 सितम्बर, 1973 के अनुसार इन अध्यापकों को 27 मई, 1970 से 175—350 रुपये का संशोधित वेतनमान दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में कार्य कर रहे अन-अर्हक अध्यापकों को ये वेतन मान दिये जा रहे हैं।

(ख) इस मंत्रालय के पत्र संख्या ए० 11014/3/73–यू० टी०–1/दिनांक 13 सितम्बर/1973 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार उसमें निर्धारित अपेक्षित शर्तों को पूरा करने पर ये अध्यापक 165—350 रुपये के वेतन मान के लिए पात्र हो जाएंगे।

राप्ती तथा घागरा नदियों के नियंत्रण का कार्यक्रम

8541. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राप्ती तथा घाघरा नदियों के नियंत्रण का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे मे कोई योजना अथवा प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) (क) : गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों की एजेन्सी द्वारा उसका समन्वित ढंग से कार्यान्वयन कराने के लिए केन्द्र द्वारा गठित किए गए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने घागरा तथा राप्ती सहित उसकी सहायक नदियों पर बाढ़ नियंत्रण कार्यों का योजना प्रारूप तैयार किया है जिसकी अनुमानित लागत 175 करोड़ रुपये है । इस योजना में परिकल्पित स्कीमों में अन्य कार्यों के साथ-साथ बाढ़ शमन जलाशय भी शामिल हैं जो कि केवल नेपाल क्षेत्र में ही व्यवहार्य है । इस योजना को अन्तिम रूप देने से पहले इस प्रारूप को आयोग की तकनीकी समिति द्वारा जांच की जानी है तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा इस पर विचार किया जाना है ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल क्षेत्र में राप्ती नदी पर जलकुण्डी में सिंचाई विद्युत् तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए एक बहु उद्देश्यीय परियोजना की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है । बांध के लिए संभव वैकल्प स्थलों का अन्वेषण करना आवश्यक समझा गया है तथा सर्वोत्तम स्थल का चयन किया जा सके । इस संबंध में नेपाल को सरकार को दोनों देशों के हितों के लिए इन विकास कार्यों में सहयोग देने के लिए अनुरोध किया गया है ।

गुजरात से चोरी छिपे खाद्यान्न बाहर ले जाना

8542. **श्री एन० आर० बेकारिया** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य से चोरी छिपे खाद्यान्न बाहर ले जाने वाले खाद्यान्न तस्करों के गिरोह पर कोई छापा मारा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कितने छापे मारे गये हैं तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितना खाद्यान्न जब्त किया गया है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार तस्करों के किसी ऐसे गिरोह पर कोई छापा नहीं मारा गया है । तथापि, 1–1–1974 से 31–3–1975 तक अन्तर्राज्यीय तस्करी के 371 मामले दर्ज किए गए थे । खाद्यान्नों की तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है ।

जामा मस्जिद की इमारत के बारे में निर्णय

8543 **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामा मस्जिद के इमामत विवाद के बारे में मध्यस्थों के निर्णय की घोषणा कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में फरवरी में हुये दंगों के सभी मामलों को वापस लेने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां : (क) जी हां।

(ख) पंच निर्णय की मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(1) **इमामत वंशागत नहीं**

इस्लाम में मस्जिद के इमामत के पद के लिए वंशागत सिद्धान्त मान्य नहीं है। केवल उसी व्यक्ति को इमाम होने का अधिकार है जो इस्लाम में दी गई शर्तों को पूरा करता है :

(2) **विशेष हालतों में सिफारिश**

वर्तमान नायब इमाम मौलवी सैयद अब्दुल्ला वुखारी को जामा मस्जिद, दिल्ली का इमाम और उनके पुत्र मौलवी सैयद अहमद वुखारी को नायब इमाम नियुक्त किया जाए।

(3) **वेतन**

जामा मस्जिद के स्टाफ का वेतन वढ़ाया जाना चाहिए। इमाम को मिलने वाली पेशकश की राशि की 625/–रु० मासिक से बढ़ाकर 1011/–रु० मासिक कर दिया जाए और नायब इमाम की पेशकश राशि 321/– रु० मासिक से बढ़ाकर 501/– रु० मासिक कर दी जानी चाहिए। सेवा निवृत होने वाले इमाम मौलवी सैयद अब्दुल हमीद को 501/– रु० मासिक के हिसाब से जीवन भर पेन्शन दी जानी चाहिए।

(4) **जामा मस्जिद समिति**

उलिगाओं की एक जामा सस्जिद समिति बनाई जाए जिसका अध्यक्ष इमाम तथा एक सदस्य नायब होना चाहिए। यह समिति दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ परामर्श करके जामा मस्जिद का प्रवन्ध चलाएगी।

(5) जामा मस्जिद को राजनैतिक कार्य के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाना चाहिए।

(ग) यह मामला दिल्ली प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दिल्ली मकान किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958

8544. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें पता है कि वर्तमान दिल्ली मकान किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत किरायेदार की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नि और बच्चे किरायेदारी के अपने अधिकार से स्वयमेव ही वंचित हो जाते हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप, पतियों की मृत्यु के पश्चात बहुत सी विधवाओं को उनके बच्चों सहित मकान से निकाल दिया जाता है और खाली कराये गये मकानों को भारी 'पगड़ी' लेकर नये रूप में किराये पर उठा दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मृतक किरायेदारों के परिवारों को सुरक्षा देने तथा काले धन की उत्पत्ति रोकने के उद्देश्य से भी सम्बद्ध अधिनियम में उचित संशोधन किये जायेंगे?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख)-दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के अधीन किरायेदारी की समाप्ति के बाद, यदि किरायेदार का स्वर्गवास हो जाता है तो किरायेदार मृतक किरायेदारी के वारिसों को नहीं मिलती। परिणामस्वरूप उसके कानूनी वारिसों को बेदखली का खतरा है।

(ग) सरकार को इस समस्या का ज्ञान है तथा मामले में अभी निर्णय लिया जाना है।

दिल्ली दुग्ध योजना में सहायक दुग्ध वितरण अधिकारी के रिक्त पद

8545. **श्री एस०एम० बनर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कब से और इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) कौनसी श्रेणी के कर्मचारी सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किये जाने के पात्र हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)-इस समय निम्नलिखित तिथियों से सहायक दुग्ध वितरण अधिकारियों के पांच पद रिक्त हैं :—

7–5–74	—	2 पद
21–5–74	—	1 पद
5–4–75	—	2 पद

अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार 66.2/3। पदों को सीधी भर्ती द्वारा और 33.1/4। पदों को दिन भर खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के ऐसे प्रबन्धो (विक्रय) और प्रबन्धकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हुई हो। नियमों में कुछ संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। संशोधित भर्ती नियमों को अधिसूचित करने पर ही रिक्त पदों को भरा जायेगा।

जनकपुरी नई दिल्ली में नाली व्यवस्था

8546. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनकपुरी नई दिल्ली में नाली व्यवस्था को मुख्य नालों से नहीं जोड़ा गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पाइपों में जमा मैला किस प्रकार निकाला जाता है; और

(ख) क्या इस बारे में कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क). जी हां । यह सत्य है कि जनकपुरी की मल-नाली व्यवस्था को मुख्य नालों के मुहानों साथ अभी तक जोड़ा नहीं गया क्योंकि अबरोक्त कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । फ़िलहाल, जनकपुरी का मैला तिलक नगर के समीप नजफ़गढ़ रोड मुख्य नाले के साथ जुड़े ग्रेविटी सीवर में डाला जाता है ।

(ख) जैल रोड के 2 मील की कुल लम्बाई के मुख्य नाले का कार्य में से, (लगभग 3250 फ़ुट लगभग 1000 मीटर) तक का कार्य पूरा किया जाना अभी शेष है । बाहरी रिंग रोड़ के साथ सीवर के इस भाग पर कार्य, के अवार्ड को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद हाथ में लिया जाएगा । टैन्डर प्राप्त हो गये हैं तथा दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है । कार्य दिये जाने के बाद कार्य को पूरा करने प लगभग एक वर्ष का समय लगेगा । जनकपूरी का मैला इसमें डाल दिया जाएगा ।

दादरा और नागर हवेली में पंचायत सरपंच के लिए कार्यालय भवन

8547. **श्री एन० एन० पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में वरिष्ठ पंचायत सरपंच और उसके सदस्यों के लिये रोजमर्रा का काम करने हेतु कार्यालय के भवन की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) दादरा और नागर हवेली वरिष्ठ पंचायत के सरपंच और उसके सदस्यों के लिए क्या वेतन निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) क्या क्षेत्र का दौरा करने हेतु दादरा और नागर हवेली के सरपंच के लिए कार अथवा जीप की कोई सुविधा है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां).—(क) से (ग): दादरा तथा नागर हवेली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Assistance to Apollo Circus

†8548. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the assistance being given by Government to the Apollo Circus in view of its artistic feats; and

(b) concrete steps being taken by Government to keep its art alive?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b). Government have been encouraging Circus groups as a recreational activity by granting of railway concession for troupes, their luggage etc., in respect of bona fide circus companies for their performances. The State Governments and Union Territory Administrations have also been advised to encourage Circus by exemption from payment of Entertainment Tax, provision of land for Circus shows at nominal rent, help in maintenance of law and order, temporary allotment of quota of foodgrains and other essential commodities.

"फारेन आक्टोपस इन आई० सी० ए० आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8549. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 अप्रेल, 1975 के 'सेक्युलर डेमोक्रेसी' में "फ़ारेन आक्टोपस इन आई० सी० ए० आर०" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान): (क) जी हां ।

(ख) दुर्भाग्यवश निबंध में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है; इसकी सूचना पत्र के सम्पादक को दे दी गयी है ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय पूल से आवास आबंटित करने की प्रणाली का रोका जाना

8550. **श्री माधुर्य हालदार :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी केन्द्रीय पूल से सरकारी आवास प्राप्त करने के हकदार हुआ करते थे;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय पूल से आवास का आवंटन करना रोक दिया है ;

(ग) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण है; और

(घ) उन कर्मचारियों के हितों पर ध्यान देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जो हाल ही में सेवा निवृत्त हुए हैं और जिनके लड़के/लड़कियां/पत्नियों को केन्द्रीय पूल से कोई आवास आबंटित नहीं किये गये हैं और जो वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसे आवास प्राप्त करने के लिये अन्य सभी प्रकार से हकदार हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारी सामान्य पूल वास के लिए पात्र हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1-8-1974 से। 1965 में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थ कि जब दिल्ली प्रशासन अपने कर्मचारियों के लिये परितुष्टि की एक निश्चित सीमा तक पर्याप्त क्वार्टरों का निर्माण कर लेगा तो उसके बाद प्रशासन सामान्य पूल वास को शनैः शनैः लोटाता रहेगा। इस स्थिति का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया गया। बारम्बार अनुरोध करने पर भी दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण पुनरीक्षण पूर्ण नहीं हो सका।

(घ) पुनरीक्षण पूर्ण न होने तक सरकार का कोई कारंवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। चूंकि दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी अब सामान्य पूल वास के पात्र नहीं हैं उनके माता-पिता, पति या पत्नी की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु के कारण उनके आश्रितों को, चाहे वे पात्र हों, तदर्थ आवंटन नहीं किया जा सकाता। ऐसे आश्रितों को उनकी अपनी बारी आने पर आवंटन के प्रास्ताव किए जाएंगे।

Opening of Ration Shop in Sarai Sitaram

8551. **Shri Liladhar Kotoki:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is not even a single ration shop in Sarai Sitaram, Jhuggi-Jhopri Sarai Sitaram, Haryana Power House Colony, Haryana Jhuggi-Jhopri and in Railway Quarters in Delhi-35 and whether the Member of Parliament representing these areas has visited them and written a number of letters about the great difficulties faced by the residents of these colonies;

(b) if so, the number of letters written by him and action taken so far by Government thereon;

(c) whether the higher officer of the Head Office of Ration Department have visited these areas so far or propose to visit them; and if so, when;

(d) whether Government propose to open ration shops in these colonies of the poor labourers; and if so, when; and

(e) units registered with 6 shops, shop-wise, as mentioned in the report of Circle No. 16?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d) The Delhi Administration has reported that 7 fair price shops are functioning within a radius of 4 to 5 furlongs of these localities. The Administration has reported to have received four letters from

the Member of Parliament representing the area. The Delhi Administration does not propose, for the present, to open any new fair price shop in this area as the existing shops also have spare capacity to register more food cards.

(e) The position regarding units registered with 9 shops in circle No. 16 has been reported as under:—

F.P.S. No.	Cereal Unit	Sugar Unit
3781	3450	1883
4030	2264	1236
3151	3920	2215
3795	2409	1325
3337	4027	2251
1962	3943	2195
3392	2803	1542
3796	1675	917
3075	3998	2228

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली के निवासियों की कठिनाइयां

8552. **श्री चन्द्रिका प्रसाद**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में राजौरी गार्डन के दिल्ली विकास प्राधिकरण (मध्य आय वर्ग) के तीन मंजिल फ्लैटों के निवासियों का एक प्रतिनिधिमण्डल अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में 7 मार्च, 1975 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चैयरमैन से उनके कार्यालय में मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को क्या आश्वासन दिये ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) हां । जो

(ख) उपाध्यक्ष ने कोई आश्वासन नहीं दिया था । तथापि उन्होंने यह स्वीकार किया कि विचार विमर्श के दौरान उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया जायेगा ।

उत्तर बंगाल में बाढ़ रोकने के लिए वृहद् योजना

8553. **श्री टूना उरांव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बंगाल में बाढ़ रोकने के लिये किसी वृहद् योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वृहद् योजना में कौन सी योजनाएं आरम्भ की जाएगी ; और

(ग) उत्तर बंगाल में बाढ़ रोकने के लिए उत्तर बंगाल बाढ़ आयोग ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) उत्तरी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया है। आयोग ने उत्तरी बंगाल की नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण क एक व्यापक योजना तैयार की है जिसमें चैक बांधों और संचयन जलाशयों का निर्माण, नदी नियंत्रण कार्य तथा नदियों के अपवाह क्षेत्रों में भू-संरक्षण उपाय करना सम्मिलित है। आयोग ने इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग के विचाराधीन प्रस्तावों में ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल संचयन व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव भी शामिल है। यह स्कीम अभी एक विचार-मात्र ही है।

(घ) उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग ने सूचित किया है कि 1971–72 से इसने बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 4.82 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

उड़ीसा को रासायनिक उर्वरकों का अतिरिक्त आवंटन

8554. **श्री गजाधर माझी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चालू वर्ष में राज्य को अतिरिक्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक आवंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) फरवरी, 75 से शुरू होने वाले चालू वर्ष हेतु केवल खरीफ 75 (फरवरी–जुलाई 75) सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है और इस अवधि के लिए अलाटमेंट कर की गई है। इसके बाद उड़ीसा सरकार से अतिरिक्त अलाटमेंट के लिए कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। रबी 75–76 (अगस्त 75–जनवरी 76) सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान किसी समय जुलाई, 75 में लगाया जायेगा और उसके बाद ही उक्त अवधि के लिये अलाटमेंट की जाएगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

S.A.V. Certificates to Assistant Teachers

†8555. **Shri Chandra Shailani:** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Directorate of Education, Delhi Administration, gives S.A.V. certificates to Assistant Teachers after fulfilling certain conditions;

(b) whether one of the conditions for this is to be a B.A. Degree holder; and

(c) whether S.A.V. certificates have not been given to some of the teachers even when all the conditions have been fulfilled by them and the number of cases where the certificates have been withheld by the Department and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) S.A.V. certificates are given to teachers by the Delhi Administration as per Departmental rules subject to fulfilment of certain conditions. In accordance with the said rules and procedures 61 teachers have not been given S.A.V. Certificates for the following reasons:—

(i) non-fulfilment of the required qualifications;

(ii) Inspection remarks were not satisfactory;

(iii) Unsatisfactory results;

(iv) Submission of incomplete documents by the incumbents.

जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए अनिर्णीत पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

8556. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिये 31 मार्च, 1975 तक कुल कितनी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई।

(ख) उनकी सिंचाई क्षमता कितनी होगी और इन पर परियोजनावार कुल कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) और (ख) इन राज्यों द्वारा लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये प्रस्तावित 51 नई बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों को जिनकी अनुमानित लागत लगभग 345 करोड़ रुपये है, योजना आयोग की मंजूरी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया गया है।

(ग) पांच स्कीमों की तकनीकी जांच कर ली गई है तथा 20 और स्कीमों की जांच विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। बाकी 26 स्कीमों में या तो अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है या फिर उनके संबंध में राज्य सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

इन स्कीमों में से कुछ में निहित अन्तर्राज्यीय पहलुओं के हल हो जाने, परियोजनाओं के तकनीकी तौर पर व्यवहार्य पाये जाने और इनके लिए धनराशि उपलब्ध हो जाने पर इन्हें राज्यों की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सामूहिक आवास योजनाओं को आबंटित भूमि

8557. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में 31 मार्च, 1975 तक सामूहिक आवास योजनाओं के लिये कितने क्षेत्र का उपयोग किया है ;

(ख) इस क्षेत्र के लिये विभिन्न सामूहिक योजनाओं के अलाटियों से कितना वार्षिक भूमि किराया लिया गया है ;

(ग) 31 मार्च 1975 तक गृह निर्माण सहकारी समितियों को कुल कितना क्षेत्र आबंटित किया गया है; और

(घ) ऐसी भूमि का वार्षिक भूमि किराया कितना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) लगभग 838 एकड़ अर्थात् 339 हक्टेयर ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास वर्ष 1974-75 के आंकडे फिलहाल उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्ष के लेखे अभी बन्द किये जाने हैं । तथापि 1973-74 के दौरान प्राप्त राशि 2.11 लाख रुपये थी ।

(ग) 31 मार्च 1974 तक 138 आवास सहकारी समितियों को 3698.42 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया । तदोपरान्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 31 मार्च 1975 तक 58 सहकारी समितियों को कुल मिला कर 221.65 एकड़ भूमि के आवंटन की पेशकश भेजी है ।

(घ) सहकारी आवास समितियों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांटा गया है, पहले तीन वर्ग वे है जिन के लिये भूमि अर्जित की जा रही थी या जिन के पास 13 नवम्बर, 1959 को भूमि थी या जिन्हे अर्जन द्वारा भूमि से बेदखल कर दिया गया था; चौथा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें 13 नवम्बर, 1959 के बाद पंजीकृत किया गया था या जिन्होंने उस तारीख को भूमि के अर्जन के लिये आवेदन पत्र दिया था । पहले तीन वर्गों के बारे में पहले 10 वर्षों की अवधि के लिये 1 रुपया प्रति वर्ष प्रति प्लाट के हिसाब से भूमि किराया वसूल किया जाता है तथा तत्पश्चात मूल रूप में अदा किये गये प्रीमियम का $2\frac{1}{2}$ प्र० श० । चौथे वर्ग के मामले में, पहले 5 वर्षों की अवधि के लिये 1 रुपया प्रति वर्ष प्रति प्लाट के हिसाब से भूमि किराया वसूल किया जाता है और इसके बाद मूल रूप में अदा किये गये प्रीमियम का $2\frac{1}{2}$ प्र० श० ।

गंदगी और मलमूत्र शोधन संयंत्रों की स्थापना

8558. **श्री राम हेडाउ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी बड़े नगरों में भारी मात्रा में गंदगी और मलमूत्र बेकार चला जाता है और उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता जब कि विश्व के अनेक देशों में उसका आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके सिंचाई और उर्वरक के अमूल्य साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ?

(ख) क्या सिंचाई नालियां और संयंत्र पोषक बनाने हेतु देश में गन्दगी एवं मलमूत्र शोधन संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) जी, नहीं । 24000 हेक्टार क्षेत्र में, सिंचाई और वनस्पति पोषक तत्वों के स्रोतों के रूप में लगभग 220 शहरों/कस्बो में प्रतिदिन लगभग 2500 लाख गैलन जल-मल का उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). जी हां, स्थानीय खाद सम्बन्धी संसाधनों का विकास करने के लिये समन्वित योजना के अन्तर्गत, शहरों/कस्बों में जल-मल का उपयोग करने के लिये एक विशेष कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पांचवी योजना अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जल-मल के उपयोग की लगभग 200 योजनायें शुरू की जायेंगी। इसके लिये योजनाओं की कुल लागत पूंजी पर 33% केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जायेगी। स्वेच्छा से इस कार्य को करने वाली स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1974-75 के दौरान, 30 योजनायें मंजूर की जा चुकी हैं और सहायक अनुदान के रूप में 33.66 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। इन 200 योजनाओं के पूरा होने पर जल-मल से होने वाली सिंचाई के अन्तर्गत 16000 हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र आ जायेगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खडगपुर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये स्थान

8559. **श्री गदाधर साहा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर में इस समय अवर-स्नातक पाठ्यक्रम, डिग्री पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुल कितने स्थान है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये पाठ्यक्रम-वार कितने स्थान आरक्षित हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को संस्थान की परिषद की विशेष समिति द्वारा प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य कौन सी सुविधाएं सरकारी अनुदेशों के अनुसार दी जाती है; और

(ग) उनमें पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेशहेतु कौन सी अर्हताएं अपेक्षित हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन): (क) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खडगपुर में अवर-स्नातक स्तर पर 374 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था विद्यमान है। इसमें से 15% अनुसूचित जाति के छात्रों तथा 5% अनुसूचित जन-जाति, छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अवर-स्नातक स्तर पर हालांकि दाखिला निर्धारित नहीं है, फिर भी उपलब्ध स्थानों में से 5% स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित हैं। किन्तु योग्य छात्रों की कमी के कारण 5% कोटा नहीं भरा जाता है। इन जातियों के किसी भी पात्र छात्र को उतरनातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से इन्कार नहीं किया गया है।

(ख) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीण होने और संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उनकी योग्यता द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दाखिला किया जाता है। किन्तु उनकी योग्यता संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दाखिले के लिये कोई अर्हता नहीं होती है।

उन सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, जिन्हे दाखिल किया जाता है तथा गृह मंत्रालय की उत्तर मैटिक छात्रवृति दी जाती है, गृह मंत्रालय की छात्रवृति की राशि तथा भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थान, खडगपुर द्वारा दिए जाने वाले 150/- रुपये के बीच का अन्तर दिया जाता है। इन छात्रों को निः शुल्क शिक्षा की सुविधा प्राप्त है तथा उन कक्षाओं में, जिनमें वे पढ़ रहे होते हैं, शिक्षा के स्तर पर बराबर उन्हें लाने के लिये आवश्यक शैक्षिक सहायता दी जाती है।

भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थान, खडगपुर अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जन-जातियों के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रावास के आवास के किराए के भुगतान से छूट देता है।

संस्थान का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को उनके अध्ययनों के पाठ्यक्रम के दौरान अवधि के आधार पर सामान्य रूप से प्रयुक्त पुस्तकों को ऋण पर देने का प्रस्ताव है।

(ग) अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

(1) उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं अथवा उसके समकक्ष/समतुल्य परीक्षाएं।

(2) चिकित्सा स्तर

ऊंचाई	1.5 एम० (लगभग)
वजन	41 के० जी० (लगभग)
छातीमाप	69 सी० एम० (लगभग) जो कि विस्तार एवं सिकुडन को सन्तोष जनक रूप से सीमित करता हो।
दिल और फेफडे	कोई असाधारण रूप में न हों।
हरनिया, अण्ड कोश वृद्धि, बवासीर आदि	इनमें से किसी का विदयमान होना एक अस्थाई अपात्रता मानी जायेगी जिसका इलाज, प्रवेश से पहले करना होगा।
दृष्टि	साधारण : जहां भी इसे दोषपूर्ण पाया जाए तो इसे दोनों आंखों में 6/9 तक अथवा अच्छी आंख का 6/6 तक तथा दोषपूर्ण आंख का 6/12 तक सुधार होना चाहिए। आखें जन्मजात अथवा अन्य बीमारियों से मुक्त होनी चाहिए।
श्रवण शक्ति	साधारण

सामान्य रूप में अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छ शरीर

(3) आयु सीमा	कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु अक्तूबर को विद्यार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) या तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अथवा अर्हक परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियां के मामले में उक्त विद्यार्थियों में से जो भी विद्यार्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेते हैं उनके उक्त परीक्षा निष्पादन का प्रवेश के लिए कोई महत्व नहीं माना जाता परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए कथित निष्पादन को, पूर्वोक्त विद्यार्थियों की पारस्परिक योग्यता निर्धारण करने के लिए मापदण्ड माना जाता है।

ऐसे विद्यार्थियों को उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अधिकाधिक शिथिलता दी जाती है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश

(1) सम्बन्धित विषयों में स्नातक डिग्री/उपाधि

(2) स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी की आयु पहली अक्तूबर को 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य पाठ्यक्रमों में 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की शिथिलता दे दी जाती है।

Schemes run by Bharat Sewak Samaj

8560. **Shri Mulki Raj Saini:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the main schemes run by Bharat Sewak Samaj in the country; and

(b) State-wise schemes run by it?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). The information has to be collected from various outside sources, which is being done and will be laid on the Table of the House when received.

Cost of Public Irrigation System

†8561. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**

Shri R. V. Bade:

Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on public irrigation system all over the country at the end of the First, Second and Third Five Year Plans and also at present;

(b) the statement of annual receipt and expenditure in respect of this entire system;

(c) the statement of annual profit and loss in respect of the public irrigation system, State-wise, during the last three years, year-wise; and

(d) the reasons for incurring more expenditure on this system?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) The total expenditure on major, medium and minor (Public sector) irrigation works during the 1st, 2nd and 3rd plan period amounted to Rs. 446 crores, Rs. 523 crores and Rs. 911 crores respectively. The anticipated expenditure during 1974-75 was Rs. 465 crores.

(b) and (c). Systemwise and Statewise details of annual receipts and expenditure are not readily available. The extent of loss in irrigation system in 1971-72, the latest year for which information is available, has been assessed to be Rs. 140 crores.

(d) Irrigation projects are designed to increase agricultural production and economies of such projects are assessed on the benefit-cost ratio. Generally all irrigation projects taken up have favourable ratio of benefits to costs. However, due to low water rates charged by the State Governments, increasing cost of construction and maintenance of projects and lag in utilisation of created potential, the revenues of Government have progressively fallen short of expenditure.

तेल उत्पादक राज्यों में बीजों का संतुलित वितरण

8562. श्री सरोज मुखर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से बीजों की कम सप्लाई के कारण पश्चिम बंगाल की 400 तेल मिलें, जिनमें 2,500 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकतीं; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सहित, जिसमें सरसों का उत्पादन अधिक नहीं होता, सभी तेल उत्पादक राज्यों के लिये बीजों का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) एक राज्य से दूसरे राज्य में सरसों/सरसों का तेल भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल को तिलहनों और तेलों की सप्लाई सामान्यतः गैर-सरकारी व्यापार के तौर पर की जाती है। देश में गत वर्ष की तुलना में 1974–75 के दौरान बोरिया तथा सरसों की उपज अधिक होने की आशा है। इसके फ़लस्वरूप देश भर में इनकी उपलब्धि में सुधार हुआ है।

(ख) ऊपर (क) में बताई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कूच-बिहार कोआपरेटिव राइस मिल्स लि० की ओर बकाया धनराशि

8563. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री भारतीय खाद्य निगम द्वारा कूच-बिहार कोआपरेटिव राइस मिल, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध मुकदमा के बारे में 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न स० 4719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच-बिहार कोआपरेटिव राइस मिल्स लि० की ओर इस मिल को सप्लाई किये गये धान के अनुपात में अपेक्षित चावल सप्लाई न किये जाने के कारण वर्ष 1967–68, 1968–69 और 1970–71 के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम की कोई राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) कूच-बिहार कोआपरेटिव राइस मिल्स की ओर बकाया राशि को वसूल करने के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) वर्ष 1968–69 के दौरान मिल को सप्लाई किए गए धान से ही चावल की जो मात्रा नहीं दी गई थी

उसके सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम को इस सहकारी चावल मिल से ब्याज सहित 89,384.35 रुपये की राशि प्राप्त होनी है। वर्ष 1967–68 और 1970–71 की कोई भी बकाया राशि नहीं है।

(ख) चावल मिल को सप्लाई की गई धान की कुल मात्रा, मिल से प्राप्त परिणामी चावल की मात्रा और चावल की शेष मात्रा इस प्रकार है :—

मिल को सप्लाई की गई धान की मात्रा	भा०खा०नि० को प्राप्त चावल की मात्रा	मिल से प्राप्त होने वाली चावल की शेष मात्रा
2,833 मी० टन	1,837 मी० टन	50 मी० टन

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने अपने क्लेम के बारे में कूच बिहार सहकारी चावल मिल पर एक मांग सम्बन्धी नोटिस दिया था और सहकारी चीनी मिल ने मांग के बारे में चुनौती देते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया था। मुकदमा अभी भी लम्बित है। इस मिल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर की है और रोक आदेश प्राप्त कर लिया है जिससे भारतीय खाद्य निगम जब तक रिट याचिका की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अपने मांग सम्बन्धी नोटिस के अनुसरण में कोई और कार्यवाही नहीं कर सकता है। याचिका की सुनवाई हुई और 5–6–74 को नियम खारिज कर दिया गया।

पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता से इस सहकारी चावल मिल के साथ न्यायालय से बाहर समझौता करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। यदि न्यायालय से बाहर समझौता नहीं होता है तो भारतीय खाद्य निगम अपनी बकाया राशि को वसूल करने के लिए सीमा-अवधि के अन्दर दीवानी मुकदमा कर सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का आबंटन

8564. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों को लाटरी के माध्यम से दिल्ली में भूमि के प्लाटों का आवंटन करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भूमि के आवंटन के लिए कौनसी मुख्य शर्तें निर्धारित की गयी हैं ;

(ग) इन दो श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा जमा राशि के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(घ) प्लाटों के लिए लाटरी कब निकाली जायेगी ; और

(ङ) क्या पैसा जमा करने वाले आवेदकों को, यदि उनको वह राशि जमा किये जाने के 6 महीने बाद वापस दी जाये तो उस राशि पर कुछ ब्याज दिया जायेगा और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं जब कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस राशि पर बैंक से ब्याज मिलेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्न आय वर्ग श्रेणी के प्लाटों का आवंटन उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 7200 रुपये से अधिक नहीं है । इस श्रेणी में आवंटित प्लाटों का क्षेत्रफल 125 वर्ग गज से अधिक नहीं है । मध्यम आय वर्ग के प्लाटों का आवंटन उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 7201 रुपये से 18000 रुपये के बीच है । इस श्रेणी के प्लाटों का क्षेत्रफल 126 से 200 वर्ग गज तक भिन्न-भिन्न है । पात्रता की मुख्य शर्त यह है कि आवेदकों, का दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अपना मकान अथवा प्लाट नहीं होना चाहिए तथा उन्हें गत पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए । आवंटन पर्ची निकाल कर तथा पूर्व-निर्धारित दरों पर किए जाते हैं ।

(ग) प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है :—

निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग
30507	25447

धरोहर के रूप में प्राप्त हुई कुल धनराशि लगभग 4 करोड़ रुपये है । सही आंकड़े, फ़रवरी, तथा मार्च, 1975 के लेखों को बन्द करने तथा उनका मिलान करने पर पता चलेंगे ।

(घ) पर्ची निकालने के लिए अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है ।

(ड) धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता जैसा कि आवेदन आमंत्रित करते समय स्पष्ट किया गया ।

बहराइच उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का सर्वेक्षण

8565. **श्री वी० आर० शुक्ल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) के सिंरसिया, जमना हा और हरिहरपुर रबी ब्लाकों के क्षेत्रों में भूमिगत जल की क्षमता का कोई सर्वेक्षण कराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत किये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जानी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । बहराइच जिले में भूमिगत जल संबंधी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं जमना हा सिरसिया मिहिनपुरा, बलहा, शिवपुर बाबागंज तथा किसिया ब्लाकों में कुल लगभग 3215 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में यह काम किया जा चुका है ।

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि 45 मीटर की गहराई में जल की संभाव्यता मौजूद है ।

(ग) जिले में समन्वेषी छिद्रणकार्य शुरू करने के लिए सर्वेक्षण के आकडों पर विचार किया जा रहा है और भूमिगत जल सम्बन्धी सर्वेक्षणों को जारी रखा जायेगा ।

वन सम्पत्ति

8566. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वन आयोग द्वारा हाल में तैयार किये गये नोट के अनुसार सरकारी वन आंकड़ों में देश की वन सम्पत्ति का वास्तविक सम्पत्ति से बहुत अधिक अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या बर्फ से ढकी भूमि और बंजर और लवणयुक्त व्यापक भूमि को भी अनेक राज्य वन-भूमि दिखाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या और अधिक भूमि से वनों को न काटने के लिये तथा जलाने की लकड़ी के स्थान पर तेल का उपयोग करने जैसे उपाय करने के लियेकुछ कार्यवाह की जा रही है जिससे भारतीय वन सम्पत्ति का और विनाश न हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सरकारी वन आंकड़ों के अनुसार वनों के अन्तर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में काफी अनुत्पादक वन भी शामिल हैं। देश में उत्पादक वनों का ठीक तरह से अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है। कुल वन क्षेत्र में से अनुत्पादक वनों के क्षेत्र को निकाल कर देश में उत्पादक वनों के विषय में अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय वानिकी आयोग ने एक सामान्य प्रयास किया है। इस अनुमान से पता चलता है कि देश की 750 लाख हैक्टर वन भूमि में से उत्पादक वनों का क्षेत्र 350 लाख हैक्टर से अधिक नहीं है ।

(ख) गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब आदि राज्यों में लवणीय तथा बंजर भूमि को वन भूमि के रूप में दिखाया गया है। किन्तु राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश से अभी जानकारी नहीं आई है ।

(ग) वनों को उजड़ने से बचाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अपराधों के विरुद्ध अधिक कड़ी कार्यवाही की जा सके । ईंधन की लकड़ी की सप्लाई के लिए विस्तृत वानिकी गतिविधि के रूप में राज्य में वनरोपण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में भी ग्रामीण लोगों की ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनाई गई दो योजनाओं को पांचवी पचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्विति के लिए योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। घरेलू कार्यों के लिए तेल एक महंगी चीज है अतः ग्रामीण लोग प्रायः ईंधन की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ईंधन की लकड़ी को काफी मात्रा में उगाने की जरूरत है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जांच और मुकदमे के मामले

8567. **श्री आर० बी० बे** : **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री कालू लाल श्रीमाली की पदावधि के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्म-

चारियों से सम्बन्धित कितने मामलों में संस्थागत जांच और मुकदमे की कार्यवाही हुई और पूववर्ती दो कुलपतियों की पदावधि के दौरान इन आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ख) कितना व्यय किया गया और इस व्यय की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नरूल हसन) : (क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति तथा पूर्ववर्ती दो कुलपतियों की पदावधि के दौरान मुकदमों की संख्या निम्नलिखित है :—

1. डा० त्रिगुण सेन की पदावधि के दौरान (लगभग 6 मास)	5
2. डा० ए० सी० जोशी की पदावधि के दौरान (लग भग 23 मास)	39
3. डा० के० एल० श्रीमाली की पदावधि के दौरान (लगभग 66 मास)	73

संस्थागत जांच की संख्या के बारे में सूचना विश्वविद्यालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके द्वारा ऐसे मामलों के लिए कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) इन कुलपतियों की पदावधि के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों के सम्बन्ध में, मुकदमेबाजी पर खर्च के रूप में खाते में दर्ज खर्चे की धनराशि निम्न प्रकार है :—

	रु०
1. डा० त्रिगुण सेन . . .	1,583.23
2. डा० ए० सी० जोशी . . .	7,415.96
3. डा० के० एल० श्रीमाली .	29,446·79

भारतीय शुगर मिल्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन

8568. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन से लेवी सुगर मूल्य और ऋण नियन्त्रण नीति में संशोधन करने तथा कन्ट्रोल-मुक्त चीनी के कोटे में वृद्धि करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : जी हां ।

चालू चीनी मौसम अभी भी चल रहा है और 29 अप्रैल, 1975 को लगभग सभी क्षेत्रों में फैली 114 फैक्ट्रियां कार्य करती हुई बतायी जाती हैं । । वसूली और अवधि से पता चला है कि मौसम के शुरू होने से पहले जितनी प्रत्याशा थी उसके मुकाबले से कई क्षेत्रों में वसूली और अवधि में सुधार हुआ है । लेवी मूल्य में संशोधन करने अथवा मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे में और वृद्धि करने की आवश्यकता का अन्दाजा पेराई अवधि और वसूली से सम्बन्धित अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही लगाया जा सकता है ।

इस वर्ष प्रत्याशित अधिक उत्पादन की आवश्यकता के अनुरूप चीनी उद्योग को पर्याप्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता विषयक प्रश्न पर भारत सरकार बराबर ध्यान दे रही है। इस बीच, बैंकरों द्वारा स्पांसर की गई व्यक्तिगत चीनी फैक्ट्रियों की ऋण सम्बन्धी सीमा में ढील देने के अनुरोध पर भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर विचार किया जा रहा है।

महानगरों में जनसंख्या को वृद्धि की गति पर नियन्त्रण

8569. **श्री वसंत साठे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे महानगरों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है जो सम्बद्ध राज्य सरकारों के लिये चिन्ता का विषय बनी हुई है;

(ख) महानगरों की तीव्रगति से बढ़ने वाली जनसंख्या पर नियन्त्रण रखने और इस वृद्धि को रोकने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार महानगरों की जनसंख्या वृद्धि की गति तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने और सुधारात्मक उपाय का सुझाव देने हेतु एक समिति कार्यकारी दल की नियुक्ति करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो महानगरों की जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). 1961–1971 के दशक के दौरान, महानगरों की वृद्धि की दर 58.72 प्र० श० थी। तथापि, नगर विकास का विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है तथा उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे विभिन्न क्षेत्रों के लिये विस्तृत क्षेत्रीय प्लानों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलित विकास का कार्य आरम्भ करें। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, महानगर क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों के एकीकृत नगरीय विकास के लिये राज्यों द्वारा पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है। देश के लिये नगरीकरण पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के प्रयास प्रगति पर हैं।

चीनी कारखानों द्वारा अधिकांश उत्पादन निर्यात के लिये देने की पेशकश

8570. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र के कुछ चीनी कारखानों ने तेल तथा उर्वरक खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा कमाने हेतु निर्यात करने के लिए केन्द्र को अपना अधिकांश उत्पादन देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं तथा कार्यकारी पूंजी जैसी उनकी अन्य बातों का मुख्य व्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). निर्यात हेतु अपेक्षित मुक्त बिक्री की चीनी की वसूली उन सभी फैक्ट्रियों से की जाती है जो उसे पेश करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय किसी भी सेक्टर की फैक्ट्री में कोई भेद भाव नहीं किया जाता है। जहां तक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, यह केवल उन्हीं फैक्ट्रियों से ली जाती है जो कि अधिशेष उत्पादक राज्यों में स्थित हैं। तथापि, दोनों मामलों में वसूली निर्धारित की गई क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर ही की जाती है ताकि घरेलू खपत के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध की जा सके।

Uuearthening of Foodgrains and Essential Commodities in Delhi Under D.I.R.

8571. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Minister of Agriculture and Inrigation** be pleased to state:

(a) whether any further action has been taken under the Defence of India Rules to unearth foodgrains and essential commodities in Delhi;

(b) the number of black marketeers and hoarders arrested from September, 1974 to December, 1974;

(c) whether the unearthed foodgrains and essential commodities have been distributed among the consumers; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

काजू का उत्पादन

8572. **श्री था किरुतिनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, राज्यवार, काजू का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): विभिन्न राज्यों में काजू के उत्पादन के तुलनात्मक और विश्वस्त वर्षवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। अतः 1973-74 के लिये अर्थात् पांचवीं योजना के अन्त तक की अवधि के विषय में अस्थायी आंकड़े नीचे दे दिये गये हैं :—

राज्य	काजू का उत्पादन (मीटरी टन)
केरल	80,086
कर्नाटक	18,745
तमिलनाडु	12,930
आन्ध्र प्रदेश	11.760

महाराष्ट्र . . .	6,824
गोवा . .	5,420
उड़ीसा . . .	1,675
पश्चिम बंगाल	1,840
अन्य	720
	1,40,000

पंजाब को सामाजिक कल्याण के लिये अनुदान

8573. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को वर्ष 1972–74 में सामाजिक कल्याण के लिये कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदान का स्वरूप और किस्म क्या है; और

(ग) सामाजिक कार्य के लिये कितनी ऐच्छिक संस्थाएं ऐसे अनुदान प्राप्त कर रही हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1972–74 के दौरान समाज कल्याण विभाग और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पंजाब को निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिये अनुदान दिये गये हैं:—

1. नेत्रहीनों के कल्याण के लिये भवन का निर्माण ।
2. विकलांगों के कल्याण के लिये भवन का निर्माण ।
3. छः वर्ष तक के बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती माताओं के लिये विशेष पोषाहार कार्यक्रम को जारी रखना ।
4. तीन से पांच वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिये पोषाहार कार्यक्रम ।
5. स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायक अनुदान ।
6. महिला मंडल ।
7. बच्चों के लिये अवकाश शिविर ।
8. कल्याण विस्तार परियोजनायें (शहरी) ।
9. सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम ।

10. परिवार और बाल कल्याण परियोजनाएं ।

11. समेकित पूर्व स्कूल परियोजनायें ।

12. प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम ।

13. पोषाहार कार्यक्रम ।

(ग) वर्ष 1972–74 के दौरान ऐसे अनुदान पाने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए योजना

8574. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने राज्य में चालू वर्ष के दौरान सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए यदि कोई योजना प्रस्तुत की है तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या इसके लिए कोई केन्द्रीय सहायता भी मांगी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) इस वर्ष पंजाब सरकार ने कोई सिंचाई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है । बहरहाल, 1975–76 वर्ष के लिए पंजाब राज्य सरकार को वार्षिक योजना में सम्मिलित कुछ मुख्य सिंचाई स्कीमें तथा उनकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) ब्यास परियोजना यूनिट एक और दो । सिंचाई भाग के कार्यों में पंजाब का भाग इस वर्ष के दौरान 3.83 करोड़ रुपये होगा ।

(2) शाह नाहर नहर के लिए व्यपवर्तन बराज ताकि ब्यास नदी पर पौंग बांध का निर्माण पूर्ण होने पर यह नहर सप्लाई प्राप्त करने में समर्थ हो सके । पंजाब द्वारा वहन की जाने वाली कुल अनुमानित लागत 7.59 करोड़ रुपये है । इसमें से इस वर्ष के लिए अनुमानित परिव्यय 1.50 करोड़ रुपये है ।

(3) अपर बारी दुआब नहर के क्षेत्र में गैर बारह-मासी सिंचाई का विस्तार । अनुमानित लागत 9.09 करोड़ रुपये अमृतसर तथा गुरदासपुर जिलों में लाभान्वित होने वाला क्षेत्र 2.95 लाख हैक्टेयर । इस वर्ष के लिए अनुमोदित परिव्यय—30 लाख रुपये ।

(4) सिंचाई में वृद्धि करने तथा जल उपलब्धता में सुधार करने के लिए रावी-ब्यास के अतिरिक्त जल का समुपयोजन । अनुमानित लागत 9.55 करोड़ रुपये । इस वर्ष के लिए अनुमोदित परिव्यय 60 लाख रुपये ।

(5) ढोलवाहा चोके बाढ़-जल का संचय करने के लिए ढोलवाह चैक बांध । अनुमानित लागत 5.69 करोड़ रुपये, लाभांवित होने वाला क्षेत्र 13,260 हैक्टर । इस स्कीम तथा धोन बांध (अनुमोदन प्राप्त होने पर) के लिए अनुमोदित परिव्यय 60 लाख रुपये ।

(6) शाह नाहर नहर का विस्तार और सुधार। अनुमानित लागत 15.54 करोड़ रुपये। लाभांवित होने वाला क्षेत्र 107 लाख हैक्टेयर, इस वर्ष के दौरान अनुमोदित परिव्यय 100 लाख रुपये।

(7) रिसन के द्वारा जल हानियों को कम करने तथा जल-जमाव को रोकने के लिए विभिन्न चैनलों को पक्का करना। अनुमानित लागत 17.50 करोड़ रुपये। इस वर्ष के दौरान अनुमोदित परिव्यय 100 लाख रुपये।

(ख) और (ग). पंजाब को 1975–76 वर्ष की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 20.64 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह किसी खास स्कीम, परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती।

पंजाब में लेवी खाद्यान्नों का प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव

8575. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार के विचार में नई व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकतम वसूली करने के लिये पंजाब में खाद्यान्नों पर लागू लेबी की वर्तमान प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है, और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पंजाब में गेहूं पर कोई लेवी नहीं है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है चावल मिल मालिकों/व्यापारियों पर बोल्ड ग्रुप के चावल के बारे में 95 प्रतिशत तक और सलेंडर ग्रुप के चावल के बारे में 90 प्रतिशत तक लेवी लागू है।

लेवी की प्रतिशतता बढ़ाने के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पंजाब गेहूं के मामले में अधिशेष राज्य है और इसलिए कोई लेवी लगाने की आवश्यकता नहीं है जबकि चावल पर लेवी की प्रतिशतता पहले ही बहुत अधिक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में खाद्यान्नों की वसूली

8576. **श्री डी० डी० देसाई: क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में खाद्यान्नों की वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलित हैं,

(ख) कौन-कौनसी सरकारी एजेंसियां वसूली कार्य में लगी हुई हैं; और

(ग) प्रत्येक एजेंसी ने पिछले वर्ष कितनी मात्रा में खाद्यान्न वसूल किया था तथा चालू वर्ष के लिये उसका लक्ष्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी॰ शिन्दे): (क) फिलहाल गुजरात में चावल/गेहूं/मोटे अनाज की अधिप्राप्ति करने के लिए उत्पादकों पर केवल क्रमिक लेवी प्रणाली लागू है।

(ख) खाद्यान्नों की सारी अधिप्राप्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ग) पिछले विपणन मौसम के दौरान अधिप्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा और चालू विपणन मौसम के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

अनाज	अधिप्राप्त मात्रा		लक्ष्य	
	वर्ष	मात्रा	वर्ष	लक्ष्य
गेहूं	1974—75	20.7	1975—76	30.0
चावल	1973—74	17.8	1974—75	15.0
मोटे अनाज	1973—74	17.0	1974—75	—

गुजरात को समाज कल्याण अनुदान

8577. **श्री डी॰ डी॰ देसाई** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को 1972—74 के दौरान कोई समाज कल्याण अनुदान दिये गये हैं;

(ख) यदि हां तो इन अनुदानों का स्वरूप क्या है तथा ये किस प्रकार के हैं; और

(ग) सामाजिक कार्य के लिये ऐसे अनुदान कितने स्वयंसेवी संगठनों को मिल रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1972—74 के दौरान समाज कल्याण विभाग और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गुजरात को निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिये अनुदान दिये गये हैं:—

1. नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये भवन का निर्माण (विविध तालीम केन्द्र)।
2. नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये यन्त्रों और उपकरणों का क्रय।
3. नेत्रहीनों के लिये वाक पुस्तक परियोजना का विकास।

4. मानकिस रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये पुस्तकों फरनीचरों का क्रय ।

5. छः वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों तथा दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं के लिये विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम जारी रखना ।

6. तीन से पांच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिये पौष्टिक आहार कार्यक्रम ।

7. परिवार और बाल कल्याण परियोजनायें ।

8. भूतपूर्व प्रदर्शन परियोजनाओं में बालवाडियां ।

9. कल्याण और विस्तार परियोजनायें (सीमावर्ती क्षेत्र) ।

10. समेकित-पूर्व—स्कूल परियोजनायें ।

11. प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम ।

12. स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य सहायक अनुदान ।

13. महिला मंडल ।

14. बच्चों के लिये अवकाश शिविर ।

15. कल्याण विस्तार परियोजनायें (शहरी) ।

16. कार्यशील महिलाओं के लिये होस्टल ।

17. सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हस्तकला और उत्पादन एकक ।

18. पोषाहार कार्यक्रम ।

(ग) वर्ष 1972–74 के दौरान ऐसे अनुदान पाने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली की डी०डी०ए० और सरकारी कालोनियों में विकलांग सेवा निवृत्त सैन्य कर्मचारियों को आवंटन के लिए सुरक्षित दुकानों की प्रतिशतता

8578. **श्री वरके जार्ज** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की डी० डी० ए० और सरकारी कालोनियों में कुछ प्रतिशत दुकानें अपंग अथवा सेवा निवृत्त सशस्त्र सेनाओं के सैनिक कर्मचारियों को आवंटन के लिये आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या प्रतिशत है और इस आवंटन के लिये शर्तें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1974–75 में आवंटित की गई दुकानों की कुल संख्या क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाजपत नगर के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खुला नाला बनाने से अस्वास्थ्यकर स्थिति

8579. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या निर्माण और आवास** मंत्री गांव राढ़ी आटिया-घटिया लाजपत नगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खुले नाले के कारण अस्वास्थ्यकर स्थिति के बारे में 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न करने वाले नाले की सफाई के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या नाले को ढकने के लिये किये गये अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) क्या कुछ ग्रामवासियों ने दीवारें बना ली हैं तथा नाले के दक्षिण बांई ओर रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे यह क्षेत्र और अधिक अस्वास्थ्यकर बन गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में लघु तथा मध्यम कृषक विकास एजेंसियां

8580. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में लघु तथा मध्यम कृषक विकास एजेंसियों की योजनाओं के अन्तर्गत पांचवीं योजना के दौरान वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा किस प्रकार की अतिरिक्त योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा इसके लिये कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस समय क्विलोन और केन्नानोर जिलों में से प्रत्येक में एक छोटा किसान विकास एजेंसी और एक सीमान्त किसान और कृषि मजदूर विकास एजेंसी कार्य कर रही है। ये परियोजनायें 1975-76 में अपनी पंचवर्षीय परियोजना अवधि पूरी करेंगी उसके बाद इन जिलों में से प्रत्येक में पांचवीं योजना के अन्त तक एक मिलीजुली छोटा किसान विकास एजेंसी होगी। इसके अतिरिक्त, त्रिचूर और त्रिवेंद्रम जिलों में 1976-77 से 2 नई छोटा किसान विकास एजेंसी परियोजनायें शुरू की जाएंगी। इस प्रकार, पांचवीं योजना में कुल मिलाकर चार छोटा किसान विकास एजेंसियां चल रही होंगी।

(ख) ये एजेंसियां कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, भू-संरक्षण, कस्टम सर्विस संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित तथा सहकारी सोसायटियों और भण्डारण तथा विपणन कार्यक्रमों को मजबूत बनाने का कार्य करती रही हैं। तथापि पांचवीं योजना में इन एजेंसियों द्वारा लघु सिंचाई, शुष्क खेती प्रौद्योगिकी, जल संचयन तकनीकों, भूमि विकास, भू-संरक्षण तथा बागबानी आदि जैसे सहायक कार्यक्रमों के साथ फसल उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आरम्भ से मार्च,

1975 के अन्त तक समस्त विद्यमान 4 परियोजनाओं के लिए कुल 178.98 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए पांच वर्ष की अवधि में प्रति परियोजना औसतन परिव्यय 150 लाख रुपये होगा।

केरल, कालीकट तथा कोचीन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

8581. **श्री वयालार रवि** : : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान केरल, कालीकट और कोचीन विश्वविद्यालयों को कुल कितने अनुदान की मंजूरी दी है तथा देने का विचार है तथा अनुदान के विश्वविद्यालय वार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) यह राशि किन मदों के लिए दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना पर आधारित 1974–75 के दौरान आयोग द्वारा केरल, कालीकट तथा कोचीन विश्वविद्यालयों और इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों को दिए गए अनुदान एवं उनके उद्देश्य दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल०टी०**–9617/75]।

इन विश्वविद्यालयों को 1975–76 के दौरान दिए जाने वाले अनुदानों का जहां तक सम्बन्ध है विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उनकी योजनागत आवश्यकताओं की जांच करने वाली निरीक्षण समितियों की रिपोर्टों पर आयोग द्वारा अभी विचार किया जाना है। इसलिए, इस स्तर पर 1975–76 के दौरान दिए जाने वाले अनुदानों की राशि बताना सम्भव नहीं है।

केरल के प्रमुख नगरों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

8582. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के प्रमुख नगरों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये गये क्वार्टरों की कुल संख्या क्या है और इन क्वार्टरों के, वर्गवार आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना में क्वार्टरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक क्वार्टर बनाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) यह मंत्रालय केवल सामान्य पूल के क्वार्टरों का निर्माण करता है। केरल के किसी महत्वपूर्ण नगर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये ऐसे कोई क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में सामान्य पूल में क्वार्टरों के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा को घटिया किस्म के उर्वरकों की सप्लाई करना

8583. **श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसानों से, उन्हें बेचे गये उर्वरकों की घटिया किस्म के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को अच्छे किस्म के उर्वरकों की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) उड़ीसा के किसानों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उनको घटिया किस्म का उर्वरक बेचा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में डी०आई०जेड० क्षेत्र के 'डी' सैक्टर के फ्लेटों में सफेदी कराना

8584. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में डी०आई०जैड० क्षेत्र में 'डी' सेक्टर में चार मंजिला फ्लैटों में सफेदी कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके विशेष कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1975–76 के दौरान, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

माडर्न बेकरीज लिमिटेड के निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये कार्यवाही

8585. **श्री शशि भूषण : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माडर्न बेकरीज लिमिटेड ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि बासी तथा खराब डबल रोटी बाजार में न बिके, अपने निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ बनाने को कहने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : माडर्न बेकरीज कोई बासी और खराब डबलरोटी बाजार में नहीं देती है। तथापि, यदि इसे निर्धारित शैल्फ-काल के अन्दर नहीं बेचा जाता है, या खुदरा दुकानदारों द्वारा इसे ठीक ढंग से नहीं रखा जाता है, तो कभी कभी यह बासी हो जाती है। उत्पादन स्तर पर गुण-नियंत्रण सख्त करने के अलावा, कम्पनी मंडी से डबलरोटी की वापसी पर गहरी नज़र रखती है। सेल्जमैनों को भी ये अनुदेश दिए गए है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खुदरा केन्द्रों को अधिक डबलरोटी न सप्लाई की जाए। इन उपायों के परिणामस्वरूप इस समय मंडी से वापसी कम्पनी द्वारा निर्धारित की गई सीमा के काफी अन्दर है।

राज्य फार्म निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष के पदों को मिलाना

8586. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य फार्म निगम और भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष के पदं को मिला कर एक पद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अध्यक्ष के पद के लिये अर्हताएं क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख). राष्ट्रीय बीज निगम के संगम की नियमावली में राष्ट्रपति द्वारा निदेशक मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार भारतीय राज्य फार्म के संगम की नियमावली के अन्तर्गत भी राष्ट्रपति निदेशकों में से एक व्यक्ति को निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना बीज उद्योग का विकास करने, कृषि बीजों का उत्पादन करने, परिसंस्करण करने, सुखाने और वितरण करने के लिये की गई थी। भारतीय राज्य फार्म निगम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि खाद्यान्नों, रेशेवाली फसलों, रोपाई की फसलों के बीजों का उत्पादन करने के लिये कृषि फार्मों की स्थापना करना और चलाना है। अभी हाल में, भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा श्रेष्ठ किस्म के बीजों का उत्पादन करने पर काफी बल दिया गया है। दोनों निगमों के मुख्य उद्देश्य समान हैं अतः सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि दोनों निगमों के कार्यालयों आदि में पर्याप्त समन्वय स्थापित करने के लिए एक ही व्यक्ति को पूर्णकालिक आधार पर इन निगमों का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम के अध्यक्ष के पदों का विलय नहीं किया गया है।

संगम की नियमावली में अध्यक्ष के पद के लिए कोई विशेष अर्हतायें निर्धारित नहीं की गई हैं। इस पद का वर्तमान पदधारी पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव प्राप्त एक कृषि अर्थशास्त्री है जो कि अभी हाल तक देश के एक प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति तथा तराई विकास निगम का अध्यक्ष था।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि का इसकी वसूली पर प्रभाव

8588. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के वसूली मूल्य का, जो 75 रुपये से बढ़ाकर 105 रुपये कर दिया गया है, देश में इसकी कुल वसूली पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या वसूली मूल्य में वृद्धि के बाद भी, सरकार विशेषकर पश्चिम बंगाल में वसूली के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). पिछले वर्ष ही अर्थात् रबी विपणन मौसम 1974–75 में ही गेहूं के मूल्य को 76 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 105 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया था। खेती की लागत और अन्य आवश्यक

अदानों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए यह वृद्धि की गई थी । 1974-75 के दौरान जो प्रणाली अपनाई गई थी वह थी व्यापारियों पर 50 प्रतिशत लेवी, अधिशेष राज्यों में मंडी केन्द्रों पर खरीदारी करने की और इन परिस्थितियों में 1974-75 मौसम के लिए अधिशेष राज्यों के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सके थे । पश्चिमी बंगाल के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

चालू मौसम के दौरान (1975-76 विपणन मौसम) सभी किस्मों की गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों को 105 रु० प्रति क्विंटल पर कायम रखा गया है और फ़सल की आशाजनक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित 55 लाख मी० टन के लक्ष्य को मान लिया है ।

दिल्ली कालेज आफ़ वोकेशनल स्टडीज़

8589. श्री एच० के० एल० भगत : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कालेज आफ़ वोकेशनल स्टडीज़, धनराशि की कमी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा है ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रा० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कालेज का शैक्षिक कार्यक्रम संतोषजनक रूप से चल रहा है । कालेज ने, जो कि इस समय एक किराये के भवन में चल रहा है, भूमि के एक प्लाट का अधिग्रहण किया है और इसके भवन निर्माण कार्य के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है ।

अकाल संहिता में संशोधन

8590. श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

श्री मधु दण्डवते :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय 'अकाल संहिसा' को अद्यतन बनाने के लिये इसमें संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित अकाल संहिता के कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). "भारतीय अकाल संहिता" नामक कोई संहिता नहीं है । परन्तु अधिकांश राज्यों ने अभाव के सम्बन्ध में अपनी अपनी संहिताएं/नियमावलियां बनाई हुई हैं, जिनमें सूखा तथा बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थितियों का सामना करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं । ऐसी संहिताओं/नियमावलियों में संशोधन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ।

सिंधु जल संगठन के उपनिदेशक के पद पर नियुक्ति

8591. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधु जल संगठन के उप निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई नियम बनाये गये हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) वर्तमान पदधारी का चयन किस प्रकार किया गया और उसकी प्रारम्भिक सेवावधि कितनी है ; और

(ग) क्या उसकी सेवावधि बढ़ाई गई है; यदि हां, तो कितने समय के लिए और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां । भरती नियमों के अनुसार उप निदेशक के पद को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों में कार्यकारी अभियंता के ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा के साथ अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरा जाता है । अभ्यार्थी को सिंधु बेसिन में सिंचाई प्रणाली की जानकारी के साथ आयोजन/अभिकल्प और जल संसाधन समुपयोजन का अनुभव होना चाहिए ।

(ख) और (ग). प्रारम्भ में इस पद के वर्तमान पदधारी को भरती नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार 16–3–72 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था । इसकी प्रतिनियुक्ति को अवधि को प्रशासनिक सुविधा के लिए एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ।

ग्रामीण आवास योजनाएं

8592. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसाम राज्य में ग्रामीण आवास योजनाओं के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास योजना को समाप्त कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो केरल, तमिलनाडु और पंजाब में ग्रामीण आवास योजना तथा इसकी क्रियान्विति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) आसाम सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त न होने और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजना समाप्त करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उस अन्य राज्य का नाम क्या है जिसने योजना समाप्त कर दी है तथा इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) असम सरकार ने ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत जून, 1973 तक की प्रगति रिपोर्ट भेजी है । राज्य सरकार से सभी शेष प्रगति रिपोर्टों को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केरल, तमिलनाडु तथा पंजाब सरकारों से अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	स्वीकृत किये गये मकानों की संख्या	पूर्ण किये गये मकानों की संख्या
केरल .	7393	5726
तमिलनाडु . . .	8962	5223
पंजाब	3802	1373

(घ) तथा (ङ). इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने भी ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम का कार्यान्वयन बन्द कर दिया है। यह योजना राज्य क्षेत्र में है । राज्य सरकारें उन के द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य क्षेत्र की किसी योजना को कार्यान्वित करने अथवा न करने में स्वयं सक्षम हैं।

Foodgrains to M.P. during 1973-74

8593. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the quantity of foodgrains sought by **Madhya** Pradesh from the Central pool during 1973-74 and the quantity allocated to it as also the quantity actually supplied?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): The Government of Madhya Pradesh was allotted 199.0 thousand tonnes of foodgrains against the requirement of 468.8 thousand tonnes indicated by the State Government during the period 1973-74 (April to March). The actual supplies to the State during the period were 203.0 thousand tonnes.

Production of Cotton and Cotton Seeds in M.P.

8594. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) total production of cotton seeds in Madhya Pradesh and the quantity thereof distributed among cotton growers there;

(b) the varieties of cotton grown in Madhya Pradesh; and

(c) the total production of different varieties of cotton made in Madhya Pradesh in 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha, when received.

(b) The following varieties are grown in Madhya Pradesh.

Staple length	*Varieties grown*
Long	Vijay Badnawar-1
Superior Medium	A—51-9 Indore-2 Buri-L-147 Maljhari
Medium	M. P. Cambodia Malvi Virnar (197-3)
Short	M. P. Oomras U. P. Deshi.

(c) During 1974-75, the production is estimated at 3.70 lakh bales of 170 kilograms each. The firm estimates of cotton production during this year are not yet available. Different varieties of cotton grown in Madhya Pradesh during 1974-75 are (i) A-51-9 (2) Khandawa-2 (3) Badnawar-1 (4) Maljhari (5) Buri-L-147 (6) B-1007 and (7) Hybrid-4.

जनजाति जिले और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों के लिए विशेष बल देना

8595. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को इस आशय के निदेश जारी किये हैं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति जिलों में और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए;

(ख) उड़ीसा में जनजाति जिलों में प्राइवेट कालेजों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या सिफारिशें हैं ;

(ग) पांचवीं योजना में उड़ीसा में कितने प्रोइवेट कालेजों का सरकारीकरण किया जायेगा; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुरहानपुर विश्वविद्यालय के भवनों, विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्राइवेट कालेजों में शिक्षा विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी सहायता दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विकास प्रस्तावों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं में पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया है । उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों सहित, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर आयोग द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर विचार करते समय विशेष रूप से विचार किया जायेगा ।

(ग) इस मामले पर केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बरहामपुर विश्वविद्यालय को भवन, शिक्षा विकास और प्राइवेट कालेजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया है तथापि, आयोग ने बरहामपुर विश्वविद्यालय के अधीन आठ प्राइवेट कालेजों को 4,76,422/– रुपये कुल अनुदान की अदायगी की है । इसमें से 2,37,672/– रुपये भवन परियोजनाओं के लिए और बाकी 2,38,750/– रुपये अन्य शैक्षिक सुविधाओं के लिए दिए गए हैं ।

उड़ीसा में समेकित शिशु विकास परियोजना

8596. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार से वर्ष 1974–75 में कुछ चुने हुए खण्डों में समेकित शिशु विकास सेवा परियोजना (इंटेग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोजेक्ट) सम्बन्धी योजना क्रियान्वित करने के लिये प्रस्ताव भेजने के बारे में कहा है ;

(ख) उड़ीसा सरकार ने प्रयोजनार्थ किन–किन ब्लाकों का सुझाव दिया है और उनमें से कितने ब्लाक जनजाति वाले क्षेत्रों में हैं;

(ग) भारत सरकार द्वारा उक्त योजनायें को कब तक मंजूरी दी जायेगी; और

(घ) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली योजनायें और कार्यक्रम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा सुझाए गए ब्लाकों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

आदिवासी

ब्लाक का नाम	जिला
1. सुवडेडा	सुन्दरगढ़
2. मलकनगिरि	कोरापट
3. आर० उदयगिरि	गंजम
4. बी० उदयगिरि	फूलबानी
5. टेल्कोई	केओनझर
6. कारकुन्डा	कोरापट

ग्रामीण	
ब्लाक का नाम	जिला
1. रंगाइलुंडा	गंजम
2. बिन्झरपुर .	कटक
3. ओडापाडा	ढेंकानल

शहरी	
ब्लाक का नाम	जिला
1. भुवनेश्वर	पुरी

(ग) तथा (घ) : समेकित बाल विकास सेवाओं की योजना का उद्देश्य शहरी, गंदी बस्तियों, आदिवासी तथा अन्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में स्त्रियों के लिये सेवायें (पूरक पौषाहार, स्वास्थ्य देखभाल, संदर्भ सेवायें, प्रतिरक्षण, अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा तथा पौषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा) प्रदान करना है। यह योजना एक समिति स्तर पर वर्ष 1975-76 के दौरान आरम्भ करने की आशा है। इसके लिये विवरण तैयार किया जा रहा है।

पटपड़गंज रोड, दिल्ली में स्थित पांडव नगर में नागरिक सुविधाएं

8597. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटपड़गंज रोड़, दिल्ली में स्थित एक रिहायशी कालोनी पांडव नगर में पानी के नलकों, बिजली सड़क तथा पार्कों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस कालोनी में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह कालोनी, जिसका निर्माण वर्ष 1954 से पूर्व किया गया था, नियमित घोषित कर दी गई ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके निवासियों द्वारा अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद भी गत 21 वर्ष से अधिक समय से इस कालोनी को नियमित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कालोनी किस तिथि से नियमित घोषित कर दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के "विकास क्षेत्र" में पांडव नगर एक अनधिकृत कालोनी है। दिल्ली विकास

प्राधिकरण ने कालोनी में ऐसी कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने अपने राजस्व बजट के अन्तर्गत खंड़जे लगाना, नालियां बनाना आदि जैसी कतिपय मूल सुविधाएं प्रदान की हैं।

(ख) इन सुविधाओं को देने का दिल्ली विकास प्राधिकरण का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ) विकास नक्शों में, इस अनधिकृत कालोनी के अन्तर्गत क्षेत्रों को, क्षेत्रीय पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थानों के लिये निर्धारित किया गया है। मौजूदा नीति के अनुसार अनुरूप न होने वाले क्षेत्र में आने वाली कालोनियां को नियमित नहीं किया जा सकता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बसन्त बिहार, नई दिल्ली में एक भूखण्ड के उप-पट्टे को समाप्त करना

8598. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री बसन्त बिहार नई दिल्ली में एक भूखण्ड के उप-पट्टे को समाप्त करने के बारे में 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3689 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे परिस्थितियां क्या हैं जिनके अन्तर्गत सितम्बर, 1973 से अगस्त, 1974 तक की अवधि के लिये हर्जाने के लिए मांग पत्र अगस्त, 1974 में नहीं भेजा गया था; और

(ख) 28 फरवरी, 1975 को वसूल की जाने वाली कुल राशि क्या है और राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) फर्म 'जी' में अन्तिम आदेश, जिसमें अनधिकृत दखलकार द्वारा 1–4–73 से 31–8–73 तक की अवधि के लिए दिए जाने वाले हर्जाने 7200/– रुपये निर्धारित किये गये थे, उसे 16–8–74 को दिया गया था। तत्पश्चात् उसके बाद की अवधि के लिए हर्जाना निर्धारित करने हेतु मामले पर और आगे विचार किया गया तथा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 1–9–73 से 31–10–74 तक की अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस 11–11–1974 को जारी किया गया था।

(ख) 1–4–73 से 31–8–73 तक की अवधि के लिए हर्जाने लगाने के बारे में सम्पदा अधिकारी के आदेश को अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था तथा माननीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार निर्णय देने के लिए मामला 17–2–1975 को सम्पदा अधिकारी को वापस कर दिया। अतः समस्त मामला न्यायाधीन हो गया है। इसलिए 1–9–1973 से आगे की अवधि के लिए हर्जाने निर्धारित करने और 28–2–75 तक वसूल की जाने वाली कुल धनराशि का हिसाब लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ललित कला संगीत, तथा नाटक के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की योजना को प्रबल बनाना

9599. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ललित कला, संगीत तथा नाटक के क्षेत्र में व्यापक रूप से अनु-संधान करने के इच्छुक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के किसी योजना को प्रबल बनाया है, और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : सरकार ने अभिनय, साहित्यिक तथा रूपंकर (प्लास्टिक) कलाओं के क्षेत्र में कलाकारों को शिक्षा वृत्तियां प्रदान करने हेतु एक नयी योजना आरम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य अत्यन्त उन्नत प्रशिक्षण अथवा साहित्य रूपंकर (प्लास्टिक) और अभिनय कलाओं के क्षेत्र में असाधारण व्यक्तियों के व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास के लिए बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शिक्षा वृत्तियां दो प्रकार की हैं--पहली प्रत्येक 1,000।- रुपये प्रतिमाह की तथा दूसरी प्रत्येक शिक्षावृत्ति प्रतिमाह, 500।- रुपये की हैं। प्रथम वर्ग में पहले वर्ष पुरस्कारों की संख्या चार होगी तथा प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में नवीकरण किये जाने वाले पुरस्कारों सहित नए पुरस्कार दो से अधिक नहीं होंगे। पांच सौ रुपये प्रतिमास वाली शिक्षा-वृत्तियों के पुरस्कारों की संख्या प्रथम वर्ष में आठ होगी तथा प्रत्येक उत्तर वर्ती वर्ष में नवीकरण किये जाने वाले पुरस्कारों सहित नये पुरस्कारों की संख्या चार से अधिक नहीं होगी। किसी भी प्रकार की छात्रवृत्तियों को प्रदान करने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा 50 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को 50 प्रतिशत से अधिक पुरस्कार प्रदान नहीं किये जायेंगे। साधारणतया शिक्षावृत्तियां पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जाती हैं, परन्तु विशेष मामलों में उनका नवीकरण भी किया जाता है, जिसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होती। पांच सौ रुपये वाली शिक्षा-वृत्ति पाने वाले पुरस्कार प्राप्तकर्ता के मामले में उसकी शिक्षा-वृत्ति को धनराशि सहित कुल आय 1,000।-प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी तथा 1,000।- रुपये प्रतिमास वाली शिक्षावृत्ति पाने वाले के मामले में 1,500।- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

उर्वरक का मूल्य

8600. **श्री वरके जार्ज** : क्या कृषि **और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उर्वरकों की कीमतों में वद्धि करने सम्बन्धी नये प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

'प्रोजेक्ट टाइगर' के लिये 'वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड' से उपहार

8601. **श्री रामदेव सिंह:** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के 'प्रोजेक्ट टाइगर' के लिये 'वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फण्ड' ने 10 लाख डालर के उपहार के एक भाग के रूप में सुन्दरवन बाघ अभय स्थली के लिये तीव्र गति से चलने वाली दो नौकाय (स्पीड बोट्स) प्रदान की हैं;

(ख) क्या तीव्र गति से विनष्ट होती हुई बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिये गत दो वर्षों में 'प्रोजैक्ट टाइगर' के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). देश के वनों में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं;

(1) बाघों के मारने और उनकी खाल के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये वन्य प्राणि संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन कर दिया गया है।

(2) चोरी छिपे शिकार खेलने, वृक्षों को काटने तथा आश्रम-स्थलों में हस्तक्षेप को रोकने के विषय में कारगर कार्यवाही करने के लिये सुन्दरवन सहित 9 बाघ आरक्षणों को चुना गया है। यह कार्यवाही राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत की जा रही है। बाघ परियोजना की क्रियान्विति में लगे हुये कर्मचारियों को 'शॉट गने', जीपें, ऊंट आदि महत्वपूर्ण उपस्कर भी प्रदान किये जा रहे हैं। सुन्दरवन 'टाइगर रिजर्व' की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए जानवरों को चोरी-छपे मारने से बचाने के लिये, परियोजना कर्मचारियों को दो 'स्पीड बोट' प्रदान की गई हैं?

हरियाणा में उत्खनन कार्य के दौरान एक नये नगर का पता लगाना

8602. **श्री चौधरी राम प्रकाश :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने अभी हाल में सिंधु घाटी सभ्यता युग से संबंधित एक सुनियोजित नगर का हरियाणा में पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री० एस० नुरूल हसन) : : (क) और (ख). जी हां, हरियाणा सरकार का पुरातत्व विभाग, हिसार जिले में वनमाली स्थान पर पिछले वर्ष प्रारम्भ किये गए खुदाई के काम को जारी रख रहा है जिसके परिणामस्वरूप हड़प्पाकालीन एक नगर के अवशेष पाये गये हैं। वहां पर अनावृत निर्माण से जालीदार नमूने की पद्धति के साथ एक सुनियोजित नगर के प्रमाण मिले हैं। खुदाई की उपलब्धियों में मृदभांड,

चकमक पत्थरों के फलक, चीनी मिट्टी के कड़े, सेलखड़ी के मनके, पक्की मिट्टी की टिकियां आदि मिली हैं। जो सभी हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों के नीचे पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के चिह्न भी पाए गए थे।

पांचवीं योजना के पहले वर्ष में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

8603. **चौधरी राम प्रकाश:**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के अभी–अभी पूरे हुए प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 8 लाख हैक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की है।

(ख) सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किये जाने थे और किस सीमा तक सरकार ने अपने लक्ष्य प्राप्त किये हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई किये जाने वाले हैक्टेयर क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान प्रत्याशित 17 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त शक्यता में से 8 लाख बृहत् तथा मध्यम स्कीमों से तथा 9 लाख हैक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों से प्राप्त होनी थी।

(ख) बृहत्/मध्यम तथा लघु स्कीमों से 8 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त शक्यता के लक्ष्य के प्रति लगभग 7.3 मिलियन हैक्टेयर क्षमता उपलब्ध की गई है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, वृहत् एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों से 6.2 मिलियन हैक्टेयर तथा लघु सिंचाई स्कीमों से 6.0 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का निर्माण करना परिकल्पित है। इनके राज्यवार ब्यौरों का उपाबंध संलग्न है।

विवरण

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहत् एवं मध्यम और लघु स्कीमों से निर्माण की जाने के लिये संभावित अतिरिक्त शक्यता का विवरण।

राज्य	निर्मित की जाने के लिये संभावित अतिरिक्त शक्यता	
	वृहत् और मध्यम स्कीमें	लघु स्कीमें
	(हजार हैक्टेयर)	
1. आंध्र प्रदेश	570	220
2. असम	80	250

राज्य	निर्मित के जाने के लिए संभावित अतिरिक्त शक्यता	
	वृहत् और मध्यम स्कीमें	लघु स्कीमें
3. बिहार	880	400
4. गुजरात	370	375
5. हरियाणा	250	250
6. हिमाचल प्रदेश	——	
7. जम्मू और काश्मीर	30	50
8. कर्नाटक	340	300
9. केरल	160	75
10. मध्य प्रदेश	630	600
11. महाराष्ट्र	515	350
12. मणिपुर	25	10
13. मेघालय	—	5
14. नागालैण्ड	—	5
15. उड़ीसा	240	350
16. पंजाब	200	300
17. राजस्थान	410	125
18. तमिलनाडु	55	170
19. त्रिपुरा	—	10
20. उत्तर प्रदेश	1375	2500
21. पश्चिमी बंगाल	125	600
22. संघ राज्य क्षेत्र	2	97
कुल	6247	7062*

*पांचवीं योजना में लघु सिंचाई स्कीमों से लाभों का अखिल भारतोय लक्ष्य 6 मिलयिन हैक्टेयर होना मान लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा

8604. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों बच्चों को शिक्षा देने के लिये सुविधाएं प्रदान करने हेतु पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्य-वाही की है;

(ख) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कमजोर वर्गों के बच्चों को भोजन और कपड़ा देने के लिए कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : शिक्षा, और विशेष रूप से स्कूली शिक्षा, राज्य का विषय होने के नाते ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्यत: राज्य सरकारों का सम्बन्ध है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करना है।

2. प्रत्येक बच्चे के लिए उसके निकट ही अर्थात् 1.5 कि० मी० की दूरी के अंतर्गत स्कूल की सुविधाएं प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने का एक बृहत् कार्यक्रम शुरू किया था। अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1966 में, 6—11 आयु वर्ग के लगभग 95 प्रतिशत बच्चों के लिए लगभग 1.5 कि० मी० की दूरी के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध थीं। आशा है कि आजकल चल रहे तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थानों का पता चल सकेगा जहां नए स्कूल खोलने होंगे ताकि समस्त लोगों के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस सर्वेक्षण के परिणामों से ही राज्य सरकारों द्वारा पांचवीं योजना के दौरान नए स्कूल खोलने का आधार बनेगा।

3. इसके अतिरिक्त, पांचवीं योजना के दौरान एक गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धति विकसित करने का प्रस्ताव है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अंशकालिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी ताकि जो बच्चे पूर्णकालिक आधार पर नियमित स्कूल में अध्ययन नहीं कर सकते, इन अंशकालिक कक्षाओं में शामिल हो सकें।

4. पांचवीं योजना के न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के अन्तर्गत, जनसंख्या के कम अधिकार प्राप्त बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री, छात्रों को निःशुल्क कपड़े आदि जैसी प्रेरणाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

सस्ता और पोषक आहार

8605. श्री डी० डी० देसाई :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धनों को सस्ता तथा पोषक आहार उपलब्ध कराने के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न भागों में उत्पादित गेहूं तथा अन्य अनाजों को सस्ती तथा पोषक खाद्य वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या माडर्न बेकरीज लिमिटेड ने इस दिशा में कोई कार्यवाही आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). माडर्न बेकरीज डबल रोटी की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसमें विटामिनों तथा खनिजों का प्रयोग कर उसकी प्रबलीकरण करती है। उन्हें यह कहा गया है कि वे होलमील आटा तथा अन्य पदार्थों से सस्ता तथा अधिक पौष्टिक पदार्थ तैयार करें। वे नान बेच रहे हैं और आशा है कि वे होलमील आटे का प्रयोग कर सस्ता और पौष्टिक किस्म का नान तैयार करना शुरू कर देंगे।

लुधियाना, पंजाब में आयोजित किया गया अखिल भारतीय पशु वैज्ञानिक और पशु धन प्रजनकों का सम्मेलन

8606. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढोर प्रजनन और दुग्ध उत्पादन का विकास करने सम्बन्धी किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या 3 अप्रैल, 1975 को लुधियाना में आयोजित हुए अखिल भारतीय पशु वैज्ञानिकों और पशु धन प्रजनकों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में अन्य किन–किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(घ) क्या कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा उक्त सम्मेलन में कोई सुझाव रखे गये थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। कम से कम समय में पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने के लिए चुने हुए दुग्ध क्षेत्रों में विदेशी पशुओं के मेल से देश के पशुओं के संकर प्रजनन पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रीय पशु प्रजनन नीत को संशोधित किया गया है।

(ख) जी हां। इस सम्मेलन में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं के संकर प्रजनन के मुख्य विषय पर विचार विमर्श किया गया था।

(ग) इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था :—

(i) पशुओं के संकर प्रजनन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण

(ii) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं के संकर प्रजनन सम्बन्धी अनुसंधान निष्कर्षों पर रिपोर्ट।

(iii) भैंस–डेरी पशु के रूप में।

(iv) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं के संकर प्रजनन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखा।

(घ) कृषि तथा सिंचाई के राज्य मन्त्री ने, जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया था, निम्नलिखित बातों पर जोर दिया :—

(i) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।

(ii) भावी विस्तार की कसौटी, विदेशी जाति के स्तर, संकर प्रजनन नर पशुओं आदि के उचित उपयोग आदि संकर प्रजनन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विभिन्न ब्यौरेवार का हिसाब लगाना

(iii) हमारे देशीय पशुओं में पाये जाने वाले जर्म प्लाज्म के गुणों को बनाए रखना।

(iv) प्रजनन क्षमता के मूल्यांकन के लिए उत्पादन तथा निष्पादन के समरूप तथा क्रम बद्ध रिकार्डों का रखरखाव।

गुजरात में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट

8607. **श्री पी० जी० मावलंकार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973, 1974 और वर्ष 1975 में जनवरी से मार्च तक की अवधि के दौरान गुजरात में मूंगफली के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके बाद की अवधि में तेल की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) तथा (ख). गुजरात राज्य में वर्ष 1972–73 के दौरान फसल की वृद्धि की अवधि के दौरान राज्य में व्यापक सूखा पड़ने के कारण मूंगफली का उत्पादन पिछले वर्ष के 15.1 लाख मीटरी टन के उत्पादन स्तर से काफी घटकर 3.5 लाख मीटरी टन हुआ। अगले वर्ष अर्थात् 1973–74 में उत्पादन इससे पिछले वर्ष से काफी अच्छा अर्थात् 12.4 लाख मीटरी टन हुआ। वर्ष 1974–75 के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि प्राप्त संकेतों के अनुसार, खरीफ मौसम के दौरान कम वर्षा होने के कारण राज्य में फसल को धक्का लगा है।

(ग) 1972–73 के दौरान गुजरात तथा कई अन्य राज्यों में मूंगफली के उत्पादन में भारी कमी होने के कारण वर्ष 1973 के दौरान मूंगफली के तेल के मूल्यों में काफी हद तक वृद्धि हुई और ये गत वर्ष की तुलना में उच्च स्तर पर बने रहे। चूंकि गत वर्ष में स्टाक के कम होने और मूल्य स्तर में सामान्य रूप से वृद्धि होने के कारण, 1974 में मूल्य ऊंचे बने रहे। अगस्त, 1974 के

महीने में ये सबसे अधिक रहे। उसके बाद उनमें कुछ गिरावट आई है। देश में गत वर्ष की तुलना में 1974–75 के दौरान मूंगफली के उत्पादन में कमी होने के समाचारों के कारण गत वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्यों में सामान्य रूप से कुछ वृद्धि हुई।

(घ) राज्य के कतिपय रिपोर्ट देने वाले केन्द्रों पर अप्रैल, 1975 के तीसरे/चौथे सप्ताह में मूंगफली के तेल के वर्तमान थोक मूल्यों और गत 3 वर्षों के मूल्य नीचे की सारणी में दिये गये हैं:—

(रुपए प्रति क्विटल)

केन्द्र	1972	1973	1974	1975
राजकोट . . .	387.50	768.75	871.90	900.00
जामनगर . .	413.00	725.00	812.00	875.00
गोंडल . . .	387.50	719.00	875.00	875.00

अहमदाबाद से सम्बद्ध क्षेत्र समूह में आवास बोर्ड के मकान और अहाते

8608. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद से सम्बद्ध क्षेत्र में आवास बोड के मकान और अहातों में रह रहे कुछ मालिकों और किरायेदारों को अपने आवासों के ऊपर और निकट अत्यधिक शक्ति वाले बिजली की ग्रिड तारों का निरन्तर खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खतरे को दूर करने के लिए कोई तात्कालिक उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस खतरे से प्रभावित लोगों को अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने का है और यदि हां, तो कैसे और कब?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). मामला गुजरात सरकार के ध्यान में लाया गया है जो कि इस मामले से संबंधित है।

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय का विकास

8609. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की दांतीवाड़ा केम्पस का विकास योजना तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसका उचित विकास शीघ्र करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है और यदि हां, तो कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई०सी०ए०आर०) को हाल ही में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव में दांतीवाडा कैम्पस का विकास भी सम्मिलित है। कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए निर्धारित कार्यविधि के संबंध में भा०कृ०अ०प० की प्रतिमान एवं प्रत्यापन समिति विचार करेगी और विशेषज्ञों का एक दल गठित करेगी। यह दल विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सलाह से सहायता की मात्रा से संबंधित व्यौरे को अंतिम रूप देगा।

(ग) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उक्त प्रस्ताव की जांच करने के बाद, भा०कृ०अ०प० सहायता प्रदान करने की अनुमोदित पद्धति के अनुसार उपयुक्त अनुदान देगी।

शौकिया थियेटर सम्बन्धी गतिविधि को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजनायें और परियोजनायें

8610. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न प्रमुख भाषाओं में शौकिया थियेटर सम्बन्धी गतिविधि को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई योजनायें और परियोजनायें सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की कोई व्यवस्था है जो कि थियेटर सम्बन्धी गतिविधियों में लगे हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). सरकार द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी एक स्वायत्त निकाय है। उसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शौकिया नाटक कार्यकलाप के विकास को प्रोत्साहन देना है। इस विषय में अकादमी द्वारा शुरू किए गए कार्यकलाप संक्षेप में निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रीय नाटक स्कूल जो कि थियेटर के कलाकारों को प्रोत्साहन देने का एक प्रशिक्षण संस्थान है, की स्थापना 1953 में की गई थी। इस स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त कई छात्रों ने, देश में शौकिया थियेटर कार्यकलाप की प्रोन्नति में काफी योगदान किया है।

(ii) सारे देश में समय समय पर थियेटर समारोह आयोजित किये जाते हैं जिनमें शौकिया थियेटर दल भाग लेते हैं।

(iii) अन्य संस्थाओं के साथ-साथ शौकिया थियेटर दलों को भी विशिष्ट परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

(iv) अन्यों के साथ प्रसिद्ध थियेटर कार्यकर्ताओं को भी वार्षिक पुरस्कार तथा शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं।

(v) शिक्षावृत्तियों की योजना के अन्तर्गत शौकिया थियेटर कार्यकलाप के लिये शिक्षावृत्तियां दी गई हैं।

(vi) चुने हुए शौकिया दलों के विभिन्न भाषाओं में नाटक पूरे के पूरे टेप रिकार्ड किये गये हैं तथा अकादमी के अभिलेखागारों के लिये इनके फोटोग्राफ लिये गये हैं।

(ग) संगीत नाटक अकादमी द्वारा चलाई जा रही सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत, अन्य के साथ-साथ शौकिया थियेटर दलों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। इस योजना में, अध्यापकों के वेतनों तथा छात्रों के वजीफे, कलाकारों के मानदेय तथा शुल्क पर होने वाले खर्चे को वहन करने तथा नई रचनाओं के खर्चे को पूरा करने के लिये वार्षिक आधार पर सहायता देने की व्यवस्था है।

IRRIGATION PROJECTS IN MADHYA PRADESH

*8611. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of irrigation projects which could not be completed during the Third and Fourth Plans in Madhya Pradesh; and

(b) details of the progress of work made so far on the aforesaid irrigation projects?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) and (b). The letails of irrigation Projects which could not be completed during the Third and Fourth Plans in Madhya Pradesh, indicating their progress are given in Statements I & II respectively. [Placed in Library. **See** No. L.T. 9618/75].

विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन

8612. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों में उच्च शिक्षा अथवा अनुसन्धान अथवा प्रशिक्षण के लिये चुने गये विद्यार्थियों की संख्या क्या है और किन-किन देशों के लिये इन विद्यार्थियों का चयन किया गया है; और

(ख) प्रत्येक वर्ष के लिये राज्यवार अथवा विश्वविद्यालयवार, इन विद्यार्थियों के आंकड़े क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) क्योंकि चयन, योग्यता और अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है इसलिये राज्यवार अथवा विश्वविद्यालयवार छात्रों के आंकड़ों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

देश का नाम	निम्नलिखित वर्षों में चुने गए छात्रों की संख्या		
	1972–73	1973–74	1974–75
आस्ट्रिया	2	4	9
आस्ट्रेलिया	3	2	1
बल्गारिया	—	—	3
कनाडा	10	21	16
चेकोस्लोवाकिया	—	5	—
डेन्मार्क	5	6	18
जर्मन संक्षेम गणतंत्र (एलग्जेंडर वान हमबोल्ट फाउंडेशन फैलोशिप)	6	3	—
जर्मन संक्षेय गणतंत्र (जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा)	17	6	10
फ्रांस	56	27	17
जर्मन जनवादी गणतंत्र	4	7	5
हंगरी	—	—	3
इटली	3	2	4
जापान	5	8	2
नीदरलैंड	37	33	51
न्यूजीलैंड	4	1	—
नार्वे	11	7	6
पोलैंड	8	2	3
रूमानिया	—	—	4

देश का नाम	निम्नलिखित वर्षों में चुने गए छात्रों की संख्या		
	1972–73	1973–74	1974–75
सऊदी अरब	—	—	4
स्वीडन	4	2	3
टर्की	1	—	1
यू० के०	95	109	115
यू०एस०ए०	31	36	23
यू०एस०एस०आर०	48	66	50
यूगोस्लाविया	2	—	1
कुल :	352	347	349

SCHOLARSHIPS TO ATHLETES IN UNIVERSITIES

*8613. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of male and female athletes, University wise, who were given scholarships for sports during the years 1973 to 1975; and

(b) whether there have been any indications of improvement shown by students in sports?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) A statement is attached [Placed in Library. See No. LT-9619/75].

(b) Yes, Sir.

MAJOR AND MEDIUM IRRIGATION PROJECTS TO BE UNDERTAKEN IN U.P.

*8614. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriclutur and Irrigation** be pleased to state:

(a) the details of the major and medium irrigation projects proposed to be undertaken in Uttar Pradesh during the next three years; and

(b) the amount sanctioned by the Central Government for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) A statement showing the details of new major medium irrigation projects proposed to be taken up by U.P. in the Fifth Five Year

Plan period is annexed. It cannot be said at this stage which of these schemes will be undertaken during the next three years as implementation of these projects would depend on the schemes being found technically and economically feasible and on the availability of funds with the State Government.

(b) Irrigation is a State subject and irrigation projects are implemented by the State Governments from within their overall resources. The Central assistance is given in the form of block loans and grants which is not related to any specific scheme or sector of development.

Statement

Sl. No.	Name of Project	Estimated cost in Rs. lakhs	Benefits in '000' ha.
	MULTIPURPOSE/MAJOR		
1.	Lakhwar Vyasi Pariyojna	14097·00	49·5
2.	Rajghat		
	(a) Dam	4244·00	
	(b) Canal System	1284·45	152·2
3.	Project for lining of Channels of Sarda Sahayak Pariyojna	10958·00	290·0
4.	Kanhar	1674·00	26·00
5.	Increasing capacity of Deokali	1367·00	51·80
6.	Rapti Irrigation Scheme	2800·00	79·30
7.	Madhya Ganga Pariyojna	6494·10	178·00
8.	Left Bank Ghagra Canal Pariyojna	6364·00	266·60
9.	Raising Meja Dam	787·00	40·00
10.	Shahzad dam	777·00	20·00
11.	Jamrani dam	6125·00	94·13
12.	Eastern Ganga Canal	3870·00	104·50
13.	Maudaha dam	2349·00	37·20
14.	Increasing capacity of Narainpur Pumped Canal	997·00	111·29
15.	Parallel Lower Ganga Canal	2567·00	90·00
16.	Sone Pumped Canal (Stage I)	564·00	66·27
17.	Yamuna Pumped Canal	446·00	25·00
18.	Tajewala Barrage	226·00	*
19.	Okhla Barrage	750·00	*
20	Urmil Dam	661·27	6·88

Sl. No.	Name of Proiect	Estimated cost in Rs. lakhs	Benefits in '000'ah
	MEDIUM		
1.	Modernisation of Agra canal .	496·00	72·00
2.	Umarhat Pump Canal	77·84	5·344
3.	Modernisation of Mat. Branch system	359·00	39·38
4.	Patairpani dam	450·00	7·56
5.	Rohini dam	67·1	1·69
6.	Chittaurgarh Project	489·00	13·78
7.	Sajnam dam	432·5	12·45
8.	Paisuni Canal	460·81	14·40
9.	Augasi Pumped Canal	146·00	13·35
10.	Khara Canal	265·00	7·00
11.	Hindan Barrage	386·00	*
12.	Aliganj Irrigation	381·00	42·00
13.	Binlangana	120·00	0·41
14.	Sargoan Dam	400·00	6·47
15.	Laster Valley	55·00	0·31
16.	Suheli Irrigation	480·00	9·31
17.	Lining of channels.	400·00	20·03
18.	Kunhara Chongi	450·00	*
19.	Increasing capacity of Kwano Pumped Canal	140·00	*
20.	Modernising Lachura headworks	200·00	*
21.	Arjun Sahayak Proiect	148·00	*

*Not available.

HINDI OFFICERS AND HINDI TRANSLATORS WORKING IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

8615. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the number of Hindi Officers and Hindi Translators working in the Ministry at present and the number of posts sanctioned for each category?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PRABHUDAS PATEL): The information asked for is as under:—

The information asked for is as under:—

No. of sanctioned posts.		No. of officers in position.	
Hindi Officers	Hindi Translators.	Hindi Officers	Hindi Translators.
4	18	4	16

कल्लादा सिंचाई परियोजना

8616. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1975 तक केरल के क्विलोन जिले में कल्लादा सिंचाई परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(क) इस परियोजना को पूरा करने के लिए बाकी कितनी राशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या 45 करोड़ रुपये लागत की यह योजना राज्य में अब तक शुरू की गई सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है;

(घ) क्या धनराशि की कमी के कारण इस समय निर्माण कार्य नहीं हो रहा है और इस परियोजना को चालू करने में विलम्ब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित अवधि के भीतर इस परियोजना को पूरा करने के लिये राज्य सरकार की सहायता करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ङ). कल्लाडा सिंचाई परियोजना की इस समय अनुमानित लागत 45 करोड़ रुपये है। मार्च, 1975 तक परियोजना पर 5.94 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं तथा परियोजना को पूरा करने के लिए 39.06 करोड़ रुपये बाकी हैं। परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। परियोजना के क्रियान्वियन में देरी राज्य सरकार को इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असमर्थता के कारण हुई है।

सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत की जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देती है जो विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा परियोजना है सम्बद्ध नहीं होती ।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातिऔर अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

8617. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिये नियुक्ति और पदोन्नति के आरक्षित कोटे को भर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग). काठमाण्डू स्थित केन्द्रीय विद्यालय सहित केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 187 है।

शेष सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेक्टर दो. आर० के० पुरम, नई दिल्ली में अनधिकृत कोल डिपो का हटाया जाना

8618. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री सेक्टर दो आर० के० पुरम, नई दिल्ली में कोल डिपो के आवंटन के बारे में 13 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3019 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर दो, आर० के० पुरम, नई दिल्ली में अनधिकृत कोल डिपो को हटाने के बारे में कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मोती नगर, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई

8619. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री मोती नगर, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई के बारे में 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली मंजिल के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए मोती नगर के बी ब्लाक में एक उपरि टैंक, भू जलाशय और बड़ी क्षमता के पम्प लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना तैयार की जा रही है। निधियों के उपलब्ध होने पर इसे क्रियान्वित किया जायेगा।

Archaeological Remains in Mandav (M.P.)

†8652. **Shri Phool Chand Verma:**

Dr. Laxminarayan Pandeya:

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether new description plates on archaeological remains are being fixed by removing the existing plates in Mandav in Madhya Pradesh;

(b) whether considerable changes have been made in the new description plates and as a result of which entire introductory description is changed;

(c) whether Mandav being a historical place has sufficient number of archaeological remains; and

(d) if so, the reasons for changing the description plates by Government?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) As a general policy of the Survey, it had been decided to put up cultural/historical notice boards at as many monuments as possible. The texts of these cultural notice boards were required to be factual and precise. The cultural notices at Mandu were, therefore, modified to meet this requirement. These were approved in 1965. However, the Survey has now undertaken a detailed study of many monuments with a view *inter alia* to amplifying/correcting/modifying the existing cultural notices.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची

8621. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री आर० वी० बड़े :

क्या निर्माण और आवास मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची के बारे में 7 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 11 दिसम्बर, 1974 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से लाभान्वित होने वाले तथा शीघ्र सेवा से निवृत्त होने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को दर्जे, उपलब्धियां जिनमें पेंशन तथा उपदान लाभ भी शमिल हैं की हानि को कैसे दूर करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : दर्जे, वेतन आदि में हानि की क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिये हैं उनके द्वारा व्यक्त किये गये सिद्धान्तों के अनुसार सम्बन्धित कार्यपालक इंजीनियरों की वरिष्ठता पुनरीक्षित की जानी चाहिये और जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 5118 के उत्तर में बताया गया है इसे शीघ्र कार्यान्वित करने की दृष्टि से सरकार इस निर्णय की सभी जटिलताओं का अध्ययन कर रही है ।

परीक्षाओं में नकल करना

8622. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में स्कूल तथा कालेज स्तर पर बड़े पैमाने पर नकल की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित किये जाने वाले परीक्षा परिणामों के गुणात्मक मूल्य में एक गम्भीर विकृति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे विश्वविद्यालयों के छात्र जहां पर नकल की घटनायें कम होती है दण्डित हो जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में परिणामों का गुणात्मक मूल्य एक समान रखा जाये और उच्च अध्ययन और रोजगार के मामले में नकल को अनुचित लाभ न मिल सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से संबंधित ब्यौरेवार सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में स्कूल स्तर पर परीक्षाओं में कदाचार की घटनाओं के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	पकड़े गए	दण्डित
1969 . . .	30,602	26,383
1970 .	31,473	26,680
1971 .	51,372	49,980

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अनुचित तरीके जिसमें नकल करना शामिल है के मामलों के संबंध में निर्धारित नियम बनाए हुए हैं । अनुचित तरीकों का प्रयोग करने वाले छात्रों को तदनुसार सजा दी जाती है ।

सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड इत्यादि द्वारा स्थापित विभिन्न परीक्षा सुधार समितियों की रिपोर्टों की जांच करने के लिये शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने एक कार्यदल नियुक्त किया है । इस दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में जिसका शीर्षक 'परीक्षा सुधार कार्रवाई की एक योजना' है इसमें कुछ महत्वपूर्ण सामान्य सिद्धान्त सुझाए हैं जिन पर परीक्षा की एक नई पद्धति आधारित की जा सकती है । विभिन्न प्रकार की विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सुधार करने के लिये तथा प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों की परीक्षाओं के बारे में भी इस दल ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे आन्तरिक मूल्यांकन, अंक और ग्रेड, राष्ट्रीय परीक्षा तथा प्रश्न बैंक पर विचार किया जा चुका है । कार्य दल की रिपोर्ट, सभी राज्य सरकारों को इसमें की गई सिफारिशों में अपनी स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त आवश्यक संशोधन करके, तुरन्त कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए भेज दी गई है । रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस दल द्वारा की गई सिफारिशों का सामान्यरूप से समर्थन किया है तथा ये सिफारिशें विश्वविद्यालयों तथा कालिजों को उनके मार्गदर्शनार्थ भेज दी गई हैं । आयोग ने परीक्षा सुधार पर भी एक कार्यान्वयन समिति स्थापित की है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए वेतनमान लागू करने के लिये केन्द्रीय सहायता की शर्तों में से एक शर्त यह है कि विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के अध्यापकों को परीक्षा कार्यं के संबंध में कोई मेहनताना नहीं दिया जाएगा। इसको परीक्षा सुधार के कार्यक्रम के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की संभावना है।

यह आशा की जाती है कि दल द्वारा सुझाई गई रूपरेखाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये वेतनमानों को लागू करने से संबंधित शर्त से भी परीक्षा सुधार को कार्यान्वित करने से परीक्षाओं को समुचित रूप से सापेक्ष महत्व में रखने तथा अनुचित तरीकों के प्रयोग को पर्याप्त सीमा तक समाप्त करने में और परीक्षा परिणामों की योग्यता की मान्यता में सुधार करने में पर्याप्त रूप से सहायक होगी।

गेहूं तथा धान के वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिये मानदण्ड

8623. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं तथा धान की वसूली मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत को भी ध्यान रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान धान तथा गहूं की उत्पादन-लागत क्या-क्या रही ;

(ग) क्या बीजों, खादों की सप्लाई के मामले में धान तथा गेहूं उत्पादकों को समान राज सहायता दी जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामलें में दी जाने वाली राजसहायता के बीच कितना अन्तर है तथा क्या धान तथा गेहूं के वर्तमान वसूली-मूल्य चावल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में निश्चय ही हतोत्साह करने वाले हैं; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सभी संगत तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और कृषि मूल्य आयोग, जोकि उत्पादन लागत और आदानों आदि की लागत में वृद्धि के लिए उपयुक्त वृद्धि को ध्यान में रखता है की सिफारिशों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा गेहूं और धान के अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार उत्पादकों को आदानों की सप्लाई के लिए कोई राज सहायता नहीं दे रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उतर प्रदेश में परीक्षा भवनों में पाठ्य पुस्तकें ले जाना

8624. श्री राजदेव सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को परीक्षा भवनों में पाठ्य पुस्तकें ले जाने देने के लिये सरकार से सहमति मांगी है ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि इससे परीक्षाओं में नकल करने तथा अन्य अवैध तरीके अपनाने के अवसर समाप्त हो जायेंगे; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसके लिये अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्व-विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी परीक्षा पद्धतियों को बदलने में सक्षम हैं । पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है । केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार की स्वीकृति देने का प्रश्न भी नहीं उठता है । तथापि, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से इस विषय से संबंधित एक पत्र प्राप्त हुआ और उस पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में चावल खाने वाले लोगों पर परीक्षण

8625. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में इस समय चावल खाने वाले लोगों पर इसके गहन प्रभाव के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम परिणाम निकालने के लिये यह परीक्षण सम्भवतः कब तक जारी रहेगा; और

(ग) क्या इसमें सफ़लता से उन क्षेत्रों तथा देशों में प्रोटीन की कमी को समाप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी जहां चावल ही लोगों का मुख्य भोजन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी हां।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में धान की फ़सल के सुधार के लिए आशाजनक अनुसंधान कार्य चल रहा है। इन अध्ययनों में बहुफ़सली खेती के लिए उपयुक्त अल्प अवधि में तैयार होने वाली किस्मों और धान की बासमती जैसे दाने वाली किस्मों का विकास सम्मिलित है। जिन किस्मों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, सफ़ल होने पर उनमें से कुछ किस्मों के जरिये धान की पैदावार और उनके पोषण संबंधी गुण में भी सुधार हो सकता है। मौजूदा समय में उपलब्ध धान की व्यापारिक किस्मों में आमतौर पर प्रोटीन की मात्रा 7 से 8 प्रतिशत के आस-पास होती है। धान की कटाई के समय इसमें सन्निहित प्रोटीन का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने वाले चावल में मौजूद प्रोटीन की मात्रा में दो तरह से वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली किस्में विकसित की जायें, उदाहरण के लिए, धान की ऐसी किस्में जिनमें 10 से 12 प्रतिशत तक प्रोटीन हो, ताकि धान की कुटाई के समय नष्ट होने वाले प्रोटीन के बाद भी, पकाये हुए दानों में अधिक मात्रा में प्रोटीन बचा रहे। दूसरे, ऐसी किस्में विकसित की जायें, जिनके दानों में प्रोटीन की मात्रा का वितरण अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से हुआ हो। असम जैसे राज्यों और उत्तर पूर्वी हिमालय के इलाकों में परम्परागत रूप से उगाये जाने वाले धान की पुरानी और आरंभिक किस्मों के सर्वेक्षण से इस तरह की कुछ मूल किस्में (जीनोटाइप) पायी गयी हैं। इन किस्मों में, दाने के अन्दर प्रोटीन की मात्रा का वितरण बेहतर ढंग से और

समान रूप से पाया जाता है। ऐसा होने से कुटाई के बाद भी चावल में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रोटीन के बचे रहने की आशा की जा सकती है। पोषण की दृष्टि से श्रेष्ठ किस्मों के विकास के लिए इन जीनो टाइपों के उपयोग का काम फिलहाल आरभिक अवस्था में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कटक स्थित केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान में प्रोटीन-सुधार के काम को और तेज किया जा रहा है।

(ख) परीक्षण का काम कई वर्षों तक चल सकता है, क्योंकि फसल प्रजनन कार्य को क्रमागत आधार पर संगठित करना है, ताकि पैदावार क्षमता, फसल तैयार होने की अवधि, और कीट व्याधियों की प्रतिरोधिता जैसे विभिन्न तरह के गुणों को दाने की क्वालिटी के साथ समाविष्ट किया जा सके। इस तरह के अनुसंधान कार्य से भले ही क्रांति आये या न आये, परन्तु बहुमूल्य परिणाम प्राप्त होते हैं और नयी प्रजनन सामग्री पैदा होती है।

(ग) अनाज वाले आहारों में, कैलोरी की कमी, कुपोषण का एक बहुत व्यापक कारण होती है। जब आहार में कैलोर पर्याप्त मात्रा में नहीं होती तो प्रोटीन की भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में खपत होने लगती है। इस तरह प्रोटीन के अभाव के कारण भी कुपोषण पैदा होता है।

अतः पोषण की दृष्टि से अच्छे चावल तथा अधिक पैदावार-क्षमता वाली उसकी किस्मों का प्रजनन करके चावल खाने वाले लोगों के पोषण स्तरों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है। अतः फ़िलीपीन्स के अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में भी इन किस्मों पर होने वाले अनुसंधान कार्य में प्रगति हो रही है।

कर्नाटक में खाद्य संकट

8626. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कर्नाटक खाद्य संकट की ओर अग्रसर हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). कुल मिलाकर कर्नाटक सामान्यतया चावल के मामले में आत्म निर्भर है, हालांकि राज्य में कुछ क्षेत्र कमी वाले क्षेत्र हैं। राज्य के अन्दर खाद्यान्नों का वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और वह विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और मोटे अनाजों की उपयुक्त मात्रा की सप्लाई की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन का कार्यान्वित करना

8627. **श्री सरजू पांडे : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने तीसरे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूर किया गया था, कार्यान्वित करने में असफ़लता के लिए सरकार को दोषी ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह ठीक नहीं है कि कुलपति ने तीसरे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में असफ़लता के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। तथापि, उन्होंने इस मामले में शीघ्र निर्णय का अनुरोध किया था। विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कर्मचारियों में से अधिकांश के बारे में वेतनमानों को परिशोधित करने के आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

आयातित गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज की मात्रा तथा मूल्य

8628. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री वर्ष 1975–76 के दौरान गेहूं तथा चावल के आयात के बारे में 7 अप्रैल, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 से 1974–75 के दौरान वर्षवार पृथक्-पृथक् कुल कितनी मात्रा में और कुल कितने मूल्य के गेहूं, चावल तथा मोटे अनाजों का आयात किया गया;

(ख) भारत को खाद्यान्नों की सप्लाई करने वाली अमरीकी कंपनियों के नाम तथा उनसे संबंधित अन्य ब्यौरा क्या है और उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक ने कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किये;

(ग) क्या कुछ अमरीकी सप्लाईकर्ता बहुराष्ट्रीय निगम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत को चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज सप्लाई करने की स्पष्ट पेशकश की है तथा प्रत्येक ने कितनी-कितनी मात्रा की पेशकश की है;

(च) अमरीका की पी०एल० 480 योजना के अधीन, जोकि वर्ष 1973 में अथवा उसके आस-पास समाप्त कर दिया गया था, खाद्यान्नों की सप्लाई के करार को पुनर्जीवित करने के क्या कारण हैं; और

(छ) पी० एल० 480 के अधीन भारत को खाद्यान्नों की सप्लाई करने संबंधी शर्तें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन ने सूचित किया है कि कुछेक यू०एस० सप्लायर, जिनके साथ उनका लेन-देन है, बहुद्देशीय निगम है; जिनका कारोबार कनाडा, अर्जेनटाइना, यूरोप और जापान में है। मिशन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनका कारोबार अन्य देशों में भी है।

(ङ) उपलब्धता, मूल्य और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेनटाइना, आस्ट्रेलिया, स्वीडन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों आदि जैसे देशों से वाणिज्यिक आधार पर खाद्यान्नों के आयात किये जाते हैं और अपने देश के लिए लाभप्रद शर्तों और समय पर खरीदारी की जाती है। इसी प्रकार खाद्य सहायता के बारे में भी अनाज सप्लाई करने की पेश-कश की जाती है। 1972–73 से 1974–75 के दौरान विभिन्न देशों द्वारा खाद्य सहायता के बारे में की गई और स्वीकार की गई पेशकश का व्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार मीटरी टन में)

देश	1972–73	1973–74	1974–75
आस्ट्रेलिया .	—	—	40.0
यू०के० .	—	30.0	—
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	—	30.0	296.0
स्वीडन .	—	—	50.0
कनाडा	—	—	140.0

सोवियत रूस ने 1973 में 20 लाख मी० टन गेहूं उधार पर सप्लाई करने की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। यह सारी मात्रा प्राप्त हो चुकी है। इस मात्रा को वापस करने का कार्य जून, 1976 से शुरू किया जाएगा और सारी मात्रा को पांच समान वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया जाएगा।

सरकार से सरकार के आधार पर 1 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई करने के बारे में हाल ही में थाइलैण्ड की सरकार ने भी हमारे बैंककाक में स्थित दूतावास के माध्यम से पेशकश की है।

(च) देश में उस समय चल रही सुगम खाद्य स्थिति को देखते हुए 1972 के शुरू से पी०एल० 480 की खरीदारी सहित खाद्यान्नों के सभी रियायती आयातों को बंद कर देने का निर्णय किया गया था। पिछले 2–3 वर्षों के दौरान उत्पादन में काफ़ी कमी होने के कारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कायम रखने के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा था।

खाद्यान्नों का अत्यधिक आयात करने से हमारे दुर्लभ विदेशी मुद्रा के स्रोतों पर काफ़ी भार पड़ा और बदली हुई स्थिति में तथा कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यह निर्णय किया गया था कि खाद्यान्नों का आयात ऐसी शर्तों पर किया जाये जिनके अधीन नाम-मात्र ब्याज देना पड़े और कई एक वर्षों में भुगतान करना पड़े। इनमें यू० एस० कृषि व्यापार विकास एवं सहायता अधिनियम के टाइटल–1 के अधीन खरीदारी भी शामिल है।

(छ) यू०एस० कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम के टाइटल–1 के अधीन 8,00,000 मी० टन गेहूं, गेहूं का आटा आयात करने के लिए 20 मार्च, 1975 को भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरीका सरकार ने एक करार पर हस्ताक्षर किये थे। मुख्यतया शर्तें इस प्रकार हैं :—

इस जिन्स की निर्यात लागत जहाज पर निष्प्रभार 1280 लाख डालर होगी। शुरू-शुरू में इस धनराशि के 5 प्रतिशत (64 लाख डालर) का भारत द्वारा नकद भुगतान किया जाएगा और शेष (1216 लाख डालर) उधार के रूप में होगा, जिसका भुगतान डालरों में 40 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। इसमें 10 वर्षों की छूट अवधि भी शामिल है। ऋण पर प्रथम दस वर्षों के दौरान 2 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज होगा और शेष 30 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज होगा।

विवरण

1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान विदेशों से आयात किए गए खाद्यान्नों की वर्ष-वार मात्रा और लागत एवं भाड़ा बताने वाला विवरण

(मात्रा लाख मी० टन में)

लगभग अनुमानित लागत एवं भाड़ा करोड़ रुपयों में।

वर्ष	गेहूं	चावल	माइलो	कुल मात्रा	लागत एवं भाड़ा
1972–73	4.40	1.04	1.53	6.97	59.08
1973–74	30.59	—	12.88	43.47	358.10
1974–75	49.44	—	5.04	54.48	652.67

दिल्ली राज्य अभिभावक संगठन द्वारा शिक्षा की नई पद्धति का विरोध

8629. **श्री डी० के० पण्डा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य अभिभावक संगठन (दिल्ली स्टेट पैरन्ट्स एसोसियेशन) ने दिल्ली के स्कूलों में इस वर्ष मई से आरम्भ होने वाली प्रस्तावित नई शिक्षा पद्धति का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली अभिभावक संघ से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है । (**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी०–9620/75) उसमें उठाये गए प्रश्नों की जांच की जा रही है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् और ईराक के बीच समझौता

8630. **श्री हरि सिंह :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हाल ही में ईराक के साथ कृषि प्रौद्योगिकी तथा खेती के बारे में कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी हां ।

(ख) भारत और ईराक के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संबंधों को हर संभव तरीके से प्रोन्नत और विकसित करने के लिए 19 अप्रैल, 1973 को बगदाद से एक सांस्कृतिक समझौता किया गया था । उसी समझौते के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान, ईराक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बीच कृषि और पशु विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक प्रोटोकोल को अंतिम रूप देकर नयी दिल्ली में 2 मार्च, 1975 को उस पर हस्ताक्षर किया गया । प्रोटोकोल की एक प्रतिलिपि संलग्न है (परिशिष्ट) । (**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए** संख्या एल० टी०–9621/75) ।

UNICEF Aid for Children

8631. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the details of the aid earmarked by UNICEF for 1975-76 for development and education of children in India and the amount of aid already received; and

(b) whether a programme to utilise it has been chalked out and if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) UNICEF aid envisaged for 1975-76 is as follows:—

Supporting and developmental activities.	$ 514,000
Integrated child development.	$1,002,000
Applied Nutrition Programme.	$2,066,500
Processed Foods	$1,975,500
Health and Family Planning.	$2,780,100
Water & Environmental Sanitation.	$1,890,000
Elementary Education.	$2,054,700
Higher Education in Food and Nutrition.	$132,000
National Institute of Child Development.	$75,000
	$12,489,800

This financial year has only just started and UNICEF aid envisaged will be received in the course of this year. About one million dollar of aid has been obligated by UNICEF so far from April 1, 1975.

(b) The draft of the programme is being finalised which will cover items as in (a) above.

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण

8632. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र आठ और मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना करने की सोच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में कोंकण के पिछले तटीय क्षेत्र को इस बारे में प्राथमिकता दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। महाराष्ट्र तथा विभिन्न अन्य राज्य सरकारों से नौ और मत्स्य कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) योजना के अनुसार अभिकरणों की स्थापना करने के लिए, क्षेत्र के विषय में सुझाव देना राज्य सरकारों का कार्य है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र में मत्स्य कृषक-विकास अभिकरण की स्थापना करने के लिए अभी तक कोई सुझाव नहीं दिया है।

Memorandum by Teachers and Employees of Kendriya Vidyalaya, Kathmandu

†8633. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether 29 teachers and employees working in the Kendriya Vidyalaya, Kathmandu (Nepal) submitted a memorandum on the 2nd April to the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan (Central Schools Organisation);

(b) if so, the substance thereof; and

(c) the reaction of Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) (i) Dearness Allowance of 50 per cent paid to them should not be merged in the pay consequent to the pay revision.

(ii) Leave travel concession etc. should be allowed to them.

(iii) Posts should be confirmed and they be allowed benefit of CPF/GPF.

(iv) Scales of non-teaching staff be revised in accordance with the recommendation of the Pay Commission.

(v) Part-time employees should be treated as full time.

(vi) Such of them as want to serve in India may be transferred as other employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan.

(c) The representation is being examined.

फालतू भूमि के क्षेत्र में कमी होना

8634. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960, 1970 और अब फालतू भूमि का राज्यवार, क्षेत्र कितना है :

(ख) क्या फालतू भूमि के आंकड़ों में कमी हो रही है ; और

(ग) इस स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का आकार का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राज्यों में फालतू भूमि के वार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जोत की अधिकतम सीमा संबंधी अधिकांश कानून 1960 के आस-पास बनाए गए थे। इन कानूनों के लागू होने पर ही फालतू भूमि प्राप्त हुई। वर्ष 1970 में विभिन्न राज्यों में लगभग 10 लाख हेक्टर भूमि को फालतू घोषित किया गया था। इस भूमि का राज्य वार **ब्यौरा संलग्न सारणी में दिया गया है** । लगभग सम्पूर्ण देश में अधिकतम भूमि संबंधी संशोधित कानून क्रियान्वित की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। विवरणों की पड़ताल करने के बाद अब तक 2,49,000 एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है। इसमें से 75,000 एकड़ भूमि को राज्य सरकार ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया है।

(ख) और (ग) फालतू भूमि के वितरण से शेष फालतू भूमि में कमी होने की संभावना है। जो भूमि वास्तव में राज्य को फालतू भूमि के रूप में प्राप्त हुई है चाहिए, उसमें जाली ढंग से या बेईमानी से हस्तांतरित कर दिए जाने से कोई कमी न होने पाए, इस दृष्टि से सभी राज्यों ने अपने संशोधित कानूनों में भूमि के वास्तविक हस्तांतरण के अलावा अन्य हस्तांतरणों को पिछली तारीखों से अमान्य ठहराया है।

विवरण

दिसम्बर, 1970 में अतिरिक्त घोषित किये गये क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासन क्षेत्र	घोषित अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर)
1. आंध्र प्रदेश	29,500
2. आसाम	27,200
3. गुजरात	16,500
4. हरियाणा	72,900
5. जम्मू और कश्मीर	1,80,000
6. मध्य प्रदेश	30,250
7. महाराष्ट्र	1,52,000
8. पंजाब	76,650
9. तमिलनाडु	10,100
10. उत्तर प्रदेश	96,240
11. पश्चिमी बंगाल	3,46,250
कुल जोड़ :	10,37,590

कालेजों और विश्वविद्यालयों के डिमांस्ट्रेटरों और ट्यूटरों के वेतनमान

8635. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 1.40/740-1 दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के द्वारा राज्य सरकारों को यह कहा है कि प्राइवेट कालेजों, सम्बद्ध कालेजों, संकटक

कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को, जिनका चौथी योजनावधि का वेतनमान 300–600 रु० (अवर प्राध्यापक), 400–800 रु० (प्रवर प्राध्यापक) और 400–950 रु० (स्नातकोत्तर प्राध्यापक) था, 700–1600 रु० का संशोधित वेतनामन दिया जाये ;

(ख) क्या संशोधित वेतनमान केन्द्रीय सरकार के श्रेणी एक के भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी के वेतनमान के साथ तुलनीय तथा उससे कुछ अच्छा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में डिमांस्ट्रेटरों/ट्यूटरों को 550–900 रु० का वेतनमान देने और एक ही अर्हताओं एवं काम वाले कालेजों और विश्वविद्यालयों के डिमांस्ट्रेटरों/ट्यूटरों को केवल 500–900 रु० का वेतनमान देने का क्या औचित्य है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के संशोधित वेतनमान, भारत सरकार के श्रेणी 1 के अधिकारियों के संशोधित वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये थे।

(ग) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग ने उन गैर-राजपत्रित वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए 550–900 रुपए के वेतनमान की सिफारिश की है जो 325–575 रुपए के विद्यमान वेतनमान में थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन निदर्शकों तथा शिक्षकों के लिए 500–900 रुपए का वेतनमान स्वीकार किया गया है जो 250–400 रुपए के वेतनमान में थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों और कालिजों में निदर्शकों तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मौजूदा कर्मचारियों के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहियें ताकि वे अपनी अर्हताओं में सुधार कर सकें जिससे कि अन्ततोगत्वा उन्हें प्राध्यापकों के रूप में नियुक्त किया जा सके।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे की सीमा बढ़ाना

8636. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (नगरीय ग्रामों से भिन्न) कुल कितने ग्रामीण गांव हैं;

(ख) कितने मामलों में लाल डोरे (ग्रामीण आबादी की सीमांकन रेखा) की सीमा को बढ़ाया जा रहा है ;

(ग) यह मामला कब से निर्णयाधीन पड़ा है ; और

(घ) उक्त विस्तार कब किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में ग्रामीण गांवों की संख्या 253 है।

(ख) किसी भी मामले में लाल डोरा बढ़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि यह विस्तार कार्य केवल बन्दोबस्त अभियान के दौरान ही किया जा सकता है। तथापि, 31 ग्रामों में भवन उप-नियमों में छूट देने के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ताकि हरिजनों तथा भूमिहीनों को मकानों के निर्माण आदि में मदद की जा सके।

(ग) लाल डोरे के विस्तार के प्रश्न पर लगभग 10 वर्ष से विचार किया जा रहा है।

(घ) इस संबंध में दिल्ली प्रशासन द्वारा उपर्युक्त (ख) के अलावा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

8637. **श्री एच० के० एल० भगत : शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इंडियन एक्सप्रेस' दिनांक 11 मार्च, 1975 में लण्डन में इंडिया आफिस लाइब्रेरी के सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस लाइब्रेरी के बारे में अपनी स्थिति से पीछे हटने को सहमत हो गई है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० **यादव**) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार द्वारा अनिच्छा से माने गये एक प्रस्ताव के बारे में कि इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के भविष्य का निर्णय प्रिवी काउंसिल को न्यायिक समिति द्वारा किया जायेगा—समाचारपत्र की इस आशय की रिपोर्ट गलत है। इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के स्वामित्व के प्रश्न पर भारत, पाकिस्तान और इंगलैंड के मध्य वर्ष 1947 से विचार-विमर्श होता रहा है। इन विचार-विमर्शों के दौरान, वर्ष 1960 में यह सुझाव दिया गया था कि उक्त कार्यालय के स्वामित्व का प्रश्न प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को भेजा जा सकता है। भारत सरकार ने वर्ष 1961 में यह निर्णय किया कि उक्त कानूनी स्वामित्व से संबंधित विवाद को प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को जैसे का तैसा भेजना उचित न होगा। तथापि उस समय यह महसूस किया गया कि पूर्वोक्त विवाद को न्यायिक समिति के कुछेक सदस्यों से गठित एक अदालत को भेजा जाय जिसके अभिमत का सम्बन्धित पक्षों को पालन करना हो।

2. वर्ष 1961 में इंगलैंड सरकार ने विचारार्थ विषयों का मसौदा तैयार किया और पत्र-व्यवहार चलता रहा। वर्ष 1965 में इंगलैंड की सरकार ने यह सूचित किया है कि जब तक उक्त कानून पद्धति पर जिसे सम्बन्धित अदालत लागू करेगी, कोई समझौता न हो जाए तब तक विचारार्थ विषय पर विचार करना सम्भव नहीं हो सकता। मध्यस्थता के

लिए करारनामा तैयार करने का मामला एक ओर इंगलैंड सरकार और दूसरी ओर भारत एवं पाकिस्तान सरकारों के बीच विचाराधीन रहा है परन्तु कोई भी अन्तिम समझौता न हो सका है।

अभी ऐसा कोई भी परिणाम नहीं निकला है, जिसके आधार पर समाचारपत्र की यह रिपोर्ट स्पष्ट हो कि भारत सरकार आफिस लाइब्रेरी के मामले पर दब गई है।

अपर कृष्णा परियोजना को पूरा करने के लिए विश्व बैंक सहायता

8638. **श्री के० मालन्ना : श्री जो० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक को सब से बड़ी सिंचाई परियोजना अपर कृष्णा परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में **उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :** (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से अभी हाल में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, इस परियोजना के कमानगत क्षेत्र का विकास करने के लिए विश्व बैंक दल (ग्रुप) से सहायता प्राप्त करने का संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिये अधिवास संबंधी शर्त

8639. **श्री के० मलन्ना :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की श्रीनगर में हुई दूसरी बैठक में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिये राज्य में अनिवार्य अधिवास की शर्त के प्रश्न पर विचार किया गया था ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में मेडिकल/इंजीनियरिंग तथा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अधिवास सम्बन्धी शर्त अभी भी प्रवर्तन में है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने, जिसकी बैठक जून, 1968 में श्रीनगर में हुई थी, शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए आवासीय प्रतिबन्धों को दूर करने की वांछनीयता को दोहराया था और निम्नलिखित सिफारिश की :—

"किसी छात्र के लिए, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के प्रयोजन हेतु, राज्य में रहने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

इसको यथाशीघ्र सभी राज्यों में लागू कर देना चाहिए। प्रत्येक राज्य की शैक्षिक संस्थाएं इस बात के लिए सक्षम होंगी कि वे उसी राज्य के स्कूल बोर्ड, विश्वविद्यालय, अथवा कालेज की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को दाखिलों में वरियता दें ।"

उपरोक्त सिफारिश कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई थी । इसके फलस्वरूप अधिकांश राज्यों ने शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के मामले में राज्य में रहने की शर्त को समाप्त कर दिया है हालांकि कुछ राज्यों को अभी ऐसा करना बाकी है । यह मामला क्षेत्रीय परिषद् की बैठकों में उठाया गया था और इसका सरकार द्वारा आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है ।

चावल, गेहू, कपास, मूंगफली और चीनी की खेती के लिए उर्वरकों का उपयोग

8640. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951 में और अप्रैल, 1975 के दौरान देश में चावल, गेहूं, कपास, मूंगफली और गन्ने की खेती के लिए कितने टन उर्वरकों का उपयोग किया गया ; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) देश में 1950–51 में उर्वरकों की कुल खपत 0.69 लाख मीटरी टन थी, जो 1974–75 में बढ़कर 27.30 लाख मीटरी टन हो गई है। फिर भी, फसलवार और मासवार आधार पर जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता तथा सप्लाई

8641. **श्री आर० एन. बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता कितनी-कितनी थी ; और

(ख) इन वर्षों के दौरान इस आवश्यकता की राज्यवार कितनी कितनी पूर्ति की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान क्षेत्रीय सम्मेलन में मूल्यांकन की गई राज्यों की निवल मांग तथा सप्लाई प्रदर्शित करने वाले तीन विवरण अनुबन्ध 1, 2 तथा 3 संलग्न हैं । [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9622/75]

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनाज की वसूली

8642. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अनाज की वसूली कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इनके वर्षवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या वसूली प्रयोजन के लिए इस माध्यम को खुले रखना अभी भी दूरदर्शी होगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि पिछले पांच वर्षों से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में कमी हो रही है । पिछले तीन वर्षों में की गई अधिप्राप्ति के आंकड़ों का व्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1972-73	1973-74	1974-75
गेहूं	5006	4531	1943
चावल	2706	3886	3179*
खरीफ के मोटे अनाज . . .	311	388	250*
	8023	8805	5372*

पिछले वर्ष अर्थात् 1972-73 से 1973-74 के दौरन कुल अधिप्राप्ति में वृद्धि हुई है । रवी विपणन मौसम 1974-75 के दौरान, अधिशेष राज्यों के व्यापारियों पर केवल 50 प्रतिशत लेवी लगाई गई थी और इसलिए पिछले वर्ष के साथ तुलना करना सम्भव नहीं है । खरीफ विपणन मौसम 1974-75 के आंकड़ों की पिछले वर्षों के आंकड़ों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि विपणन मौसम 31-10-1975 को समाप्त हो जाएगा ।

(ग) और (घ) वर्तमान खाद्य नीति के मूल उद्देश्य ये हैं कि उत्पादक को लाभकारी मूल्य दिए जाएं, खाद्यान्नों के पर्याप्त स्टाक अधिप्राप्त किए जाएं और उन्हें देश भर में उत्पादकों को उपयुक्त मूल्यों पर सप्लाई किया जाए । सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की यह अधिप्राप्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करती है । अतः सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखना आवश्यक समझा जाता है ।

* 26 अप्रैल, 1974 तक ।

विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का सम्मेलन

8643. श्री ग्रार० एन० बर्मन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के सम्मेलन ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को उद्योग से सम्बद्ध किया जाये जो विद्यार्थियों को न केवल प्रशिक्षण देगा ग्रपितु उन्हें रोजगार भी देगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस पर विचार किया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 25वीं वार्षिक ग्राम बैठक मार्च, 1975 में हुई थी जिसमें 58 कुलपतियों/संस्थानों के निदेशकों तथा विभिन्न संस्थाग्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 प्रतिनिधिमण्डलों ने भाग लिया । भारतीय विश्वविद्यालय संघ से प्राप्त सूचना के ग्रनुसार उक्त बैठक में इस ग्राशय के किसी संकल्प को पारित नहीं किया गया था कि प्रत्येक विद्यालय का सम्बन्ध उद्योग के साथ होना चाहिए ।

(ख) ग्रौर (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में सूखा

8644. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ भागों में ग्रभी भी सूखे की स्थिति विद्यमान है ;

(ख) सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; ग्रौर

(ग) इससे कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए हैं ग्रौर उनके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने निम्नलिखित राहत उपाय किये हैं :—

(1) स्वस्थ व्यक्तियों के लिये श्रम प्रधान कार्यों की व्यवस्था ।

(2) संकटग्रस्त क्षेत्रों में बूढ़े, ग्रशक्त ग्रौर निराश्रित व्यक्तियों को कार्डों के ग्राधार पर निःशुल्क राहत देना ।

(3) कु-पोषण से पीड़ित व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर भोजन और कपड़े की व्यवस्था करना ।

(4) विकट संकटभय क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करना ।

(5) कृषि और तकावी ऋणों की स्वीकृति ।

(ग) राज्य सरकार ने समस्त 13 जिलों के कुछ क्षेत्रों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है । 1974-75 के दौरान भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को अग्रिम योजना सहायता के रूप में 7.91 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की है ।

उड़ीसा में वन्य पशुओं का सरक्षण

8645. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दुर्लभ वन्य पशुओं का संरक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन जातियों का ; और

(ग) उड़ीसा के "मयूरभंज जिले में आरक्षित वन" का विकास करने के लिये क्या उपबन्ध किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्लभ नस्लें निम्नलिखित हैं :—

1. बाघ ।
2. जंगली भैंसें
3. मगरमच्छ
4. काला मृग ।

(ग) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमिलीपाई टाइगर रिजर्व के लिये 1974-75 के दौरान 3.345 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी और 1975-76 के लिये अस्थायी रूप में 6.12 लाख रुपये की राशि मंजूर करने का प्रस्ताव है ।

पांचवीं योजना के पहले वर्ष में कर्नाटक के लिये सिंचाई सुविधाएं

8646. **श्री के० लकप्पा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : पांचवीं योजना के पहले वर्ष में कर्नाटक राज्य को प्रदान की गई सिंचाई सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष (1974-75) के दौरान कर्नाटक में वृहत् मध्यम और लघु सिंचाई कार्यों के जरिये 1.37 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता प्रत्याशित थी ।

मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम और उनमें पूंजी निवेश

8647. श्री के लकप्पा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन इस समय कितने सरकारी उपक्रम हैं और प्रत्येक उपक्रम में कितनी पूंजी लगी है ;

(ख) यह पूंजी भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में लगी कुल पूंजी का कितने प्रतिशत है ;

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किसी अतिरिक्त पूंजी के निवेश का उपबन्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी पूंजी का ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम

8648. श्री के० लकप्पा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन इस समय कौन कौन से सरकारी उपक्रम हैं और वे कहां कहां पर स्थित हैं तथा प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(ख) यह पूंजी भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में लगी हुई पूंजी का कितने प्रतिशत है ; और

(ग) पांचवीं योजना में और कितने निवेश का उपबन्ध है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना निम्नलिखित है :—

	उद्यमों का नाम	स्थान	31-3-1975 तक पूंजी निवेश की राशि
			(लाख रुपयों में)
1.	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी सीमित	नई दिल्ली	48.99
2.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित	नई दिल्ली	345.00
3.	आवास तथा नगर विकास निगम सीमित	नई दिल्ली	700.00
		कुल	1093.99

(ख) यह पूंजी निवेश, 31-3-1974 की भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र की कुल पूंजी (अर्थात् 7075.1 करोड़ रुपये) का लगभग 0.154 प्रतिशत है ।

(ग) सूचना निम्नलिखित है :—

उद्यम का नाम		पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजी निवेश की राशि
		(लाख रुपयों में)
1. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी सीमित	.	200.00 (इसमें सांस्थानिक एवम् बाजार ऋण शामिल हैं)
2. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम सीमित	.	—कुछ नहीं—
3. आवास तथा नगर विकास निगम सीमित	.	9000.00 (इसमें सांस्थानिक एवम् बाजार ऋण शामिल हैं ।)

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों में ताड़ के वृक्ष लगाना और उत्तरी भारत की नदियों के तटों पर नारियल और ताड़ के वृक्ष लगाना

8649. श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों तथा केरल और अन्य राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों में ताड़ के वृक्ष लगाने के लिये कोई योजनायें तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यमुना, गंगा और सरयू जैसी उत्तरी भारत की नदियों के तटों पर नारियल और ताड़ के वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रयोग किये गये हैं और इन प्रयोगों के क्या परिणाम निकले?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). जी हां । 2,400 हैक्टेयर क्षेत्र में आयल पाम के विकास के लिये एक योजना तैयार की गई है और उस पर वि ार किया जा रहा है । केरल के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र में आयल पाम वृक्ष लगाने के लिये पहले ह एक योजना क्रियान्वित की है ।

(ग) जी नहीं ।

राजधानी में भिखारी

8650. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी से भिखारियों को हटाने के लिये कोई अभियान चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) समय-समय पर, विशेष रूप से वर्ष 1973 से राजधानी को भिक्षुओं से रहित करने के प्रयत्न किये गये हैं । इस उद्देश्य के लिये 10 अप्रैल, 1975 से एक विशेष अभियान आरम्भ किया गया है ।

(ख) अभियान की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(1) छापों में तेजी :

विशेष भिक्षावृत्ति निरोधक दस्ते को भिक्षुओं की गिरफ्तारी के लिये अभियान तेज करने के अनुदेश दिये गये हैं ।

(2) विशेष छापों के लिये दिन :

प्रत्येक सप्ताह में तीन दिन विशेष छापे मारने के लिये निश्चित किये गये हैं ।

(3) संचालन क्षेत्र :

अभियान ऐसे क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है जहां भिक्षुओं की बहुलता है जैसे पर्यटकों की रुचि, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के स्थान आदि ।

एसा सुझाव है कि :—

(क) विपदग्रस्त भिक्षुओं की सहायता के लिये स्वैच्छिक संगठनों की देखभाल में कार्य केन्द्र और संस्थायें स्थापित की जायें ;

(ख) वर्तमान सदनों की क्षमता को बढ़ाया जाये;

(ग) "सामाजिक सहायता" और "सामाजिक रक्षा" के अन्तर्गत नई संस्थायें स्थापित की जायें ;

(घ) सदनों में प्रशिक्षित भिक्षुओं को ऋण अथवा कम मूल्यों पर उपकरण दिये जायें ।

संघशासित प्रदेशों के लिए एक विधान तैयार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में लागू बम्बई भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम, 1959 दिल्ली में भिक्षुओं की समस्या से निपटने में निष्क्रिय सिद्ध हुआ है ।

Rates of Import and Procurement of Foodgrains

8651. **Shri Jagannathrao Joshi:**

Shri R. V. Bade:

Shri Hemendra Singh Banera:

Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the country-wise quantity of foodgrains together with the rates thereof imported during the last three years, year-wise;

(b) the quantity of foodgrains procured in various States of the country at the aforesaid rates, or at rates higher or lower than those during the same period;

(c) Government's policy in this regard; and

(d) reasons why the foodgrains were procured in the various States at rates higher or lower than the rates of import?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) A statement (Statement-I) is attached. [Placed in Library. *See* No. LT-9622A/75].

(b) The quantities of foodgrains procured all over the country during 1972-73, 1973-74 and 1974-75 are given below:

(Quantity in '000 tonnes).

Year	Rice	Wheat	Coarse grains	Total
1972-73	2473	5008	238	7719
1973-74	3958	4529	430	8917
1974-75	3546	1955	290	5791

Statements (Statements II—V) showing procurement prices of wheat, rice, maize, jowar and bajra are attached. [Placed in Library. *See* No. LT-9622A/75].

(c) and (d). Foodgrain imports are being made to bridge the gap between internal procurement and requirement of public distribution system. Purchases from abroad are to be made at prices prevailing in international grain markets at the time of purchase and have no relevance with the prices at which the foodgrains are procured internally.

कर्नाटक को गेहूं

8652. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूल से वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान कर्नाटक राज्य को कितनी मात्रा में गेहूं सप्लाई किया गया ;

(ख) वर्ष 1975–76 के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में गेहूं सप्लाई किया जायेगा; और

(ग) अतिरिक्त मात्रा में गेहूं सप्लाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को न मानने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कर्नाटक राज्य को 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं की निम्नलिखित मात्रा सप्लाई की गई थी :—

वर्ष	मात्रा (हजार मी० टन में)
1972–73 (अप्रैल से मार्च)	240
1973–74 " "	201
1974–75 " "	107

(ख) और (ग). राज्य सरकारों की आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, स्थानीय मंडी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास खाद्यान्नों के आवटन किए जाते हैं। अधिक आवंटन करने से संबंधित अनुरोधों पर भी इसी कसौटी की दृष्टि से विचार किया जाता है। कर्नाटक सरकार को अप्रैल और मई, 1975 के प्रत्येक मास के लिए 20.0 हजार मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली में महिलाओं के लिये साक्षरता केन्द्र

8653. **श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा महिलाओं के लिये कितने प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र चलाये जा रहे हैं; और

(ख) दिल्ली में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ऐसे कितने साक्षरता केन्द्र चलाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख). साठ महिला प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा चलाए जाते हैं तथा पच्चीस महिला केन्द्र किसान कार्यात्मक साक्षरता योजना के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, लगभग तीस महिला साक्षरता केन्द्र गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं।

Employees of Soil Survey Organization

8654. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Soil Survey Organisation was transferred from the Ministry to I.C.A.R. in 1969 and its employees were forced to leave the parnet department (Agriculture) on the plea that posts were not available in the parent department;

(b) whether despite the reasons given above, large scale new recruitment is being made in their parent department (Agriculture) but the old employees are not being taken back; and

(c) whether the (old) employees desirous of going to their parent department will be taken back?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The AIS & LUS Orgn. was bifurcated into Government and non Government (ICAR) wings with effect from 1-4-1969. Such of the employees of the old Organisation who could not be accommodated in posts on the Government side, were requested to opt for the ICAR, in order to avoid termination of service, consequent on there being no posts then for absorbing them in the Government side.

(b) and (c). The work of the Government side of the Organisation has since increased considerably and the staff strength has been augmented. The question as the whether the staff, who had not originally opted for the ICAR, should now be considered for appointment to posts on the Government side, is under consideration of the Government.

श्रमजीवी महिलाओं की दशा

8655. **श्री शरद यादव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न पेशों में काम करने वाली महिलाओं की दशाओं का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) क्या मिलों, कारखानों और वर्कशापों में काम करने वाली महिलाओं के लिए शिशुपालन आदि की व्यवस्था करने के मामले में कोई प्रगति हुई है ;

(ग) क्या बड़े बड़े औद्योगिक कस्बों और शहरों में कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर काम करने वाली एक मात्र महिलाओं के लिये होस्टलों के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो औद्योगिक काम धंधों तथा मध्यम वर्ग की श्रमजीवी को ये सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) भारत सरकार ने भारत में महिलाओं की हेसियत से सम्बद्ध एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति के संदर्भ के विषयों में से एक कार्यशील महिलाओं की समस्याओं का सर्वेक्षण करना था रोजगार जिसमें रोजगार और वेतन के बारे में भेदभाव भी शामिल था । इस समिति ने 1 जनवरी, 1975 को अपनी रिपोर्ट दे दी है जो 18 फरवरी, 1975 को सदन के पटल पर रखी गई थी । इस बारे में समिति द्वारा की गई सिफारिशों की विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से जांच की जा रही है ।

(ख) मिलो, फैक्ट्रीयों और वर्कशापों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिये श्रमिक नियमों अर्थात फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 प्लाटेशन लेबर एक्ट आदि के अंतर्गत शिशु केन्द्र आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। श्रम मंत्रालय शिशुकेन्द्रों के अनुरक्षण को अधिक उदार बनाने के लिये वर्तमान नियमों में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रहा है।

(ग) वर्ष 1974–75 में 41 स्वैच्छिक संगठनों को कार्यशील महिलाओं के लिये होस्टल बनाने के लिये 52.40 लाख रुपये की राशि दी गई थी। वर्ष 1975–76 के लिये औद्योगिक नगरों और शहरों में कार्यशील महिलाओं के लिये होस्टलों के भवन बनाने/विस्तार करने के लिये महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के लिये 60 लाख रुपये की व्यवस्था की की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिदनापुर में एक विश्व विद्यालय को स्थापना

8656 श्री समर गुह : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री मिदनापुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में 7 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन तथा सिफारिशों का स्वरुप क्या है

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अपने विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की गई हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या प्रस्तावित मिदनापुर विश्वविद्यालय को एक नौकरी–उन्मुख विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जायेगा ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ऐसे नौकरी प्रदान विश्वविद्यालय की स्थापना, देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही विश्वविद्यालयों का विकास करने के उद्देश्य से, प्रायोगिक आधार पर करने का दायित्व लेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास तथा पुनगर्ठन समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में, जिसकी प्रति पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा भी आयोग को भेजी गई थी, मिदनापुर में एक विश्वविद्यालय तथा एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हेतु पुरजोर वकालत की गई है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय पुनर्घठन समिति की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ मिदनापुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित ज्ञापन पर भी विचार किया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार को 3 अक्टूबर, 1974 को

भेजी गई थी। विश्वविद्यालय से उक्त रिपोर्ट पर यथाशीघ्र परन्तु निश्चित रूप से मई, 1975 के अन्त तक अपनी टिप्पणियां भेजने के लिये कह दिया गया है। पश्चिम बंगला सरकार से भी इस रिपोर्ट पर अपने विचार तत्काल भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों पर राज्य सरकार और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण प्राप्त हो जाने के पश्चात् आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अप-व्यय

8657 **श्री समर गुह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गये अपव्यय के सभी पहलुओं पर विचार किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि उक्त अपव्यय किन क्षेत्रों में तथा किन मदों के अन्तर्गत किया गया है,

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के इस अपव्यय के कारण इस निगम को वर्ष 1972 से अब तक हुए हानि का कोई अनुमान लगाया है।

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस निगम द्वारा किये गये अपव्यय सम्बन्धी परिवहन, आवास तथा अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिये अर्थशास्त्रियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और यदि नहीं तो ऐसी समिति गठित न करने के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ). भारतीय खाद्य निगम मुख्यतया खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, संचलन, संचयन और विरतण पर खर्च करता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जा रहे खर्चे में किफायत करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की थी। समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों को भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही कार्यान्वित कर दिया है और कई अन्य सिफारशें कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। क्योंकि केन्द्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता से गठित समिति ने केवल हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसलिए कोई अन्य समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुबड़ा बेसिन ड्रेनेज प्रोजेक्ट

8658 **श्री समर गुह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुबड़ा बेसिन ड्रेनेज प्रोजेक्ट तथा कालेघाट प्रोजेक्ट के लिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में चल रहे काम का कोई मूल्यांकन किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ।

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की है, और

(घ) अभी कितनी राशि खर्च होनी है और इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कितनी अवधि निर्धारित है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (घ). कालीधई, जल विकास स्कीम को पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 1960 में 226 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वियन के लिये हाथ में लिया था । इस समय इस स्कीम को अनमानित लागत 534 लाख रुपये है । मार्च, 1975 के अन्त तक कुल व्यय 372 लाख रुपये होने की संभावना है । इस स्कीम को पांचवी योजना के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है ।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार नुदुब्धा बेसिन जल विकास स्कीम पर 1971 में 268 लाख रुपये की अनमानित लागत पर कार्य प्रारम्भ किया था । इसको वर्तमान अनमानित लागत की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है । इस पर माच, 1975 के अन्त तक कुल व्यय 25 लाख रुपये होने की संभावना है । इस स्कीम को पांचवी योजना के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है ।

इन स्कीमों का कार्यन्वयन राज्य सरकार द्वारा उनकी योजना के एक भाग के रूप में किया जाता है जिसके लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है । बहरहाल, कालीधई स्कीम पर कार्य आरंभ करने के लिये 1969-70 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य योजना के अतिरिक्त 94 लाख रुपये की विशेष ऋण सहायता दी गई थी ।

दुब्धा बेसिन जल-विकास स्कीम उन प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियत्रण स्कीमों में से एक थी जिनके लिए 1972-73 और 73—74 के दौरान पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार को 11 करोड़ रूपये की विशेष ऋण सहायता दी गई थी । दुब्धा जल निकास स्कीम के लिए कोई सहायता अलग से नियत नहीं की गई थी ।

वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिये सी० एम० डी० ए० द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

8659. श्री समर गुह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० एम०डी०ए० ने वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिये कौन कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की हैं?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1975-76 के लिए जो परियोजनाएं आरम्भ की है उनका विवरण संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है ।

जहां तक 1976-77 में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का संबंध है, यह चालू योजनाओ की प्रगति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । अत: ऐसी स्थिति में 1976-77 के लिए परियोजनाओं/योजनाओं की सूची देना मुश्किल है ।

विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	आरम्भ की गई योजनाओं/ परियोजनाओं की संख्या
1	जलपूर्ति .	21
2	मल-निर्यास तथा नालियां	50
3	कूड़ा कचरा हटाना	3
4	पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान	7
5	यातायात तथा परिवहन . .	21
6	(i) निम्न आय वर्ग तथा अन्य आवास योजनाएं	12
	(ii) बस्ती अर्जन तथा उन्मूलन	4
7	बस्ती सुधार योजनाए (समूह परियोजनाएं)	273
8	पार्क तथा खेल के मैदान	62

संस्कृत पाठशालाएं और उर्दू मदरसे

8660. **श्री बालाकृष्ण वेंकला नायक :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संस्कृत पाठशालाएं और उर्दू मदरसे कितने-कितने है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक को किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बाढ़ पीड़ित लोगों के राहत के लिये विदेशों से सहायता

8661. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बाढ़ पीड़ित लोगों के राहत के लिये, विशेषकर 1973-74 के दौरान बिहार राज्य को राहत के लिये, विदेशों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : वर्ष 1973-74 के दौरान भारत में बाढ़ ग्रस्त लोगों की सहायता के लिये किसी बाहरी देश से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद द्वारा हरियाणा में क्षारीय तथा लवणयुक्त क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने का परीक्षण

8662. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद ने हरियाणा में क्षारीय तथा लवणयुक्त क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने तथा उन पर बड़ी मात्रा में फसल उगाने के बारे में सफल परीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अन्य राज्यों में किन-किन क्षेत्रों को ऐसे परीक्षण के लिये चुना गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : जी हां ।

अनुमान है कि भारत में लगभग 70 लाख हैक्टर भूमि मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है । कृषि उत्पादन में कमी लाने वाली देश में लवणता से ग्रस्त भूमि के विस्तार की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जिसके कारण देश में कृषि उत्पादन कम होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1969 में करनाल में केन्द्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, ताकि मिट्टी को सुधारने के उपयक्त उपाय निकाले (विकसित किये) जा सकें । अपनी स्थापना की इस अल्प अवधि में ही करनाल स्थित केन्द्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ने सफलतापूर्वक फसल का उत्पादन करने के लिए गंगा सिंध के जलोढ़ मैदानों की क्षारीय मिट्टियों को सुधारने की विधियां विकसित की है । प्रस्तुत मिट्टी-सुधार प्रोद्योगिकी में निम्नखिखित बातें सम्मिलित हैं :—

1. भूमि को समतल करना ।
2. जिप्सम और पाइराइट जैसे मिट्टी सुधारको को उचित मात्रा में मिलाना ।
3. उपयुक्त फसलों और किस्मों का चुनाव करना ।
4. उपयुक्त संस्य क्रियाओं को अपनाना ।
5. वैज्ञानिक ढंग से जल-प्रबंध करना ।

कोई भी मिट्टी सुधार प्रायोजना शुरू करने के लिये अच्छी क्वालिटी का जल उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है ।

उपयुक्त प्राद्योगिकी को अपनाने से प्रति हैक्टर 4–5 मीट्रिक टन धान की तथा प्रति हैक्टर 2-3-मीट्रिक टन गेहूं की उपज प्राप्त की गयी है ।

(ग) करनाल स्थित केन्द्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान कार्यों के अतिरिक्त भा० कृ० अ० प० भी जल-प्रबन्ध और मिट्टी की लवणता से संबंधित समन्वित अनुसंधान प्रायोजना को स्वीकृत कर उस पर कार्य कर रही है । इस प्रायोजना के अन्तर्गत एक अनुसंधान केन्द्र पोर्ट कैनिंग में स्थापित किया गया है, जहां तटवर्ती लवणीय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । कानपुर और इंदौर में भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । इन केन्द्रों में क्रमशः जलोढ़ और काली मिट्टियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है । राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी लवणीय मिट्टियों को सुधारने की विधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है ।

इसके अलावा पंजाब के कपूरथला जिले में लवर्णीय व क्षारीय मिट्टियों को सुधारने के लिये पांचवी योजना-काल में 6.60 लाख रुपये के खर्च से एक प्रक्रियात्मक अनुसंधान प्रायोजना स्वीकृत की गयी है। मिट्टी लवणीय अनुसंधान संस्थान ने अपने यहां विकसित प्रौद्योगिकी को रायबरैली स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म, लालगंज में प्रदर्शित करने की भी योजना बनाई है क्योंकि वहां भी क्षारीयता की समस्या गंभीर है।

पूर्व मध्यमा परीक्षा को मैट्रिकुलेशन परीक्षा के समतुल्य मान्यता देना

8663. **श्री के० लकप्पा :** क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय विद्या भवन से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय विद्या भवन द्वारा ली जाने वाली पूर्व मध्यमा परीक्षा को मैट्रिकुलेशन परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख). भारतीय विद्या भवन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी पूर्व मध्यमा परीक्षा को सरकार द्वारा एस०एस०सी०/मद्रिकुलेशन/प्रथम वर्ष परीक्षा/प्रेपरेटरी (प्रारंभिक) परीक्षा के समकक्ष मान्यता देने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय संस्कृत परिषद् की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से, सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद को मध्यस्ता द्वारा हल करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रस्ताव

8664. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है कि किसी अन्तर्राज्यीय जल विवाद को मध्यस्थता द्वारा हल करने के लिए तीन वर्ष की सीमा होनी चाहिए जिसके बाद यह मामला अनिवार्य मध्यस्थता के लिए सौंप दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को नामंजूर करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन है अथवा वर्तमान प्रक्रिया जारी रहेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के मामलों में हमेशा समय का निश्चित रूप में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, विशेषकर अन्तर्राज्यीय जल विवाद जैसे मामलों में जिनमें विभिन्न राज्यों के बीच तथा केन्द्र तथा राज्यों के बीच विवादग्रस्त विभिन्न विषयों पर समझौता कराने के लिए काफी बात-चीत

की जानी होती है। जल की उपलब्धता के संबंध में प्रमाणित आंकड़ों, तथा विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आंकड़ों के अभाव में समझौता होने में अकसर देरी हो जाती है।

(ग) जल के आयोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ताकि इन विवादों को यथासंभव न्यूनतम किया जा सके।

Comments asked by Central Vigilance Commission about an Officer of Delhi Milk Scheme

8665. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central Vigilance Commission had invited comments on the 8th March, 1972 about a gazetted officer of the Delhi Milk Scheme;

(b) if so, no reply was sent thereto; and

(c) who was found responsible for this and action taken against him?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Yes, Sir.

(b) The reply was sent on 10th December, 1973.

(c) The question of fixing responsibility for not sending reply does not arise.

गुजरात में सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठन

8666. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कितने स्वैच्छिक सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्होंने सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में गन्दी बस्ती हटाने के लिये धनराशि का आवंटन

8667. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में गन्दी बस्ती हटाने के लिये वर्ष 1974 के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) किये गये कार्यों का व्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1974–75 के दौरान गुजरात में गन्दी बस्ती उन्मूलन के लिए 28 लाख रुपये की धनराशि का नियतन किया गया था।

(ख) 144 टेनामेंट बनाये गये हैं।

(ग) निर्माण कार्यों को पूर्ण करने तथा चल रहे निर्माण-कार्यों योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की परियोजना पर अन्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग द्वारा वर्ष 1974–75 के दौरान 60,20,000 – का व्यय किया गया है।

अधिक उपयुक्त स्थानों पर संसद के सत्र का आयोजन

8668 **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक : क्या संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् के सत्र विशेष रूप से वर्षाकालीन सत्र देश में अधिक उपयुक्त स्थान पर आयोजित करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं;

(ख) क्या ऐसे प्रस्ताव पर खर्च होने वाली धनराशि तथा अन्य लागत के समक्ष इससे होने वाले लाभों के बारे में अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो वे क्या हैं और यदि नहीं, तो क्या अनुमान लगाया जायेगा; और

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग). दक्षिण में प्रति वर्ष संसद् का एक सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता और उसके वित्तीय निहितार्थों की जांच करने के लिए मई, 1968 में, दक्षिण में संसद् सत्र संबंधी संसद् सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। यह समिति निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची थी :—

(1) वर्तमान परिस्थितियों और हालात में त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में मामूली सा समायोजन कर प्रति वर्ष संसद् के एक सत्र का आयोजन करना व्यवहार्य नहीं है (दक्षिण में संसद् सत्र करने के लिए इन दो शहरों की सिफारिश क्रमशः केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा की गयी थी)।

(2) यदि त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में प्रति वर्ष संसद् का एक सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है तो इसका आयोजन 15 से 16 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय और 1.05 से 1.25 करोड़ रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय करके किया जा सकता है।

(3) इस कार्य के लिए 3 से 4 साल तक के प्रारम्भिक समय की आवश्यकता भी होगी। अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने यह भी टिप्पणी की थी

"क्योंकि संसद् को विभिन्न तरीकों से केन्द्रीय सरकार के कार्यकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, मिसिल, कागजातों और अभिलेख (रिकार्ड) का काफी मात्रा में दिल्ली से दक्षिण को और वापिस संचलन बना रहेगा। इससे केन्द्रीय सरकार के कार्यकरण की सामान्य प्रक्रिया में अवश्य ढिलाई आयेगी।"

आसाम में खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि

8669 **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम में अत्यावश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख). आसाम सरकार से संबंधित सूचना मांगी गई है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

आसाम में सिंचाई की गई भूमि

8670. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्ष 1974 के अन्त तक (एक) नहरों (दो) गहरे नलकूपों (तीन) पम्पों; (4) उथले नलकूपों और अन्य उपायों में कितनी भूमि सिंचित की गई है; और

(ख) वर्ष 1975–76 के लिये आसाम को सिंचाई के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) योजना आयोग की 1974–75 की वार्षिक योजना में दिये गये आंकड़ों के अनुसार असम में 1973–74 के अन्त तक नहरों, गहरे नलकूपों, उथले नलकूपों आदि से लगभग 4 लाख हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई होने का अनुमान है।

(ख) बड़ी–मध्यम सिंचाई योजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1975–76 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के रूप में 8.35 करोड़ रु० की धनराशि स्वीकार की गई थी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में आसाम राज्य के लिए बाढ़ विरोधी योजनाएं

8671. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आसाम राज्य के लिए बनाई गई बाढ़ विरोधी केन्द्रीय योजनाये क्या हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और बाढ़ विरोधी इन योजनाओं के लिए कितनी लागत का अनुमान लगाया गया है और इनमें से प्रत्येक योजना कब पूरी हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम के सूखाग्रस्त रहनेवाले क्षेत्रो के लिये सिंचाई परियोजनाये

8672. **श्री रोबिन ककोटी: क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या असम में सूखाग्रस्त रहने वाले गोलाघाट के फिलनबाडी तथा लाखापानी जागन क्षेत्र तथा नोगांग जिले के काकी क्षेत्र के लिये सिंचाई प्रयोजनाओं की योजनाएं बनाई गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई योजनाओं के लिये इन क्षेत्रों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करेगी।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत असम में कोई भी जिला सूखाग्रस्त जिले के रूप में नहीं पहचाना जाता है। असम के गोलाघाट के फिलनबादी तथा लाखापानी जगन क्षेत्र और नौगांग जिले के काकी क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं से संबंधित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनकपुरी कालोनो, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

8673. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **निर्मण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी कालोनी, नई दिल्ली में प्रतिदिन किस समय से किस समय तक पानी सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या जनकपुरी में पानी की अपर्याप्त सुविधा तथा दोषपूर्ण सप्लाई के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो नियमित तथा पर्याप्त पानी की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्रातःकाल : 6.30 दजे से 8 बजे तक सायंकाल : 6.30 बज से 7.30 बजे तक

(ख) जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जब हैदरपुर में निर्माणाधीन नया शोधन सयन्त्र पूरा हो जाएगा तब कालोनी को अतिरिक्त जल की मात्रा दी जाएगी ।

विभिन्न देशो के साथ संस्कृतिक करार

8674. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव:** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने वर्ष 1974 में सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) इन करारों के अन्तर्गत इन देशों में अध्ययन कर रहे भारतीयों की संख्या क्या है; और

(ग) भारत में अध्ययन कर रहे इन देशों के राष्ट्रिकों की संख्या क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) 1974 के दौरान भारत के निम्नलिखित देशों के साथ सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किये —

(1) यमन जनवादी गणतन्त्र
(2) सनेगल
(3) अर्जेनटाइना
(4) कोलम्बिया
(5) कोरिया गणतन्त्र
(6) सूडान
(7) गुआना

(ख) और (ग) : साँस्कृतिक करार सहयोग के मोटे-मोटे सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामान्यतया आदान प्रदान किये जाते हैं, जो सांस्कृतिक करारों के अनुसरण में विशिष्ट अवधियों के लिये तैयार किये जाते हैं। इन देशों के साथ अभी तक कोई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। तथापि इन देशों के साथ तदर्थ आदान-प्रदान किये गये हैं। विभिन्न देशों से सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न देशों से इस समय भारत में अध्ययन कर रहे राष्ट्रियों की संख्या इस प्रकार है :—

1. यमन जनवादी गणतन्त्र . . .	—	18
2. गुयाना	—	16
3. सूडान	—	4

Incentives to Circus Companies

†8675. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) number of prominent circus companies functioning at present in the country; and

(b) steps being taken by Government to provide incentive to the circus companies to ensure entertainment to the rural people at low cost?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) As per information received from the Indian Circus Federation there are 15 prominent circus companies functioning at present.

(b) The Government have been encouraging Circus as a recreational activity by granting of railway concession for troupes and their luggage etc. in respect of bonafide circus companies for their performances. The State Governments and Union Territory Administrations have also been advised to encourage Circus by exemption from payment of Entertainment Tax, provision of land for Circus shows at nominal rent, help in maintenance of law and order, temporary allotment of quota of foodgrains and other essential commodities.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान

8676. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान के बारे में 7 अप्रेल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 से 1974–75 की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को दी गई प्रति व्यक्ति धनराशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है।

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरूल हसन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति व्यक्ति के आधार पर अनुदान नहीं देता है अपितु विश्वविद्यालयों में स्तरों के निर्धारण और समन्वय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों और कालेजों की वित्तीय आवश्यकताओं को जांच करने के बाद निधियां आवंटित और वितरित करता है। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली कालेजों की अनुरक्षण अनुदान देता है जो कि आयोग की प्रत्येक जिम्मेदारी है और इसके लिए उसकी योजनेत्तर बजट में से विशेष निधियां दी जाती हैं। आयोग, केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं और सम्बद्ध कालेजों को विकास ससबंधी अनुदान देता है।

मांगे गये विकास संबंधी अनुदान की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए सुपरिभाषित क्रियाविधि है। योजनावधि के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश पर विश्वविद्यालयों के लिए विकास संबंधी

कार्यक्रमों संस्वीकृत किये जाते हैं। इस प्रकार नियुक्त की गई परीक्षण समितियां कार्यक्रमों और विनिधानों की सिफारिश करने से पहले संबंधित विश्वविद्यालयों के विकास के स्तर, उस क्षेत्र की आवश्यकताओं, विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों, उसके नामांकन, विभागों की संख्या, अध्यापक वर्ग की संख्या, इत्यादि पर ध्यान देती है। अतः उसके द्वारा अनुमोदित विशिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं के आधार पर विकास संबंधी अनुदान आधारित होते हैं।

जहां तक सम्बद्ध कालेजों का संबंध है, विभिन्न योनाओं के लिए कालेजों की सहायता की पद्धति के आधार पर आयोग द्वारा, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए विकास संबंधी अनुदान संस्वीकृत किये जाते हैं जिसमें आयोग का भाग कालेज और/अथवा प्रबन्ध राज्य सरकार का योगदान शामिल होते हैं। प्रायः जिन कालेजों को प्रबन्ध/राज्य सरकारों से पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं होती वे आयोग की योजनाओं से पर्याप्त रूप से लाभ नहीं उठा पाते।

आयोग उसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों उदाहरार्थ अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियां, ग्रीष्म संस्थान, अनुसंधान अनुदान, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम संगणक सुविधाओं, उच्च अध्ययन केन्द्रों इत्यादि के लिए भी विकास संबंधी अनुदान संस्वीकृत करता है। इस मामले में भी प्रति व्यक्ति के अधार पर नहीं अपितु संबंधित संस्था की क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद अनुदान संस्वीकृत किये जाते हैं ताकि उपलब्ध सीमित संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके।

कालेज विज्ञान सुधार योजना के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा के सुधार तथा कालेज मानविकी सुधार कार्याक्रिम के अन्तर्गत मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के विषयों में शिक्षण देने में सुधार करने के लिए भी आयोग शतप्रतिशत आधार पर सहायता देता है।

नगर निगमों में निर्वाचित निकायों का भंग किया जाना

8677. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद् के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री से यह अनुरोध किया है कि राज्य सरकारों द्वारा नगर निगमों में निर्वाचित निकायों को भंग करने अथवा विघटित करने की प्रक्रिया को रोका जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचित स्थानीय निकायों की बरखास्तगी अन्तिम कदम है जो केवल तभी उठाया जाता है जब कि किसी स्थानीय निकाय विशेष के क्रियात्मक तथा वित्तीय कार्यों को सुधारने में अन्य सभी प्रयास निष्फल हो जाते है।

स्थगत प्रस्ताव के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक बड़े ही महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव दिया था। महाराष्ट्र में 4 लाख सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से दो बार बातचीत की और कल रात महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो तो वह उनकी यह मांग स्वीकार कर सकते हैं। हड़ताल 16 दिन से चल रही है और महाराष्ट्र सरकार का प्रशासन पूर्णतः प हो गया है। इस लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य से सम्बन्धित मामला है। फिर भी जब यह मामला शुक्रवार को उठाया गया था तो मैंने इसे मंत्री महोदय के पास भेज दिया था जो उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपकी विनिर्णय को समझना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बिना समझे ही बोल रहे हैं समस्या यह है। मैंने यह कहा है कि चर्चा का आपर्याप्त अवसर है ..... (**व्यवधान**) मैं भी वक्ताओं में एक वक्ता हूं।

श्री एस एम बनर्जी (कानपुर) : आप सदन के एक मात्र अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन का अध्यक्ष अवश्य हूं किन्तु जब मैं बोलता हूं तो मैं वक्ता हूं किन्तु जितना ऊंचा आप बोल सकते हैं उतना ऊंचा मैं नहीं बोल सकता।

प्रो० मधु दण्डवते, आपने उस दिन इस प्रश्न को उठाया था, आपने इसे पुनः उठाया है। मैंने आपको बताया है कि वित्त मंत्री उत्तर देते हुये इस बात का घ्यान रखेंगे।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीनी (1974-75) के उत्पादन के लिए मुल्य निर्धारण

संशोधन आदेश 1975

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनबाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1974-75 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०नि० 204 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी 9600/75)।

गुजरात अधिसूचनाएं

(ii) (क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण तथा भर्ती) (पांचवां संशोधन) नियम, 1973, जो दिनांक 19 अक्तूबर, के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी /73–194/पी बी एन/1072/8235/ टी एच में प्रकाशित हुए तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण तथा भर्ती) (संशोधन) नियम, 1974, जो दिनांक 2 फरवरी, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी 21/पी आर आर/1072/10524/ टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग) अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9601/75)

उर्वरक संशोधन आदेश 1975

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975, जो दिनांक 16 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 203 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सां० नि० 207 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) उर्वरक (लाने ले-जाने पर नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1975, जो दिनांक 19 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां०सां०नि० 208 में प्रकाशित हुआ था । ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9602/75

तमिलनाडू कृषि उदयोग निगम लिमिटेड मद्रास का वर्ष 1972-73 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तमिल नाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एकप्रति लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 9603/75)

नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रमाण) प्रतिषेध अधिनियम 1972 के अन्तर्गत गुजरात सरकार के आदेश तथा गुजरात गन्दी बस्तियां सुधार सफाई तथा पुर्नविकास आधिनियम 1973 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रमाण प्रतिषेध) अधिनियम 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(1) श्री हरिभाई नत्थूभाई देसाई, काबिलपुर, तालुक नवसारी, जिला बुलसर के मामले में दिनांक 1–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी–2074–56749-पांच ।

(2) आशा कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 1–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी–1474–135087–पांच

(3) सरकार पटेल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बोरियावी, तालुक आनन्द जिला कैरा के मामले में दिनांक 3–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी 2474/67280–पांच ।

(4) जयलक्ष्मी कोआपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 4–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी–1474/83708–पांच ।

(5) डा० वी० वी० देसाई, नाडियाड, तालुक नाडिया, जिला कैरा के मामले में दिनांक 8–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी 24/47/93102–पांच ।

(6) श्रीमती शरदे राजे गायकवाड़, बड़ौदा, के मामले में दिनांक 11–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी–1774/127686–पांच ।

(7) श्री नत्थूभाई केशवभाई पटेल, निदेशक, काडोडरा पेपर ईडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, काडोडरा, जिला सूरत के मामले में दिनांक 16–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/90–91/75 ।

(8) श्री रजनीकान्त छोटालाल गांधी, चीफ प्रोमोटर तिरुपति इन्डस्ट्रीयल कोग्रपरेटिव, सर्विस सोसायटी, सूरत के मामले में दिनांक 16-4-1975 का ग्रादेश संख्या वी सी टी/एस ग्रार 94/74 ।

(9) श्री गिनार पेस्टीसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड, दौलतपाड़ा, तालुक जूनागढ़, जिला जूनागढ़ के मामले में दिनांक 7–4–1975 का ग्रादेश संख्या लैण्ड 2 सी 652 ।

(10) बुलसर के श्री नन्थुभाई वासनजीभाई देसाई तथा ग्रन्य के मामले में दिनांक 8–4–1975 का ग्रादेश संख्या सी एच/वी सी टी/ग्रार/जी–6/75 ।

(11) श्री महेश कुमार धनुसुखलाल मुन्शीं, साझीदार, बड़ोच रबड़ इन्डस्ट्रीज, बड़ौच के मामले में दिनांक 18–4–1975 का ग्रादेश संख्या एल एन डी/वी सी टी/एस ग्रार–डब्ल्यू एस–10/12 ।

(12) श्री रामकृष्णवाला इन्डस्ट्रीज, लिमडी, तालुक मिडी, जिला सुरेन्द्रनगर के मामले में दिनांक 24–4–1975 का ग्रादेश संख्या लैण्ड/वीसीटी/74 ।

(13) श्री गोविन्दभाई खीमाभाई मकवाना, डुढ़रेज, तालुक वधवान, जिला सुरेन्द्र-नगर के मामले में दिनांक 18–4–1975 का ग्रादेश संख्या वी सीटी/डब्ल्यू एस–1464/75/

(14) लक्ष्मी काटन जिन्निग फैक्टरी धोलका, जिला ग्रहमदाबाद के मामले में दिनांक 5–4–1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी/एसग्रार/ 218/7(3) ।

(15) श्रीमती ग्रमीनाबीवी मोहमदग्रली कदारी, ग्रहमदाबाद के मामले में दिनांक 7–4–1975 का ग्रादेश संख्या वी सी/टी एस ग्रार/201/7 (3) ।

(16) श्रीहरजीभाई मेधजीभाई पटेल, डाड्सर, जिला ग्रहमदाबाद के मामले में दिनांक 7–4–1975 का ग्रादेश संख्या वीसीटी/एस ग्रार/176/7(3) ।

(ख) (ए) उपर्युक्त ग्रादेशों को सभा पटल पर रखते में हुए विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने क कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) । (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी 9604/75)]

(क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात गन्दी बस्तियां (सुधार सफाई तथा पुर्नविकास) ग्रधिनियम, 1973 की धारा 5 की उप-धारा (2) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात ग्रधिसूचनाग्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) ग्रधिसूचना संख्या जी एच/जे/11/75 एस सी बी–1073/ए–I, जो दिनांक 22 मार्च 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) गुजरात गंदी बस्तियां (सुधार सफाई तथा पुर्नविकास) नियम, 1975, जो दिनांक 27 मार्च, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या जी एच/जे/12/75 एस सी बी–1073–ए–1 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) अधिसूचना संख्या जी एच/जे/13/75/एससीए/1575/782/ए (एक), जो दिनांक 28 मार्च, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) अधिसूचना संख्या जीएच/जे/14/75/एससीए/1575/783/ए (एक), जो दिनांक 28 मार्च, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी० 9605/75] ।

भारतीय खान विद्यालय धनबाद का 1972-73 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तथा विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता में न्यासधारियों की अधिकारी समिति का प्रतिवेदन तथा भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1275 दिनांक 30.11.74 दर में शुद्धि

शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण वाला एक विवरण (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9606/75]

(2) विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारी समिति, के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9607/75]

(3) भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 455 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1275 में संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9608/75]

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(ग) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 31-सीमा-शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 मई, 1975 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9609/75]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

142 वां, 165 वां, 173 वां और 176 वां प्रतिवेदन

महासचिव : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

लोक लेखा-समिति (1974–75) के निम्नलिखित प्रतिवेदन, जो लोक लेखा समिति के तत्कालीन सभापति श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा 30 अप्रैल 1975 को उस दिन सभा के स्थगित होने के पश्चात् अध्यक्ष को पेश किये गये थे,

(1) भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रेलवे) में सम्मिलित रेलों के वित्तीय परिणामों और आय से संबंधित पैराग्राफों पर समिति के 120वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यावाही संबंधी 142वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रेलवे) में सम्मिलित रेलों में कम्पूटरों के लगाये जाने से संबंधित पैराग्राफ 42 और 43 पर समिति के 127वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी 165वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 1, सीमा शुल्क संबंधी अप्रत्यक्ष कर–सीमा शुल्क राजस्व की छूट और परित्याग–एथिल अल्कोहल का आयात के पैराग्राफ 14 (दो) पर 172वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 34 पर 173 वां प्रतिवेदन।

(5) निगम कर–नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड के संबंध में 176वां प्रतिवेदन।

दिल्ली के आस-पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत विकास के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 95 के 24 फरवरी 1975 को दिये गये उत्तर की शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 95, DATED 24TH FEBRUARY, 1975 RE. DEVELOPMENT UNDER NATIONAL CAPITAL REGION PLAN AROUND DELHI

निर्माण और आवास मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं दिल्ली के आसपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत विकास के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 95 के 24 फरवरी, 1975 को दिए गए उत्तर का उल्लेख करता हूं और मैं खेद प्रकट करता हूं उस में अशुद्धि हो गई है ।

राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर नगर के अतिरिक्त जैसा कि विवरण में पैराग्राफ 1 में उल्लेख किया जा चुका है, खेवल नगर भी उन नगरों में सम्मिलित है जिनका विकास किया जाना है ।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना में अति उत्तम विकास सम्भावनाओं में क्षेत्रीय नगरों की संख्या नरेला के अतिरिक्त जो कि दिल्ली संघ क्षेत्र में है, 17 होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना में सम्मिलित किए गए प्राथमिकता वाले नगरों की वास्तविक संख्या के बारे में स्थिति की जांच करनी होगी क्योंकि प्राथमिकता वाले नगरों को चुनने के आधार की योजना में स्पष्ट नहीं किया गया है । इसके लिए योजना के व्यापाक आधार पर जांच करनी होगी अत : शुद्धि करने वाला विवरण प्रश्न के उत्तर देने से सात दिनों की अवधि के अन्दर नहीं दिया जा सका है ।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हरिजनों के मकानों के जलाये जाने और उनकी हत्या के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. BURNING AND KILLING OF HARIJANS IN GHAZIPUR, (U.P.)

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : महोदय, उत्तर प्रदेश के राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार गाजिपुर जिले में गांव शेरपुर के दो भूमिहर, रामचन्द्र राय और मंगला राय 26 अप्रैल, 1975 की रात्रि को जब बाहर सो रहे थे तो कुछ व्यक्तियों ने उनपर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी । लगभग 12 आक्रमणकारी कुल्हाड़ों से लैस थे और उन्होंने बन्दूक से गोलियों भी चलाई । 27 अप्रैल, 1975 को प्रात : काल भूमिहरों ने दो हरिजनों, राधेश्याम और बनारसी को उपरोक्त हत्या करने में उनका हाथ होने के संदेह में पकड़ लिया और पीट-पीट कर उन्हें मार डाला । इसके बाद लगभग चार-पांच सौ भूमिहरों की एक भीड़ ने गांव में हरिजनों की बस्ती को घेर लिया और सुबह लगभग 7.30 बजे उस में आग लगा दी । हरिजन परिवार बस्ती से निकल कर भाग गए । भूमिहरों ने कुछ हरिजनों की पिटाई भी की । हरिजनों का अधिकांश सामान व अनाज अग्निकाण्ड में नष्ट हो गया । 16 पशु भी मारे गए कुल मिला कर हरिजनों के 241 मकान नष्ट हुए, जिस से 1,550 व्यक्ति प्रभावित हुए ।

2. सूचना प्राप्त होने पर थाना मोहम्मदाबाद और भंवरकोट की पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची और भूमिहरों के और आक्रमण से हरिजनों को बचा लिया । महिलाओं और बच्चों को

पुलिस संरक्षण में सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। लगभग 15 हरिजनों का अस्पताल में इलाज किया गया जिनको चोट लगी थी। जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, गाजिपुर भी दिन में 10.30 बजे प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस की एक प्लाटून के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया।

3. इन घटनाओं के संबंध में थाना भंवरकोट में दो मामले दर्ज किये गये हैं। 2 भूमिहरों की हत्या के बारे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/302 के अधीन दर्ज किये गये आपराधिक मामले संख्या 46/75 में एक अभियुक्त हरिजन शिवनाथ गिरफ्तार किया गया है। 2 हरिजनों की हत्या और बाद में हुई आगजनी के बारे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/307/302/395/429/436 के अधीन दर्ज किए दूसरे आपराधिक मामला सं० 47/75 में 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामले में अपराध शाखा द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। विशेष जांच तथा हरिजन सैल के कार्यप्रभारी उप महानिरीक्षक और लखनऊ के विशेष आसूचना शाखा के कार्यप्रभारी पुलिस अधीक्षक ने भी क्षेत्र का दौरा किया और जांच पड़ताल की। शांति बनाये रखने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

4. हरिजनों को बर्तन, आटा, व सब्जियां और खाने के तेल के वितरण के लिए स्थानीय प्राधिकारियों ने तुरन्त राहत प्रबन्ध किए। प्रभावित परिवारों में नकद राहत का भी वितरण किया गया है। अब तक 20,000/– रुपए खर्च किये जा चुके हैं। परिवारों को फिर से बसाने के लिए कपड़े और आवासीय राज्य सहायता के वितरण का भी प्रबंध किया जा रहा है। नवीनतम सूचना के अनुसार सहायता की धन राशि 35,000.00 रु० हो गई है। इसके अतिरिक्त 50,000.00 रु० मुख्य मंत्री के विपत्ति राहत कोष से सहायता उपायों को बढ़ाने के लिए दिए हैं। वितरण के वास्ते 16,000.00 रु० मूल्य का कंट्रोलड क्लोथ खरीदने के लिए सभी प्रबंध भी कर लिए गये हैं।

5. सरकार को इस दुखद घटना पर अत्यधिक खेद है जिसके परिणामस्वरूप 4 व्यक्ति मारे गये और हरिजन बस्ती को काफी क्षति हुई। यह सुनिश्चित करने के लिये कि अपराधियों को तत्परता से दण्ड दिया जाय और पीड़ितों को पर्याप्त राहत दी जाय, आगे किए जानेवाले उपायों के बारे में हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।

Mr. Speaker: Mr. Sarjoo Pandey. Kindly sit down. Time has been fixed for discussion on it.

निर्माण और आवास और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है शायद माननीय सदस्य छुआछूत सम्बन्धी मामले पर बहस का उल्लेख कर रहे हैं स्थिति यह है कि हम सदन में एक अस्पृश्यता अपराध विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं इससे सदस्यों को उस पर चर्चा करने का अवसर मिल जायेगा.... (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रणा संबंधी समिति के निर्णय के अनुसार तय करेंगे आज वित्त विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होगी। आप अब भी उठ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता। आप क्या कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं पुकारा।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur): I have given a notice under rule 377 about the University Teachers of Madhya Pradesh......

Mr. Speaker: Nothing to-day. No notice will be taken of anything.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

55 वां प्र तिवेदन

55TH REPORT

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 55वें प्रतिवेदन से, जो 2 मई, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 55वें प्रतिवेदन से, जो 2 मई, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया था; सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० रघुरामैया : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । शुक्रवार को जब मैंने सदन के कार्य संबंधी घोषणा की थी तो उसमें जरा सी गलती से मैं छोटे छोटे 2 विधेयकों का नाम बताना भूल गया था जो अधिवेशन की कार्य-सूची में शामिल थे । वह विधेयक है अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, तथा भूतपूर्व राज्य सचिव सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) (संशोधन) विधेयक कृपया इन्हें कार्य सूची में शामिल कर लिया जाये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा । अब अगला कार्य लिया जायेगा ।

कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) संशोधन विधेयक

COMPANY (TEMPORARY RESTRICTION ON DIVIDEND) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी (लाभाशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है आज भी आधे घन्टे की चर्चा पर बहस नहीं होगी आज केवल वित्त विधेयक पर बहस होगी। मंत्री महोदय कब उत्तर देंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आज 2 बजे दोपहर को उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त विधेयक पर चर्चा आरम्भ की जायेगी।

श्री पैन्यूली, वह नहीं है, डा० कैलाश :

वित्त विधेयक, 1975—जारी

FINANCE BILL, 1975—Contd.

Dr. Kailas (Bombay South): The Finance Minister deserved to be congratulated for the concessions he has announced. These concessions are very well considered and it is hoped that they would go a long way in mitigating the hardships of the persons concerned. But it is not understood why the Finance Minister fixed the exemption limit of income tax at Rs. 6000. Since the number of assessees in the income group of Rs. 6000 to Rs. 12,000 is very large. The Income Tax Officers have to do a lot of work. In the circumstances why did the Finance Minister not think of extending the exemption limit to Rs. 10,000?

In these days of rising prices, it is very difficult for a person with an income of Rs. 100 per month to meet the expenses of his family. So it will be very difficult for him to pay 15 per cent income tax. It will be a great relief to him if this rate is reduced to 5 per cent.

As regards black money, both in the budget and the Finance Bill measures were taken to check this evil—and evidently those measures are having the desired effect. Nevertheless, special watch should be kept on the foreign companies which are sending out huge amounts. These companies should not be spared for fear of any international repercussions when this country is progressing, these companies have been exploiting it for years together. Some restrictions should be imposed on them.

40 lakh employees of Maharashtra Government are on strike for the last 16 days in support of their demand for D.A. at par with Central Government employees. In this regard the Finance Minister has favoured a uniform policy throughout the country. The Chief Minister of Maharashtra has had a talk with the employees for finding out a solution. There should be a way out for

[Dr. Kailas]

such problems in future because it is not the case of Maharashtra but it happens in other States also. It should be the practice that whenever the D.A. of Central Government employees is increased, State Government employees should also be benefited. There should be coordination betwen the Centre and the State Governments.

The Congress Governments both at the Centre and in the States have always kept the interests of the country above everything else. That is why even in the present election year the Finance Minister has not refrained from increasing taxation and it is hoped that under his able guidance this year would come out to be a year of all round prosperity in the country. In the end I would request the Finance Minister as to why the taxable income has not been raised beyond Rs. 6000 so that we may convince the people. With these words I support the Finance Bill.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि 33 करोड़ रुपए की कर-रियायत दी गई है। किन्तु उन्होंने इस का विवरण नहीं दिया है और इसके बिना यह मालूम नहीं हो सकता है कि किस वर्ग को रियायत मिली है।

बजट तथा वित विधेयक पर विचार करते हुए हमें अपर्याप्त प्रगति प्रति व्यक्ति आय में गिरावट, 67 प्रतिशत जन संख्या का निर्धनता के स्तर से नीचे हो जाना और कुछ छूट के बावजूद अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव की पृष्ठभूमि में जाना होगा। जहां तक कराधान का सम्बन्ध है वांचू समिति की सिफारिशों के एक पहलू को सरकार ने स्वीकृत किया है। परिणामस्वरूप अधिकतम सीमान्तिक कराधान की दर 97.75 प्रतिशत से घटा कर 77 प्रतिशत की गई है। मेरा वित्त मंत्री से यह निवेदन है कि जैसे उन्होंने वांचू समिति के एक पहलू को माना है उसी प्रकार करों के ढांचे पर भी जहां तक उसका सम्बन्ध निम्न वर्गों से है इसी प्रकार का तर्क लागू करना चाहिए। सम्पूर्ण करों के ढांचों में समान संशोधन होना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस विशेष पहलू पर भी विचार करेंगे।

सभी वित मंत्री यह कहते आये हैं कि देश में एक समानान्तर अर्थव्यवस्था है और यह काले धन की अर्थव्यवस्था है। हमें आशा है कि वित मंत्री न केवल इस समस्या का समाधान करेंगे किन्तु ऐसे उपाय भी करेंगे कि जिससे काले धन का पता लगे या इसके अधिकांश भाग को चलन से बन्द किया जाये।

दुर्भाग्य से प्राथमिकता की समस्या के बारे में जो रवैया था वह सब गलत हो रहा है। कृषि उत्पादन की योजना में हम इस महत्वपूर्ण बात को भूल गये कि आज लोगों को खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है। इसके विपरीत जब कभी चीनी और खाद्यान्नों को प्राथमिकता देने के बारे में वाद-विवाद उठा तो हमने सदैव चीनी के उत्पादन को ही प्राथमिकता दी है। अतः प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक रूई की उपज का सम्बन्ध है इस में वित्तीय पहलू आवश्यक रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में रूई, की एकाधिकार वसूली करने के लिए प्रगतिशील प्रयोग किया गया था लेकिन इस योजना में अनेक त्रुटियां थीं। इसलिए चुने हुए क्षेत्रों में रूई की एकाधिकारी वसूली नहीं की जा सकती है जबकि रूई उत्पादकों को सभी क्षेत्रों में एकाधिकार वसूली वाले राज्य के आसपास के क्षेत्रों में

उन्मुक्त स्पर्धा की दया पर निर्भर रहना होगा । अत : एकाधिकारी वसूली योजना का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जाना चाहिए और साथ ही इस योजना को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने और छोटे रूई उत्पादकों के संरक्षण के लिए अधिकाधिक वित्तीय सहायता और ऋण उपलब्ध किये जाने चाहिए ।

बहुत से सदस्यों ने वेतन की समस्या के बारे में भी कहा है । श्री सालवे ने वेतन को उत्पादकता के साथ जोड़ने की आवश्यकता के बारे में कहा है । किन्तु मैं सभा को आगाह करना चाहता हूं कि वेतन को उत्पादकता के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति खतरनाक है क्योंकि उत्पादन के सम्बन्ध में श्रम शक्ति महत्वपूर्ण है और अन्य तत्व भी हैं जिन पर उत्पादन निर्भर करता है और श्रम शक्ति का पूरा उपयोग होने के बाद भी ये तत्व उत्पादन गिरा देते हैं ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान है कुछ का राष्ट्रीयकरण किया गया । यह अच्छी बात हुई है कि छोटे उद्यमकर्ताओं को संरक्षण दिया गया है आशा है इससे उन्हें अधिक ऋण दिया जायेगा तथा देश में छोटे उद्योगों के इन्फ्रा-ढांचे तैयार किये जायेंगे तथा एक ओर देश में अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण होगा तथा ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा और पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा । किन्तु इस नीति में कई त्रुटियां भी हैं । वित मंत्रालय द्वारा परिपत्र भेजे जाने के बावजूद कि पिछड़े क्षेत्रों को बैंकों से रियायती दरों पर ऋण की सुविधायें दी जानी चाहिएं, समुद्रतटीय क्षेत्रों में काजू उद्योग जैसे लघु उद्योगों को यह विशेष ऋण सहायता उपलब्ध नहीं की गई है । ऋण नीति की इन त्रुटियों को दूर किया जाना है ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में अधिक कार्यकुशलता और लाभ प्रदता सुनिश्चित की जा सकती है । उदाहरण के लिए जहाजरानी निगम ने 1973-74 में पहले वर्ष के 13 करोड़ रुपए की अपेक्षा 24 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है । किन्तु कुछ क्षेत्र पीछे रह गये हैं । इन उपक्रमों की कुशलता उनमें सुधार कर बढ़ाई जा सकती है । दुर्भाग्य से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारी भ्रष्टाचार है । इसे समाप्त किया जाना चाहिए जिससे इन उपक्रमों का विकास हो । सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दी जानी चाहिए ।

जहां तक राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में विवाद है, वास्तव में राष्ट्रीय क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र की एक प्रगति की स्थिति है । यदि देश में उत्पादन बढ़ाना है और इसका समान वितरण करना है तो इसे और क्रियाशील बनाया जाना चाहिए । यदि सरकारी क्षेत्र में जनता भी रूपया लगाये तो क्या हानि है । इससे वित्त लाभ और कुशलता ही बढ़ेगी ।

महाराष्ट्र सरकार के 4 लाख कर्मचारी गत 16 दिन से हड़ताल पर हैं । केन्द्रीय सरकार का भी इसमें हाथ है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री बराबर यह कह रहे हैं कि वे केन्द्रीय वित्त मंत्री से सम्पर्क बनाये हुए हैं और यदि आवश्यक सहायता मिलती है तो समाधान हो सकता है । 6 या 7 राज्यों में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता मिलना है किन्तु महाराष्ट्र में कोई समानता नहीं है अत: महंगाई भत्ते में समानता सम्बन्धी इस विशेष मांग को केन्द्र को स्वीकार करना चाहिए और वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री पी० अंकिनीड् प्रसाद राव (ओंगोल): मैं मंत्रालय की इस बात की सराहना करता हूं कि मंत्रालय ने देश के संसाधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा समाज के संवेदनशील वर्गों पर न्यूनतम भार डालने हेतु बजट प्रस्ताव तैयार किये हैं। ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने, तस्करी विरोधी अभियान तेज करने तथा अन्य जो उपाय मंत्रालय ने किये हैं उनसे मूल्य वृद्धि रुकी है और देश की जनता में विश्वास उत्पन्न हुआ है।

इस वर्ष से खण्डसारी चीनी मिलों पर यौगिक शुल्क प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। अब तक केवल कार्यरत मशीनरी पर ही शुल्क लगता था और स्थापित क्षमता पर यह नहीं लगता था। क्योंकि कुछ मशीनों को उन्हें आरक्षित रखना होता है जिन्हें वे आपात कालीन स्थिति में प्रयोग करते हैं। संशोधन शुल्क सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पों पर भी लगेगा जिनका प्रयोग दूसरे पम्पों के खराब होने पर किया जाता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि शुल्क केवल कार्यरत मशीनों पर ही लगना चाहिए और स्थापित क्षमता पर नहीं लगना चाहिए।

यद्यपि हमारा निर्यात 7 या 8 प्रतिशत से बढ़कर 12 से 13 प्रतिशत हुआ है फिर भी हम लगभग 500 करोड़ रुपये के प्रतिकूल व्यापार संतुलन से पीछे हैं। जब तक हम आयात और निर्यात में संतुलन नहीं करते तथा प्रतिकूल व्यापार संतुलन को दूर नहीं करते तब तक हम इस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं बना सकते। इस दिशा में अब तक जो प्रयास किये गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। हमें अपना निर्यात इतना बढ़ाना चाहिए कि हम अपने आयात और निर्यात को संतुलित बना सकें। हमने काफ़ी अनावश्यक वस्तुओं का आयात कम किया है। दुर्भाग्यवस कृषि प्रधान देश होने पर भी हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता है। अतः हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिए और यह पर्याप्त प्रयत्नों, उचित आधार मूल्य और कृषकों को अच्छी सलाह देकर किया जा सकता है। गैर सरकारी और सराकारी क्षेत्र की एजेंसियों के व्यापार शिष्ट मण्डलों तथा सर्वेक्षण दलों के निर्यात संवर्धन कार्य पर ही निर्भर करने के बजाय हमें यह कार्य अपने वाणिज्यिक राजदूतावास को सौंपना चाहिये। निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में हमें विश्व के व्यापार में परिवर्तनशील रवैयों और परिवर्तनशील राजनीतिक परिस्थितियों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। हमें केवल कृषि मदों और पारस्परिक मण्डियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें नई मण्डियों की खोज करनी है जहा हमें नयी वस्तुओं का निर्यात करना है।

कृषि के सम्बन्ध में हमने दोहरी नीति अपनाई है। जब हम बाहर से कृषि उत्पादों का आयात कर रहे हैं तो हमें अपने कृषकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। किन्तु जब कृषक उत्पादन बढ़ाते हैं और हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हम उन्हें भूल जाते हैं और गैर सरकारी व्यापारियों की कृपा पर उन्हें छोड़ देते हैं। हमें कृषकों को एक आधार मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए ताकि मूल्य घटने पर सरकार खरीददारी करे। मूल्य वृद्धि होने पर तो नियंत्रण है। इससे कृषकों की अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी और उसे आवश्यकता पड़ने पर अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अतः सरकार को मूल्यों में गिरावट आने पर कृषकों की सहायता करनी चाहिए। किन्तु सरकार का आज जो रुख है विशेष रुप से रुई, पटसन, तम्बाकू, और अन्य वाणिज्यिक फ़सलों के बारें में वह ठीक नही है। यद्यपि इनसे विदेशी मुद्रा मिलती है किन्तु इनके मूल्यों में गिरावट आने पर सरकार उनकी सहायता नहीं करती है। रूई का इस सम्बन्ध में उदाहरण है। रूई का उत्पादन बढ़ा है और हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। किसान का दोष केवल यह रहा है कि उसने लम्बे रेशे वाली रुई पैदा की है। किन्तु दुर्भाग्य यह है कि रुई निगम कृषको के बजाय मिल मालिकों के समर्थन में ही अपनी भूमिका निभा रहा है। जब मूल्य बढ़ जाते है तो निगम कृषकों से कम मूल्य पर कपास खरीदता है और इमदादी मूल्य पर मिल-मालिकों को बेच देता है और जब मूल्य गिर

जाते हैं तो यह मंडी में कदम ही नहीं बढ़ाता है। और यदि बड़ी हिचकिचाहट के बाद यह मण्डी में आता है तो यह पहले ही कह देता है कि वह बाजार भाव पर रूई खरीदेगा। सरकार या मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये उचित मूल्य पर नहीं खरीदेगा। कारखाने के मालिकों के हित में तथा उत्पादकों के अहित में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने रूई की खरीद के लिए जो धनराशि दी उसमें से केवल दसवां अथवा पन्द्रहवां भाग ही निगम के पास रखा गया और इससे वे जो कुछ भी करना चाहते थे न कर सके।

रूई निगम द्वारा ही न केवल मिल मालिकों की रक्षा की गई किन्तु सरकार भी रूई के निर्यात की अनुमति न देकर उनकी रक्षा करती हैं। मंत्री महोदय ने इस बारे में आश्वासन दिया था कि लेकिन उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार जब तक इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करती है और उत्पादकों से उचित मूल्य पर रूई नहीं खरीदती है तो रूई का अगले वर्ष वहीं दशा होगी जो इस वर्ष पटसन की हुई है और अगले वर्ष हमें अधिक मात्रा में रूई का आयात करना पड़ेगा।

Prof. S. L. Saksena (Maharajganj): Mr. Speaker, Sir, Finance Minister has given concessions of Rs. 33 crores. He has given one concession on Khandsari industry because there has been lot of criticism in regard to terminating compounded levy but now he should know that no khandsari producer would opt for compounded levy. He has put two conditions. Firstly those producers will have to pay two and a half times more compounded levy who use sultification process and others will have to pay double compounded levy. Secondly now they will have to pay duty right from the Start of the crushing till the crushing is over without any consideration of the days they were closed. Khandsari industry, poor as it is, cannot bear such a heavy duty. Now every one will pay the Standard levy which is at the rate of Rs. 50 per bag. Since this duty will be based on production, the producers will show less production by bribing excise Staff and thus the Government will suffer a big loss.

It has also to be borne in mind that in Uttar Pradesh purchase tax on this industry has been doubled and a heavy burden has been put on it. If Government want to impose compounded levy then the duty should not be increased. Any increase in duty would destroy this industry.

As regards nationalisation of Sugar Industry the Uttar Pradesh Government has no courage to bring it about. It is the Central Government which can bring it about. If this was not done the sugarcane growing farmers will always be in trouble.

The wages of sugar worker are very low. Whereas the minimum wage of textile industry in kanpur is Rs. 429, in this industry it is only Rs. 212. When there was much agitation, U.P. Government gave some D.A. Even then the wages in this industry were much low as compared to other industries. The Minister should see that justice is done to the Sugar workers.

This is a seasonal industry. The workers have to pull on the whole year on the wages of four months. Their demand for off season wages has not been acceded to. A promise had been made by the Labour Minister in December, 1973 that tripartite Conference would be called to fix the minimum wage in this industry. But nothing has so far been done in this regard. The Government should pay attention to this.

1250 L.S.—12

[Prof. S. L. Saksena]

As regards freedom fighters, the pension given to them is very meagre. They are paid only Rs. 200 whereas even a sweeper in textile industry in Kanpur gets Rs. 430. This is grave injustice to the freedom fighters. They should be paid at least Rs. 500 so that they can live respectably. Moreover same pension should be given to the months and widows of freedom fighters. They should also be given free medical treatment and like scheduled caste people reservation in services should be made for them. They should also be given lump sum grants for marriage purposes and loans should also be given to them for starting some business and construction of houses. There should be no condition of income in granting pension. It should be given to all irrespective of their income. An announcement has been made by Government that after 31st March, 1974 no application would be entertained from any freedom fighter for grant of pension. This is wrong. Due to faulty publicity of Government some genuine freedom fighters can not know about the expiry date. Therefore application should be entertained and pension should be granted.

The condition of postal services has worsened. Telegrams reach after 15 days and there is no affect of the reports made in this regard. Improvements should be made in telephone and telegraph services so that people are facilitated.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri Garhwal): Mr. Speaker, Sir, I want to congratulate the Finance Minister for his finance Bill. The Concessions given by Finance Minister will help in making country self-sufficient and improve economy as also help in increasing exports and increasing foreign exchange earning.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठ सीन हुए)

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The new import policy will encourage production of those commodities which are essential and which though produced in our country but are smuggled due to heavy duty on them.

60 percent of our foreign exchange expenditure covers payments for food-grains, oil and fertilizers. We have therefore, to be self dependent in these commodities as also have additional production thereof. But it is sad that we are also exporting many such commodities which we urgently need in our country. We should first see to our requirement and production and then start exporting only when we see there is no shortage thereof in the country.

Some time ago it was reported in the newspapers that we are going to send 16,000 Doctors, Engineers and technicians to Iran. We have to spend a lot on the training of these people. Now instead of utilising their services in our country, we are sending them to other countries. It is sheer wastage of money. It is, therefore, essential to change our import and export policy.

Secondly, I want to submit that recently a seminar was held about the hill areas. In this seminar it was emphasised that the people of planes have been exploiting hill people and their natural resources for a long time. This exploitation must be stopped. There should be a separate development plan for these areas and allotment of funds should also be made separately for that purpose.

In the end I would like to submit about our constituency—Tehri-Garhwal. Ever since the Third Plan we have been hearing about the scheme for constructing a big dam in Tehri-Garhwal, which will be Asia's biggest and No. 2 in the

whole world. Now even the Fourth Plan has passed but there are no signs of this dam so far. Since this dam is very necessary for the development of this area, an early decision should be taken in this regard.

Shri Ram Singh Bhai (Indore): Mr. Deputy Speaker, I welcome this measure. The Finance Minister deserves congratulations for taking strict measures to control the evils of hoarding, profiteering and smuggling which have created a favourable atmosphare in the country setting in a good trend of decline in prices.

Ordinances were issued last year regarding compulsory deposits etc., and restrictions were imposed on the emoluments of workers. We did not oppose but welcomed it. The workers also did not oppose ......(*Interruption*)...... but I would like to submit that the workers are ignorant today as to what amount was deducted from their salary and where it was deposited. For this purpose a passbook should be issued to each worker, so that it may be within his knowledge as to what deductions are made and how much amount is credited to his account. The Finance Minister should look into this matter.

Secondly, the mill owners are using the amount of gratuity as their working capital and they are not paying the amount of gratuity to workers. I would like to suggest that a trust should be formed on the lines of the Provident Fund Trust. A legislation for the purpose can be enacted to achieve it.

There was some labour trouble at the Security Paper Mill at Hoshangabad. In accordance with the Factories Act, the workers should be given rest interval, the amount of lay-off and equal pay for equal works, particularly to female workers.

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दमान) उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट का सम्बन्ध है, इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। वित्त विधेयक का काम तो यही रह गया है कि गरीब लोगों पर अधिकाधिक कर केसे लगाये जायें। हमने देखा है कि गत वर्ष से प्रत्यक्ष करों मे कटौती के रुप में तथा धनी लोगों को रियायतें दी जा रही हैं। नौवहन और होटल जैसे उद्योगों को कर से मुक्त किया गया है। इस विधेयक द्वारा लाभांश घोषित करने सम्बन्धी पाबन्दियां हट जायेंगी।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। मजदूरों को वेतन स्थिर करण से क्षति पहुंच रही है और कम्पनियों, पूंजीपतियों, बड़े बड़े व्यापारियों तथा एकाधिकारियों द्वारा लाभांश पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और अब लाभांश वापस किया जा रहा है। स्वभावत: लोगों को कठिनाइयां होंगी। यह तो निहित स्वार्थ वाले लोगों और एकाधिकारियों के घुटने टेकने के अलावा और कुछ नहीं है। इससे सरकार के वास्तविक स्वरुप का पता लगता है।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, 1974 में 85 लाख बेरोजगार थे जिसमें शिक्षित बेरोजगार की संख्या 40 लाख से अधिक है। हमने एक त्वरित कार्यक्रम अपनाया है। गत वर्ष के बजट में कुछ धन की व्यवस्था की गई थी जिसमें से लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। परन्तु वित्तमंत्री ने बजट में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है जैसे कि इस देश में यह समस्या ही नहीं है। सरकार ने इस समस्या को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

[श्री सोम नाथ चटर्जी]

मैं केवल इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस देश के पूर्वी क्षेत्र के प्रति घोर अन्याय किया जा रहा है। कच्चे माल की सप्लाई न किये जाने तथा उत्पाद-शुल्क लगाये जाने के कारण पश्चिम बंगाल के उद्योग संकट में पड़ गये हैं। उदाहरण के तौर पर हिन्दुस्तान मोटर्स बड़ी कठिनाई में है और 15,000 लोग रोजगार से वंचित होने वाले हैं। छोटे पैमाने के उद्योग भी संकट में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार का पूर्वी क्षेत्र के प्रति कोई दायित्व नहीं है। पूर्वी क्षेत्र से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक में वित्त मंत्री ने कतिपय रियायतों की घोषणा की है। स्लेट निर्माताओं और कपास-ओटाई उद्योग को एक प्रतिशत उत्पादन शुल्क की छूट देने के लिये वित्तमंत्री बधाई के पात्र हैं।

महोदय, हमारी विदेशी मुद्रा खाद्यान्नों, उर्वरक और कच्चे तेल पर अधिक खर्च होती है। खाद्यान्नों का आयात इस बात के बावजूद भी बढ़ता जा रहा है कि हम अधिकाधिक भूमि को सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी भी राष्ट्रीय जल नीति बनानी है जिसमें नदियों का उपयोग अधिकतम किया जाना होगा। अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण 106 योजनायें चालू नहीं की जा सकीं। इसका हमारे कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? हम जितनी जल्दी इन विवादों को निपटा लेंगे और अधिकाधिक भूमि में सिंचाई सुविधायें बढ़ायेंगे, उतनी ही जल्दी हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध में हम जिस नीति को अपनाते रहे हैं, वह राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं है। हमने नेप्था पर आधारित उर्वरक का उत्पादन किया है और इस बात की उपेक्षा की है कि हमारे पास कोयले का प्रचुर भंडार है तथा कोयले पर आधारित उर्वरक उत्पादन हमारी उर्वरक क्षमता के लिये एक स्थायी समाधान होगा। कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये हमें 'बम्बई-हाई' में कच्चा तेल प्राप्त करने के लिये प्रयास करने पड़ेंगे।

दूसरे, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि गत 25 वर्षों में तीव्र औद्योगिक विकास के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन बने हुए हैं। शहरी क्षेत्रों के आसपास उद्योगों का अभी भी जमघट है। मद्रास शहर में पीने के पानी की भारी कमी है। गांवों से शहरों में अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। 10 या 15 वर्ष पहले मद्रास की जनसंख्या 12 लाख थी। अब यह बढ़कर 30 लाख हो गई है। विशाखापटनम में इस्पात संयंत्र लगने जा रहा है। किन्तु वहां भी पेय जल की समस्या है। इन पहलुओं की भी छानबीन करनी होगी।

एक और बात बिजली की कमी है। बिजली और सिंचाई ये दो ऐसी चीजें हैं जिनसे उत्पादन बढ़ता है। इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति निराशाजनक है। हम राष्ट्रीय ग्रिड निर्माण की बात कर रहे है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने देश में बिजली के उत्पादन में वृद्धि हेतु सुपर तापीय संयंत्र स्थापित करने के लिये योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। यदि नहीं दिया है तो हमारे उद्योग, कृषि को क्षति पहुंचेगी और इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

हम नेवेली लिगनाइट निगम को 85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दे रहे हैं। जब हम इतनी धनराशि व्यय कर रहे हैं तब हमें उर्वरक उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। हमें उन राज्यों से बिजली लेनी चाहिये जहां इसका उत्पादन आसानी से हो सकता है।

देश में पन बिजली परियोजनायें अनेक वर्षों से अधर में लटकी हैं। उदाहरण के तौर पर श्री सेलम पन बिजली परियोजना है। इसकी मूल अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये थी। अब बढ़कर यह 152 करोड़ रुपये हो गई है। इसे अभी भी पूरा किया जाना है। इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी होगी। राष्ट्रीयकृत बैंक भी अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय संस्थाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उन्होंने कतिपय क्षेत्रों को ही सहायता दी है। मैं चाहता हूं कि वित्तीय संस्थायें पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को सहायता प्रदान करें।

वित्त मंत्री ने कतिपय रियायतों की घोषणा की है। निर्धारित क्षमता के बजाय अधिष्ठापित क्षमता पर लगायी गयी मिश्रित लेवी के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

मैंने अपने बजट भाषण में आयकर दाताओं के लिये छूट की सीमा बढ़ाने के बारे में प्रश्न उठाया था। बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी रियायतों के लिए आम सीमा जो, 12,000 रुपये है, को बढ़ाकर 30,000 रुपये की जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें।

Shri Vijay Pal Singh (Muzaffarnagar): Mr. Deputy Speaker, Sir, the present failure on various fronts as due to our wrong economic policies. The poor rural people are unable to get loans from banks or financial institutions. They are not provided with adequate employment opportunities. By the imposition of taxes on khandsari, the agriculturists have been severely affected. The Prime Minister should reconsider it seriously and try to exempt them from hundred percent levy.

Taxes are promptly realised from poor people but the big mill-owners and big business houses evade taxes with the result that large arrears are outstanding against them. The honourable Minister should state as to what measures are being taken to realise these arrears.

The incidence of tax on tobacco has to be borne by growers but the Excise Inspectors pocket the amount of tax instead of depositing it in the State treasury. It is not wrong if taxes are imposed even on poor people in the national and public interest, but it should also be seen that this money is utilised judiciously for the welfare of the people and in the interest of the country.

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat): Mr. Deputy Speaker, Sir. The tax proposals as envisaged in the Finance Bill are not realistic.

The financial assistance to farmers does not reach them due to corrupt practices adopted by Government Officials. Efforts should be made to see that the financial assistance is made available to farmers directly.

The tax on tobacco should be imposed not on the basis of its weight but on the basis of acreage of land under cultivation of tobacco, because the corrupt Government Inspectors misappropriates part of the tax revenue by resorting to various unfair means. Government can increase the rate of compounded levy but they should see that the tax revenue come to State Exchequer and it is not pocketed by corrupt Government officials. If necessary, rules should be amended to achieve this purpose.

[Shri Ram Chandra Vikal]

The condition of farmers today is very pitiable. The prices of agricultural produce are declining with the result that the income of farmers is going down. On the other hand they have to pay high prices for the commodities of their daily use under such conditions there is no reason why we should not pay more for their agricultural produce when we are paying high prices for our imports. The paradox in the present system is that those who grow the raw materials are getting for less profit than what the manufacturers or industrialists get. Efforts should be made to see that the real producers, the agriculturists are given remunerative prices for their produce, so that they get an incentive to reduce more.

Shri Bishwanath Roy (Deoria): Some opposition members have said that it is due to weakness of Government that our programmes are not being completed. Though it may be right to some extent, still we have achieved fairly a good success in economic field as well as in the field of foreign affairs. However, it is essential to make changes in our administrative structure. We have formed States on the basis of language and certain States like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar where people speak the same language, are contiguous, but in order to make, the administrator more alive to the current problems, the administrative units should be made smaller. Therefore, it is essential that these States are reorganised. Similarly the Parliamentary as well as the Assembly constituencies should be reorganised on a rational basis.

As regards backward areas, the Planning Commission should make financial allocation on the basis of economic backwardness as well as the extent of population. It is not known why special assistance has been stopped for eastern Uttar Pradesh. The Defence Ministry should make larger allocation for the construction of lateral road from Gauhati to Bareilly which should be extended upto Pathankot so as to provide defence for the entire northern border.

Gandak Project had been sanctioned on 1959 or 1960 and its work has been going on since then. But there are certain drawback in this project which should be removed. Adequate and special funds should be earmarked so as to complete this project as soon as possible. The work of digging canals should also be completed, so that production of foodgrains can be increased.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : वित्त मंत्री द्वारा दी गई करों की छूट का स्वागत है । परन्तु इन्हें मामूली राहत ही माना जाना चाहिए । पहले अन्धाधुन्ध कर लगाना और बाद में राहत देने की आदत छोड़नी चाहिये । 33 करोड़ रुपये की रियायत दी गई है । परन्तु दूसरी ओर लोगों पर कराधान किया गया है। पुस्तकों, कापियों और खण्डसारी आदि कुछ वस्तुओं को राहत दिया जाना प्रसन्नता की बात है ।

श्रम मंत्रालय के अनुसार 1974 में संगठित उद्योग में एक करोड़ कार्यदिवस नष्ट हुए । 1973 में नष्ट हुए कार्यदिवसों की तुलना में ये 50 प्रतिशत अधिक हैं । इसलिये कोई उत्पादन नहीं हुआ । 1974 में टाटा और बिड़ला को सरकारी वित्त संस्थाओं से भारी मात्रा में ऋण मिला । उससे उन्होंने अपनी सम्पदा में वृद्धि की । पर इसी वर्ष गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 70 प्रतिशत से बढ़ कर 77 प्रतिशत हो गई । गरीब और धनी के बीच का अन्तर काफी बढ़ा है । हम सरकार के इस समाजवाद को स्वीकार नहीं कर सकते ।

तस्करों और तस्करी के माल का क्या हो रहा है ? क्या आर्थिक अपराधों के निपटान के लिए कोई विशेष न्यायालय बनाने की योजना है । सरकार स्वयं इन अपराधों को स्थायी बना रही है और उन्हें प्रोत्साहित कर रही है । ये अपराध विशेषरूप से चुनाव के दौरान अधिक बढ़ जाते हैं ।

आपातकालीन स्थिति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने पास अत्यधिक शक्तियां रखने की इच्छुक है और आपात स्थिति को जारी रखना चाहती है । इसके लिए आर्थिक संकट होने का बहाना बनाया जा रहा है । संविधान में आर्थिक आपात का कोई उपबन्ध नहीं है । आर्थिक संकट के बहाने सरकार अत्यधिक शक्तियां ग्रहण करती जा रही है तथा 'आंसुका' के सम्बन्ध में उनका दुरुपयोग कर रही है । यह आपात स्थिति संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार का मजाक बना रही है । वस्तुतः आपात स्थिति संवैधानिक तानाशाही लाने की प्रक्रिया को अधिकाधिक सम्भव बना रही है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिए । महंगाई भत्ते को लेकर प्रबन्धकों और अधिकारियों के बीच लम्बी बातचीत हुई । यह मामला दिसम्बर, 1974 से मंत्री जी के पास पड़ा हुआ है । इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नर्मदा विवाद के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या आप इसका समाधान नहीं करना चाहते हैं ? हम गुजरात के लोगों की मांग है कि नवगांव बांध 550 फुट ऊंचा होना चाहिए ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने हाजरा में शिपयार्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है । गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक, व्यापक और उद्देश्य-पूर्ण रिपोर्ट दी है । उसने भूमि जल मुफ्त और सस्ते दामों पर श्रम तथा आवश्यक अवस्थापन उपलब्ध करने की पेशकश की है । नौवहन और परिवहन मंत्री ने कहा है कि इस समग्र मामले पर विदेशी तकनीकी फर्मों ने विचार किया है और अपनी रिपोर्ट पेश की है । इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । यदि हाजरा इसके श्रेष्ट स्थान है तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia): We have not been able to achieve self-sufficiency in matter of foodgrains even after 27 years of Independence, for which our defective planning appears to be responsible. No thought has been given so far to the question of running agriculture on industrial lines. We have vast water resources which should be harnessed fully for irrigation and fishing purpose.

Every year large parts in the country suffer a heavy loss due to floods. Efforts should be made to see that flood control measures prove really effective. The Central Government should frame some schemes and implement them Centrally.

Despite large number of sugar factories in Eastern district of U.P., the recovery of sugarcane is comparatively less. Steps should be taken to ensure better recover from sugar. The causes responsible for less recovery should

[Shri Chandrika Prasad]

also be found out. The farmers should be given assistance for cultivating more sugarcane so that sugarcane is available to Cooperative Sector Sugar Mills. Excise and compound duty should not be levied on khandsari.

The Government should consider bringing about uniformity in our educational system.

Steps should be taken to develop Bhojpuri Language. The writers of this Language should be encouraged and given assistance.

A mini steel plant had been sanctioned for my area. Instead of making it a national project, it was given to a private individual who has abandoned it, on grounds of power crisis, etc.

The post and telegraph service needs improvement. With these words I welcome the Bill.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (मशेदपुर) : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 1975–76 के दौरान 33 करोड़ रुपये की राहत देने के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं ।

कतिपय मदों पर एक प्रतिशत यथामूल्य शुल्क की छूट लघु उद्योग को भी दी जानी चाहिये थी क्योंकि ऐसी भावना है कि यदि इसे शुल्क को वापस नहीं लिया गया तो इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होने की अपेक्षा भ्रष्टाचार अधिक बढ़ेगा । यह सम्भव है कि भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ-गांठ से कुछ बेईमान लघु उद्योग इस छूट का दुरुपयोग करें और ईमानदार लघु उद्योगपतियों को तंग किया जाय । इसलिये इस शुल्क को वापस लिया जाना चाहिए । इस मद में सरकार को जो हानि होगी उसे अन्य तरीकों से पूरा किया जा सकता है ।

बिहार देश का बहुत अधिक पिछड़ा राज्य है । वहां प्राकृतिक संसाधन और कच्चा-माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । पर केन्द्र ने उसे धन देने में उचित रूख नहीं अपनाया । धन की कमी के कारण सभी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं । अतः बिहार को धनराशि देने में उदारता बरती जानी चाहिए । कई परियोजनाओं पर परियोजना रिपोर्ट मिल जाने के बाद भी धनाभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो पा रहा है । इससे जनता को कठिनाई हो रही है ।

वित्त मंत्री ने तस्करी रोकने के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है परन्तु कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों के बाजारों में तस्करी का सामान पुनः दिखाई देने लगा है । उच्च न्यायालयों ने तस्करों को रिहा कर दिया है । जब तक तस्करी न रुके तब तक बड़े-बड़े तस्करों को जेल में रखने के लिए कड़े कदम उठाये जाने चाहिए । बड़े-बड़े डाक्टर और वकील अपनी सही आय नहीं दिखाते और सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती, इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए तथा इन भेड़ियों को पकड़ा जाना चाहिए ।

सोना और सोने के आभूषणों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । इसी प्रकार सम्पत्ति की भी अधिकतम सीमा बांधनी चाहिए क्योंकि बड़े-बड़े व्यापारी इस आड़ में काला धन छिपा लेते हैं ।

अनेक राज्यों में 90–95 प्रतिशत पैंशन बोगस स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही है । इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए । ऐसे मामलों की जांच की जाये तथा वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाये ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों के साथ मंहगाई भत्ते के मामले में अन्याय किया गया है । स्टेट बैंक में 80.8 प्रतिशत मंहगाई भत्ता है जबकि अन्य बैंकों में 171 प्रतिशत । यही स्थिति वहां के लिपिक वर्ग की है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की 5 किस्तों के बारे में घोषणा करें । उनमें गहरा असंतोष व्याप्त है । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से इस बारे में बातचीत की जानी चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समाचारपत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय में एक विशेष यूनिट द्वारा की जा रही बिड़ला की फर्मों की जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन जब इस यूनिट द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला था उसी समय उस यूनिट के इन्चार्ज श्री वी० वी० बादामी को मद्रास स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उनके स्थान पर बिड़ला का प्रियपात्र अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री तनेजा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया क्योंकि उन्होंने एक विशेष व्यापार गृह को एक करोड़ रुपये का ऋण नहीं दिया था । इसकी पूरी जांच होनी चाहिए ।

बीड़ी पर लगाये गये उत्पादन शुल्क को वापस लिया जाना चाहिए ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं, विशेषकर देश की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है । मैं उनका आभारी हूं ।

हालांकि सितम्बर के बाद कीमतों में गिरावट आ रही है फिर भी हमें सावधानी बरतनी है क्योंकि स्थिति अब भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है । इसलिए अब तक जो उपाय किये गये हैं उन्हें कुछ समय तक जारी रखना होगा ।

कुछ बड़े-बड़े तस्कर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिहा कर दिये गये हैं । हम इससे बहुत चिन्तित हैं । यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाया गया था और अंतरिम आदेश जारी किये गये हैं । यद्यपि हम उन्हें पुनः गिरफ्तार नहीं कर सकते फ़िर भी उन पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि उन्हें प्रतिदिन पुलिस स्टेशन पर हाजरी देनी पड़ेगी । इन लोगों पर निगरानी रखना जरूरी है । इस स्थिति में मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था ।

इन लोगों को गिरफ्तार अथवा नजरबन्द करने के लिए हम तस्करी विरोधी कार्यवाही तो करते रहेंगे पर साथ ही इन तस्करों को नियंत्रण में रखने के लिए आधुनिक उपाय भी काम में लाये जायेंगे ।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

तस्कर व्यापार न केवल हमारे देश में ही काले धन का स्रोत है अपितु सभी देशों में यह बीमारी चली हुई है। गत तीन चार महीनों के दौरान गैरकानूनी मार्केट में रुपये का मूल्य बढ़ गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि हमने सही दिशा में कदम उठाये हैं। इसके अलावा कर अपवंचन, कालाबाजारी और जमाखोरी से भी काला धन अर्जित किया जा रहा है। इनके खिलाफ़ भी समुचित कार्यवाही करनी होगी।

इन गतिविधियों से निपटने के लिए विमुद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है। पर इस समय यह अव्यावहारिक प्रतीत होता है।

अर्थव्यवस्था में केवल वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियों द्वारा ही सुधार नहीं लाया जा सकता। स्वस्थ अर्थव्यवस्था का निर्माण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करके ही किया जा सकता है।

हमारी समस्त अर्थव्यवस्था की कुंजी हमारी खेती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के बिना यहां औद्योगीकरण भी सम्भव नहीं है। इसीलिए हमने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके बाद ऊर्जा को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली और ईंधन के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता आई है। सौभाग्य से कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तथा पिछले साल इसका आठ करोड़ अस्सी लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। इसके अलावा बिजली के उत्पादन के बारे में भी हम चिंतित रहे हैं। कुछ राज्यों में बिजली उत्पादन बहुत गिरा है। जब तक हम बिजली उत्पादन, पारेषण और सप्लाई सम्बन्धी विषमता को दूर नहीं करेंगे, चाहे वह कृषि क्षेत्र में हो अथवा औद्योगिक क्षेत्र में, तब तक आने वाले वर्षों में उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इस बात को महत्व दिया है कि पहले विद्यमान क्षमता के अन्दर ही उत्पादन में वृद्धि की जाये और फिर नई क्षमता तैयार की जाये।

यह सुझाव दिया गया है कि खानों के निकट सुपर ताप बिजली घर स्थापित करके हम ऊर्जा सम्बन्धी समस्या हल कर सकते हैं। बिजली उत्पादन के बारे में हमारी नीति ऐसी ही रही है, पर इसके लिए अधिक साधनों की आवश्यकता है। हमने यह योजना विश्व बैंक के सामने रखी थी और सौभाग्य से उनकी प्रतिक्रिया हमारे हित में ही है। मामला अभी बैंक के विचाराधीन है। उनका एक दल हमारे देश का दौरा कर चुका है। आशा है कि इसी वर्ष एक सुपर तापीय बिजली घर लगा दिया जायेगा। पांचवीं योजना के अन्त से पहले दो और तापीय बिजली घर स्थापित करने की योजना है। ये काम हम विभिन्न राज्यीय बिजली बोर्डों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किये जा रहे कार्यों के अलावा कर रहे हैं। इनके लिए वित्तीय तथा सामग्री सम्बन्धी सहायता पहुंचाने के काम को हम प्राथमिकता देते आये हैं।

आज अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत ही अनिश्चित तथा अस्थायी दौर से गुजर रही है, विशेषरूप से डालर का मूल्य कम होने के बाद। मुद्रा प्रणाली का पुनर्गठन करते समय सारे विश्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। पर आज विकसित देश यह प्रयास कर रहे हैं कि जिससे नई मुद्रा प्रणाली उनके हित में हो। विकासशील देश ही विकसित देशों के इरादों को समझते हैं। आशा है कि नई मुद्रा प्रणाली के विकास में हम योगदान कर सकेंगे।

जितने भी मामले उठाये गये थे लगभग मैंने सब का उत्तर दे दिया है । कुछ शेष बच सकते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि मैं सभी मामलों का उत्तर दूं ही । विधेयक के उपबन्धों को लेने से पहले मैं अन्य बातों का भी उत्तर देना चाहता हूं । तस्करी के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है । श्री मधु लिमये को इसकी बहुत चिन्ता थी । मुझे भी इसकी बहुत चिन्ता थी किन्तु केवल चिन्ता ही नहीं बल्कि हमें इस स्थिति से निपटने के लिये भी ठोस कार्यवाही करनी होती है ।

दूसरी बात इस सदन के एक सदस्य के सम्बन्ध में है । इन्होंने बहुत मात्रा में भूमि इकट्ठी कर ली थी और साथ ही सम्पत्ति कर, आय कर आदि की भी चोरी की गई है । इस मामले में जांच हो रही है और कुछ कार्यवाही भी की गई है । मैं सदन को पुनः आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे वह सदन का सदस्य हो अथवा मन्त्री, अगर उसके विरुद्ध किसी कर चोरी का मामला बनता है तो उसके विरुद्ध बिना किसी भय और पक्षपात के कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम सब पर सन्देह किया जायेगा ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आप सदस्य का नाम जानना चाहते हैं ? उनका नाम है श्री एम० टी० राजू । इसमें कोई गोपनीयता नहीं हैं । उनके विरुद्ध जांच हो रही है ।

ग्रिन्डलेज बैंक के बारे में भी चर्चा की गई है और इस दौरान में दो मामले उठाये गये हैं जिनमें से एक 1957 में प्रकाशित उस नक्शे के बारे में था जिसमें कश्मीर को विवादग्रस्त क्षेत्र दिखाया गया था । ग्रिन्डलेज बैंक ने इस बारे में खेद प्रकट किया था । यह मामला कोई 20 वर्ष पहले हुआ था अतः इसे बार-बार नहीं उठाया जाना चाहिये । दूसरा मामला उस बैंक के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के बारे में है । यह मामला श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है और मामले को निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं । कर्मचारियों और बैंक के बीच के विवाद को कानून के अनुसार ही निपटाया जायेगा ।

स्टैट बैंक के बारे में भी मामला उठाया गया है । वहां पर किसी व्यक्ति के डिपटी जनरल मैनेजर नियुक्त किये जाने के बारे में भी चर्चा की गई है । यह नियुक्ति कार्यकारी समिति ने की थी । अतः इस बारे में कोई अनियमितता नहीं की गई है । समिति अथवा बोर्ड के निर्णय से कोई सहमत हो अथवा नहीं यह एक भिन्न बात है ।

श्री पी० जी० मवलंकर : क्या रिजर्व बैंक के निदेशक इसके विरुद्ध नहीं थे ? क्या रिजर्व बैंक की ओर से निदेशक इस नियुक्ति से सहमत नहीं था ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे इस बात का पता नहीं है कि बोर्ड के किसी सदस्य ने इस नियुक्ति का विरोध किया है मैं तो बोर्ड के निर्णय को जानता हूं । यह पूछना भी उचित नहीं होगा कि कौन सदस्य उस नियुक्ति के पक्ष में था और कौन उसके विपक्ष में था । बोर्ड के दूसरे सदस्यों का भी निर्णय था अतः एक सदस्य ने यह कहा तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि अन्य व्यक्तियों की राय को महत्व न दिया जाये ।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का प्रश्न भी उठाया गया । यह एक साधारण मामला नहीं है । किन्तु श्री एस० एम० बनर्जी ही इस मामले के बारे में चिन्तित नहीं हैं किन्तु दिन रात यह धारणा बनाई जा रही है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिये केवल उन्हें ही चिन्ता है ।

हमारी सरकारी कर्मचारियों के कल्याण, अनुशासन और उनके कार्य के बारे में बहुत अधिक रुचि है । किसी को भी कठिन परिस्थितियों से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । हम एक कठिन आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं और हमारी सब से बड़ी समस्या मुद्रास्फीति की है । सौभाग्यवश हमने इस पर काबू पा लिया है और कीमतें धीरे-धीरे गिरती जा रही हैं । प्रश्न तो यह है कि क्या अधिक मंहगाई भत्ता दिया जाये और अधिक मुद्रास्फीति हो अथवा एक स्थायी अर्थ व्यवस्था हो । हम इसी समस्या का सामना कर रहे हैं । मैं इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं लेकिन कर्मचारियों को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब को उन सब की चिन्ता हो रही है जिन्हें पूरा रोजगार मिला हुआ है किन्तु हमें उनके बारे में भी चिन्तित होना चाहिये जिन्हें इन लोगों की तुलना में 1/10 भाग भी नहीं मिलता है । अगर हम मुद्रास्फीति को बढ़ाते चले जायेंगे तो उन लाखों करोड़ों की जनता को बहुत हानि होगी जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहते हैं और बेरोजगारी के शिकार हैं ।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी हमें ध्यान में रखना होगा हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते । औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को भी हमें ध्यान में रखना है। यह प्रश्न मंहगाई भत्ते देने का नहीं बल्कि उत्पादन बढ़ाने का है । मुद्रास्फीति के कारण राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार भी कठिनाई में पड़ गई है । अतः हमें इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेना है। मैं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात करने तथा उन्हें सारी स्थिति समझाने के लिये तैयार हूं मुझे आशा है कि हम किसी सन्तोषजनक हल ढूंढने में सफल हो जायेंगे ।

प्रो मधु० दण्डवते : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या आप यह समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वह इन मांगों को पूरा कर सकती है और आप इस कारण से उन्हें केन्द्रीय सहायता नहीं दे रहे हैं अथवा आप उन्हें सहायता देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि कुछ राज्यों में वेतनमानों में समानता लाई जा चुकी है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : महाराष्ट्र सबसे धनी राज्य है और इस राज्य ने पहली बार सहायता मांगी है जबकि अन्य राज्यों ने सहायता नहीं मांगी है । जिनके पास अधिक होता है उन्हें अधिक मिलना चाहिये दुर्भाग्य से हम इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि महाराष्ट्र आप की सहायता के बिना भी काम चला सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, इनका अन्तिम फैसला क्या है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिये तैयार हूं और उनके सम्मुख यह प्रश्न रखूंगा। मुझे आशा है कि कोई सन्तोषजनक समाधान निकाला जा सकेगा।

मैं श्री जनेश्र मिश्र द्वारा पेश किये गये पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। यह पत्र की फोटो स्टेट प्रति है।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं यह मूल प्रति है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह पत्र की मूल प्रति नहीं है। यह श्री एस० एस० कोठारी अध्यक्ष हिंडालको, रेनुकूट को लिखे कथित मूल पत्र की एक फोटो स्टेट प्रति है। उनके करने का उद्देश्य यह था कि 5 लाख रुपये की राशि प्रधान मंत्री के निजी सचिव को दी गई और उन्होंने वायदा किया कि हिंडालको में मजदूर संघ की गतिविधियां न होने देने के लिये वे अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे। यह मामला पहली बार नहीं उठाया गया। राज्य सभा में श्री राज नारायण ने भी यह मामला उठाया है। यह मामला प्रधान मंत्री के सामने रखा गया और इसे यहां उठाये जाने के बाद उन्होंने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा।

Shri Janeshwar Mishra: This case should be referred to the Privileges Committee.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : कृपया बैठ जाइये। इसे फोटो स्टेट प्रति के रूप में प्रस्तुत करने के लिये आपके विरुद्ध विशेषाधिकार अवमानना का प्रश्न उठाया जायेगा।

पत्र में प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह बिल्कुल निराधार आरोप है। हिंडालको की ओर से किसी भी व्यक्ति ने उनके सचिव अथवा उनके सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी को कोई राशि नहीं दी है। प्रधान मंत्री ने जांच का आदेश दिया है इससे यह सिद्ध होता है कि फोटो स्टेट प्रति जाली थी। जांच के परिणामों की सूचना प्रधान मंत्री के सचिवालय ने श्री राज नरायण को दी थी जब श्री राजनारायण ने कहा कि पत्र असली हैं तो उन्हें असली प्रति पेश करने के लिये कहा गया क्योंकि आगे जांच के लिये असली पत्र का पेश किया जाना जरूरी था। प्रधान मंत्री के सचिवालय को श्री राजनरायण से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। **(व्यवधान)**

इस सदन में इस प्रकार के निराधार आरोप लगाये जाते हैं। फोटोग्राफी में इतनी प्रगति हो चुकी है कि उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस प्रकार का पत्र नहीं लिखेगा। **(व्यवधान)**

इस मामले की अवमानना की जाये और इस पर कोई ध्यान न दिया जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : तुलमोहन राम के मामले को भी आरम्भ में ऐसे ही लिया गया था। बाद में उसमें भी जांच की जा रही है।

Shri Janeshwar Mishra: The signatures put on the letter should be investigated.You cannot conceal the acts of dishonesty and bribery.

श्री सी० एम० स्टीफन : आप मूल प्रति पेश कीजिये । जाली प्रति नहीं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : आय कर की सीमा को 6,000 से 7,500 रुपये अथवा 10,000 रुपये अथवा 12,000 रुपये अथवा 15,000 रुपये तक बढ़ाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुये हैं। पिछले वर्ष ही हमने यह सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये की थी मैं अपने बजट भाषण में कह चुका हूं कि मैं अभी इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । इस वर्ष के आयकर और इसकी वसूली के बाद ही स्थिति का मूल्यांकन करके हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि सीमा को बढ़ाया जाये अथवा आयकर में परिवर्तन किया जाये ।

बीड़ी पर लगाया गया कोई कर अस्थायी निर्णय नहीं है । योजना आयोग के सदस्य श्री शिवारामन की अध्यक्षता में तम्बाकू पर कर लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये हमने एक उच्च-स्तरीय समिति की नियुक्ति की । फार्म स्तर पर पिछले 20-25 वर्षों के दौरान लगाये गये करों पर उन्होंने विचार किया । किसान स्तर पर तम्बाकू के पत्तों पर कर लगाने के मामले में उनके सामने असाधारण कठिनाइयां उत्पन्न हो गई । अतः उन्होंने सिफारिश की है कि कच्चे माल पर कर लगाने के बजाये तैयार माल के मूल्य बढ़ाये जायें । हमने तम्बाकू का मूल्य कम किया है और बीड़ी और सिगरेट जैसे तैयार माल के मूल्य बढ़ाये हैं । मैं बीड़ी उद्योग की कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करूंगा । यह काम जारी है और जब भी पूरा होगा तो इस बारे में सदन को विश्वास में लिया जायेगा । मैं इसके लिये एक छोटी समिति भी गठित करने के लिये तैयार हूं । हमें देखना चाहिये कि लेवी का प्रभाव कैसा होता है और इस पर वर्ष के अन्त तक पुनर्विचार करें। यदि कोई संशोधन जरूरी हो तो हम उस पर विचार कर सकते हैं ।

जहां तक जूट कार्पेट बैकिंग पर निर्यात शुल्क का सम्बन्ध है इसका निर्यात अधिकांश अमरीका को ही किया जाता है । इस बारे में बंगला देश तथा अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता हो रही है जिसमें हम पीछे रह गये हैं अतः हमारी कार्पेट बैकिंग के लिये कहीं कोई मांग नहीं है । पूरी छानबीन के बाद वाणिज्य मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस निर्यात शुल्क को हटाया जाये और वित्त मन्त्रालय भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है । मैं सारे मुद्रण उद्योग को एक प्रतिशत लेवी से इसके लाभदायक कार्यों को ध्यान में रखते हुये मुक्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं इस उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहता हूं।

मुझे आशा है कि सदन इन संशोधनों के साथ वित्त विधेयक का पूर्ण समर्थन करेगा । कर-दाताओं की कठिनाईयां जहां तक सम्भव है कम की जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न है :--

"कि 1975-76 के वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे ।

खण्ड 2 के लिये कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 3 को लेंगे । संशोधन संख्या 1 यह डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय का है ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : महोदय, मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्षमहोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill .

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 और 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 और 5 विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 4 and 5 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 6 को लेंगे । इसमें दो सरकारी संशोधन हैं ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 39 और पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(7) (a) Subject to the provisions of clause (b), no deduction shall be allowed in respect of any provision, (whether called as such or by any other name) made by the assessee for the payment of gratuity to his employees on their retirement or on termination of their employment for any reason.

(b) Nothing in clause (a) shall apply in relation to—

(i) any provision made by the assessee for the purpose of payment of a sum by way of any contribution towards an approved gratuity fund, or for the purpose of payment of any gratuity, that has become payable during the previous year;

(ii) any provision made by the assessee for the previous year relevant to any assessment year commencing on or after the 1st day of April, 1973 but before the 1st day of April, 1976, to the extent the amount of such provision does not exceed the admissible amount, if the following conditions are fulfilled, namely:—

(1) the provision is made in accordance with an actuarial valuation of the ascertainable liability of the assessee for payment of gratuity to his employees on their retirement or on termination of their employment for any reason;

(2) the assessee creates an approved gratuity fund for the exclusive benefit of his employees under an irrevocable trust, the application for the approval of the fund having been made before the 1st day of January, 1976; and

(3) a sum equal to at least fifty per cent. of the admissible amount, or where any amount has been utilised out of such provision for the purpose of payment of any gratuity before the creation of the approved gratuity fund, a sum equal to at least fifty per cent of the admissible amount as reduced by the amount so utilised, is paid by the assessee by way of contribution to the approved gratuity fund before the 1st day of April, 1976 and the balance of the admissible amount or, as the case may be, the balance of the admissible amount as reduced by the amount so utilised, is paid by the assessee by way of such contribution before the 1st day of April, 1977.

Explanation 1.—For the purpose of sub-clause (ii) of clause (b) of this sub-section, "admissible amount" means the amount of the provision made by the assessee for the payment of gratuity to his employees on their retirement or on termination of their employment for any reason, to the extent such amount does not exceed an amount calculated at the rate of eight and one-third per cent of the salary [as defined in clause (h) of rule 2 of Part A of the Fourth Schedule] of each employee entitled to the payment of such gratuity for each year of his service in respect of which such provision is made.

Explanation 2.—For the removal of doubts, it is hereby declared that where any provision made by the assessee for the payment of gratuity to his employees on their retirement or on termination of their employment for any reason has been allowed as a deduction in computing the income of the assessee for any assessment year, any sum paid out of such provision by way of contribution towards an approved gratuity fund or by way of gratuity to any employee shall not be allowed as a deduction in computing the income of the assessee of the previous year in which the sum is so paid.".

"(7) (क) खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर या किसी अन्य कारणवश

उनके नियोजन के पर्यवसान पर उपदान के संदाय के लिए की गई किसी व्यवस्था (चाहे उसे यही या कोई और नाम दिया जाए) की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ख) खण्ड (क) की कोई बात ––

(i) किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदाय के रूप में उस पूर्व वर्ष के दौरान संदेय किसी राशि के संदाय के प्रयोजन के लिए या उस पूर्व वर्ष के दौरान संदेय किसी उपदान के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी व्यवस्था के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ;

(ii) 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् किन्तु 1976 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा की गई व्यवस्था को उस विस्तार तक लागू नहीं होगी जिस तक ऐसी व्यवस्था की रकम अनुज्ञेय रकम से अधिक नहीं है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :––

(1) निर्धारिती की अपने कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर या किसी अन्य कारणवश उनके नियोजन के पर्यवसान पर उपदान के संदाय के लिए अभिनिश्चेय दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वह व्यवस्था की गई है ;

(2) निर्धारिती अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन अपने कर्मचारियों के अनन्य फायदे के लिए अनुमोदित उपदान निधि का सृजन करता है और ऐसी निधि के अनुमोदन के लिए आवेदन 1976 के जनवरी के प्रथम दिन के पूर्व किया गया है ; और

(3) अनुज्ञेय रकम के कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर राशि या जहां ऐसी व्यवस्था में से किसी रकम का उपयोग अनुमोदित उपदान निधि के सृजन के पहले उपदान के संदाय के प्रयोजन के लिए किया गया है वहां इस प्रकार उपयोजित रकम घटा कर अनुज्ञेय रकम के कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर राशि, निर्धारिती द्वारा 1976 के अप्रैल के प्रथम दिन के पहले अनुमोदित उपदान निधि के अभिदाय के रूप में संदत्त की जाती है और, यथास्थिति, अनुज्ञेय रकम का अतिशेष या इस प्रकार उपयोजित रकम घटाकर अनुज्ञेय रकम का अतिशेष निर्धारिती द्वारा ऐसे अभिदाय के रूप में 1977 के अप्रैल के प्रथम दिन के पहले संदत्त किया जाता है।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए "अनुज्ञेय रकम" से अभिप्रेत है निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवा निवृत्त होने पर या किसी अन्य कारणवश उनके नियोजन के पर्यवसान पर उपदान के संदाय के लिए सर्जित व्यवस्था की रकम, उस विस्तार तक जहां तक ऐसी रकम ऐसे उपदान के संदाय के लिए हकदार प्रत्येक कर्मचारी के उसकी सेवा के जिसकी बाबत ऐसी व्यवस्था की गई है प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के (चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खण्ड (ज) में यथा-परिभाषित) आठ सही एक बटा तीन प्रतिशत की दर से परिकलित रकम से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर या किसी अन्य कारणवश उनके नियोजन के पर्यवसान पर उपदान के संदाय के लिए सर्जित किसी व्यवस्था को किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है वहां ऐसी व्यवस्था से अनुमोदित उपदान निधि में अभिदाय के रूप में या किसी कर्मचारी को उपदान के रूप में ऐसी व्यवस्था से संदत्त राशि, उस पूर्व वर्ष में जिसमें ऐसी राशि इस प्रकार संदत्त की जाती है निर्धारिती की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जायेगी।"

(संख्या 103)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित कीजिये :—

"(ix) as a loan from any person where the loan is secured by the creation of a mortgage, charge or pledge of any assets of the company (such loan being hereafter in this sub-clause referred to as the relevant loan) and the amount of the relevant loan, together with the amount of any other prior debt or loan secured by the creation of a mortgage, charge or pledge of such assets, is not more than seventy-five per cent of the price that such assets would ordinarily fetch on sale in the open market on the date of creation of the mortgage, charge or pledge for the relevant loan;",

"(ix) किसी व्यक्ति से उधार के रूप में, जहां ऐसा उधार किसी कम्पनी की आस्तियों पर बन्धक द्वारा, या भार द्वारा या गिरवी रखकर प्रतिभूत किया गया है (ऐसे उधार को इस उपखण्ड में इसके पश्चात् सुसंगत उधार कहा गया है) और ऐसी आस्तियों पर बन्धक द्वारा, भार द्वारा या गिरवी रखकर प्रतिभूत किसी पूर्विक ऋण या उधार की किसी अन्य रकम को मिलाकर सुसंगत उधार

की रकम ऐसी आस्तियों के उस मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है जो उनके खुले बाजार में विक्रय पर सामान्यतया सुसंगत उधार के बन्धक रखने, भारित करने या गिरवी रखने की तारीख को प्राप्त होती ; ")

(संख्या 104)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 से 10 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 7 से 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 7 to 10 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 11 को लूंगा। खण्ड 11 में 105 से 114 तक सरकारी संशोधन हैं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 7 और 8 :—

"his child wholly or mainly dependent on him"

(उसके ऊपर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित अपनी सन्तान की) शब्द के स्थान पर "a dependent" (किसी आश्रित की) शब्द रख दिये जायें (संख्या 105)

पृष्ठ 13, पंक्ति 13 :—

" child " (संतान) शब्द के स्थान पर "dependent" (आश्रित) शब्द रख दिया जाये

(संख्या 106)

पृष्ठ 13, पंक्ति 16 :—

"technology" (शिल्प विज्ञान) के स्थान पर

"technology or business management"

(शिल्पविज्ञान या कारबार प्रबन्ध) शब्द रख दिये जायें

(संख्या 107)

पृष्ठ 13, पंक्ति 17 :—

" child " (सन्तान) शब्द के स्थान पर "dependent" (आश्रित) शब्द रख दिया जाये।

(संख्या 108)

पृष्ठ 13, पंक्ति 18 :—

" child "(सन्तान) शब्द के स्थान पर " dependent" (आश्रित) शब्द रख दिया जाये।

(संख्या 109

पृष्ठ 13, पंक्ति 20 :—

"technology" (शिल्प विज्ञान) के शब्द स्थान पर

"technology or business management" (शिल्प विज्ञान या कारकार प्रबन्ध) शब्द रख दिये जायें।

(सं० 110)

पृष्ठ 13, पंक्ति 14 :—

"child" (संतान) शब्द के स्थान पर "dependent" (आश्रित) शब्द रख दिया जाये।

(संख्या 111)

पृष्ठ 13, पंक्ति 27 :—

"children" (संतान) शब्द के स्थान पर "dependents" (आश्रितों) शब्द रख दिया जाये।

(संख्या 112)

पृष्ठ 13, पंक्ति 29 :—

"children" (संतान) शब्द के स्थान पर "dependents" (आश्रितों) शब्द रख दिया जाये

(संख्या 113)

पृष्ठ 13, पंक्ति 30 और 31 के स्थान पर—

'*Explanation*.—For the purposes of this sub-section,—

(a) "dependent", in relation to an individual, means a child, brother or sister of the individual, wholly or mainly dependent on the individual;

(b) "degree courses", "post-graduate course" and "diploma".

(**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "आश्रित" से किसी व्यष्टि के सम्बन्ध में अभिप्रेत है उस व्यक्ति की कोई संतान, भाई या बहन जो पूर्णतया या मुख्यतया उस व्यष्टि पर आश्रित हो ;

(ख) "स्नातक पाठ्यक्रम", "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" और' ।

"संतान" **के स्थान पर** "आश्रित" करने के कारण आवश्यक व्याकरणिक परिवर्तन भी कर लें ।) रखे जायें

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम्)
(संख्या 114)

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 11 में डा० लक्ष्मीनारायण के दो अन्य संशोधन संख्या 2 और 3 हैं ।

डा० लक्ष्मीनारायण : मैं अपना संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 2 and 3 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं अपना संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 4 and 5 were put and negatived.

संशोधन किया गया

पृष्ठ 18, पंक्ति 3,

"ten thousand rupees" (दस हजार रुपये) शब्दों के स्थान पर

"one third of the aggregate amount of such profits and gains or ten thousand rupees, whichever is higher"

(ऐसे लाभ और अभिलाभ की कुल रकम का एक तिहाई या दस हजार रुपये, इसमें से जो भी अधिक हो) शब्द रखिये। (संख्या 115)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 14 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 14 to 19 were added to the Bill.

खण्ड 20

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21, पंक्ति 24 :—

"four hundred" (चार सौ रुपये) शब्दों के स्थान पर "one thousand" (एक हजार रुपये) शब्द रखिये। (संख्या 116)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 20, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 21 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 21 to 23 were added to the Bill.

खण्ड 24

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 24, पंक्ति 7 :—

"The following amendment (being) an amendment of a" (निम्नलिखित संशोधन है (का संशोधन किया जायेगा) शब्दों के स्थान पर "The following amendment (being) an amendments of a" (निम्नलिखित संशोधन हैं (किये जायेंगे) शब्द रखिये । (संख्या 117)

पृष्ठ 24, पंक्ति 10 के स्थान पर

"In section 155;—

(a) in sub-section (5A), the following".

(धारा 155 में;—

(क) उपधारा (5क) में अन्त में निम्नलिखित शब्द रखे जायें । (संख्या 118)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 24, पंक्ति 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,

"transferred such land,";

(b) *after* sub-section (12), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(13) where in the assessment for any year, any provision made by the assessee for the payment of gratuity to his employees on their retirement or on termination of their employment for any reason has not been allowed as a deduction in the computation of the income of the assessee under the head "Profits and gains of business or profession" on the ground that all the conditions specified in sub-clause (ii) (2) and sub-clause (ii) (3) of clause (b) of sub-section (7) of section 40A had not been complied with before the assessment was made and subsequently the assessee complies with such of those conditions as had not been complied with, the disallowance originally made shall be deemed to have been wrongly made and the Income-tax Officer shall, notwithstanding anything contained in this Act, recompute the total income of the assessee for the relevant previous year and make the necessary amendment; and the provisions of section 154 shall, so far as may be, apply thereto, the period of four years specified in sub-section (7) of that section being reckoned from the end of the financial year ending on the 31st day of March, 1977.".

"उसने ऐसी भूमि का विक्रय या अन्यथा अन्तरण किया है ।"

(ख) उपधारा (12) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(13) जहां किसी निर्धारण वर्ष में किसी निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर या किसी अन्य कारणवश उनके नियोजन के पर्यवसान पर उपदान के संदाय के लिए सर्जित किसी व्यवस्था को "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की आय की संगणना में इस आधार पर कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया है कि धारा 40क की उपधारा (7) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) (2) और उपखण्ड (ii) (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन निर्धारण के पूर्व नहीं किया गया था और बाद में निर्धारिती उन शर्तों का अनुपालन करता है जिनका अनुपालन नहीं किया गया था वहां यह समझा जाएगा कि मूलतः मोक का न दिया जाना गलत था और आय-कर अधिकारी इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुनः संगणना करेगा और आवश्यक संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबन्ध, जहां तक हो सके उसे लागू होंगे, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि 1977 के मार्च के इकत्तीसवें दिन समाप्त होते वाले वित्तीय वर्ष के अन्त से गिनी जाएगी (संख्या 119)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

अब खण्ड 25 से 32 में कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 से 32 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 25 से 32 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 25 to 32 were added to the Bill.

अब मैं खण्ड 33 लूंगा ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 28, पंक्ति 21 :—

"In the Central Excises and Salt Act, 1944" (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में) शब्दों के स्थान पर "(1) In the Central Excises and Salt Act, 1944" (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में) शब्द रखे जायें । (संख्या 120)

पृष्ठ 28, पंक्ति 33 के पश्चात् :—

"(2) The amendment made to item No. 18 in the First Schedule to the Central Excises Act by paragraph (ii) of Part II of the Second Schedule to this Act shall be deemed to have had effect on and from the 1st day of March, 1975 and accordingly—

(a) Refunds shall be made of all duties collected which would not have been collected if the amendment had come into force on that date; and

(b) recoveries shall be made of all duties which have not been collected but which would have been collected if the amendment had so come into force."

["(2) इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग II के पैरा (ii) द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 मे किये गये संशोधन के बारे में यह समझा जायेगा कि वह 1975 के मार्च के प्रथम दिन को और से प्रभारी हुआ और तदनुसार—

(क) उन सभी संगृहीत शुल्कों का प्रतिदाय किया जाएगा जो संगृहीत नहीं किये जाते यदि यह संशोधन उस तारीख को प्रवृत्त होता ; और

(ख) उन सभी शुल्कों की वसूली की जाएगी जो संगृहीत नहीं किये गये हैं किन्तु जो संगृहीत किए जाते यदि संशोधन इस प्रकार प्रवृत्त होता ।] शब्द रखे जायें ।

(संख्या 121)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 33, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 33, as amended, was added to the Bill

खंड 34 से 37 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 34 to 37 were added to the Bill.

खण्ड 38

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं संशोधन संख्या 6 से 10 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 से 10 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 6 to 10 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 38 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 38 was added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक संशोधन हैं । श्री दामानी यहां नहीं हैं । श्री बनर्जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० पांडेय :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं संशोधन संख्या 11 से 26 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 70, 72, 74, 76 से 80 और 82 से 85 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 से 26 और 70, 72, 74, 76 से 80 और 82 से 85 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 11 *to* 26 *and* 70, 72, 74, 76 *to* 80 *and* 82 *to* 85 *were put and negatived*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

The First Schedule was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैं संशोधन संख्या 27 से 41 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी: मैं संशोधन संख्या 86, 87 और 89 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं संशोधन संख्या 92, 93, 94, 96 से 100 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 58, पंक्ति 22 और 23 :—

"Ten per cent ad valorem" (मूल्य का दस प्रतिशत) के स्थान पर

"Two rupees and fifty paise per kilogram" (दो रुपये पचास पैसे प्रति किलोग्राम)

शब्द रखे जायें। (122)

पृष्ठ 58, पंक्ति 26 और 27, पृष्ठ 59, पंक्ति 3 से 31 और पृष्ठ 60 पंक्ति 3 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"18. RAYON AND SYNTHETIC FIBRES AND YARN INCLUDING TEXTURED YARN, IN OR IN RELATION TO THE MANUFACTURE OF WHICH ANY PROCESS IS ORDINARILY CARRIED ON WITH THE AID OF POWER—

(*i*) Fibres and Yarn, other than Textured Yarn	Eighty-five rupees per kilogram.
(*ii*) Textured Yarn produced out of Base Yarn	The duty for the time being leviable on the Base Yarn, if not already paid, *plus twenty* rupees per kilogram.
(*iii*) Other textured Yarn	One hundred and five rupees per kilogram";

Explanation I.—"Fibres and Yarn other than Textured Yarn", shall be deemed to include—

(i) man-made fibre;

(ii) man-made metallic yarn;

(iii) spun (discontinuous) yarn containing not less than ninety per cent. by weight of man-made fibres calculated on the total fibre content; and

(iv) man-made filament (continuous yarn that has not been processed to introduce crimps, coils, loops or curls along the length of the filaments, but does not include bulked yarn and stretch yarn.

Explanation II.—"Textured Yarn" means yarn that has been processed to introduce crimps, coils, loops or curls along the length of the filament's and shall include bulked yarn and stretch yarn.

Explanation III.—"Base Yarn" means yarn falling under sub-item (i) of this Item from which the Textured Yard has been produced.".

["18. रेयन और संश्लिष्ट फाइबर और सूत जिसके अन्तर्गत संव्यूहित सूत है जिसके विनिर्माण या विनिर्माण के सम्बन्ध में सामान्यतः कोई प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जाती है ।

(i) फाइबर और सूत, संव्यूहित सूत से भिन्न	पचासी रुपये प्रति किलोग्राम
(ii) संव्यूहित सूत, आधारित सूत से उत्पादित	आधारिक सूत पर उस समय उद्ग्रहणीय शुल्क यदि पहले से संदत्त नहीं किया गया है तो, धन बीस रुपये प्रति किलोग्राम
(iii) अन्य संव्यूहित सूत	एक सौ पांच रुपये प्रति किलोग्राम ।" ;

स्पष्टीकरण 1 :—"संव्यूहित सूत से भिन्न फाइबर और सूत" के अन्तर्गत निम्नलिखित समझे जायेंगे ।

(i) कृत्रिम फाइबर ;

(ii) कृत्रिम धातु सूत :

(iii) कता (विच्छिन्न) सूत जिसमें कुल फाइबर की अन्तर्वस्तु तथा परिकलित कृत्रिम फाइबर, भार में, नब्बे प्रतिशत से अन्यून है ; और

(iV) कृत्रिम तन्तु (अविच्छिन्न) सूत जिसे इस प्रकार प्रसंस्कृत नहीं किया गया है कि तन्तु की लम्बाई में उर्मिल, कुण्डली, फन्दे और छल्ले बन जाएं, किन्तु इसके अन्तर्गत स्थूलित सूत और स्ट्रैच सूत नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2:—"संव्यूहित सूत" से अभिप्रेत है एसा सूत जिसे इस प्रकार प्रसंस्कृत किया गया है कि सूत की लम्बाई में उर्मिल, कुण्डली, फन्दे और छल्ले आ जाएं और इसके अन्तर्गत स्थूलित सून और स्ट्रैच सूत भी है ।

स्पष्टीकरण 3 :—"आधारिक सूत" से अभिप्रेत है ऐसा सूत जो इस मद की उपमद (i) के अधीन आता है जिसके संव्यूहित सूत का उत्पादन किया गया है ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री दीनेन भट्टाचार्य के संशोधनों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ पेश नहीं किये जा सके, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। संशोधन संख्या 128 वही है जो संशोधन संख्या 30 है। इसलिये इनमें से कोई भी पेश नहीं किया जा सका।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): यह वित्त मंत्री की कृपा है कि उन्होंने डी० एम० टी० से उत्पाद शुल्क को मुक्त किया है लेकिन केप्रोलक्टम को नहीं किया है। मैं समझता हूं यह अधिसूचना जारी करके किया जा सकता है। 50 प्रतिशत उत्पादन शुल्क बहुत ज्यादा है। इसका मध्यम वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे आशा है कि वे इस सम्बन्ध में आश्वासन देंगे।

बीड़ी पर लेवी का प्रभाव गरीब लोगों, विधवाओं तथा अन्य लोगों पर पड़ेगा जो गावों में बीड़ी बनाते हैं। यदि इसे समाप्त नहीं किया जाता तो कम से कम मशीन से बनने वाली बीड़ियों के सम्बन्ध में 80 से घटा कर 40 पैसे तथा अन्य के सम्बन्ध में 20 से घटाकर 5 पैसे प्रति हजार किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : मेरे संशोधन में कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी, कागज, रूई, तम्बाकू और बीड़ी के बारे में हैं। यदि बीड़ी भी अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आती है तो इसका असर उन साधारण मजदूरों पर पड़ेगा जो इस देश में बहुत गरीब हैं। उन्हें काम करने, विपणन तथा वित्त की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है अतः वित्त मंत्री से निवेदन है कि बीड़ी पर कराधान कम करने पर विचार करें।

पैट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या तबाही हुई है सभी जानते हैं। अतः मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे इस पर विचार करें।

एक प्रकार का कर जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, प्रत्येक निर्मित वस्तु पर लगेगा। इसका असर सामान्य जनता पर पड़ेगा यदि इसे लगाना अनिवार्य ही है तो मंत्री महोदय को इस बात का पता लगा लेना चाहिए कि क्या जन साधारण इसे देने की स्थिति में हैं।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है यह वस्तु कीमती है और राशन की दुकानों से यह कठिनाई से मिलती है। मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक गैर-लेवी चीनी का सम्बन्ध है, उत्पादन शुल्क बढ़ा है और इसके परिणामस्वरूप कीमतें गिरी हैं। अतः गैर-लेवी चीनी पर उत्पादन शुल्क करने की आवश्यकता नहीं है।

सीमेंट पर से हमने प्रतिबन्ध हटा दिया है किन्तु इसके उचित उपयोग किये जाने के लिए इस पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह भी है इसके स्थान पर अन्य चीजों का भी प्रयोग किया जाये।

बीड़ी के बारे में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है।

[श्री स० सुब्रह्मण्यम]

जहां तक संशिलष्ट क्षेत्र का सम्बन्ध है हर एक उनका समर्थन कर रहा है और यही कारण है कि इसमें कमी नहीं की गई है।

जहां तक केप्रोलक्टम का सम्बन्ध है, हम इसकी निरन्तर समीक्षा करते रहेंगे। यदि आयात शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में कमी करने का कोई औचित्य होगा तो मैं इस पर विचार करूंगा और उचित समय पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 से 41, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 96 से 100 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 27 *to* 41, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 96 *to* 100 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 58, पंक्ति 22 और 23 :—

"Ten percent ad valorem" "(मूल्य का दस प्रतिशत) **के स्थान पर** Two rupees and fifty paise per kilogram" (दो रुपये पचास पैसे प्रति किलोग्राम) **प्रतिस्थापित किया जाए।**

पृष्ठ 58, पंक्ति 26 और 27 पृष्ठ 59, पंक्ति 3 से 31 और पृष्ठ 60 पंक्ति 3 से 10 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए,** अर्थात

"18. RAYON AND SYNTHETIC FIBRES AND YARN INCLUDING TEXTURED YARN, IN OR IN RELATION TO THE MANUFACTURE OF WHICH ANY PROCESS IS ORDINARILY CARRIED ON WITH THE AID OF POWER—

(*i*) Fibres and Yarn, other than textured Yarn	Eighty-five rupees per kilogram.
(*ii*) Textured Yarn produced out of base Yarn	The duty for the time being leviable on the Base Yarn, if not already paid, *plus twenty* rupees per kilogram.
(*iii*) Other Textured Yarn	One hundred and five rupees per kilogram

Explanation I.—"Fibres and Yarn other than Textured Yarn," shall be deemed to include—

(i) man-made fibre;

(ii) man-made metallic yarn;

(iii) spun (discontinuous) yarn containing not less than ninety per cent by weight of man-made fibres calculated on the total fibre content; and

(iv) man-made filament (continuous) yarn that has not been processed to introduce crimps, coils, loops or curls along the length of the filaments.

but does not include bulked yarn and stretch yarn.

Explanation II.—"Textured Yarn" means yarn that has been processed to introduce crimps, coils loops or curls along the length of the filaments and shall include bulked yarn and stretch yarn.

Explanation III.—"Base Yarn" means yarn falling under sub-item (i) of this Item from which the Textured Yarn has been produced."

"18 रेयन और संश्लिष्ट फाइबर और सूत जिसके अन्तर्गत संव्यूहित सूत है जिसके विनिर्माण या विनिर्माण के सम्बन्ध में सामान्यतः कोई प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जाती है ।

(i) फाइबर और सूत, संव्यूहित सूत से भिन्न	पचासी रुपए प्रति किलोग्राम
(ii) संव्यूहित, सूत, आधारित सूत से उत्पादित	आधारिक सूत पर उस समय उद्ग्रहणीय शुल्क यदि पहले से संदत्त नहीं किया गया है तो, धन बीस रुपए प्रति किलोग्राम
(iii) अन्य संव्यूहित सूत	एक सौ पांच रुपए प्रति किलोग्राम ।";

स्पष्टीकरण 1:—"संव्यूहित से भिन्न फाइबर और सूत" के अन्तर्गत निम्नलिखित समझे जाएंगे:-

(i) कृत्रिम फाइबर;

(ii) कृत्रिम धातु सूत;

(iii) कता (विच्छिन्न) सूत जिसमें कुल फाइबर की अन्तर्वस्तु तथा परिकलित कृत्रिम फाइबर, भार में, नब्बे प्रतिशत से अन्यून है; और

(iv) कृत्रिम तन्तु (अविच्छिन्न) सूत जिसे इस प्रकार प्रसंस्कृत नहीं किया गया है कि तन्तु की लम्बाई में उर्मिल, कुण्डली, फन्दे और छल्ले बन जाए, किन्तु इसके अन्तर्गत स्थूलित सूत और स्ट्रैच सूत नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2:— "संव्यूहित सूत" से अभिप्रेत है ऐसा सूत जिसे इस प्रकार प्रसंस्कृत किया गया है कि सूत की लम्बाई में उर्मिल, कुण्डली, फन्दे और छल्ले आ जाएं और इसके अन्तर्गत स्थूलित सूत और स्ट्रैच सूत भी है ।

स्पष्टीकरण 3:— "आधारित सूत" से अभिप्रेत है ऐसा सूत जो इस मद की उपमद (i) के अधीन आता है जिससे संव्यूहित सूत का उत्पादन किया गया है ।" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई

Second Schedule as amended was added to the Bill

तृतीय अनुसूची

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं अपने संशोधन संख्या 42 और 43 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 90 और 91 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 102 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 42, 43, 90, 91 और 102 मतदान क लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 42, 48, 90, 91 and 102 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तृतीय अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तृतीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

The Third Schelule was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाधक नहीं बनना चाहता हूं किन्तु मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तीसरे वाचन के बाद विवाद में तर्क विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष तक ही सीमित होने चाहिए और विस्तार में न जायें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को जब्त करने के बारे में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आम वाद-विवाद नहीं है..... (**व्यवधान**)। आप केवल विधेयक के पक्ष और विपक्ष में ही बोल सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बाजार में प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ रही है। सरकार शिमला ब्यूरो के आकड़ों के अनुसार काम करती है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति

ने यह सिद्ध किया है कि उसका आंकलन का तरीका त्रुटिपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप जूट कर्मचारियों को 63 रुपये प्रतिमास की हानि हो रही है। कर्मचारियों को कम से कम यह तो पता चलना चाहिए कि उनको मिलने वाली राशि कितनी है। भविष्य निधि आयुक्त को यह काम दिया गया है। मजदूर को कोई रसीद नहीं मिलती है। मैं यह प्रश्न इसलिए उठाना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों का रुपया काटा जा रहा है उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है सारे निर्वाह सूचकांक की पूरी अदायगी नहीं की ग ई है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : मैं केवल नई चीनी मिलों के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति के बारे में कहना चाहता हूं। रियायत केवल पुरानी मिलों को दी गई है। नई मिलें अपने ऋणों पर ब्याज अदा करने की स्थिति में भी नहीं हैं। उत्पादन शुल्क में कुछ रियायत दी जानी चाहिए ताकि वे अपने ऋण चुका सकें। वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : अत्यधिक मुद्रास्फीति इस समय स्थिर हो गई है जिससे आर्थिक संकट आ गया है। मंदी बढ़ रही है। कपड़ा, कागज, सीमेंट आदि विभिन्न उद्योगों में इतना स्टाक जमा हो गया है कि अब सरकार आंखें मूंदे नहीं बैठ सकती।

मूल्यों में जो स्थिरता आई है उसके सम्बन्ध में सरकार को अनेक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि यह अर्थव्यवस्था का स्थिर स्वरूप बन सके।

यह सही है कि 1974-75 में मुद्रा सप्लाई की दर 15 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हुई है किन्तु यह भी सत्य है कि 1974-75 में नये बैंक ऋण घटकर 729 करोड़ रुपये पर आये हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि मुद्रा सप्लाई 4 प्रतिशत के लगभग रहनी चाहिए। यदि इसे अधिक होने दिया गया तो फिर एक बार मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस वर्ष रबी की फसल 70 लाख टन अधिक होगी किन्तु सरकार की कृषि उत्पादों के बारे में इस समय कोई वास्तविक नीति नहीं है। किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाना चाहिए ताकि वसूली बढ़े और जनता में वितरण की आवश्यकता पूरी हो सके।

वित्त मंत्री के इस वक्तव्य का कि जमाखोरी, तस्करी और काले बाजार का निरंतर सामना किया जाना चाहिए, स्वागत है।

सरकार ने अनुत्पादक और गैर-योजना व्यय को रोका नहीं है। सरकार को उसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए और देश को विश्वास में लेना चाहिए।

हमें एक राष्ट्रीय ऋण नीति बनानी चाहिए ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को आसानी से ऋण मिल सके।

सरकार ने पूंजी बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ नहीं किया है। यह औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया जाना चाहिए।

[श्री वीरेन्द्र अग्रवाल]

जिन उद्योगों में मन्दी आई हुई है। उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। सरकार को इसे समझना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो उपाय किये जायें उनमें कम लागत पर उत्पादन में वृद्धि खरीदने वालों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन, खरीदने वालों को उधार देना, किराया-खरीद प्रणाली अपनाना तथा उत्पादन शुल्क को घटा कर आधा करना, भी शामिल होना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali): The Finance Minister has stated that an amount of Rs. 46 crores is being paid as overtime allowance and it is increasing. It should be reduced.

Tax holiday has been given to those who invest in hotel industry but they should further invest the profits made there and should not divert the same.

It should also be considered as to what will be the advantage by giving rebate in wealth tax to those who invest in priority industries.

There should also be provision for bonus to those who deposit their contribution in provident fund.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय के इस कथन का समर्थन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी कीमतों को कम करने में देश की सहायता करनी चाहिए किन्तु क्या सरकारी उपक्रमों और विभागीय उपक्रमों में समानता की स्थिति नहीं आनी चाहिए। प्रश्न यहां न्यूनतम वेतन का है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच किस्तें नहीं दी गई हैं। ताजे समझौते के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में न्यूनतम वेतन 265 रुपये है जबकि केन्द्रीय सरकार में 190 रुपये है। पहली श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी सरकारी क्षेत्र के निगम और सरकार में 900 रुपये का अन्तर है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि बकाया करों की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या सामान्य बकाया राशि तथा विवादपूर्ण करों की बकाया राशि के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ताकि करों की बकाया राशि की पूरी पूरी वसूली हो।

क्या बेकार के खर्चों को समाप्त करने का सरकार का प्रयत्न सफल रहा है।

बजट से पूर्व किये गये आर्थिक सर्वेक्षण के समान क्या सरकार संसद के समक्ष देश में मौजूदा गरीबी और बेरोजगारी के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन रखेगी। क्योंकि इन आंकड़ों के मिलने पर ही अर्थपूर्ण चर्चा की जा सकती है और सुझाव आदि दिये जा सकते हैं।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। यह विधेयक भेदभावपूर्ण है। जहां तक भारत के आदिवासियों का सम्बन्ध है आय-कर के मामले में एकसा व्यवहार होना चाहिए। निवास के आधार पर उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) को इस विधेयक से बिल्कुल निकाल दिया गया है ताकि संशोधन करने की कोई गुंजाइश ही न रह जाये। हमने इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिया है और चाहते हैं कि यह भेदभाव समाप्त किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर एक व्यक्ति को अनुमति नहीं दे सकता । कोई हद होनी चाहिए ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : विधेयक के विपक्ष में कुछ नहीं कहा गया है और मैं सभा से निवेदन करूंगा कि विधेयक पास किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

तम्बाकू उपकर विधेयक

TOBACCO CESS BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय का तम्बाकू उपकर विधेयक लेते हैं ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू उद्योग के विकास के लिए वर्जीनिया तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क और तम्बाकू पर सीमाशुल्क का उपकर के तौर पर उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

तम्बाकू बोर्ड विधेयक, 1974 को, जिसमें तम्बाकू उद्योग के संघ के नियंत्रण के अन्तर्गत विकास की व्यवस्था है, दोनों सदन पहले ही पास कर चुके हैं तथा उस पर राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल चुकी है । यह इस विधेयक का ही पूरक है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए ।

[**Shri Dinesh Chandra Goswamy** *in the Chair*]

यह विधेयक इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन उपलब्ध करता है ।

यह विधेयक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के हेतु निम्नलिखित उत्पादन कर और तटकर के रूप में लेवी लगाने और उसको इकट्ठा करने का उपबन्ध करता है :—

(i) भारत में उत्पादित और मान्यता प्राप्त नीलामी के स्थान पर बेचे गये वर्जीनिया तम्बाकू पर 1 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से उत्पादन कर और (ii) निर्यात किये जाने वाले सभी प्रकार के तम्बाकू पर यथा मूल्य एक प्रतिशत तटकर जो सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर निश्चित करेगी ।

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

इन दोनों प्रकार के करों से, जैसा कि वित्तीय ज्ञापन में विस्तार के साथ बताया गया है, 75 लाख रुपये की आय होगी और वसूली का खर्च घटा कर प्रतिवर्ष 73 लाख रुपये की शुद्ध आय होगी। हम आय को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जायेगा तथा बाद में संसद् द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार, जैसा सरकार उचित समझेगी, बोर्ड को दिया जायेगा।

बोर्ड के कार्यों की व्यापकता तथा तम्बाकू उत्पादकों और पूरे तम्बाकू उद्योग को होने वाले लाभ की दृष्टि से इन प्रस्तावित करों से मामूली सा राजस्व मिलेगा परन्तु फिर भी बोर्ड के कार्य करने के लिए यह आवश्यक है। मुझे आशा है कि सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : महोदय, तम्बाकू बोर्ड के गठन की हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और इसका खर्च वहन करने के लिए सरकार इस विधेयक को लाई है जिसमें वर्जीनिया तम्बाकू पर एक पैसे किलोग्राम की दर से उत्पादन शुल्क बढ़ाने का उपबन्ध है। यह उपकर उचित है। लोग भी इसके बारे में चिन्तित नहीं हैं। किन्तु चिन्ता इस बात की है कि क्या बोर्ड उत्पादकों के लिए लाभप्रद होगा। अब तक किसी भी विधेयक से व्यापारियों को और बिचौलियों को ही लाभ हुआ है। किन्तु सन्देह यह है कि इसका लाभ केवल निर्यातकों अथवा व्यापारियों को ही होगा। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उत्पादकों को भी लाभ हो। सरकार को तम्बाकू बोर्ड का शीघ्र गठन करना चाहिए और इसमें संसद् सदस्यों और उत्पादकों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): At the time of introduction of the Bill providing for the constitution of a Tobacco Board, it was indicated that a cess would be imposed on tobacco and the present Bill has perhaps been introduced in accordance with that indication. Though the Bill appears to be quite simple, yet it is full of complications, The cess proposed is also on the high side. This Bill on the one hand provides for imposition of excise duty on virginia tabacco but on the other hand it also proposes imposition of a custom duty of one percent *ad-valorem* per kilogram on any kind of tobacco grown in India, This kind of double procedure is likely to affect the production of tobacco.

The tobacco industry is not adequately developed industry in this country. In the Tobacco Board Bill, there is no mention of export of tobacco of any other variety except virginia tobacco. But this Bill provides for report of other varieties also. Even so, in the sentiment of objects and reasons of this Bill, it has not been indicated as to which varities are considered to be exportable, which varieties are being exported and what measures have been taken in the direction of increasing production and improving the quality of these varieties.

There is a great discrepancy in this Bill. The Minister is giving unlimited powers to his officers. I would request him to look into the clause 10 of the Bill. It says that no proceeding shall lie against the Government or their employees or the employees of the Board for anything which is in good faith done or intended to be done. It means that it has already been presumed before hand that the action taken by the concerned Government official will be in good faith. On no account such wide powers can be termed as justified. I would like the Minister to reconsider this clause.

The custom duty of one percent should be reduced to protect the interests of tobacco growers in the country. Steps should be taken to explore the possibilities

and potentiality of export of tobacco to the U.K. and the U.S.A, I hope that concrete steps will be taken in this direction.

Shri M. C. Daga (Pali): Enactment of piece-meal legislations is not a happy thing. This Bill does not indicate as who shall collect the excise duty. The Government had earlier brought forward Tobacco Board Bill. They have now brought a new Bill to impose a cess, The provision for this cess could have been made in the Tobacco Board Bill itself. There is no need for a separate Bill.

No specific provisions have been included in this Bill. Most of the things have been left to be included in the rules which are to be framed. This is not proper. The Bill does not give any information as to how much expenditure will be incurred on the collection of the cess proposed to be imposed and how many officers will be appointed for the purpose. The purpose for which money will be collected in this way has also not been indicated. I would request the Minister to gave all this information.

Dr. Laxminarain Pandeya: The Minister has said that as no tax is proposed to be levied on tobacco, it is being levied on Bidi. But a cess has been imposed on tobacco also. There are two contradictory things. This may not create difficulties both for tobacco and bidi industries and affect the production.

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि बिचौलिये तम्बाकू व्यापार और उद्योग का लाभ न उठायें। बोर्ड बनाने का उद्देश्य उत्पादक को मदद पहुंचाना, उसे निर्यात के मामलों में लाभ पहुंचाना है। बोर्ड का एक लक्ष्य बिचौलियों को खत्मा भी करना होगा।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि बोर्ड को इतनी अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिएं। पर इस विधेयक का समिति उद्देश्य है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि बोर्ड की शक्तियां उसके उद्देश्यों के अनुरूप ही होंगी। इनका प्रयोग उत्पादकों के हित में होगा।

माननीय सदस्य श्री मूल चन्द डागा ने खर्च के बार में जानकारी चाही है और आशा व्यक्त की है कि पैसे का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जायेगा। साधन जटाने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि से स्पष्ट है कि सरकार बोर्ड को उसकी आवश्यकता से अधिक पैसा या शाक्तियां नहीं देना चाहती है। बोर्ड का खर्चा भी सिमित होगा। यह कहना ठीक नहीं होगा। कि जो धन घटाया जायेगा उसे प्रशासन पर खर्च किया जायेगा।

जो सीमा-शुल्क लगाया जा रहा है उससे लगभग 1.3 लाख रुपये एकत्रित होंगे। हम बहुत अधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहते पर जो धन इकट्ठा किया जायेगा उसका समुचित उपयोग होगा। इसके लिये अनकूल नियम और उपनियम बनाये जायेंगे। हम बोर्ड के प्रशासन में वित्तिय पहलू का ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू उद्योग के विकास के लिए वर्जीनिया तम्बाकू पर उत्पाद-शुल्क और तम्बाकू पर सीमाशुल्क के उपकर के तौर पर उद्ग्रहण और संग्रहण के करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । श्री बी० बी० नायक, श्री रामावतार शास्त्री और श्री मधुकर के संशोधनों के नोटिस दिये हैं । उनमें से संशोधन पेश करने के लिये कोई भी यहां उपस्थित नहीं है । अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 11 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and title were added to the Bill

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं ' कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अभी मुझे सूचित किया गया है कि आधे घंटे की चर्चा स्थगित कर दी गई है । इसके साथ ही आजकी कार्यसूची में दर्ज किया हुआ कार्य समाप्त होता है ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार 6 मई, 1975/16 वैशाख, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on ***Tuesday, May*** *6, 1975/Vaisakha 16, 1897 (Saka).*

GMGIPND—(M) NS—1250 L.S.—20-9-75—200.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

27 LSS/75—1